षष्ठम् माला, खंड 13, अंक 33
Sixth Series, Vol. XIII, No. 33

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1978/17 चैत्र, 1900 (शक)
Friday, April 7, 1978/ Chaitra 17, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIII Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 33, शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1978/17 चैत्र, 1900 (शक)

No. 33, *Friday, April* 7, 1978/*Chaitra* 17, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answer to Questions :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 637, 638 और 640 से 644	Starred Question No. 637, 638 and 640 to 644.	1–18
प्रश्नो के लिखित उत्तर :	Written Answer to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 639, 645, 646 और 648 से 656	Starred Question No. 639, 645, 646 and 648 to 656.	18–29
अतारांकित प्रश्न संख्या 5971 से 5983, 5985 से 5993, 5995 से 6043, 6045 से 6109, 6111 से 6114, 6116, 6117, 6119 से 6127 और 6129 से 6170	Unstarred Question No. 5971 to 5983, 5985 to 5993, 5995 to 6043, 6045 to 6109, 6111 to 6114, 6116, 6117, 6119 to 6127, and 6129 to 6170.	29–152
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	153,156–157
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे	*Re.* Question of Privilege	153–155
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थूम्बा में कर्मकारों द्वारा अनिश्चित काल के लिए औजार रोको हड़ताल किये जाने के कारण काम ठप्प हो जाने का कथित समाचार	Reported indefinite tools down strike by workers paralysing work at the Vikram Sarabhai Space Centre at Thumba—	
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	157,160–161
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	158–161
कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड के मामलों की जांच कराने तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में याचिका	Petition re. Enquiry into Affairs of Containers and Closures limited and its Nationalisation	161

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question as actually asked on the floor of the House by him.

1—124 LSS/ND/78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पटना जंक्शन पर रेलवे आयोजित छात्रावास के पुनः खोले जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Reopening of Railway Sponsored Students' Hostel at Patna Junction	
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	162
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(1) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रेल माल डिब्बों के रोके जाने के बारे, रेलवे द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति का समाचार	(i) Reported Press Release by the Railways about holding up of railway wagons by Coal India Ltd.	
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	162
(2) आन्ध्र प्रदेश में धान का मूल्य बढ़ाने के लिए धान उत्पादकों द्वारा आन्दोलन का समाचार	(ii) Reported agitation by Paddy producers for raising the prices of paddy in Andhra Pradesh.	
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	162
(3) मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के एक बैंच का गठन करने का समाचार	(iii) Constitution of a bench of High Court for Marathwada Region	
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	162
(4) बिड़ला उद्योग समूह के शेयरों की खरीद का समाचार	(iv) Reported purchase of shares of Birla Group of Industries	
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	163
अनुदानों की मांगें, 1978-79	Demands for Grants, 1978-79	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare	
श्री राजनारायण	Shri Raj Narain	163–165
श्री वी किशोर चंद्र एस० देव	Shri V. Kishore Chandra S. Deve	165–167
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	167–169
श्री ब्रिज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	169–171
श्रीमती वी० जयालक्ष्मी	Shrimati V. Jayalakshmi	171–172
श्री युवराज	Shri Yuvraj	172–173
श्री अजित कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha	173–175

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
डा० विजय मंडल	Dr. Vijay Mondal	175–176
श्री पी० वी० पेरीस्वामी	Shri P. V. Periasamy	176–177
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	177–178
विधेयक—पुरःस्थापित	Bills—Introduced—	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 292 और 293 का संशोधन) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	(i) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 292 and 293) by Shri Om Prakash Tyagi	179
(2) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधयक (धारा 2, 3, आदि का संशोधन) श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(ii) Workmen's Compensation (Amendment) Bill (Amendment of section 2, 3 etc.) by Shri Prasannbhai Mehta	179
(3) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 1, 2, आदि का संशोधन) श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(iii) Payment of Wages (Amendment) Bill (Amendment of sections 1, 2 etc.) by Shri Prasannbhai Mehta	179–180
(4) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 4 आदि का संशोधन) श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(iv) Payment of Gratuity (Amendment) Bill (Amendment of sections 2, 4 etc.) by Shri Prasannbhai Mehta	180
(5) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (सशोधन) विधेयक (धारा 1, 2, आदि का संशोधन) श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(v) Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill (Amendment of sections 1, 2 etc.) by Shri Prasannbhai Mehta	180
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छद 16क का स्थापन) श्री रूप नाथ सिंह यादव द्वारा	(vi) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 16A) by Shri Roop Nath Singh Yadav	181
(7) अनाज बोर्ड विधेयक, श्री यादवेन्द्र दत्त द्वारा	(vii) Grains Board Bill by Shri Yadvendra Dutt	191
(8) पिछड़े क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक श्री यादवेन्द्र दत्त द्वारा	(viii) Backward Areas Development Board Bill by Shri Yadvendra Dutt	191
(9) जासूसी विरोधी विधेयक श्री यादवेन्द्र दत्त द्वारा	(ix) Anti-Espionage Bill by Shri Yadvendra Dutt	192
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक—वापस लिया गया विचार करने का प्रस्ताव	Mental Health Bill—Withdrawn— Motion to consider—	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री पूर्ण नारारण सिन्हा	Shri Purna Narayan Sinha	181-182
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	182-183
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	183-184
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	184-187
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	186-187
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 का संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव	Constitution (Amendment) Bill—(Amendment of article 51) Motion to consider —	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	187-190
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	190-191
हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion re. Atrocities on Harijans—	
श्री शिव नारायण सरसुनियां	Shri Shiv Narain Sarsonia	192-194
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	194-196
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	196-197
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	197-198
श्री युवराज	Shri Yuvrai	198-199
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	199
श्री एस० एस० लाल	Shri S. S. Lal	199
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	199-201
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	202-203

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1978/17 चैत्र, 1900 (शक)
Friday, April 7, 1978/*Chaitra* 17, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Hiring of Storage Tanks in Bombay and Kandla by S. T. C.

*637. **Shri Ram Sevak Hazari:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that State Trading Corporation has hired storage tanks in Bombay and Kandla belonging to Caltex (a public undertaking) through a private party instead of hiring them directly from the undertaking as a result of which his intermediary is making a profit worth lakhs of rupees every year which debited to the S. T. C. accounts; and

(b) whether the S. T. C. has also hired storage tanks in Delhi from the same private party on high concessions and specific terms by giving them financial assistance whereas in other cases it has not been given to any one even on specific request made by other parties ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Out of the total storage capacity of 1.10 lakh NT approx. as on 31-3-78 with STC at Bombay and Kandla, storage capacity of approx. 11,200 MT and 19,000 MT belonging to Caltex (which was at that time not a public sector undertaking) at Bombay and Kandla was hired by STC from Distillers' Trading Corporation (a private firm) in July 75 and August 76, thus making a total tankage of 30,200 MT. STC is not aware of the profits made by Distillers' Trading Corpn. in this arrangement. These tanks were hired by floating limited tenders.

(b) In January 1977, STC was required to undertake a massive import programme of nearly 1/2 million MT of edible oils and the Corporation had to organise storage capacity at a very short notice particularly in Northern India where storage capacity at the end of December 1976 was only 5,325 MT.

A proposal was received from Distillers' Trading Corporation in which they had offered to construct tanks in Delhi of 4,200 MT capacity within a time span of 3-4 months. Their proposal was considered and with the approval of the STC Board of Directors, a letter of intent was issued to them in February 77 for the construction of the tanks in questions. The firm's proposal was in terms of an advance from the STC for construction of the tank to be adjusted from handling charges etc. but the firm has not availed of the advance. The tanks were constructed by them with their own money and have been given to the STC on hire. At the time the proposal of M/s. Distillers' Trading Corporation for construction of additional tankage was considered by the STC, the only other proposal received proposed construction of tanks either by giving of advance or hiring on long term basis. The latter alternative was agreed to.

Out of total capacity of 53,000 MT in Northern India as on 31st March 78, only 4,200 MT of capacity has been taken from Distillers' Trading Corporation.

Shri Ram Sevak Hazari : Mr. Speaker, My question is very clear but the Government has given a reply in a round about way. I asked :—

"Whether it is a fact that the State Trading Corporation has hired storage tanks in Bombay and Kandla belonging to Caltex (a public undertaking) through a private party instead of hiring them directly from the undertaking :—"

The reply has been given in a round about way. I want to know that Caltex was a private company in 1975. The Government took it over in 1976, my point is that after 1976 the Government should take it directly. What was the reason to have an agreement with intermediary firm and how many agreements have been reached from 1976 till to-date and for how many days ?

Shri Arif Baig : I want to tell you that when the contract was made Caltex was not a Government Undertaking. The Storage tank of Caltex was on lease with some private firm. According to the orders of the Government; S. T. C. had to make the arrangements of Storage tanks in large numbers and so direct contact was made with a firm who had got storage tanks but as and when we got the facility we tried that S. T. C. should create its own capacity. After the nationalisation of Caltex in January, 1977, we made all contracts directly with it. After that we are trying our best not to make any contract with any private firm and we are also trying to increase the capacity of the S. T. C. to the required extent so that it may be able to fulfil the requirements of the people.

Shri Ram Sewak Hazari : I want to know when you had made direct contract with Caltex what was the necessity of intermediaries. It result in a bungling of Rs. 77 lakhs per year and the Government is losing crores of rupees and some big officers are involved in it. I want to know when you hired the tankers of Caltex why did you not take them after taking over Caltex? Besides it, I also want to know whether you will invite tender for handling it.

Shri Arif Baig : As I have already stated there is no question of making contract with private individuals for Storage tankers of Caltex. As you have stated that some mistakes have been committed in this matter, if you mention some specific instances in this regard we will take action in this matter.

Shri M. Ram Gopal Reddy : Mr. Speaker, Ministers always reply that members should give specific instances. I want to know whether what has been told is not sufficient for you? Should the members work like C. I. D. Why do you not make investigation on the basis of informations supplied to you? Why do you put the burden on the members?

The Minister of Commerce and Civil Supply and Co-operation (Shri Mohan Dharia) : We had considered that matter. I want to state that when we made arrangement to purchase oil on behalf of S. T. C. we were in need of Godowns. The House will be pleased to know that we have made arrangements for 2 lakhs 50 thousand tonnes of oil storage capacity for S. T. C. So long as those people are there as they have taken tankers on lease from Caltex we cannot remove them even then it will be our efforts to take them direct. We do not pay more than Rs. 25 per ton per month including handling charges. In Bombay we have paid Rs. 40-50, but we have considered carefully. We have been alloted places in Madras, Kandla and Vishakhapatnam by Port Trust Authority. S. T. C. wants to start construction of a tank for storing 70 thousand tonnes of oil. We do not want to depend upon anybody. We want to be self sufficient. We have to store oil somewhere in the meanwhile so we have made such arrangements and there is no boungling in it.

चण्डीगढ़ से भुन्टू (कुल्लू) तक विमान सेवा

*638. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गर्मियों के दौरान चण्डीगढ़ से भुन्टू (कुल्लू) तक एयर इण्डिया की एक उड़ान हुआ करती थी ;

(ख) यह उड़ान किस वर्ष शुरू हुई थी तथा किस वर्ष बन्द कर दी गई ; और

(ग) सम्बन्धित लोगों की निरन्तर मांग को देखते हुए यह उड़ानें पुनः कब शुरू की जा रही हैं ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) It was Indian Airlines and not Air-India which used to operate flights from Chandigarh to Kulu during summer, till premonsoon, 1976.

(b) The service operated from 1967 to premonsoon, 1976.

(c) Indian Airlines have no plan to resume air service to Kulu at present.

श्री दुर्गा चन्द : मंत्री द्वारा दिये गये कटू उत्तर से मुझे आघात लगा है। इंडियन एयर लाइन्स ने चंडीगढ़ हो कर दिल्ली और कुल्लू के बीच विमान सेवा की व्यवस्था वर्ष 1966–67 में की थी। उक्त उड़ानें सप्ताह में दो बार होती थीं और 10 मई से 15 जुलाई और फिर 15 सितम्बर से 15 नवम्बर, के बीच जारी रहती थीं। उक्त उड़ानें 10 वर्ष तक चालू रहने के बाद वर्ष 1976 में समाप्त कर दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति कुल्लू और मनाली के महत्व को जानता है। अतः मैं इन उड़ानों को समाप्त करने के कारणों को जानना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि उड़ानों को पुनः कब से चालू किया जायेगा।

Shri Purushottam Kaushik : It is true that that service was operated from 1967 to 1976. But the service was suspended before the present Government came in power. The present Government made an investigation again in this matter. I was told that the present runway is 3700 feet long and out of it 2770 feet long runway can only be utilised. In such circumstances present day Aircrafts cannot land there and so services cannot be resumed on it.

श्री दुर्गा चन्द : हवाई अड्डे की विशेष मरम्मत पर अगस्त-सितम्बर, 1976 में 12.88 लाख रुपये खर्च किये गये थे। हाल ही में गृह मंत्री वहां गये थे और उड़ान चालू की गई थी और एक बड़ा विमान वहां ले जाया गया था। अतः जब हवाई अड्डा उड़ान के लिये उपयुक्त है, तो सरकार उड़ानों को चालू करने में इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है।

Shri Purushottam Kaushik : When it was operated earlier its traffic average was 7 to 10 passengers. The present runway. . .

Shri Durga Chand : How the plane of the Home Minister was landed there **(interruptions)**

Shri Purushottam Kaushik : Hon. Members need not agitate in this matter. We are trying our best, but Mr. Speaker, nothing can be done in this matter unless improvements are made. According to D. G. C. A. and Indian Air Lines load factor penalty is more. We cannot take more than 50 percent traffic in it. Break-even is also 95 percent. So in case we take 50 percent passengers, there will be a huge loss. In case we use the present runway, load factor penalty will be more. So unless improvement made, it will not be possible to operate there.

The another difficulty is, as the hon. Member knows, that on one side of the runway the Beas river flows. Its erosion has came near to the runway and on the other side there is river bridge. As such there is not much scope for its expansion. For landing Turbo Prop Plane there at least 5000 ft long runway is required. Unless the plane is small, it cannot land there.

Shri Durga Chand : The plane may be small.

Shri Purushottam Kaushik : Under such circumstances taking into consideration the load factor and other things it will not be possible to operate plane service there on profit. As I have already stated several times that the Government is trying to introduce small planes. When this scheme is completed then we will surely introduce this scheme.

Shri Hukum Chand Kachwai : In his reply the hon. Minister has stated two things. Firstly the runway is small and it cannot be expanded due to the soil erosion by the river. Secondly it cannot be run on loss because only few passengers are available. Recently you have expanded the runway by spending a huge amount and repaired it. Secondly you do not want to operate this service because this will entail loss. At other places services are being run on losses and post offices are also being run on loss. The main point is how much facilities you can provide to the passengers. It is but natural for the hon. Member to get erritated. When this service was being operated for ten years and in the name of emergency it was discontinued. May I know whether the hon. Minister resume this service taking into consideration the importance of this Service ?

Shri Purushottam Kaushik : Seeing the tourist traffic and visit by the foreign tourists there, because this is a place for their attraction, the question of loss does not arise. But the question is of the safey of the plane. Unless Provision for landing of plane there safely is made, it is not possible to land planes there. 'At Present' means for the time being what we want to say is that as far as possible, we will surely introduce this service for the hon. Member.

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में एक बड़ी हास्यापद बात कही है कि घाटे के कारण और क्योंकि उन्हें अधिक यात्री नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने यह सेवा बन्द कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : हवाई पट्टी और अन्य बातें कहीं गई है।

श्री के० गोपाल : यह उन्होंने एक कारण बताया है--पर्याप्त संख्या में यात्रियों का न मिलना। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या एवरो अथवा फोकर फ्रेंडशिप का ब्रेक ईवन, मुझे बताया गया है कि एवरो के लिये आक्युपेंसी 120 प्रतिशत है और फोकर फ्रेंडशिप के लिये 90 प्रतिशत है.... (व्यवधान) इसको सही किया जा सकता है। जब ऐसा मामला है तब वह अन्य मार्गों पर-राज सहायता देकर एवरो और फोकर फ्रेंडशिप विमानों की सहायता कर रहे हैं, वह केवल जेट विमानों के उड़ानों पर लाभ कमा रहे हैं मुझे आशा है कि वह इससे सहमत होंगे तो क्या मंत्री महोदय अन्य विमानों की अपेक्षा इसको राज सहायता देकर इस सेवा को आरंभ करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है। जहां तक कुल्लू को विमान सेवा आरम्भ करने का प्रश्न है, सरकार के समक्ष केवल लाभ की बात नहीं है, इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रश्न भी शामिल है। परन्तु निश्चय ही विमान उड़ान की सुरक्षा की दृष्टि और इस सेवा के परिचालन हेतु हवाई पट्टी की न्यूनतम लम्बाई को देखते हुए यह उचित नहीं है।

Shri Ganga Singh : The hon. Minister has stated that the length of the runway is 3,700 ft and out of this, 2,700 ft runway is in fit condition. Only 1,000 ft runway is not fit to be operated. The hon. Minister has stated that they have spent Rs. 12 lakhs on that runway but they are not going to operate air service there. As such he has misused Rs. 12 lakhs if they are not going to introduce air service there. I want to know how much amount will be spent to make 1,000 ft runway operational and why he is spending that amount.

Shri Purushottam Kaushik : We will try our level best to operate the air serivce there. So far the construction of runway is concerned, a provision of Rs. 11 lakhs has been made in the Sixth Five Year Plan and certainly it will be our endeavour to undertake this work.

Arrest Warrants issued under Cofeposa

*640. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of arrest warrants issued under COFEPOSA by each State Government and by the Central Government uptill now;

(b) the number of arrest warrants out of them, issued by the previous Government and those issued by the present Government;

(c) the number of persons apprehended against these warrants; and

(d) the action being taken to apprehend the remaining ones?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) to (c): A statement showing the number of detention orders issued by the Central Government and various State Governments under the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 prior to revocation of Emergency (19-12-1974 to 20-3-1977) and the number of persons detained out of them up to 25-3-1978 is laid on the Table of the House (statement 'A'). Another statement showing the number of detention orders issued by the Central Government and various State Governments under the provisions of the said Act after revocation of Emergency and up to 25-3-1978 (21-3-1977 to 25-3-1978) and the number of persons detained out of them up to 25-3-1978 is also laid on the Table of the House (statement 'B').

(d) As on 25-3-1978, 189 persons ordered to be detained under the provisions of the said Act were absconding or had not been detained. Necessary action under section 7 of the said Act read with provisions of sections 82 to 85 of the Criminal Procedure Code, 1973 for attachment of their properties is taken against such persons.

Statement 'A'

Statement showing the number of detention orders issued under the COFEPOSA Act, 1974 prior to revocation of Emergency (i.e. during 19-12-1974 to 20-3-1977) and the number of persons detained out of them upto 25-3-1978.

S. No.	Detaining authority	No. of detention orders issued prior to revocation of emergency (i.e. during 19-12-1974 to 20-3-1977)	No. of persons detained upto 25-3-78 out of detention orders in in col. (3)
1	2	3	4
1	Central Govt.	322	278
2	Andhra Pradesh	48	42
3	Assam	78	73
4	Bihar	280	116
5	Chandigarh	2	1
6	Dadra & Nagar Haveli	2	2
7	Delhi	58	53
8	Goa, Daman & Diu	70	67
9	Gujarat	494	470
10	Haryana	5	5
11	Jammu & Kashmir	14	14
12	Karnataka	119	117
13	Kerala	111	110
14	Madhya Pradesh	26	26
15	Maharashtra	726	648
16	Manipur	21	18

STATEMENT A—Contd.

1	2	3	4
17	Meghalaya	6	6
18	Nagaland	1	1
19	Orissa	3	3
20	Pondicherry	4	4
21	Punjab	146	142
22	Rajasthan	14	14
23	Tamil Nadu	329	318
24	Tripura	54	46
25	Uttar Pradesh	180	153
26	West Bengal	235	191
	Total	3348	2918*

*Out of these, 39 persons were detained after revocation of Emergency.

STATEMENT 'B'

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF DETENTION ORDERS ISSUED UNDER THE COFEPOSA ACT, 1974, AFTER REVOCATION OF EMERGENCY UPTO 25-3-1978 AND NO. OF PERSONS DETAINED OUT OF THEM UPTO 25-3-1978

(Laid on the Table of the House in reply to Lok Sabha Starred Question No. 640 for 7-4-1978).

Sl. No.	Detaining Authority	No. of detention orders issued after revocation of Emergency	No. of persons detained upto 25-3-78 out of detention orders in Col. (3)
1	2	3	4
1	Central Govt.	7	6
2	Delhi	11	8
3	Goa, Daman & Diu	1	1
4	Gujarat	34	33
5	Karnataka	19	19
6	Maharashtra	56	51
7	Manipur	3	1
8	Punjab	13	11
9	Tamil Nadu	13	11
10	Uttar Pradesh	11	10
11	West Bengal	18	9
	Total	186	160

Shri Hukum Chand Kachwai : After the declaration of emergency a number of persons were imprisoned and many absconded. Whether it is a fact that absconded persons have not been arrested till now? Whether it is also a fact that absconded persons are absconding on account of MISA or out of the fear of revenge ? Whether it is a fact that charges were levelled against them out of revenge ? Whether the Government give an assurance that legal action will be taken against those persons who have not been arrested till now ? Whether the Government propose to do such thing ?

Shri Satish Agarwal : Mr. Speaker, the number of persons against whom detention orders were issued from 19-12-74 to 20-3-77 was 3348. Out of them 2879 persons were arrested. They were arrested during emergency. The rest of the persons remained absconded and could not be apprehended. The number of absconded persons was 469. Many persons were released after the revocation of emergency. After the revocation of emergency the number of absconders was 257 the cases of 257 persons were reviewed and consequently orders against 54 persons were revoked and 39 persons were arrested. Out of the numbers of persons against whom detention orders were issued during emergency, there are only 164 such persons who are still absconding and have not been apprehended. The Government of India has issued fresh guidelines on 1 September, 1977. Under these all these cases are reviewd at times. Where found necessary to revoke detention order on the basis of merit, their detention orders are revoked.

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked whether the Government was prepared to move the court in connection with those who have been arrested ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I will ask supplementary only after my question is replied. Let the hon'ble Minister clarify first if the Government are in position to move the court ?

Shri Satish Agarwal : Mr. Speaker, Sir, we go to the courts in connection with the cases in which moving the courts is possible. Generally, the policy is to prosecute the guilty persons in courts. But as the hon. Member is aware that against a number of financial organisations, successful prosecution is not possible. There are orders to ensure that they are not involved in these activities again. To revoke these orders these cases are considered on merits.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the judgments given by the Madras High Court and Calcutta High Court in connection with the COFEPOSA enforced by the previous Government ? What is the thinking of the Government about them ?

Shri Satish Agarwal : The Madras High Court in its judgment has held that the declarations made under section 12A during the Emergency that it is not necessary to furnish grounds and that the detenue should be released on such Detention Order. The Government of India has already filed a Special Leave Petition in the Supreme Court against that. The Gujarat High Court and the Delhi High Court have upheld the declarations made under section 12A during the Emergency though it has not been challenged there ?

श्री हितेन्द्र देसाई : महोदय, 'कोफेपोसा' के अधीन नजरबन्दी के सम्बन्ध में क्या वर्तमान सरकार की नीति वही है जो आपात स्थिति के दौरान थी अथवा हृदय परिवर्तन के कारण उसमें कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वर्तमान सरकार की वह नीति नहीं है जो आपात स्थिति के दौरान थी। आपात स्थिति के दौरान लोगों को अंधाधुंध और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता था जबकि इस समय किसी व्यक्ति को सरकार का उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए चयनात्मक आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।

Shri Brij Bhushan Tiwary : May I know the number of smugglers handed over by the Interpol police and who are lodged in jails and also the number of those among them who are outside jails.

Shri Satish Agarwal : I have already submitted that the total number of detenus is 145. Among them central Government detenus are 6 and state Government detenus are 139. At the moment I have no information regarding the number of the detenus handed over by the Interpol. If the hon. Member likes, I would give it to him.

Articles seized during search of Moti Doongari Palace

*641. **Shri Ram Naresh Kushwah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to lay a statement showing :

(a) the details and the quantity of articles seized during the search of Moti Doongari palace;

(b) who deposited these articles and where; and

(c) the total value thereof ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) से (ग) : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत प्राधिकृत आयकर प्राधिकारियों ने मोती डुंगरी महल, जयपुर से निम्न लिखित वस्तुएं पकड़ी :—

पकड़ने की तारीख	पकड़ी गई वस्तुएं
5–6–75 . .	235.30 लाख रुपये मूल्य की जवाहिरात की 11 वस्तुएं।
10–6–75 . .	31.45 लाख रुपये मूल्य की जवाहिरात की 176 वस्तुएं तथा अन्य कीमती सामान।

जो 5 जून, 1975 को पकड़ी गई थीं वे स्टेट बैंक आफ इंडिया में एक लाकर में जमा करा दी गई थी और बाद में उन्हें भारत के रिजर्व बैंक में स्थानान्तरित कर दिया गया। 10-6-75 को पकड़ी गयी वस्तुओं को, राजस्थान सरकार के जयपुर स्थित खजाने की तिजोरी में जमा करवा दिया गया है।

स्वर्ण-नियंत्रण प्राधिकारियोंने, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत, मोती डूंगरी महल, जयपुर से, कुल 873.41 किलोग्राम वजन के सोने के सिक्के, गिन्नियां, शुद्ध-सोना, वस्तूएं तथा आभूषण पकड़े जिनका मूल्य 480.28 लाख रुपये आंका गया था। इनके अतिरिक्त उस महल से 19.88 किलोग्राम वजन के 19,878/– रुपये मूल्य के चान्दी के सिक्के भी पकड़े गये थे। ये सिक्के सोने के सिक्कों के साथ ही पाये गये थे।

सोने और चान्दी की पकड़ी गई उपर्युक्त सभी वस्तएं, सुरक्षा के लिये, बैंक आफ बड़ौदा और यूनाइटिड कमर्शियल बैंक की जयपुर के जौहरी बाजार में स्थित शाखाओं की तिजोरियों में रखी हुई हैं।

Shri Ram Naresh Kushwah : I asked in question No. 3292 on 9th December, 1977 :

"Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari etc. was not deposited or was deposited in short quantity ;

(b) the place where the remaining treasure has been kept;

(c) the persons responsible therefor; and

(d) the action taken by Government in the matter".

The hon'ble Minister gave a reply to this question that nothing was found in Moti Doongari. I had asked about both the places—Moti Doongari and Jaigarh. I want to know which of the two replies is correct ?

I want to know from the Minister of Finance whether the previous reply is correct or to-day's reply is correct? If both are correct, I want to know if it has been deposited to-day? Was it not deposited at that time? Where was this treasure kept by now ?

Shri Julfiquarulla : I have clearly given the dates in my answer on which all these articles were deposited. They have been deposited on the 5th and 10th June. I have already given the places where they have been deposited. Some articles were seized in connection with income tax. They have been deposited by Income Tax Officers, the remaining articles were seized under the Gold Control Act. The Gold Control Authority has deposited these articles. All the articles have been deposited on the above dates.

Shri Ram Naresh Kushwah : Mr. Speaker, Sir, I have not received the reply to my question. Are both the answers correct? I want to know how the previous answer is correct if the articles have been deposited on those dates ? Either that answer or this answer is correct which of the both answers is correct ? If the previous answer is correct, who is responsible for keeping these articles in his custody? Even now my first question has not been replied clearly.

Shri Hukam Chand Kachwai : He is giving wrong replies. . . .

(Interruptions)

Shri Zulfiquarulla : In this question, no information has been asked for about other palaces. This question is about Moti Doongari palace and has been replied accordingly. Therefore, whatever the hon. Member is asking is correct.

Shri Ram Naresh Kushwah : Mr. Speaker, Sir, I have not received the reply to my question.

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि इसमें विरोधाभास है। वह कहते हैं कि पहले आपने भिन्न उत्तर दिया है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आज उन्होंने जो कुछ बताया है वह सही जवाब है। आज के लिये जो प्रश्न दिया गया है उसका यह उत्तर है। और जो उत्तर दिया गया है वह सही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि आज जो उत्तर दिया गया है वह बिलकुल सही है।

Shri Ram Naresh Kushwah : Mr. Speaker, Sir, my another supplementary has not been answered. Please listen to my point. My question was: "The reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari..." It was a clear question and it was replied at that time that nothing was found. My question is that if the reply given to-day is correct, where had the treasure been kept by now? Still my first question is not over. First question should be replied so that I can have an opportunity of putting next question.

Shri Zulfiquarulla : Mr. Speaker, Sir, if you allow me, I may reply. The previous question was regarding digging at Jaigarh Fort ....

Shri Hukam Chand Kachwai : He gave wrong answer to previous question and the hon. Minister admitted. ....

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय, वह प्रश्न पूछने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। श्री कुशवाह, यदि आप आवश्यक समझें तो आधे घंटे की चर्चा उठा सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : It was in the custody of Mrs. Indira Gandhi, he wants to conceal it.

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर संतोषजनक न हो तो आप आधे घंटे की चर्चा उठाने के लिये कह सकते हैं परन्तु आप इस प्रकार आग्रह नहीं कर सकते। आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिये।

(व्यवधान) ***

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये। श्री कुशवाहा, मैंने आपको 4 प्रश्नों को अनुमति दे दी है। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है तो आप आधे घंटे की चर्चा उठाने के लिये कह सकते हैं। उस समय विचार कर लिया जायेगा।

(व्यवधान) ***

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान) ***

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलिति नहीं किया गया है।

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : चूंकि उन्होंने मेरा उल्लेख किया है इसलिये क्या मैं यह कह सकता हूं कि मुझ से उत्तर लेने का यह तरीका नहीं है और मेरे माननीय मित्र के लिये इस ढंग से बात करना उचित नहीं है। मैं उन्हें यह बता देता हूं। यदि वह अपनी आवाज इसी प्रकार उठाते रहे और समझें कि मैं ठीक कह रहा हूं तो यह बहुत ही गलत बात है। यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है। मुझे आशा है कि वह बेहतर ढंग से बर्ताव करेंगे। **(व्यवधान)**।

***कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded

Shri Bhanu Kumar Shastri : On a previous occasion I had tabled a question in the House and I got the same reply that nothing was recovered. It is a sad matter. I want to know from the hon. Minister in connection with the treasure found and which was deposited in banks that was if against the rules; if so, why action was initiated against them and abandoned in between a number of months have gone by till date, what is the stage of that case ? May I know the stage of the case which was filed under the Gold Control Act or due to any other irregularity ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बहुत भ्रांति है। जिस बात का उल्लेख किया गया है कि वह जयपुर फोर्ट में छिपे हुए बताये जाने वाले खजाने की तलाशी के बारे में है। एक बात तो यह है। वह जून, 1976 में शुरू हुआ और उसे नवम्बर, 1976 में छोड़ दिया गया। भारत सरकार की ओर से तथा जयपुर के कर्नल भवानी सिंह के बीच हुए करार के अन्तर्गत तलाशी आरंभ की गई थी। उसमें कुछ नहीं मिला। जहां तक व्यय का संबंध है, हमने इन खुदाई कार्यों पर बहुत धन खर्च किया। आज जो प्रश्न किया गया वह बहुत ही स्पष्ट है : इसमें कहा गया है कि :

> "(क) मोती डूंगरी महल की तलाशी में बरामद वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और वे कितनी मात्रा में बरामद हुई;"

जो कुछ उस महल में मिला उसके बार में हम बता चुके हैं।

> "(ख) इन वस्तुओं को किसने जमा किया था और कहां पर"

इसका भी उत्तर दे दिया गया है कि उन्हें कहां जमा कराया गया। अतः सदन से कुछ भी छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य यह क्यों महसूस करते हैं कि इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसके अलावा, उन्होंने एक और प्रश्न किया है जो स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को लागू करने के लिये की गई कार्यवाही के बार में है। स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अधीन स्थिति यह है। सोने के तोते के अतिरिक्त सभी वस्तुओं के बारे में श्रीमती गायत्री देवी, कर्नल भवानी सिंह और श्री जय सिंह को दो कारण बताओ नोटिस 28 फरवरी, 1975 और 3 सितम्बर, 1975 को जारी किये गये थे। एक तीसरा कारण बताओ नोटिस, जो सोने की वस्तुओं और तोते के बारे में था, कर्नल भवानी सिंह को दिया गया था। कुल मिलाकर तीन नोटिस दिये गये थे। पहले दो मामलों, जो 895.107 किलो ग्राम सोने के बारे में थे, पर कलेक्टर आफ सेन्ट्रल एक्साइज, जयपुर ने न्याय-निर्णय दे दिया है। पकड़ी गई वस्तुएं जब्त कर ली गई हैं लेकिन 1.5 करोड़ रुपये की जब्ती के ऐवज में जुर्माने का भुगतान करके इन्हें छुड़ाने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त लेफ्टीनेंट कर्नल भवानी सिंह पर एच०यू० एफ० के कर्ता के रूप में 5 लाख रुपये का वैयक्तिक जुर्माना लगाया गया है। श्रीमती गायत्री देवी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि एच०पू०एफ० के रूप में भूतपूर्व शाही परिवय के सदस्यों द्वारा इस मामले का संयुक्त रूप से बचाव किया गया है। पार्टी ने 6 फरवरी, 1978 को जुर्माने और वैयक्तिक हर्जाने (पेनल्टी) का भुगतान कर दिया है और इन वस्तुओं को छोड़ दिया गया है। आदि निर्णायक आदेश के खिलाफ पार्टी द्वारा दायर की गई अपील हाल ही में प्राप्त हुए हैं और इस पर कार्यवाही की जा रही है।

विमुद्रीकरण के पश्चात् सोना खरीदने की प्रवृत्ति

*642. **श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक हजार तथा उससे बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात् भारत के मुख्य सर्राफा बाजारों में तथा नेपाल, बंगलादेश और पाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों में सोना खरीदने की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है और कुछ तस्कर सीमा पर गिरफ्तार भी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि धनी वर्ग के लोग पर्याप्त मात्रा में सोना खरीदकर और उसके कीमती जेवर बनाकर सरकार को चकमा देने के लिये जल्दी ही नये तरीके निकाल लेते हैं ; और

(घ) क्या सरकार एक दम्पति को साठ तोले से अधिक सोना न रखने की नीति पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर सोने को रखने अथवा प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध है और इसलिये लोगों के भारत के सराफा-बाजारों से सोना खरीदने अथवा उन्हें आभूषणों में परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता है, और सोने-चान्दी की खरीद में कोई विशिष्ट वृद्धि नहीं दिखाई दी है। प्राप्त सूचनाओं से यह भी नहीं लगता कि विमुद्रीकरण के तत्काल बाद सीमाओं पर सोने की तस्करी एकदम बढ़ गई थी। उक्त अवधि में न तो बड़े पैमाने पर कोई सोना पकड़ा गया और न सीमाओं पर सोने की तस्करी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पड़ौसी देशों से होकर भारत में सोने की तस्करी को रोकने के लिये पूर्ण सतर्कता से निवारक उपाय किये जा रहे हैं। फिलहाल, निजी तौर पर आभूषण रखने की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नेपाल और बंगला देश सीमाओं पर सोने की तस्करी के लिये कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मुझे मालूम है कि कई हजार तोला सोना पकड़ा गया था और कुछ तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में दो अथवा तीन तस्करों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था अतः माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर ठीक नहीं है।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विमुद्रीकरण के पश्चात् सर्राफा बाजार में सोने के मूल्य में वृद्धि हो रही है और धनी लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सोना खरीदा गया है जो सोने को कीमती आभूषणों में बदल रहे हैं ? यह सर्राफा बाजार की रिपोर्टों और स्टाक एक्सचेंज की रिपोर्टों से स्पष्ट है। अतः माननीय मंत्री महोदय हमें बतायें कि सीमाओं में तस्करों के लिये गिरफ्तार किये गये कितने व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया था ?

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न नोटों के विमुद्रीकरण के हवाले से शुरू होता है और मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि उनके पास जो जानकारी है वह ठीक है और मेरे पास जो जानकारी है वह गलत है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैंने जो जानकारी दी है वह ठीक है।

2—124 LSS/ND/78

मैं उन्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, शिलांग से हमें जो रिपोर्ट मिली है उसमें कहा गया है कि जनवरी-मार्च, 1978 की अवधि के दौरान भारत-बंगलादेश सीमा पर 13,560 रुपये के मूल्य का 213 ग्राम सोना पकड़ा गया था। तस्करी के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। भारत-बर्मा सीमा पर कोई तस्कर गिरफ्तार नहीं किये गये थे।

श्री सौगत राय : भारत-नेपाल सीमा पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक मुझे मालूम है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री सौगत राय : उनके पास तथ्य नहीं हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मेरी जानकारी यह है कि इस अवधि के दौरान इस सीमा पर कोई सोना नहीं पकड़ा गया था लेकिन यदि आप चाहें तो मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा।

श्री सौगत राय : कृपया आप इसकी जांच-पड़ताल करें।

श्री एच० एम० पटेल : क्या आपके पास कोई निश्चित् जानकारी है?

श्री सौगत राय : उन्होंने पहले कहा है कि 21 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से यह जानकारी सही नहीं है। मैंने शुरू में ही यह कह दिया था अतः वह मुझे बतायें। यदि उनके पास अधिक प्रामाणिक जानकारी है तो मैं इसकी जांच-पड़ताल करके बहुत प्रसन्न हूंगा।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या तस्करी की गतिविधियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और सीमाओं पर प्रहरियों (गार्डस) द्वारा भारी मात्रा में सोना पकड़ा गया है? सोने को तस्करी को रोकने के लिये माननीय मंत्री का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

श्री एच० एम० पटेल : हालांकि यह प्रश्न विमुद्रीकरण से संबंधित है तथापि माननीय सदस्य केवल यह जानने में रुचि रखते हैं कि क्या तस्करी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। यह उससे संबंधित नहीं है। इन बड़े नोटों का विमुद्रीकरण वस्तुतः सोने के साथ कोई संबंध नहीं है।

जहां तक तस्करी का संबंध है, इस अवधि के दौरान तस्करी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जहां तक हमें जानकारी है, सोने की तस्करी में भी कमी हुई है। माननीय सदस्य ने स्टाक एक्सचेंज सर्राफा बाजारों आदि के मूल्य का उल्लेख किया है। वस्तुतः स्थिति यह है कि बजट में की गई घोषणा के बाद कि सोने की कुछ मात्रा बेची जायेगी और जेवरात के प्रयोजनार्थ सोने का आयात किया जायेगा जो निर्यात किया जाता था, इससे मूल्यों को कम करने पर थोड़ा प्रभाव पड़ा था। अतः सोने के मूल्य में पुनः थोड़ी वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि बाजार में सोने की बिक्री के लिये कोई प्रबंध नहीं किये गये है। इस बारे में कुछ दिन पूर्व मुझसे प्रेस द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने स्पष्ट किया था कि सोने की बिक्री के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगेगा कि सोना ठीक मूल्य पर बेचा जाये और यह सही लोगों को प्राप्त हो।

Bank Loans outstanding against Farmers in Madhya Pradesh

*643. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to waive the current year interest on the previous bank loans outstanding against the farmers in Madhya Pradesh whose crops have been damaged by devastating hailstorms this year;

(b) whether instructions are proposed to be issued to banks to advance loans liberally for the current year to enable the hailstorm affected farmers to purchase fertilizer, seeds, bullocks, etc.; and

(c) if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल : (क) से (ग) : जी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि प्राकृतिक विपत्ति और विपरीत मौसम के मामले में वे अपनी वसुलियों के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण की अनुमति दे दें। बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण यदि 50 प्रतिशत से अधिक फसल की हानि हो जाए तो बैंक अपने कर्जदारों को अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में बदलने की सुविधा दे देते हैं। सम्बन्धित कर्जदार अपने कृषि कार्यों के लिये नया धन पाने के पात्र बने रहते हैं।

Shri Raghavji : Mr. Speaker, I have clearly mentioned about hailstorms affected farmers in my question whereas the hon. Minister in his reply has stated about natural calamities like flood, drought etc. I would like to know whether hailstorm is also considered as a natural calamity or not and if it is considered a natural calamity whether Reserve Bank will specifically instruct their banks to include hailstorm also in it ? Besides in which year the guidelines were issued by the Reserve Bank ?

श्री एच० एम० पटेल : जिस मुद्दे को उठाया गया है उसका उत्तर में उल्लेख है। चाहे यह ओलावृष्टि है अथवा कोई अन्य वस्तु हो यदि इससे फसल नष्ट होती है और यह क्षति कुछ बड़ी हो तो बैंक थोड़ी सुविधायें अवश्य देते हैं। ये सुविधायें ऋणों के पुनर्निर्धार के बारे में है। उन्हें पिछली सहमत हुई अवधि के भीतर ऋणों का भुगतान करना पड़ता था। अब इसके लिये अधिक अवधि की अनुमति दी गई है और कुछ अन्य सुविधायें भी दी गई हैं।

Shri Raghavji : Mr. Speaker, at present serious damage has been done by hailstorm in Madhya Pradsh, Uttar Pradesh and other states and at some places the damage is so much that there is no production at all in the farmers' fields. Under such circumstances, if interest is also charged over their debts, specially the penal interest which is too high and which becomes more than the principal amount, the farmer will not be in a position to pay it. These are such areas where heavy hailstorm has occurred and here instead of two crops only one crop produces. Therefore the farmers are compelled to sell their land. Whether the Government of India will ask the Reserve Bank to waive the penal interest and interest and such orders may be issued by the Reserve Bank to district co-operative banks and commercial banks ? Whether such decision taken by district co-operative banks, that they will waive the interest, will be accepted by the Reserve Bank ?

श्री एच० एम० पटेल : जो नहीं । ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किये जा सकते हैं । लेकिन ऐसे मामलों पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा । सर्वप्रथम, हमें ओला-वृष्टि के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुए भयानक नुकसान के समाचार नहीं मिले हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। यदि अधिक नुकसान हुआ है तो स्थानीय बैंक मैनेजर कलक्टरों से जानकारी प्राप्त करेंगे और वे जितनी सहायता दे सकते हैं देंगे। दण्ड (पीनल) ब्याज के माफ करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। लेकिन बाकी ब्याज को माफ करने के प्रश्न पर विचार करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम समाविष्ट करना आवश्यक नहीं है ताकि प्राकृतिक विपदाओं द्वारा फसलों के नष्ट होने पर ब्याज को माफ कर दिया जाये ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिये कि सरकार द्वारा ब्याज माफ करने के लिये कोई कार्यवाही करने में अन्तर है और जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है वे वाणिज्यिक संगठन है तथा वे ब्याज की वसूली को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। बैंक केवल इतना कर सकते हैं कि वे ऋणों का पुर्निधारण कर दें अर्थात् किसान को उस अवधि में ऋण का वापस भुगतान न करना पड़े जो पहले निर्धारित रह गई है तथा वह ऋण कुछ समय बाद वापस लौटा दे तथा ब्याज के बारे में कुछ रियायत भी दे दी जाये ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : महोदय, मंत्री महोदय ने एक निरर्थक उत्तर दिया है । प्रश्न एक विशिश्ट बात से सम्बन्धित है तथा मंत्री महोदय ने एक आम उत्तर दिया है अर्थात् यदि हमें ऐसी जानकारी मिलेगी तो हम इस प्रकार के आदेश देंगे । प्रश्न यह है कि :

"क्या सरकार पिछले बैंक ऋणों पर चालू वर्ष के ब्याज को मांफ करेगी . . ."

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बैंकों को चालू वर्ष के ऋणों की वसूली में नरमी बरतने के बारे में आदेश दिये हैं। यह एक विशेष प्रश्न है। मैंने अपने बजट भाषण के दौरान एक पत्र नत्थी किया था जिससे यह ज्ञात होता था कि इस वर्ष ओलावृष्टि कितनी विनाशकारी थी तथा फसल को कितनी अधिक क्षति पहुंची है । अतः वित्त मंत्री का यह कहना उचित नहीं है कि वह इस मामले में कुछ नहीं जानते।

श्री एच० एम० पटेल : मेरे माननीय मित्र का यह कहना अवश्य सही होगा कि अत्याधिक हानि हुई है। किन्तु सरकार को उन रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही करनी होती है जो सम्बद्ध राज्य सरकारों से प्राप्त होती हैं ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : यह पत्र सरकारी रिपोर्ट पर ही आधारित था।

श्री एच० एम० पटेल : मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमें उसी आधार पर कार्यवाही करनी होती है इसके बावजूद मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि हम इसके अतिरिक्त क्या करेंगे मैंने कहा है कि उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण 50

प्रतिशत से अधिक फसल को नुकसान होता है वहां बैंकों के लिए यह व्यवस्था है कि वे अल्पावधि के ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने अर्थात् ऋण की अवधि तीन वर्ष कर दें। इससे किसानों को जिनकी फसल नष्ट होने के कारण ऋण लौटाने की क्षमता कम हो गयी है कुछ सुविधा मिल जाती है।

आयात/निर्यात विनियमों के उल्लंघन के लिये फर्मों को काली सूची में रखना

†644. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आयात/निर्यात विनियमों का उल्लंघन करने के लिये कितनी फर्मों को काली सूची में रखा गया और जो अपराध किये गये उनका संक्षिप्त स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या कोई सरकारी अपराधों में योगदान देते हुए अथवा उन्हें प्रेरित करते हुए पाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) (1) अप्रैल 1977 से मार्च 1978 तक के वर्ष के दौरान आयात/निर्यात विनियमों का उल्लंघन करने पर 1830 फर्मों को काली सूची में रखा गया (आयात सुविधाएं प्राप्त करने से वर्जित किया गया)।

(2) मोटे तौर पर जिस प्रकार के अपराध किये गये उनमें शामिल हैं आयातित माल का दुरुपयोग, लाइसेंसों के आवेदन पत्रों में मिथ्या/भ्रामक विवरण देना, झूठे दस्तावेज पेश करना और सम्बन्धित लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करना।

(ख) आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं पाया गया है कि उसने इन मामलों में अपराधों में योगदान दिया हो या प्रेरणा दी हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं जानना चाहता हूं कि इन फर्मों को कितनी अवधि के लिए काली सूची में डाला गया था। क्या उनके नामों को प्रकाशित किया गया था और यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों ? इन फर्मों से कितने मूल्य की तथा किन वस्तुओं को जब्त किया गया ?

Shri Arif Baig : Mr. Speaker, Sir, action has been taken against the firm which have committed such type of mistakes. These firms have been debarred from getting further licences. There are 1830 such firms and appropriate action will be taken against each of them. It is not possible for me to give a detailed information at the moment.

श्री एस० आर० दामाणी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन फर्मों के नाम प्रकाशित किये गये हैं तथा कितने मूल्य का माल पकड़ा गया।

Shri Arif Baig : I will furnish this information after inquiring into the matter later on.

श्री एस० आर० दामाणी : मेरा दूसरा प्रश्न उत्तर के भाग (ख) के बारे में है अर्थात् आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं पाया गया है कि उसने इन मामलों के अपराधों में योगदान दिया है या प्रेरणा दी हो। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस मामले में किसी भी अधिकारी का हाथ नहीं था जब कि इतने भयंकर अपराध हुये थे तथा अनुभवी व्यक्ति इन कदाचारों अथवा धोखाधड़ी से नहीं पकड़ सके जैसा कि ऊपर कहा गया है ।

Shri Arif Baig : I have clearly stated that no official of the C. C. I. & E. organisation has so far been found to have aided or abetted the offences in their cases.

Since the hon. Member has drawn the attention of the Government to it, we will make inquiries. I assure the House, through you, Sir, that if any officer is found responsible for it, then we will take action against him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विमान दुर्घटना जांच आयोग

*639. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "विमान दुर्घटना जांच आयोग" की स्थापना करने के अपने निर्णय को बदल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में गठित की गयी नागर विमानन पुनरीक्षण समिति ने फरवरी, 1974 में सरकार को प्रस्तुत की गयी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करने के कार्यों का उत्तरदायित्व अब नागर विमानन के महानिदेशक का नहीं होना चाहिये बल्कि इसे पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक दुर्घटना जांच आयोग को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश को तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया था। समिति की अंतिम रिपोर्ट जिसमें यह सिफारिश भी सम्मिलित थी बाद में एक शक्ति-संपन्न समिति

को सौंप दी गयी थी। परंतु, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब ऐसे आयोग की नियुक्ति की जाएगी तो उसके पास करने के लिए बहुत ही थोड़ा काम होगा और क्योंकि अनुसूचित सेवाओं का परिचालन करने वाले विमानों की बड़ी बड़ी घातक दुर्घटनाओं के मामले में सामान्यतया किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधिश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत नियुक्त की जाती है। इस शक्ति संपन्न समिति ने सरकार को सिफारिश की कि नागर विमानन मंत्रालय में एक पृथक् दुर्घटना जांच आयोग का जिसको कि टाटा समिति ने सिफारिश की थी, गठन करना आवश्यक नहीं होगा। इस सिफारिश पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय के लिये विचार किया जा रहा है।

कंकालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

†645. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुनिया भर में कंकालों के मूल्य बढ़ रहे हैं और भारत कंकालों का सबसे बड़ा नियतिकर्ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1976 तथा 1977 के बीच भारत ने कंकालों के बिक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था जिस के फलस्वरूप इनका विश्व-व्यापी अभाव हो गया और जब यह प्रतिबंध हटाया गया तो इन कंकालों के खरीदारो की संख्या बहुत बढ़ गयी थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लाभकारी विपणन में भारत की प्रधानता सर्व-विदित है परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि अधिकांश कंकाल भारत से ही क्यों प्राप्त होते हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग): मानव कंकालों की विश्व मांग तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह कहना संभव नहीं है कि भारत मानव कंकालों का सब से बड़ा निर्यातक है। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि विश्व में कंकालों की कीमत बढ़ रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर मानव कंकालों के निर्यात पर रोक 4 मई, 1977 को शिथिल कर दी गई। तथापि, इस मद का निर्यात, अनुसूची 'ख' के अन्तर्गत निर्यात व्यापार नियंत्रण के अधीन रखा गया था। विदेशी खरीदारों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कि मानव कंकाल जीव विज्ञान तथा चिकित्सा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए अपेक्षित है, गुणावगुण के आधार पर निर्यात की अनुमति है।

भारतीय माल की किस्म के बारे में शिकायतें

†646. **श्री ओ० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ देशों से, उनके द्वारा भारत से आयात किये गये माल की किस्म के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने शिकायतें की हैं और माल का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने किन-किन फर्मों के बारे में शिकायतें भेजी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने शिकायतों की प्रामाणिकता के बारे में किसी जांच का आदेश दिया है और क्या शिकायतें सही पाई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : भारत से निर्यातित माल की क्वालिटि के बारे में समय समय पर कतिपय अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ शिकायतें इथोपिया, कीनिया, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, सं० रा० अमरीका तथा सोवियत संघ से रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों, फल तथा सब्जियों, समुद्री उत्पादों आदि के बारे में प्राप्त हुई हैं। जब भी सरकार को शिकायतों की सूचना मिलती है तो उन पर निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्ड आदि के परामर्श से विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

क्वालिटि नियंत्रण तथा लदान-पूर्व निर्यात निरीक्षण के कठोर प्रवर्तन के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। घटिया क्वालिटि के माल के निर्यातों के लिए प्रभावी निवारक उपायों की व्यवस्था करने के लिए निर्यात (क्वालिटी) नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 में भी संशोधन करने का विचार है।

Trade Delegations

*648. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of trade delegations sent by Government abroad during the last three years i.e. in 1975, 1976 and 1977 for promotion of export of Indian goods indicating the names of the countries to which these delegations were sent;

(b) the expenditure incurred by Government thereon; and

(c) the extent to which exports were promoted as a result of the visits of the said delegations?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) and (b) : 14 official delegations visited various countries in 1975, 14 in 1976 and 8 in 1977, respectively. The list of the countries they visited and the expenditure incurred by them is given at Statement.

(c) The exchanges of official delegations with various countries have no doubt contributed significantly to the promotion of our exports to these countries. Exchange of official trade delegations is only a part of various measures undertaken by Government to promote trade. Other measures include, participation in fairs, exhibitions, organisation of study-cum-sales teams, exchange of business delegations, organisation of India Promotion Fortnights in Departmental Stores in other countries. It is, therefore, difficult to quantify the extent by which trade increased directly as a result of the visits of these trade delegations.

Statement

S. No.	Delegations and countries visited		Expenditure incurred
	1975		
1.	U. K., West Germany and Sweden		29697·25
2.	U. K.		77347·00
3.	West Germany and U. K.		55828·39
4.	U. K.		988·00
5.	U. K.		233·00
6.	(i) Tunisia (ii) Jordan (iii) Sudan (iv) Kuwait, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Bahrain and Oman.	(4 Delegations)	65326·00
7.	Afghanistan		7728·00
8.	Pakistan		16493·25
9.	Nepal		13830·55
10.	Sri Lanka		1685·82
11.	Iran		10792·43

3—124 LSS (ND)/78

Statement—Contd.

Sl. No.	Delegations and countries visited	Expenditure incurred
	1976	
1.	Portugal	28550·47
2.	U.K.	49693·82
3.	U. K., Italy and West Germany	71979·75
4.	Spain	29806·50
5.	France	66470·85
6.	Italy, Austria and West Germany	22080·48
7.	Italy, Switzerland, West Germany and Austria	77528·30
8.	Arab Republic of Egypt	10503·00
9.	Afghanistan	8547·00
10.	Nepal	22642·46
11.	Brazil	97610·00
12.	(i) Austra ia (ii) Hong Kong — (3 Delegations) (iii) Seoul	75896·49
	1977	
1.	U. K.	63866·98
2.	U. K., Netherlands, Belgium & France	5522·00
3.	Belgium	Not available
4.	Belgium	37628·00
5.	Sudan	12033·00
6.	Bangladesh	12295·70
7.	Sri Lanka	4520·00
8.	Afghanistan	4397·45

भारत और अरब राज्यों के बीच व्यापार

*649. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान भारत और अरब राज्यों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि होती रही है अथवा उसमें कमी होती रही है ;

(ख) प्रत्येक अरब देश के लिए तत्सम्बन्धी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत और इसरायल के बीच कोई व्यापार होता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) क्या भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने के लिये इसरायल ने भारत से कोई पेशकश की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (च) : विगत पांच वर्षों के दौरान अरब देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि का रूख रहा है ।1973-74 से देशवार व्यापार आंकड़े अनुबंध में दर्शाए गए हैं ।

2. भारत का इजराइल के साथ कोई व्यापार करार नहीं हैं । किन्तु कुछ गैर-सरकारी व्यापार होता है । 1973-74से इजराइल के साथ हुए व्यापार का मूल्य नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु०)

	इजराइल को निर्यात	इजराइल से आयात
1973-74	3.85	0.83
1974-75	2.22	0.33
1975-76 . . .	3.37	1.22
1976-77	7.02	0.56
1977-78 . . . . . . (अप्रैल 1977 से जून 1977)	1.82	0.20

अनुबन्ध

अरब देशों के साथ भारत का व्यापार

(मूल्य करोड़ रु० में)

देश का नाम	1973-74		1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात (अप्रैल-सित०) 1977	आयात (अप्रैल-जून) 1977
आबू धाबी	3.6	नगण्य	4.7	नगण्य	10.6	81.5	25.4	84.0	74.5	7.3
दुबई	22.4	0.1	40.2	0.04	55.8	0.1	135.2	0.6		
बेहराइन	9.0	7.1	9.5	11.4	17.2	14.6	23.5	4.2	9.2	0.3
कुवैत	21.3	71.1	38.4	63.7	47.3	62.6	113.0	77.3	50.9	7.5*
ओमन	6.2	0.3	16.7	0.1	19.5	4.9	30.0	0.4	13.9	0.1
कतार	7.0	0.01	8.6	नगण्य	10.6	3.7	19.3	13.7	9.1	1.5
ईराक	20.3	61.2	72.9	251.5	63.9	247.8	46.6	280.2	30.9	141.8*
सउदी अरब	26.1	131.4	35.6	297.7	60.1	290.1	75.1	332.0	53.9	100.9*
जोर्डन	3.7	8.9	15.4	24.0	10.7	6.2	10.6	4.5	3.2	6.0*
लेबनान	3.0	0.5	4.1	1.4	2.4	0.2	0.6	0.1	0.2	0.03
सीरिया	2.6	नगण्य	7.1	नगण्य	2.0	नगण्य	4.0	नगण्य	3.7	

यमन का जनवादी लोक-तंत्रीय गणराज्य .	5.7	0.03	14.3	0.01	7.5	0.04	7.4	0.04	3.2	0.06
यमन अरब गण राज्य .	2.7	नगण्य	16.2	नगण्य	16.2	नगण्य	44.5	1.3	9.6	0.01
मिस्र अरब गण राज्य .	14.8	25.9	52.6	23.6	100.1	19.0	90.8	21.2	43.6	18.1*
सूडान	18.6	21.9	66.5	5.7	36.5	3.6	51.2	19.0	16.9	11.8*
अल्जिरिया	0.2	नगण्य	0.2	नगण्य	1.5	नगण्य	2.4	0.1	0.3**	0.1
लीबिया	5.1	नगण्य	8.6	नगण्य	4.3	नगण्य	13.1	नगण्य	13.6	..
मोरक्को	0.9	8.6	12.6	19.0	0.8	6.8	0.6	7.8	0.8	7.4*
ट्यूनीसिया	1.2	नगण्य	1.0	नगण्य	5.2	नगण्य	3.5		1.7	0.04
योग . .	174.4	337.04	425.2	697.45	472.2	741.14	696.8	846.44	339.2	302.94

(*अप्रैल–सितम्बर 1977 अवधि के लिए)

(**अप्रैल–जून 1977 अवधि के लिए)

Sale of Jewellery of Former Nizam of Hyderabad

*650. **Shri Yadvendra Dutt :**
Shri R. V. Swaminathan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the World famous jewellery of the former Nizam of Hyderabad is being sold and if so, the value thereof;

(b) whether this jewellery is treated as national property and if so, whether Government will stop it from being sold to foreign countries; and

(c) if so, whether Government will purchase such jewellery of World fame treating the same as national property, if the people possessing it desire to sell it and if so, on what terms ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes Sir, a part of the jewellery held by the Nizam's Jewellery Trust is being sold. The value of the entire jewellery of the Trust is not known to the Government.

(b) No Sir. The jewellery is held by the Trust for the benefit of the concerned beneficiaries. Government do not propose to stop the sale of the jewellery so long as it is in accordance with the relevant laws.

(c) Government have considered the matter and have decided not to tie up large sums of public money in the purchase of jewellery.

सामुदायिक विकास खंड में बैंकों की शाखायें खोलना

*651. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक सुविधा रहित सामुदायिक विकास खंड क्षेत्रों में, 676 नई शाखायें खोलने के बारे में भारतीय रिर्जव बैंक ने सभी भारतीय राष्ट्रीय कृत बैंकों को अनुदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो चयन किये गये क्षेत्र कौन-कौन से हैं और ऐसे बैंक कब तक खोले जा सकते हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने खण्ड चुने गये हैं और वहां बैंक की शाखायें कहां खोली जायेंगी?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : बैंकों से कहा गया है कि जून, 1978 के अंत तक बिना बैंक वाले प्रत्येक सामूदायिक बिकास खण्डो में कम से कम एक शाखा अवश्य खोल दें दिसम्बर, 1976 के अंत में देश में बिना बैंक वाले 700 सामुदायिक विकास खण्ड थे। दिसम्बर, 1977 के अंत तक यह संख्या घटाकर 318 कर दी गई थी।

मध्य प्रदेश में दिसम्बर 1976 के अंत में बिना बैंक वाले सामुदायिक विकास खण्डों की संख्या 134 थी। दिसम्बर, 1977 के अंत तक, इस राज्य में, वाणिज्यिक बैंकों की शाखा से वंचित खण्डों की संख्या केवल 52 रह गयी थी।

अलग अलग बैंकों को निर्धारित बिना-बैंक-वाले खण्डों में प्रस्तावित बैंक शाखा किस स्थान पर खुलेगी यह बताना संभव नहीं है क्योंकि अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता, व्यावसायिक संभवना आदि को ध्यान में रखकर स्वयं बैंक इन स्थानों का चयन करेंगे।

Aerodrome in North Bihar

*652. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government is formulating any scheme for the expansion of aerodrome for the convenience of the passengers of North Bihar;

(b) whether Darbhanga city is also to be included in it;

(c) if so, by what time; and

(d) if not the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) to (d) : There is no proposal at present for expansion of any of the existing aerodromes, including the one at Darbhanga which is controlled by the Defence, as neither Indian Airlines nor any non-scheduled private operaters have evinced any interest in operating air services to these aerodromes.

वाणिज्य बैंकों द्वारा फटे पुराने नोटों का बदला जाना

*653. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फटे-पुराने करेंसी नोटो को बदलने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का वाणिज्य बैंक बराबर उल्लघंन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारी उपाय किए गए हैं तथा 1977 में कितने मूल्य के ऐसे नोट बदले गए ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कुछ स्थानों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के द्वारा मैले और कटे-फटे करेंसी नोटो के बदलने के बारें में यदा कदा शिकायते प्राप्त होती हैं, लेकिन यह बात सामान्य रूपसे नहीं कही जा सकती कि वाणिज्यिक बैंक इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का बराबर उल्लघंन कर रहे हैं।

(ख) ऐसी प्रत्येक शिकायत की जांच की जाती है और संबंधित बैंक को समुचित परामर्श दिया जाता है। 1977 में बदले गए ऐसे नोटों का मूल्य बताना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्यों कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बेशुमार शाखाओं से, जिन्होंने यह सुविधा दे रखी है, इस प्रकार की जानकारी एकत्रित करने में बहुत अधिक समय और परिश्रम लगेगा।

निर्यात के लिये राज सहायता

*654. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात के लिए राज-सहायता के रूप में किया गया कूल सार्वजनिक व्यय 1970-71 में 85.35 करोड़ रूपये से बढ़कर 1976-77 में 452 करोड़ रुपये हो गया; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात के लिए भिन्न-भिन्न रूप में दी जा रही राज-सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : शायद नकद प्रति पूर्ति सहायता से अभिप्राय यह है जो विपणन विकास सहायत के अन्तर्गत किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय जो 1970-71 में 40.83 करोड़ रु० था, बढ़कर 1976-77 में 239.64 करोड़ रु० हो गया।

विपणन विकास सहायता के अन्तर्गत नकद प्रति पूर्ति सहायता उत्पाद संवर्धन, बस्तु विकास, निर्यात ऋण विकास निर्यात विकास संगठनों के लिए तथा वागार विकास के लिए दी जा रही है।

भारत में अभ्रक कागज का निर्माण

*655. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों के एक प्रतिनिधी मंडल ने भारत में अभ्रक कागज के निर्माण के लिए सहयोग की व्यवस्था करने के लिए बातचित करने हेतु गत वर्ष सितम्बर-अक्बतूर में युरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग की संभावनाओं के बारे में उक्त प्रतिनिधिमंडल के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अभ्रक कागज उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई सिफारिशों को किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (मिटको) के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के नेतृत्व में तकनीकी अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर-अक्तूबर 1977 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के चुनिन्दा देशों का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल को अन्य बातों के साथ साथ अभ्रक कागज के क्षेत्र में सहयोग की संभाव्यताओं का पता लगाना था।

(ख) अभ्रक कागज के क्षेत्र में विदेशी सहयोग के बारे में प्रतिनिधि मंडल के फलितार्थो पर मिटको द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) : सरकारी क्षेत्र में अभ्रक कागज का संयंत्र लगाने अथवा अन्यथा कोई विनिश्चय नहीं लिया गया है ।

Exemption from Excise Duty on Cosmetics to Small Scale Industry

*656. **Shri R. D. Ram :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether non-exemption from excise duty of cosmetics valued upto Rs. 1 lakh manufactured in a year in the small sector industry, will not encourage the monopoly of big industries;

(b) whether exemption from excise duty of cosmetics manufactured in small scale industry will lead to further development and expansion of this industry generating more employment opportunities .. and adding more to Government revenue;

(c) if so, the main reason for not giving this exemption to small scale industry; and

(d) whether this decision of Government is not against their policy?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b): As a measure of relief to small scale manufacturers of Cosmetics and Toilet preparations, Government have granted, with effect from 1-4-1978, full exemption from excise duty on first clearances valued upto Rs. 5 lakhs of Cosmetics and Toilet preparations in a financial year by the manufacturers whose total clearances, for home consumption during the preceding financial year, of the said goods, did not exceed Rs. 15 lakhs (Rs. 13.75 lakhs in respect of 1977-78 excluding March, 1978).

(c) and (d): Does not arise.

जम्मू तथा कश्मीर में स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसकी शाखाओं में काम कर रहे कर्मचारी

5971. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर में स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसकी शाखाओं में कुल कितने कर्मचारी और

(ख) इन कर्मचारियों का निम्नलिखित के बारे में क्या ब्यौरा है :

(1) राज्य के निवासी कितने हैं;

(2) राज्य के निवासियों में अनुसूचित जातियों के और मुसलिम कर्मचारी कितने हैं; और

(3) अन्य राज्यों के निवासी कितने हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के तथा अल्पसंख्यकों के लोग कितने हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : 31-12-1977 को जम्मू और कश्मीर में भारतीय स्टेट बैंक और उसकी शाखाओं में कर्मचारियों की कुल संख्या 1122 थी। इनमें से 1035 कर्मचारी जम्मू और कश्मीर के निवासी थे जिनमें 16 अनुसूचित जाति के थे और 37 मुसलमान थे ।

जो कर्मचारी वहां के निवासी नहीं हैं उनकी संख्या 87 थी जिनमें 8 अनुसूचित जाति के थे और अन्य अल्प संख्यक समुदाय के 7 थे ।

इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा कलकत्ता–अगरतला–गौहाटी–सिलचर मार्गों पर नियमित विमान सेवाओं में वृद्धि

5972. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इण्डियन एयर लाइन्स ने न केवल कलकत्ता-अगरतला मार्ग पर विमान सेवाओं में कमी की है अपितु कलकत्ता-अगरतला-गोहाटी और कलकत्ता-अगरतला-सिल्चर मार्गों पर भी बिना कोई पूर्व सूचना दिये भारी कटौती की है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन मार्गों में से प्रत्येक पर सप्ताह में केवल दो बार विमान सेवा उपलब्ध है जिससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है और डाक सेवा सम्बन्धी कठिनाई भी होती है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में वृद्धि करने के लिये सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 20–12–1977 से पूर्व कलकत्ता तथा अगरतला के बीच दो दैनिक एफ–27 सेवाओं के मुकाबले, इंडियन एयरलाइन्स ने उक्त तारीख से कलकत्ता-अगरतला मार्ग पर दैनिक बोईंग-737 सेवा चालू कर दी है जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध सीटों की संख्या 88 से बढ़कर 126 हो गयी है। कलकत्ता/अगरतला/गोहाटी तथा कलकत्ता/अगरतला/सिल्चर मार्गों पर सेवाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो अब भी सप्ताह में दो बार ही परिचालित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) : अपनी ग्रीष्मकालीन समयावलि में, इंडियन एयरलाईंस उपर्युक्त मार्गों पर सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है।

अभ्रक निर्यातकर्ताओं द्वारा कदाचार

5973. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक निर्यातकर्ता लगातार बहुत से कदाचार कर रहे हैं, यदि हां, तो ऐसे सदाचारों को समाप्त करने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या अर्ध-परिष्कृत अभ्रक को बढ़ावा देने की सरकार की कोई योजना है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि अभ्रक व्यापार निगम गैर- सरकारी निर्यातकर्ताओं के रहते कुछ कर पाने में स्वयं को असमर्थ समझता है और इसलिये इसमें आमूल-चूल परिवर्तन और पुनर्गठन की आवश्यकता है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : अभ्रक सलाहकार समिति की 27 जनवरी, 1978 को हुई तीसरी बैठक में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने, अभ्रक की दर्लभ किस्में उन कीमतों से कम पर बेचने जो कि बाजार वहन कर सकता है, बिना

कैश मीमो के "कठिनाई से मिलने वाले" अभ्रक की बिक्री तथा कमजोर वर्ग के माध्यम से बड़े निर्यातकों द्वारा मिटको को अभ्रक की सप्लाई के सम्बन्ध में कतिपय आरोप लगाए गये। आरोपों की, जो सामान्य प्रकृति के थे, जांच की जा रही है और विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर इस विषय की समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(ख) अर्ध साधित अभ्रक का अभिप्राय सामान्यत. अपरिष्कृत अभ्रक साधित करने के दौरान की एक अवस्था से है। अत: इस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं हो सकती।

(ग) जी नहीं।

विकास प्रयोजनों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता

5974. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में कहा था कि राज्यों को अपने विकास प्रयोजनों के लिए अधिकाधिक अपने ही संसाधनों पर आश्रित रहना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक राज्यों के लिए अपनी विकास आवश्यकताओं हेतु संसाधन जुटाना बड़ा मुश्किल है और कि केन्द्र से और अधिक मात्रा में सहायता के बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि केन्द्रीय राजस्व राज्यों के नागरिकों से ही प्राप्त किया जाता है ; और

(ग) यदि हां तो इस आशय से क्या कारगर कदम उठाये गये हैं कि राज्य सरकारों को अपनी सौद्देश्य विकास गतिविधियां बढ़ाने के लिए, जिसका प्रभाव न केवल राज्य सरकार पर बल्कि सारे भारत पर पड़ता है, केन्द्र से यथोचित मात्रा में अनुदान मिलें ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्रधान मंत्री ने 10 और 11 जनवरी, 1978 को हुए कृषि और ग्रामीण विकास पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बताया था कि केन्द्र को राज्यों की सहायता करनी होती है किन्तु ऐसी सीमाएं है जिनसे उपर वह सहायता नहीं दे सकता और यह कि इसलिए कृषि विकास के मामले में राज्यों द्वारा वास्तविक प्रयत्न किया जाना होता है।

(ख) और (ग) : राज्यों के पास, अपने वित्तीय अधिकार क्षेत्र में और अधिक गहराई से साधन जूटाकर और सिंचाई, बिजली और अन्य परियोजनाओं में किए गए निवेश से पर्याप्त लाभ प्राप्त करके, अतिरिक्त संसाधन जूटाने की काफी गुंजाइश है। 1-4-1978 से 5 वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय दरों से राज्यों के हिस्से और राज्यों के राजस्व को सहायता के रूप में अनुदानों पर सिफारिश करन के लिए जून 77 में 7वां वित्त आयोग नियुक्त किया गया था और उसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1978 तक प्रस्तुत करनी है। राष्ट्रिय विकास परिषद की एक समिति संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा करेगी जो विकास संबंधी आयोजन और निष्पादन में राज्य सरकारों को सौपे गए अपेक्षाकृत अधिक कार्य के कारण आवश्यक हो गई है और जिसमें राज्य आयोजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आबंटन से संबंधित गाडगिल फार्मूला भी शामिल है।

Import of Edible Oils

5975. **Shri Ramjiwan Singh :** Will the Minister of **Commerce. Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of edible oils Government are mainly importing from foreign countries at present ; and

(b) the special efforts being made by Government to make the country self-sufficient in edible oils ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal) : (a) Government are importing through STC mainly rapeseed oil, soyabean oil and palm oil. They have also imported small quantities of groundnut oil and palm oliene.

(b) Both long-term and short-term measures have been evolved to raise the production of edible oils and to provide incentives to farmers which, inter alia, include :—

(i) Raising the productivity per hectare both in irrigated and unirrigated areas through rapid spread of improved technology.

(ii) Increasing the area under irrigated crops by exploiting the potential under the command of new irrigated projects.

(iii) Strengthening the seed production programme by augmenting the supply of pure seed.

(iv) Stepping up the coverage by plant protection measures, particularly by aerial spraying over large areas, wherever feasible.

(v) Fixation of support prices and making arrangements for the purchase of the produce at those prices.

(vi) Provision of subsidy on the cost of certified seed and for various plant protection operations under the Intensive Oilseeds Development Programmes and other Centrally sponsored schemes of the Department of Agriculture.

(vii) Extension of area under non-traditional oilseed crops, like sunflower and soyabean.

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, लखनउ द्वारा हरिहर आटोमोबाइल्स को दिया गया ऋण

5976. **श्री विजय कुमार मंडल :**

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, लखनऊ द्वारा लघु उद्योग को दिये ऋण के बारे में 2 मई, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वक्तव्य के बारे में जांच कर ली है कि फर्म के एक साझीदार द्वारा कार बेची गई थी और प्रबन्धक ने उसे आठ महिने तक इस्तेमाल करने के बाद साझीदार के भाई को पुन: बेच दिया था यह ठीक नहीं है क्योंकि इस कार के पंजीकरण में मालिक के नाम में कोई परिवर्तन नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने इस वक्तव्य के बारे में जांच कराई है कि कार फर्म के एक भागीदार ने बेची थी और कि मैनेजर ने आठ महीने इस्तेमाल करने के पश्चात् भागीदार के भाई को पुनः यह कार बेची ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को देखते हुए कि इस कार के पंजीकरण में मालिक के नाम में कोई परिवर्तन नहीं है, यह सच है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) : यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचना दी है कि बैंक द्वारा सर्वश्री हरिहर आटोमोबाइल्स लिमिटेड को मंजूर की गयी ऋण सुविधाएं सहायक महाप्रबंधक द्वारा सावधानी के साथ विचार करने और बैंक की सामान्य क्रियाविधि अपनाने के बाद मंजूर की गयी थीं। यूनाइटेड बैंक ने यह भी सूचना दी है कि उसके लखनऊ स्थित जोनल दफ्तर के एक अधिकारी ने, जो कि इस पार्टी को लिमिट्स मंजूर किये जाने से सम्बद्ध नहीं था, दिसम्बर, 1973 में सर्वश्री हरिहर आटोमोबाइल्स के एक भागीदार से एक कार खरीदी थी। बैंक का कहना है कि मोटार वहीकल्स रजिस्ट्रेशन अथारिटी द्वारा रखे गये रजिस्टर के अनुसार कार का ट्रांसफर उक्त आफिसर के नाम में किया जा चुका है। बैंक ने यह भी कहा है कि जब इस आफिसर को प्राथमिकता के आधार पर एक फियट कार एलाट हो गयी थीं बाद में उसने पुरानी कार जुन 1974 में उस भागीदार के भाई को बेच दी जिससे उसने यह कार खरीदी थी। बैंक के अनुसार यद्पि इस आफिसर द्वारा इस कार के खरीदे जाने के कारण ऋणकर्ता के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया, फिर भी ईस आफिसर का किसी ग्राहक से कार खरीदना उचीत नही माना गया और बैंक ने सम्बद्ध आफिसर को अपनी अप्रसन्नता सूचित कर दी थी ।

Increase in Prices of Agricultural Products and Industrial Products

5977. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there has been disproportionate and unbalanced increase in the prices of agricultural products and industrial products;

(b) if so, whether Government do not consider it proper to remove this disparity;

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard; and

(d) whether the prices of steel and other industrial products are not fixed with the approval of Government and if so, what will be the Government's role ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) No, Sir.

(b) to (d) : No, Sir. Changes in the terms of trade of the two sectors take place from time to time largely because of fluctuations in agricultural production, and the consequent change in the prices of agricultural products. According to the Wholesale Prices Index (1970-71 = 100) there was near parity in 1973-74, followed by a shift in favour of agriculture in 1974-75. During 1975-76 the terms of trade became adverse to agriculture following good harvests in that year, and the position remained unchanged in the next year. In 1977-78, the prices of agricultural products registered as relatively higher increase than those of manufactured goods and, as a result, the terms of trade were only slightly

less favourable for agriculture than in the base year. Government safeguards the interests of agriculture by fixing support/procurement prices for a number of agricultural commodities and by undertaking buffer stocking operations. Likewise, the prices of some important manufactured goods are controlled formally or informally. These measures help in preventing the terms of trade from moving unduly in favour of one or the other sector.

Suggestion Regarding Fixing of Limit on Gold Consumption

5978. **Shri Jagdish Prasad Mathur :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether suggestions have been made to Government that Government should fix per head limit of gold for personal consumption; and

(b) Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b): Under the present Gold Control Act there is a total ban on the private ownership/possession of primary gold. Gold ornaments/articles exceeding 4 Kgs. per family and 2 Kgs. for an individual who is not a member of a family have to be declared under section 16 of the Gold Control Act. There is no restriction whatsoever regarding quantity or purity of ornaments which can be acquired, held are possessed by an individual/family under the present Gold Control Act.

However a few suggestions have been received by the Government in regard to imposing a ceiling on the quantity of gold ornaments which can be held or possessed by an individual and family. No such measure is at present under contemplation.

चाय उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान

5979. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उत्पादन, उत्पादकता, उपभोग और निर्यात की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकडे क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत को आन्तरिक खपत में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत को वृद्धि हो रही है जब कि उत्पादन में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या वर्ष 1977-78 में ऐसा प्रयास किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चाय के उत्पादन, उसकी वार्षिक खपत और निर्यात की मात्रा के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। काली चाय पैदा करने वाले देशों में भारत की प्रति हैक्टर उपज सबसे अधिक

है तथापि जापान की, जो हरी चाय पैदा करता है उस तरह की चाय के मामले में भारत के मुकाबले में अधिक ऊंची उपज दर है । वर्ष 1976–77 के लिये उत्पादन, निर्यात, खपत और उपज का ब्यौरा इस प्रकार है :

उत्पादन . . .	512 लाख किग्रा
खपत . .	286 लाख किग्रा
निर्यात . . .	242 लाख किग्रा
उपजत प्रति हैक्टर . .	1407 किग्रा

(ख) तथा (ग) : ऐसा अनुमान है कि आन्तरिक मांग, जो 1973 में 2480 लाख किग्रा थी, बढ़कर 1977 में लगभग 30 करोड़ किग्रा हो गई है अर्थात उसमें लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुई है । उसी अवधि में उत्पादन 4700 लाख किग्रा से बढ़कर 5600 लाख किग्रा हो गया है अर्थात् लगभग उसी 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई । 1977 में जो उत्पादन हुआ वह अब तक हुए उत्पादन में सबसे अधिक है । चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ऋणों और उपदान के रूप में चाय रोपण कर्ताओं को चाय बोर्ड की मार्फत वित्तीय सहायता दे रही है । चाय विकास योजनाओं में शामिल हैं (1) पुनरोपण उपदान योजना (2) चाय रोपण वित्त योजना जिसके अन्तर्गत चाय क्षेत्रों में पेड लगाने और पुनः पेड़ लगाने के लिये उपदान तथा ऋण दिये जाते हैं । (3) चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना जिसके अन्तर्गत किराया खरीद आधार पर मशीनरी दी जाती है ।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए आरक्षण

5980. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों के लिए श्रम का कुछ प्रतिशत आरक्षित किये जाने का कोई प्रास्ताव सरकार के विचाराधीन है जसाकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जहां तक सरकारी उद्यमों का प्रश्न है, सभी को ये अनुदेश जारी कर दिए गए है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों के लिए सरकारी भर्ती में जिस तरह आरक्षण की व्यवस्था है, उसी तरह से उद्यमों के अधीन पदों पर भर्ती में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाय ।

अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति/समूदायों के उम्मीदवारों को गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भर्ती में कुछ प्रतिशत आरक्षण देने के एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह महसूस किया गया था कि इस प्रकार के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक अथवा अन्य कोई कदम उठाना समुचित न होगा । यहीं ठीक समझा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए भर्ती में समुचित आरक्षण सुनिश्चित करने के उपायों के लिए व्यापारिक संगठनों को प्रेरित किया जाता रहे । इस निर्णय के अनुसार उद्योग निदेशकों, तकनीकी प्राधिकारियों और वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के माध्यम से 1975 में एक अपील जारी करके गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक

उपक्रमों से विशेष अनुरोध किया गया था कि वे निजी क्षेत्र के अपने संघटक एककों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की समुचित अंश में भर्ती की वांछनीयता पर जोर दें।

अनुसूचित जन जाति से सम्बन्ध न रखने वाले आदि वासियों के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारत में काम कर रहे बहुराष्ट्रीय निगम

5981. **श्री रोबिन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 से 1977 तक की अवधि में वर्षवार भारत में कितने बहुराष्ट्रीय निगम काम कर रहे थे, उनके नाम और परिसम्पत्तियां क्या-क्या हैं ;

(ख) इन बहुराष्ट्रीय निगमों में यदि कोई भारतीय सहयोगकर्ता है, तो उनके नाम क्या है ;

(ग) वे कौन-कौन सा व्यापार कर रहे हैं ;

(घ) वर्ष 1965 से 1977 तक वर्षवार कितने लाभ की राशि बाहर भेजी गयी ; और

(ङ) उक्त अवधि में यदि भारत में ही कोई पूंजी निवेश किया गया है, तो कुल कितनी राशि का?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सूचना संलग्न अनुबंध I में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2046/78**]

(ख) विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों और शाखाओं के मामले में भारतीय सहयोग का प्रश्न सामान्यतः उपस्थित नहीं होता।

(ग) 1972–72 वर्षों के लिए विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों और शाखाओं का उद्योगवार वितरण III और I अनुबंधों में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1965–66 से 1975–76 तक की अवधि के दौरान भारत में कार्यरत सभी विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभों और लाभांशों की बाहर भेजी गई राशि इस प्रकार है :

	(करोड रुपए) लाभ	लाभांश
1965–66	13.50	19.40
1966–67 . . .	14.47	28.77
1967–68 . . .	15.95	32.70
1968–69 . . .	12.96	30.25
1969–70 . . .	12.72	31.41
1970–71	13.12	43.48
1971–72 . . .	9.94	38.87
1972–73	15.54	39.08
1973–74	21.91	37.51
1974–75 .	7.19	18.46
1975–76	20.36	24.84

(ङ) 1965–66 से 1972–73 तक की अवधि के दौरान भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रतिधारित आय इस प्रकार है :

	करोड़ रुपए
1965–66 .	18.8
1966–67 . . .	14.9
1967–68 . . .	18.2
1968–69 .	17.8
1969–70 . . .	29.0
1970–71 . .	28.4
1971–72 . .	33.9
1972–73	32.1

Advancing of Loans on Lower Rates of Interest to Small Industries of West Bengal

†5982. **Shri Md. Hayat Ali :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a proposal to advance loans on lower rate of interest to some small industries of West Bengal this year;

(b) if so, the time by which a final decision would be taken by Government in this regard and the amount of loan to be advanced as also the rate of interest thereon;

(c) whether Government also propose to reduce the present rate of interest; and

(d) the names of the institutions which would advance such loans ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) : While there is no scheme under the consideration of Government for advancing loans on lower rates of interest to small scale industries in any particular State/Union Territory, Ministry of Industry have recently formulated a Central Scheme for providing financial assistance to State Governments for enabling them to provide margin money not exceeding 10% of the total investment to small units in which investment in plant and machinery does not exceed Rs. 1 lakh.

(c) and (d) : In order to stimulate investment in the small scale sector banks have been advised recently to charge a rate of interest not exceeding 11% on term loans of the maturity of not less than 3 years to small scale units covered under Credit Guarantee Scheme and small units in the specified backward district/ areas.

In the case of term loans to small scale industries refinance is available to the banks from IDBI at concessional rates, and when such refinance is availed of, banks charge interest on such advances at 11% only and in the case of units located in specified backward areas the rate of interest is 9½%.

Recently the RBI has announced a general reduction in the lending rates of commercial banks. The benefits of the reduced rates of interest would be available to small scale industries.

जयपोर, कोरापुट, उड़ीसा स्थित पंचवटी रूरल बैंक द्वारा आदिवासियों की सहायता

5983. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या जयपोर, कोरापुट, उड़ीसा स्थित पंचवटी रूरल बैंक ने अब तक अपनी शाखाएं खोल ली हैं ;

(ख) उक्त शाखाओं ने आदिवासियों और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने हेतु अब तक कहां तक भूमिका अदा की है; और

(ग) इस जिले के जिन लोगों की यह सुविधा नहीं मिली है उन्हें यह सुविधा देने हेतु इस बैंक द्वारा शाखाएं खोले जाने के प्रस्ताव क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : 13 नवम्बर, 1976 को स्थापित किया गया कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जयपोर (उड़ीसा) जनवरी, 1978 तक 31 शाखाएं खोल चुका है । अधिकांशत. जनजाति वाले कोंराबुट जिले की सेवा करने वाले इस बैंक ने जनवरी, 1978 तक छोटे/सीमांतिक किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को 61.52 लाख रुपये की राशि 16,187 खातों में दी थी । निकट भविष्य में 18 शाखाएं खोलने का बैंक का कार्यक्रम है ।

गोआ में पर्यटन विकास पर खर्च की गई राशि

5985. **श्री अमृत कासर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976–77 और 1977–78 में गोआ संघ क्षेत्र में पर्यटन विकास पर केन्द्रीय राजस्व से कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) यह राशि किन किन परियोजनाओं पर खर्च की गई ; और

(ग) वर्ष 1978–79 के लिए गोवा संघ क्षेत्र के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार ने गोवा में पर्यटन के विकास पर निम्नलिखित व्यय किया :

वर्ष	स्कीम	राशि (रुपए)
1975–76	(i) पणजी में यूवा होस्टल का निर्माण . .	5,07,950.00
	(ii) जल क्रीड़ाओं के विकास के लिए गोवा में चूने हुए समूद्रतटों का जल सर्वेक्षण . . .	6,24,000.00
1976–77	जल सर्वेक्षण	95,800.00
1977–78	वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 के लिए पणजी में यूवा होस्टल के प्रबंध के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1977–78 में दिया गया उपदान . . .	24,000.00

(ग) (i) गोवा में स्कीमों के लिए 1978–79 के बजट प्राक्कलनों में कोई व्यवस्था नहीं परंतु राज्य सरकार द्वारा पणजी में युवा होस्टल का प्रबंध करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 12,000 रुपये उपदान दिया जाएगा ।

(ii) भारत पर्यटन विकास निगम का भी गोवा में एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसके लिए उपयुक्त प्रावधान इस स्कीम का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने पर किया जायेगा ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का पंजी निवेश

5986. **श्री विनोद भाई बी० सेठ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा कम्पनियो में तथा जमा राशि के रूप में, अलग-अलग लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2047/78**]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों से संबंधित दावों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करना

5987. **श्री मनोहर लाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वसूल की गई अधिक राशि वापस करने तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के मामलों से संबंधित न्याय-निर्णय अपीलों तथा पुनरीक्षण (रिवीजन) आवेदन-पत्रों से उत्पन्न अधिक राशि की वापसी के दावों को निपटाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है अथवा की जानी है ; और

(ख) क्या सरकार इस विषय म एक विस्तृत सभा पटल पर रखेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जिस मामले में न्याय-निर्णय, अपील अथवा नजरसानी में दिये गये आदेश में शुल्क अथवा जुर्माने अथवा दण्ड की वापसी हिदायत दी गयी हो, उसमें उक्त आदेश ही वापसी की मंजूरी के लिए बुनियादी प्राधिकार है और औपचारिक दावा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती । वापसी के संबंध में विभाग स्वयं आवश्यक कार्यवाही करेगा । परन्तु, जिन मामलों में आदेश, किसी विशिष्ट रकम के संदर्भ में नहीं होकर किसी सिद्धांत के संदर्भ में होता है उनमें निर्धारिती की आवश्यक ब्यौरे देने होते हैं जिससे वापसी को ठीक-ठीक रकम की गणना की जा सके ।

यद्यपि ऐसे मामलों में वापसियों के लिए कोई कानूनी समय-सीमा नहीं है फिर भी केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ताओं को कार्यकारी हिदायतें जारी की गयी हैं, जिनमें उनसे ऐसे दावो के शीघ्र निपटान के महत्व पर बल दिया गया है । समाहर्ताओं को निदेश दिया गया है कि वापसी/छूट के दावों को तीन महीने की अवधि के अन्दर निपटाने की पूरी कोशिश की जाय । यह व्यवस्था है कि समाहर्ता और उप समाहर्ता, प्रभागीय कार्यालयों के अपने निरीक्षणों और/अथवा दौरों के दौरान वापसी के दावों के निपटान में खास कर उन मामलों के निपटान में, जो 3 मास से अधिक पुराने हो,

हुई प्रगति की समीक्षात्मक रूप से अवश्य जांच करें । समाहर्तालयों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निदेश दिया गया है वे अपने कार्यालयों में भी वापसी से संबंधित काम को अपेक्षाकृत अधिक बार अवश्य निरीक्षण करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना जायज कारण के वापसी के दावें रुके नहीं रहें ।

Steps to Minimise gap between Cost and Sale price of Opium

5988. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the price at which Government purchase opium from opium producers and the price at which the same is sold by contractors who are the authorised sale agents; and

(b) steps being taken by Government to minimise the gap between the cost price and the sale price ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) The price at which the raw opium was purchased from the cultivators ranged from Rs. 110/- to Rs. 200/- per kg. of opium at 70° consistence during 1977-78. The average cost of production of opium during 1977-78 was about Rs. 228 per kg. of opium at 90° consistence and it was supplied directly to the State Governments at Rs. 250/- per kg. No contractor is authorised by the Government to sell opium.

(b) Since the gap between the cost price and price at which opium is supplied to the State Governments is small, the question of its further reduction does not arise.

Review of the Policy regarding Import of Mustard Oil

5989. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether, while participating in a seminar organised on the "price situation" by the Delhi Adyayan in Delhi recently, he stated that keeping in view the recent experience there was a need to review the policy regarding import of mustard oil through private agencies;

(b) if so, whether this question has since been considered by Government; and

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal) : (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

सुनारों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोना बेचा जाना

5990. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनारों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोना बेचने के बारे में नीति, जिसकी घोषणा उन्होंने अपने बजट भाषण में की थी, इस बीच बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा घोषित नीति के कार्यान्वयन के संबंध में, सोने का आयात करके अथवा सरकारी स्टाक से सोना निकालकर, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोने की सप्लाई करके स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की एक योजना को तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत आन्तरिक खपत के लिए सरकारी सोने के स्टाक से सोना बेचने की एक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इन योजनाओं की शीघ्र ही घोषणा कर दी जायेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों म अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्रोबेशनरी अधिकारियों के रुप में नियुक्ति

5991. **श्री के० प्रधानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारियों के रुप में नियुक्ति के लिए परीक्षा में बैठने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम अर्हताओं में सरकार ने कोई छूट दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : 15 सरकारी बैंकों में से, जिनमें कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक शामिल है, 12 बैंकों द्वारा अधिकारी स्तर सीधी भर्ती की जाती है । अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थियों के मामले में बैंक ने स्नातक परीक्षा में केवल पास होने स्तर को ही शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दिया है जब कि सामान्य वर्ग के प्रार्थियों के लिए प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी निर्धारित की है ।

सिंडीकेट बैंक द्वारा प्रीमियर कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी लिमिटेड को दिया गया ऋण

5992. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक ने नई दिल्ली स्थित प्रीमीयर कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड को ऋण दिया/दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऋण कितनी राशि का है और किस-किस तारीख को दिया गया तथा उसकी शर्तें क्या हैं, समय-समय पर कितना ब्याज और कितनी पुंजी प्राप्त हुई तथा 31 मार्च 1978 को ऋण और ब्याज की कितनी राशि वसूल की जानी बकाया थी ;

(ग) क्या उक्त सोसाइटी ने अपनी दो बसें इस बैंक के पास रहन रखी हैं और क्या बैंक को पता है कि ऋण को कुल राशि और उस पर देय ब्याज की राशि इन बसों के बाजार और हसित मूल्यों से कहीं अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राशि को वसूल करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

5—124 LSS (ND)/78

(ख) दिये गये दोनों ऋणों की तारीखें और राशियां इस प्रकार हैं : 19 जनवरी, 1972 को 60,000 रुपये और 14 अप्रैल, 1973 को 72,000 रुपये। इस सोसाइटी को यह ऋण 2,200 रुपये और 2,000 रुपये प्रति मास की किस्तों में वापस करने थे। बैंकरों में प्रचलित प्रथा और परम्परा तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाली सांविधि के प्रावधानों के अनुसार भी शेष सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ग) सोसाइटी ने बसें, बैंकों के पास दृष्टिबंधक रख दी हैं और बैंक को इस खाते की हालत का पूरा पता हैं।

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक का कानूनी कार्रवाई करने का विचार है और उसने सोसाइटी को कानूनी नोटिस दे दिया है।

स्टर्लिंग चाय कम्पनियों द्वारा शेयरों का कम किया जाना

5993. **श्री शरद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी में आधारित बहुत सारी स्टर्लिंग चाय कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शेयरों में कमी करने की प्रक्रिया अभी तक शुरु नहीं की है ;

(ख) क्या इन स्टर्लिंग कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त पूंजी में 60 प्रतिशत शेयरों की कमी करने से बचने के लिए, पश्चिम बंगाल तथा आसाम में अपने पंजीकृत कार्यालय रखने वाली नवगठित भारतीय कम्पनियों को अपने हित, नियंत्रण तथा प्रबन्ध स्थानान्तरित करना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) सभी विदेशी तथा स्टर्लिंग चाय कम्पनियों को जिनके भारत में अपने चाय बागान हैं अपनी अपनी प्रदत्त पूंजी के अपने शेयरों को घटा कर 40 प्रतिशत तक करने को बाध्य करने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) लगभग सभी स्टर्लिंग चाय कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत उन्हें दिए गये निदेशों के अनुसार भारतीयकरण के अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। भारतीयकरण के इन प्रस्तावों पर सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निदेशों के अनुसार, स्टर्लिंग चाय कंपनियों को आपने आपको ऐसी भारतीय कंपनियों में परिवर्तित करना पड़ता है जिसमें अनिवासियों के स्वत्वाधिकार 74 प्रतिशत से अधिक न हों। अधिकांश स्टर्लिंग चाय कंपनियों के भारतीयकरण के प्रस्ताव ऐसी स्टर्लिंग चाय कंपनियों के समूह के हैं जो उनके भारतीय व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिए बनायी गयी भारतीय कम्पनियों में विलीन हो रही हैं। यह भारतीय कंपनियां अधिकांश रूप में पश्चिम बंगाल और असम में निगमित हैं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निदेश कानूनी स्वरूप के हैं और संबंधित कंपनीयों को या तो इनका पालन करना होगा या भारत में अपना व्यापार समेटना होगा।

नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

5995. श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पाद कुल कितनी मात्रा में निर्यात किये गये और उनसे कितना मूल्य अर्जित किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि का इसका उत्पाद-वार ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) एक विवरण सलग्न है ।

कयर तथा कयर उत्पादों का निर्यात

मात्रा : मे० टन में
मूल्य : लाख रुपये में

	1975-76		1976-77		1977-78 (अप्रैल 77 से जनवरी 1978)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य (अनन्तिम)
कयर रेशा .	266	6.94	134	2.88	36	1.02
कयर यार्न .	22970	1002.19	26567	1052.32	20063	810.48
कयर मेट्स .	7488	562.48	9582	735.18	9408	723.95
कयर चटाई, नमदे, कालीन आदि .	5276	337.11	7020	462.00	6758	527.78
कयर रस्से .	269	6.70	185	5.42	117	3.52
कर्ल्ड कयर .	1024	19.52	868	19.48	486	10.38
रबड़ युक्त कयर माल . .	1	0.26	1	0.27	3	0.45
योग .	37294	1935.20	44357	2277.55	36871	2077.58

स्त्रोत : कयर बोर्ड, कोचीन

विक्रोली, बम्बई स्थित मेसर्स विवेक टैक्सटाइल मिल्स को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मंजूर किया गया ऋण

5996. **श्री बापू साहेब परुलेकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के बम्बई मुख्यालय ने विक्रोली, बम्बई स्थित मेसर्स विवेक टैक्सटाइल मिल्स को सीधे लगभग 46.25 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था और लेखों को विक्रोली शाखा से घाटकोपुर (ईस्ट) ब्रांच को अन्तरित कर दिया गया ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त बैंक के निरीक्षण प्रभारी अधिकारी एवं लेखा परीक्षक ने इस सौदे के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की है ; और

(घ) क्या जून, 1975 से मार्च, 1977 तक निरन्तर फर्म की बकाया राशि 40 लाख तक बढ़ गई जिससे प्रतिभू का धीरे-धीरे अनुमानतः 2 लाख तक ह्रास हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : माननीय सदस्य ने भारतीय स्टेट बैंक के एक ग्राहक के खाते के ब्यौरे के बारे में सूचना मांगी है । बैंकरों में प्रचलित प्रथा और व्यवहारों के अनुसार तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44(1) के उपबन्धों के अनुसार भी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों या उनके मामलों से सम्बद्ध सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

Vanaspati Ghee Manufacturing Factories

5997. **Shri Ram Kishan :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of vanaspati ghee manufacturing factories in the country at present indicating their production capacity;

(b) details of their production year-wise for the last four years; and

(c) the per kilo cost of production of vanaspati ghee and the price per kilo being paid by the consumer indicating the difference between the cost of production and the sale price giving details about excise, sales-tax, octroi, freight, commission etc. separately ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) There are 85 Vanaspati manufacturing units with annual installed capacity of 12.91 lakh tonnes.

(b) Details of yearly production of vanaspati for the last four years are :

Year	Production of Vanaspati (in lakh tonnes)
1974	3·54
1975	4·58
1976	5·45
1977	5·8c

(c) The per kilo cost of production of vanaspati excluding the element of excise duty is estimated at Rs. 8.06. The price paid by the consumer inclusive of the elements of excise, sales-tax, octroi, freight, etc. ranges between Rs. 9.03 to Rs. 9.65 per kilo. Details are indicated in the enclosed statement.

STATEMENT

Centres	Ex-factory price including Excise duty for 16·5 kg. tin	Sales Tax and Surcharge on S. Tax	Octroi and other	Whole-salers' margin	Retailers margin	Retail prices for 16·5 kg. tin	Nearest retail price per kg. (computed from price in colum (7))
1	2	3	4	5	6	7	8
Ahmedabad	136·00	11·53 @8·48%	062[a]	2·00	2·00	156·15	9·46
Bombay	140·00	9·80 @7%		2·00	2·00	153·80	9·32
Calcutta	140·00	12·48 @8·913%	..	1·65	2·48	156·61	9·49
Delhi	140·00	7·00 @5%	..	1·00	1·00	149·00	9·03
Hyderabad	140·00	9·31	..	2·00	2·00	153·31	9·29
Jaipur	140·00	14·00 @ 10%	..	0·50	0·50	155·00	9·39
Madras	140·00	11·76 @8·40%	..	2·00	2·00	155·76	9·44
Nagpur	140·00	9·95 @ 7%	5·25[b]	3·00	1·00	159·20	9·65

a includes Octroi at Rs. 0·47 and unloading charges of Rs. 0·15 per tin.
b includes Octroi at Rs. 3·05 and delivery charges at Rs. 2·20 per tin.
Source : Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats (Inspection reports)

बैंक आफ मदुरा की इनामी जमा योजना

5998. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ मदुरा ने कुछ वर्ष पूर्व 50 रुपये और 500 रुपये की इनामी जमा योजनाएं आरम्भ की थीं, और यदि हां, तो उनके तथ्य क्या है ;

(ख) क्या ये लाटरियां आरम्भ करने के लिए सरकार की स्वीकृति ली गई थी ;

(ग) क्या इनाम बांटने के लिए मदुरा बैंक द्वारा लाटरी निकालने में अनियमितताएं और कदाचार किये जाने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बैंक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या इस बैंक द्वारा लाटरी निकाले जाने पर सरकार का कोई नियंत्रण है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दिसम्बर, 1974 में बैंक आफ मदुरा लिमिटेड ने दस वर्ष की परिपक्वता वाली दो मीयादी जमा योजनाएं आरम्भ की थी, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है । योजना में, परिपक्वता की अवधि की समाप्ति पर जमा से दुगुनी राशि देने की व्यवस्था है तथा जमाएं चालू रहने की अवधि में जमाकर्त्ता इनामों के मासिक ड्रा में भाग लेने का हकदार होता है ।

(ख) और (ङ) बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार/रिजर्व बैंक से न तो अनुमति प्राप्त की गई और न उक्त योजनाओं के चलाने के लिये उसको अपेक्षा ही थी । अलबत्ता, बैंकों को लाटरियों आदि पर लागू होने वाले उन राज्य सरकारों के कानूनों का पालन करना होता है जिन राज्यों में ड्रा निकाले जाते हैं ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि बैंक की योजनाओं की प्रक्रियाओं/परिचालनों विषयक पहलुओं के बारे में उसे कुछ शिकातें मिली है, फिर भी कोई विशेष भ्रष्ट तरीका उसके ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल को अग्रिम केन्द्रीय सहायता

5999. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के बजट घाटे को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने 49 करोड़ रूपये की अग्रिम केन्द्रीय सहायता देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1977–78 में राज्य सरकारों के संसाधनों के अन्तराल को पूरा करने के लिये अपनाई गई सामान्य नीति के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार को 17.50 करोड़ रुपये की अग्रिम आयोजनागत सहायता दी गई थी । राज्य सरकार से यह आशा की गयी कि वह बाकी के अन्तराल को गैर-आयोजनागत व्यय में किफायत, राजस्व में सुधार, सरकारी देय राशियों की बेहतर वसूली तथा ऐसे ही उपायों के लिए अपने स्वयं के प्रयत्न करके पूरा करे ।

लोहागांव (पुण) की हवाई पट्टी का विकास

6000. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में लोहागांव (पुणे) की हवाई पट्टो का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) लोहागांव हवाई पट्टी का उक्त विकास कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) : लोहागांव (पुणे) स्थित विमानक्षेत्र भारतीय वायु सेना का है और यह बोइंग 737 विमानों के परिचालनों के लिए उपयुक्त है । नागर विमानन विभाग ने एक नये एन्क्लेव का लगभग 24 लाख रुपये की लागत से निर्माण किया है जो अगस्त, 1977 में चालू कर दिया गया था। इस विमानक्षेत्र का और विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय परियोजनाओं/उपक्रमों के लिए जनशक्ति प्रदान करने के लिए आसाम सरकार की पेशकश

6001. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं/उपक्रमों के लिए जनशक्ति और तकनीकी लोगों को देने की पेशकश की है और साथ ही केन्द्र से आसाम स्थित विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं/उपक्रमों को ऐसे अनुदेश देने के लिए अनुरोध किया है कि वे जनशक्ति सम्बन्धी अपनी आवश्यकता राज्य सरकार को बतायें जिससे वहां तकनीकी कुशलता का विकास हो सके और प्रशिक्षित कर्मचारियों को रोजगार मिल सके ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वांछित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । इसे प्राप्त करके सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कलकत्ता की बंगाल लैम्प द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन

6002. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की बंगाल लैम्प ने कुछ समय से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवचन करने की कोशिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बंगाल लैम्प विरुद्ध कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवा) : (क) और (ख) मैसर्स बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लि०, कलकत्ता पर आरोप है कि उन्होंने 1974 और 1977 के शुरु के बीच की अवधि के दौरान कोई 35 लाख रुपये की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम का अपवंचन करने की कोशिश की है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा उन्हें 'कारण बताओ' नोटीस जारी किया गया है और मामला विभागीय न्यायनिर्णयाधीन है।

कलकत्ता स्थित सीमा शुल्क ोदाम के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें

6003. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थित सीमा-शुल्क गोदाम के कार्यकरण के बारे में शिकायतें मिली ह और यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ व्यक्ति कलकत्ता स्थित सीमा-शुल्क गोदाम के उच्च अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके कलकत्ता स्थित कस्टम हाऊस से जब्त किए गए माल को हटाते समय कस्टम-हौस के बाहर वर्ष 1977 के दौरान रंगे हाथ पकड़े गए थे ;

(ग) क्या रंगे हाथ पकड़े गए ये व्यक्ति कभी भी मिलने वाले नहीं हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने भूल-चक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है, और यदि हां, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं। सरकार को अभी हाल ही में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार को मिली रिपोर्टों से पता नहीं चलता है कि ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं। परन्तु, 19 अगस्त, 1977 को मैसर्स एन०ई०के० इंजीनियरिंग वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड का एक मजदूर, जो सीमा-शुल्क गृह के पकड़े गये माल रखने वाले शेड में स्टील रैक लगाने का काम कर रहा था, दिन भर के अपने कार्य के बाद पकड़े गये माल के शेड के दरवाजे से बाहर आते समय एक 3-बैंड नेशनल ट्रांजिस्टर रेडियो के साथ पकड़ा गया था। जबकि अभियुक्त को चोरी की वस्तु के साथ पुलिस के सुपुर्द करने की व्यवस्था की ही जा रही थी कि वह बचकर भाग निकला। अभियुक्त को पकड़ने के लिए उसके गांव में स्थित उसके घर पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को लगाया गया था, परन्तु उसे पकड़ा नहीं जा सका।

(ख) अभियुक्त के बच निकलने के समय जिन व्यक्तियों की सुपुर्दगी में वह था, उन्हें सावधान किया गया है।

धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और जमशेदपुर औद्योगिक काम्प्लेक्स में आय कर की बकाया राशि

6004. **श्री ए० के० राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और बिहार में छोटा नागपुर के जमशेदपुर औद्योगिक काम्प्लेक्स में कार, ट्रक, डम्पर तथा अन्य शक्ति चालित बाहनों के मालिकों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत व्यक्ति आय कर देते है और उनकी ओर कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफिकार उल्ला) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जायगी ।

आपात स्थिति के दौरान विदेश भेजे गये मंत्री, संसद सदस्य और पत्रकार

6005. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात काल के दौरान सरकार ने कितने मंत्री और संसद सदस्य विदेशों में भेजे थे ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने कुल कितने पत्रकार और अन्य व्यक्ति अन्य देशों में भेजे थे ;

(ग) सरकार ने उन सब पर कुल कितनी धनराशि खर्च की थी ;

(घ) उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की थी ;

(ङ) उन मंत्रियों और संसद सदस्यों के नाम क्या हैं, जिन्हें मार्च. 1977 के बाद विदेश भेजा गया ; और

(च) सरकार ने उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की थी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) : इसी प्रकार सूचना 1974-75, 1975-76 और 1976-77 की अवधियों के लिए लोकसभा में 15 जुलाई, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 में मांगी गई थी। उक्त सूचना अलग से एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी । इस प्रकार आपात स्थिति की अवधि की सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 के उत्तर में दी जाने वाली सूचना में उपलब्ध होगी ।

(ङ) और (च) : अतारांकित प्रश्न संख्या 5148 में भी जिसका उत्तर 31 मार्च, 1978 को लोक सभा में दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, इसी प्रकार की सूचना 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के लिए मांगी गई थी । यह सूचना अलग से एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी । इस प्रकार वर्तमान प्रश्न में मंत्रियों और संसद सदस्यों के दौरों के संबंध में जो सूचना मांगी गई है वह अतारांकित प्रश्न संख्या 5148 के उत्तर में दी जाने वाली सूचना में उपलब्ध होगी ।

जेयपोर शूगर कम्पनी द्वारा आयकर और उत्पादन शुल्क का अपवंचन

6006. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेयपोर शूगर कम्पनी द्वारा लेवी चीनी के 14,000 बोरों की काला-बाजार में बिक्री किये जाने के कारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बोर्ड ने कम्पनी पर 6 लाख रूपये जुर्माना किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस स्रोत को जानकारी थी कि प्रबन्धकों और आंध्र प्रदेश के आयकर विभाग ने तीन उच्च आयकर अधिकारियों द्वारा कम्पनी में सांठ-गांठ के कारण कम्पनी द्वारा 25 लाख रुपये अथवा इससे अधिक राशि के आयकर और उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो आयकर एकत्र करने के लिये उनके मंत्रालय का विचार कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) जनवरी से जून 1972 तक की अवधि के दौरान मसर्स जेयपोर शुगर कम्पनी, चागल्लू ने, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत लेवी-चीनी पर लागू होने वाली रियायती दरों पर शुल्क अदा करके, कम्पनी द्वारा विनिर्मित चीनी की कई खेपों की निकासी की थी। बाद में मालूम हुआ कि कम्पनी द्वारा निकासी की गई उन खेपों को, उसके द्वारा, खुले बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया गया था और इसलिए कम्पनी निकासी की गई उक्त चीनी पर रियायती दर पर कर-निर्धारण की हकदार नहीं थी। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था और विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही में पार्टी को छोड़ दिया गया क्योंकि न्यायनिर्णय प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया था कि कम्पनी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए। जब केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड को इस बात की सूचना प्राप्त हुई तो कम्पनी को बाकायदा नोटिस भेजने के बाद मूल न्यायनिर्णय आदश की समीक्षा की गई और बोर्ड ने कम्पनी को 2.68 लाख रुपये के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के जान-बूझ कर अपवंचन करने का दोषी ठहराया और मूल न्यायनिर्णय आदेश निरस्त कर दिया तथा कम्पनी पर 6 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, आन्ध्र प्रदेश में तैनात आयकर विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें उन अधिकारियों पर, कर-अपवंचन के मामले में मेसर्स जेयपोर शुगर कम्पनी का अनुचित पक्ष लेने का, आरोप लगाया गया था। यह सूचना, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से सम्बद्ध निरीक्षण निदेशक (जांच) को इसलिये भेज दी गई कि वह इस की जांच करे और उसके बाद, यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता हो तो इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के हवाले कर दे।

(ग) प्राप्त शिकायतों के आधार पर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के निकट सम्पर्क से आयकर विभाग, मैसर्स जेयपोर शुगर कम्पनी लि० द्वारा लेवी की चीनी को काले बाजार में बेचे जाने से सम्बन्धित आरोप के बारे में जांच-पड़ताल करता रहा है। कर निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए कम्पनी के कर निर्धारण को अक्तूबर 1974 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दिये गये मूल न्यायनिर्णय आदेश पर निर्भर करते हुए पूरा किया गया था। की गई जांच पड़ताल तथा अब एकत्र की गयी सामग्री के आधार पर, जनवरी 1978 में बोर्ड के समीक्षा आदेश के जारी किये जाने के बाद आयकर विभाग द्वारा उस आय का पता लगाने के उपाय किये गये है जिस पर कर निर्धारण नहीं हो सका हो ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निरीक्षण निदेशालय को भेजे गये मामले की जांच, निरीक्षण निदेशक (सतर्कता) द्वारा पूरी कर लीं गयी है, और उस की रिपोर्ट विचाराधीन है।

हिन्दी के कार्य के लिए बनाय गये पदों के लिए राजस्व विभाग को गृह मन्त्रालय के साथ मिलाना

6007. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व विभाग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी-कार्य के लिये बनाये गये विभिन्न पदों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सामान्य कैडर में सम्मिलित होने पर सहमत नहीं हुआ है;

(ख) क्या उपर्युक्त निर्णय उस विभाग के सीनियर हिन्दी अधिकारी के कहने पर किया गया है तथा इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों की नितांत उपेक्षा कर दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीनियर हिन्दी अधिकारी के आचरण की उसके द्वारा सरकारी कार्य के दौरान की गई विभिन्न अनियमितताओं और कदाचारों के लिये जांच की जा रही है, यदि हां, तो उसके लिये उसके विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जा चुकी है; और

(घ) क्या उस अधिकारी को उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध कार्य करने से रोकने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1976-77 में एक मौके पर वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी को सरकार की अप्रसन्नता तब सूचित की गई थी जब सरकार के नोटिस में यह बात आई कि अधिकारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना साथ ही साथ ज्योतिषी अथवा पुरोहित के रूप में काफी नियमित रूप से काम कर रहा था। वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने, उसको सूचित की गयी अप्रसन्नता के लिए विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

(घ) चूंकि हिन्दीं पदों के प्रस्तावित संवर्ग में अभी तक शामिल होने में हमारी असमर्थतता का कारण लोक हित हीं रहा है; वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी का सुझाव नहीं, इसलिए उस पर, रोक लागने का प्रश्न नहीं उठता।

फेडरल बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का चेयरमैन और महाप्रबन्धक

6008. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्रीं यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो व्यक्ति फेडरल बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के चेयरमैन और महाप्रबन्धक के पदो पर है वे सगे भाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बैंककारी नियमों के विरूद्ध नहीं है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो बैंक में परस्पर एक दूसरे के रिश्तेदार व्यक्ति की नियुक्ति का प्रतिषेध करता हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुड़, शक्कर और खांडसारी का निर्यात

6009. **डा० मुरली मनोहर जोशी :**
श्री दुर्गा चन्द :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की मंडियों में गुड़, शक्कर और खाण्डसारी के मूल्यों में अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार ने इन उत्पादों के निर्यात के लिये कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख): जी हां । अब गुड़ के निर्यात की अनुमति किसी भी कोटा प्रतिबन्ध के, मुक्त रूप से प्रदान की जाती है । यहां तक कि गुड़ के निर्यात हेतु, निर्यातों की अनुकृति देने के लिये 100 प्रतिशत एल० सी० अथवा अग्रिम भुगतान की शर्त भी हटा दी गई है । सरकार ने वर्ष 1978-79 के दौरान निर्यात करने हेतु 5,000 मे० टन खांडसारी का कोटा भी रिलीज कर दिया गया है ।

Simplification of Pension Rules

6010. **Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to simplify further pension rules and make them straight forward so that hundreds of retiring employees may not have to face difficulty; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) : Rules and Procedures are modified from time to time to eliminate delays in settlement of pension cases. Effective from 1-3-76, a simplified procedure has been introduced under which, pension will invariably be authorised before the date of retirement of a Government servant on superannuation. A statement containing the salient features of that procedure is laid on the Table of the House.

With a view to eliminating delays is the payment of superannuation pension and death-cum-retirement gratuity, a revised procedure was prescribed in February, 1976. The salient features of the revised procedure are as follows :—

(1) Pension will be calculated on the average emoluments of 10 complete months instead of 36 months.

(2) The payment of superannuation pensions will commence in all cases on the first of the month in which they are due. In order to ensure this, a strict time-table for the work at various stages has been laid down for the Heads of Offices and those responsible for issuing pension payment orders and firm cut-off dates have been prescribed for each stage.

(3) In the absence of specific indication to the contrary, interruption in service between two spells of service rendered under the Central Government will be treated as condoned and pre-interruption service counted for pension. Similarly, periods of extra-ordinary leave which are not covered by specific entries making them non-qualifying will also count for pension.

(4) The requirement of an administrative sanction to pension is dispensed with.

(5) If for any reasons, it is not possible to issue the Pension Payment Order before one month of the date of retirement of the Government servant, provisional pension and death-cum-retirement gratuity will be sanctioned and disbursed by the Head of Office. The provisional pension will become final after a period of six months.

(6) In the matter of determining the dues outstanding from the Government Servant (other than those pertaining to Government accommodation), the probe of past records will be confined to a period of two years before retirement, at the stage of preparation of pension papers.

As regards dues pertaining to occupation of Government accommodation, the Directorate of Estates is required to issue No Demand Certificate eight months before the date of retirement of a Government Servant. The licence fee for the next eight months including the permissible period for which accommodation can be retained after retirement will be recovered by the Head of Office. Licence fee for retaining the Government accommodation beyond the permissible period will be recovered direct by the Directorate of Estates from the allottee, and payment of gratuity will not be withheld on this account.

The revised procedure prescribed in Februalry, 1976 is reported to be functioning satisfactorily.

केरल में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

6011. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) केरल में 1978 में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किन किन उद्योगों को स्थापना की जायेगी ;

(ख) केरल में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन उद्योगो के नाम क्या हैं ; और

(ग) 1978 और 1979 में भारत में सरकारो क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (ख) : जहां तक केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक परियोजनाओं का प्रश्न है, केरल में निम्नलिखित परियोजनायें निर्माणाधीन है और 1978-79 के दौरान उन में किए जाने वाले पूंजी निवेश की अनुमानित रकम प्रत्येक के सामने दी गई है :--

(करोड़ रुपयों में)

उपक्रम का नाम	1978-79 के लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश
1. कोचीन शिपयार्ड लिमिटड . . .	13.57
2. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (वेल्लूर संयंत्र) . . .	40.00
3. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (कोचीन प्रभाग चरण II) . विस्तारित संयंत्र प्रचालन सुधार कार्यक्रम--कोचीन चरण I . .	15.61
4. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस् लिमिटेड . . . (एण्डो सल्फन तकनीकी परियोजना बी० एच० सी० वी एच० एच० कणीकरण परियोजना, डी०डी०टी० विरुपण)	9.80

(ग) 1978-79 के दौरान केन्द्रीय सरकारी और वाणिज्यिक उपक्रमों के कुल पूंजी निवेशक की प्रस्तावित रकम 2281.74 करोड़ रुपये है।

भूतलिंगम पनल का प्रतिवेदन

6012. **श्री ज्योतिमय बसु :**

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतलिंगम पैनल संभवतः कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ;

(ख) क्या केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों ने इस पैनल का बहिष्कार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अप्रैल 1978 के अन्त तक ।

(ख) और (ग) : अध्ययन दल ने नवम्बर के अन्त/दिसम्बर 1977 के शुरू में बहुत से संगठनों, अर्थात् विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों के संगठनों और मजदूर संघों, वाणिज्य मण्डलों, आदि को पत्र लिखकर अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों के बारे में 15 जनवरी, 1978 तक उनके विचार आमंत्रित किए थे। 16-2-1978 तक कर्मचारियों के ऐसे एक

संगठनों से विचार प्राप्त हुए थे। कर्मचारियों के दो संगठनों ने औपचारिक रूप से सूचित किया है कि वे इस अध्ययन दल का बहिष्कार करते है। सरकार वेतन, आय और मूल्य विषयक अपनी नीति निर्धारित करने से पहले मजदूर संघों के साथ बातचीत करना चाहती है ।

भारत डच सहयोग

6013. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैण्ड के मंत्रालय स्तर के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में भारत का दौरा किया था तथा व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में भारत-डच सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1977-78 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए मंजूर की गई पर्यटन योजनायें

6014. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान पर्यटन का विकास करने हेतु आंध्र प्रदेश के लिय कितनी योजनायें मंजूर की गई; और

(ख) उनके लिए कितना आवंटन किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान आंध्र प्रदेश में केवल एक स्कीम ली गयी जो नागार्जुनासागर में परिचालित की जाने वाली दो मोटर लांचों की खरीद के बारे में थी। इस स्कीम की कुल लागत 27.75 लाख रुपये थी। इस स्कीम के लिये 13.13 लाख रुपये की अंतिम राशि 1977-78 में दे दी गयी थी।

गुजरात के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार

6015. श्री अमर सिंह बी० राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मार्च, 1979 और 1980 तक गुजरात के इन भागों में कौन-कौन से तथा कितने बैंक खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : वर्ष 1978 के लिये शाखा-विस्तार कार्यक्रम तैयार करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे ऐसे जिलों के बिना-बैंकवाले ग्रामीण स्थान चुनें, जहां प्रति-बैंक-शाखा जनसंख्या अखिल भारतीय-औसत के बनिस्बत बहुत ज्यादा है। आशा है कि इस रवैये से आदिवासी और पिछड़े इलाकों में अधिक शाखा-विस्तार होगा जो कि सापेक्षिक रुप से कम बैंक-वाले भी हैं।

गुजरात राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने छह ज़िलों अर्थात अमरेली, बनासकांठा, डांग्स, पंचमहाल, साबरकांठा और सुरेन्द्र नगर का घाटे वाले या शाखा विस्तार की दृष्टि से काम बैंक-वाले जिलों के रुप में वर्गीकरण कर रखा है।

भारतीय रिजर्व बैंक को अभी सभीं बैंकों की, 1978 की शाखा-विस्तार योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। उसने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास गुजरात के कम-बैंक-वाले जिलों के विषय में कुल ग्यारह लाइसेंस मौजूद थे जिनमें से 6 ग्रामीण स्थानों के लिये थे और 5 अर्ध-शहरी स्थानों के लिये।

महाराष्ट्र पर्यटन विकास के लिए सहायता

6016. **श्री बसन्त साठे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक प्रस्ताव में कितने धन की मांग की गई है और उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और किन किन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है/ स्वीकार किया गया है और वर्ष 1978-79 के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार से पर्यटन के विकास के लिए एक "पर्स्पेक्टिव योजना" प्राप्त हुई है। कुल 112 स्थानों का वहां आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था क लिए प्रस्ताव किया गया है। इन स्कीमों/सुविधाओं की व्यवस्था पर होने वाले अनुमानित व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग में अगली पंचवर्षीय योजना (1978–83) को अंतिम रुप देते समय यह निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार से बात-चीत की जाएगी कि किन-किन स्कीमों को, साधनों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्यीय क्षेत्रों में हाथ में लिया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1978–79 के बजट प्राक्कलनों में सेवाग्राम में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए 6,00,000 रुपये का प्रावधान किया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से बड़े तथा छोटे उद्योगों को मंजूर की गई राशि

6017. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1 अप्रैल, 1977 से 1 जनवरी, 1978 के बीच औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से बड़े तथा छोटे उद्योगों के लिये राज्यवार कुल कितनी राशि मंजूर की ;

(ख) औद्योगिक विकास बैंक को इसके लिये राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कुल कितने मामले निपटा लिये गये हैं तथा कितने मामले गत छः महीने से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) उड़ीसा राज्य के लिये अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : यथासम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Gold smuggled into India and smugglers arrested during 1977

6018. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 40 tonnes of gold worth Rs. 225 crores was smuggled into India during 1977; and

(b) if so, the number of smugglers arrested in this connection and steps being taken to check gold smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) & (b): It is not possible to estimate the quantity and value of gold smuggled into the country. However, during 1977, the customs authorities seized 264 Kgs. of contraband gold valued at Rs. 1.6 crores and arrested 153 persons for their involvement in gold smuggling. Necessary measures to combat effectively the menance of smuggling have been taken. Besides, to tackle the evil of smuggling of gold, Government have decided to sell gold out of stocks held by it. Government have also decided to allow imports of gold for making jewellery for exports.

राज्य व्यापार निगम को सीधे व्यापार करने का कार्य सौंपना

6019. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री जी० एस० रेड्डी :

श्री परमानन्द गोविन्द जी वाला :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को विदेशों से सीधे आर्डर प्राप्त करने योग्य बनाने और इसकी स्वयं की माल के उत्पादन तथा वसूली की व्यवस्था आदि करने हेतु इसे सीधे व्यापार करने का कार्य सौंपने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

6—124 LSS (ND)/78

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूर्ण विवरण क्या है ; और

(ग) निजी निर्यात तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि इस समय राज्य व्यापार संगठन जो परम्परागत बैक-टू-बैक संविदायें कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा उन्हें अपने लेखे पर काफी मात्रा में वास्तविक व्यापार आरम्भ करना चाहिए जिसमें खरीदना, बेचना, स्टाक करना आदि शामिल हो।

(ग) निगम के प्रस्तावित कार्य में गैर-सरकारी निर्यात व्यापार के प्रयासों में वृद्धि होगी। इससे विशेष रूप से लघु क्षेत्र को अपने उत्पादन आधार को संगठित करने तथा क्वालीटी और पैकेजिंग में सुधार करने में सहायता मिलेगी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति की जा सके।

Centrally sponsored Schemes in progress in Rajasthan

6020. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the details of the Centrally-sponsored schemes in progress in Rajasthan and the amount of grant in aid being provided to Rajasthan Government for each of those schemes?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal) : This Ministry is giving aid to the Rajasthan Government under two Centrally Sponsored Schemes viz., (1) for development of consumer cooperatives and (2) for providing margin money assistance by way of long term loan to State Governments, the details of which are as under :

(1) Under the Centrally Sponsored Scheme for development of consumer co-operatives, Rajasthan Government has been provided with financial assistance amounting to Rs. 12.87 lakhs during 1977-78, for setting up 2 department stores—one each at Bharatpur and Alwar, 2 mini department stores at Jaipur and 50 small/smaller branches at places predominantly inhabited by people belonging to weaker/un--organised sector as per the details given below :—

(i) Share-capital loan	Rs. 9·20 lakhs
(ii) Loan for furniture and fixtures	Rs. 1·58 lakhs
(iii) Subsidy including managerial subsidy	Rs. 2·09 lakhs
Total	Rs. 12·87 lakhs

(2) Till now the NCDC was operating one Centrally Sponsored Scheme under which it was providing margin money assistance by way of long term loan to State Governments which in turn passed on this assistance to the cooperative marketing societies acting as wholesalers, only in the shape of (a) clean share-capital; or

(b) refundable share-capital without any condition regarding minimum interest or return thereon; or (c) quasi-equity in the form of long-term loan for 14 years with concessional rate of interest not exceeding the dividend normally paid by the federation on its share capital, for enabling them to raise bank finance for procurement, stocking and distribution of fertiliser and other agricultural inputs. This scheme was introduced in the Fourth Plan and was in operation till 31st August, 1977. Under this scheme the NCDC has provided to the Government of Rajasthan a total assistance of Rs. 78.775 lakhs, the yearwise breakup of which is as under :—

	Rs. in lakhs
Upto 1973-74	3·00
1974-75	32·50
1975-76	23·275
1976-77	Nil
1977-78	20·00
	78·775

As a result of this assistance, the cooperatives in Rajasthan could step up distribution of fertilisers and other agricultural inputs from Rs. 1230 lakhs in 1973-74 to Rs. 2904 lakhs in 1975-76.

This scheme has since been discontinued as there is no longer need for continuing it because as per the Reserve Bank of India's advice, the banks have been providing fertilizer finance without insisting on any margin.

Janata Hotels for Tourists Centres

6021. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) State-wise names of the Tourists Centres in the country in which central Government propose to set up Janata Hotels during the current financial year and the amount provided therefor;

(b) the names of the tourists centres in Madhya Pradesh in which Government have decided to set up Janata hotels during the current financial year and whether Government have taken a decision to set up Janata hotels at Khajuraho and Orchha tourist centres also;

(c) whether other facilities, such as swimming pool, Helicopter service in addition to Janata hotels would also be made available at tourists centres; and

(d) whether construction work of the swimming pool in Khajuraho has since been started; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purchottam Kaushik) : (a) and (b) : The draft Five Year Plan for the period 1978-83 envisages the construction of Janata hotels at the four metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. An expenditure of Rs. 50 lakhs has been approved for the Janata hotel project at New Delhi during 1978-79. The other centres including those in Madhya Pradesh, where Janata hotels will be put up in the Central Sector will be determined after undertaking a survey, depending upon the resources made available for this purpose.

(c) There is no proposal with the Central Government for providing helicopter services at tourists centres. However, all four and five star hotels and in some cases three star hotels provides swimming pool facilities at tourists centres.

(d) The India Tourism Development Corporation is considering constructing a swimming pool at its hotel at Khajuraho. This is however dependent upon the availability of resources and regular and adequate supply of water.

Sections doing noting and drafting in Hindi

6022. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the total number of sections in the Ministry/Department and the number of sections among them having more than 80 per cent Hindi knowing staff;

(b) the total number of sections doing noting and drafting in Hindi at present and the reasons for not doing so in the rest of them; and

(c) whether clear instructions have been issued to all the sections for doing noting and drafting in Hindi; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) There are 81 Sections in the Ministry, out of which 64 Sections now have more than 80% Hindi knowing staff.

(b) & (c) Hindi is being partially used in noting and drafting in 48 Sections. Employees are encouraged to do their work in Hindi but there is no compulsion on employees to use Hindi in Office work.

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा नागरिक यातायात के लिये उपलब्ध विमानों की अविराम उड़ानें

6023. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स इस समय नागरिक यातायात के लिए उपलब्ध सब विमानों का यथासम्भव अधिकतम प्रयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अविराम उड़ानों के परिणामस्वरुप नियमित दैनिक उड़ानों में अनेक बार परिवर्तन करने पडते हैं और उन्हे रद्द करना पड़ता है जिससे यात्रीयों को असुविधा होती है और इंडियन एअर लाइन्स को राजस्व की हानि होती है ;

(ग) क्या दैनिक यातायात पर पडने वाले उक्त दबाव में राहत देने के लिए सरकार का विचार और अधिक विमान खरीदने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे और अनुमानित कितनी लागत पर ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क): जी, हां

(ख) : इससे कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे सेवाओं की नियमितता पर प्रभाव पड़ता है। परंतु इससे इंडियन एयर लाइन्स को कोई हानि नहीं होती।

(ग) जी, हां

(घ) मई/जून 1978, में इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेडे में 48 करोड रुपये को अनुमानित लागत से दो और एयरबस ए 300 बी2 विमान सम्मिलित किय जाने वाले हैं।

Value of Castor Oil, Cement, Sugar, Rice, Coffee exported through S. T. C.

6024. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the value of caster oil, cement, sugar, rice, coffee, semi-processed leather and silver exported through the State Trading Corporation in 1973-74 and 1976-77; and

(b) the estimated value of exports of each of the above items through S. T. C. during 1977-78 ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) and (b): A statement is attached.

Statement

Statement showing exports of Castor Oil, Cement etc. through the STC during 1973-74, 1976-77 and 1978-79

Value in Rs. Crores

Item	1973-74	1976-77	1977-78 (provisional)
1. Castor Oil . . .	2·2	31	25
2. Cement . . .	2	33	16
3. Sugar	..	152	16
4. Rice	2	5	3
5. Coffee	3	56	115
6. Semi-processed leather .	148	155	117
7. Silver	..	94	82
Total . . .	157·2	526	374

जवाहिरात का निर्यात

6025. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के लिये बजट में उनके द्वारा घोषित की गई योजना के अनुसार कितने जवाहिरात के निर्यात की अनुमति देने की संभावना है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये जवाहिरात निर्यात और सोने के आयात की कार्य-प्रणाली क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) : और (ख) : सोने के आयात की अनुमति देकर अथवा सरकारी भण्डार में से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सोना बेच कर सोने के जेवरात के निर्यात को प्रोत्साहन देने की सरलीकृत योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उसकी शीघ्र ही घोषणा कर दी जायगी । आशा है इस योजना के परिणामत: जेवरात का नि ति शुरू में 3 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़कर कम से कम 50 करोड़ रुपये तक पहुंच जायगा ।

Amount of Black Money Unearthed during Emergency

6026. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of black money unearthed State-wise, as a result of raids conducted during emergency ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : Statistics regarding searches are maintained Commissioner of Income-tax charge wise. A statement showing the value of searches conducted by Income-tax authorities during the period July, 1975 to March, 1977 is annexed.

Statement

Value of assets seized during July 1975 to March 1977

Sl. No.	Commissioner of Income-tax charge	Value of Assets seized (Rs. in lakhs)
1.	Agra	3·38
2	Allahabad	17·29
3	Amritsar	4·78
4	Andhra Pradesh	116·35
5	Asansol	0·85
6	Assam, Nagaland, Meghlaya, Manipur & Tripura	14·37
7	Bihar	3·12
8	Bombay [including Bombay (Central)]	1084·82
9	Delhi [including Delhi (Central)]	142·55
10	Gujarat	211·84
11	Jaipur & Jodhpur	90·09
12	Jullundur	1·48
13	Kanpur	93·73
14	Karnataka	137·57
15	Kerala	98·54
16	Lucknow	143·11
17	Madhya Pradesh	62·80
18	Meerut	33·97
19	Orissa	28·09
20	Patiala	26·65
21	Poona	88·63
22	Rohtak	0·74
23	Tamil Nadu [including Madras (Central) and Coimbatore]	192·89
24	Vidharbha and Marathwada	83·51
25	West Bengal [including Calcutta (Central)]	822·98
	Total	3504·13

दिल्ली में राशनकार्ड देखकर सीमेंट की बिक्री

6027. श्री शंकर सिंह जी बाघेला : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन कार्ड देखकर ही सीमेंट की बिक्री करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो राशन कार्ड पर ही सीमेंट की बिक्री करने के विशिष्ट कारण क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि राशन कार्ड पर सीमेंट खरीदने वाले अधिकांश लोग उसे कालाबाजार में बेच देते हैं और उन्हें स्वयं के उपयोग के लिये इसकी जरूरत नहीं होती ;

(घ) क्या उन्हें यह भी पता चला है कि राशन कार्ड पर सीमेंट की बिक्री से अनधिकृत निर्माण करने को बढ़ावा मिलता है ;

(ङ) क्या इस दृष्टि से राशन कार्ड पर सीमेंट की बिक्री को रोकने तथा केवल मकानों के मंजूर शुदा नक्शों एवम् मकान-कर की रसीदें देखकर सीमेंट की बिक्री करने का सरकार का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) : उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्यों पर सीमेंट की उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने सीमेंट की बिक्री को इस तरह नियमित किया है कि सीमेंट की कुल मात्रा का 70 प्रतिशत मकानों के मंजूरशुदा नक्शों और परमिटों पर तथा शेष मरम्मत के लिए बेचा जाता है। मरम्मत कार्य के लिए केवल एक बार राशन कार्ड पर सीमेंट के दस बोरे बेचे जा सकते हैं। दिल्ली सीमेंट (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश 1972 का संशोधन 10-3-78 को प्रख्यापित किया गया है, जिसमें यह बंधन रखा गया है कि कोई भी परमिट धारी अथवा अन्य व्यक्ति, जिसने या तो राशन कार्ड या मकान के मंजूरशुदा नक्शों पर सीमेंट खरीदा है, अपना सीमेंट का परमिट अन्य किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता है। इसका उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है। इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है कि मरम्मत के लिए राशनकार्ड पर सीमेंट की बिक्री से अनधिकृत निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलता है ।

(ङ) व (च) : इस समय वर्तमान निति में परिवर्तन करने का करने कोई विचार नहीं है। मरम्मत कार्यों के लिए राशन कार्ड पर सीमेंट की बिक्री बंद करने से उपभोक्ताओं की बहुत कठिनाई होगी ।

तम्बाकू नीलामी केन्द्रों की स्थापना

6028. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रय सरकार उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये तम्बाकू नीलामी केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) ये केन्द्र कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम ने तम्बाकू बाजार में प्रवेश करने का निर्णय किया था; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान तम्बाकू उत्पादकों के लिये कौन सी अन्य सुविधाओं के बारे में विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। तम्बाकू अधिनियम, 1975 में संशोधन के लिए इस सभा के दौरान एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है जिससे विर्जीनिया तम्बाकू के लिए नीलामी प्लेटफार्म स्थापित करने हेतु तम्बाकू बोर्ड को शक्तियां प्रदान की जा सकें।

(ख) तथा (ग) : मंशा यह है कि विधान संबंधी संशोधन किये जाने के बाद यथा संभव शीघ्र नीलामी प्लेटफार्म स्थापित किए जायें, परन्तु इस अवस्था में निश्चित तारीख अथवा केन्द्रों का स्थान बताना संभव नहीं है।

(घ) राज्य व्यापार निगम अपने सामान्य वाणिज्यिक कार्यकलाप के रूप में अपने खाते में और अपने जोखिम पर 1978 की फसल का 5,000 मे० टन तम्बाकू खरीद रहा है।

(ङ) इस वर्ष किये गये उपायों में ये शामिल है : न्यूनतम निर्यात कीमतों का निर्धारण, सांकेतिक कीमतें, मानक फार्म ग्रेडों का विकास, तम्बाकू पत्ती खरीद वाउचर प्रणाली आरंभ करना, आंध्र प्रदेश में उन तम्बाकू उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता का वितरण करना जिन की फसल तथा क्योरिंग खत्ते चक्रवात आदि से प्रभावित हुए थे।

जयगढ़ किल का खजाना

6029. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान जयगढ किले या राजस्थान के किसी अन्य स्थान पर खुदाई, तलाशी आदि के दौरान कोई खजना मिला है ;

(ख) खोज, तलाशी आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस खुदाई, खोज और तलाशियों आदि के लिए वस्तुतः किसने आदेश दिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिक्कारउल्ला) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना से पता चलाता है कि जिस खजाने के सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि वह जयगढ़ किले में छिपाया हुआ है, उसके लिये खोज जून 1976 में शुरू की गई थी और नवम्बर 1976 में बन्द कर दी गई थी। कोई खजाना नहीं मिला था। खोज का काम, भारत सरकार (संस्कृतिक विभाग) और जयपुर के कर्नल भवानी सिंह द्वारा दिनांक 22 मई 1976 को इस सम्बन्ध में किए गए एक करार के अधीन हाथ में लिया गया था। जैसा कि इस कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों ने अब तक सूचित किया है, खुदाई के काम पर 2,40,989 रु० खर्च हुआ है।

राज्य व्यापार निगम में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

6030. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में पदोन्नतियों के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के आदेश क्रियान्वित किये जाते हैं। यदि हां, तो किस तारीख से ;

(ख) राज्य व्यापार निगम की स्थापना से अब तक आफिस मैनेजर (जनरल) तथा असिस्टेंट संवर्गों सहित प्रत्येक संवर्ग में कितने कर्मचारी पदोन्नत किये गये हैं ;

(ग) आफिस मैनेजर (जनरल) तथा अन्य संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपाती प्रतिनिधित्व कितना है ;

(घ) आफिस मैनेजर (जनरल) तथा अन्य संवर्गों में पदोन्नति कोटे के सक्षम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पिछला कोटा भरा जाना शेष रहता है अथवा उसमें कोई कमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो आफिस मैनेजर (जनरल) तथा अन्य संवर्गों में इस बकाया कोटे को/इसमें कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। चयन द्वारा पदोन्नति के लिए जनवरी 1970 से और वरिष्ठता व योग्यता द्वारा पदोन्नति के लिए 27-11-1972 से रोस्टर रखे जा रहे हैं।

विवरण

प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण जिसमें अलग से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या भी दिखाई गयी है

क्रमांक	संवर्ग	पदोन्नत व्यक्तियों की कुल संख्या	स्तंभ 2 में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1.	उप-विपणन प्रबंधक ग्रेड I	2	..
2.	उप-विपणन प्रबंधक ग्रेड II	94	1
3.	कार्यालय प्रबंधक (सामान्य)	214	7
4.	उप-वित्त प्रबंधक ग्रेड I	13	..
5.	उप-वित्त प्रबंधक ग्रेड II	24	2
6.	कार्यालय प्रबंधक (लेखा)	15	1
7.	उप-विपणन प्रबंधक-I (तकनीकी)	2	1
8.	उप-विपणन प्रबंधक ग्रेड II	9	1
9.	कार्यालय प्रबंधक (तकनीकी)	19	1
10.	निरीक्षक (तकनीकी)	2	2
11.	सहायक	221	10

टिप्पणी : क्रमांक 1, 2, 4, 5, 7 और 8 के बंध में आरक्षण संबंधी आदेश सरकार द्वारा पदों के पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 1976 से लागू होते हैं।

होशंगाबाद स्थित सिक्यूरिटी पेपर मिल में करेंसी के नोट के लिए कागज बनाने का कारखाना लगाना

6031. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री जी० एस० बनतवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेंसी नोटों के लिये आपेक्षित कागज के निर्माण के लिये एक कारखाना होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या यह कारखाना चालू हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने में अब तक कितना करेंसी कागज बना है; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) और (ख) : करेंसी नोटों के लिए अपेक्षित कागज का निर्माण करने वाले मुख्य संयंत्र को 1967—68 में चालू किया गया था। अनुमानतया यह प्रश्न सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, में हाल ही में स्थापित किये गए मोल्ड कवर बनाने के संयंत्र के बारे में है जो कि करेंसी के काम के कागज के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इस मोल्ड कवर बनाने के संयंत्र को मार्च 1977 में चालू किया गया था।

(ग) भारत में बनाये गए मोल्ड कवरों से, अब तक, बैंक नोट कागज के लगभग 8500 रिम और साफ कागज के 4700 रिम तैयार किए गए हैं।

(घ) 4.00 लाख रुपए।

Advancing of Loans on less interest to Unemployed and Small Scale Industries

6032. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to advance loans on less interest to those persons who were rendered unemployed and whose small-scale industries were closed down during emergency so that they may restart their industries; and

(b) whether Government propose to formulate a programme for providing employment to the presons who had been detained under MISA and D. I. R.?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) : To enable those who suffered detention or imprisonment under MISA or DISIR during the emergency to undertake fresh self-employment ventures under the employment promotion programme or restore the health of their existing enterprises, banks have been advised to extend credit assistance to them on a priority basis under any of their existing schemes for the neglected sectors.

All the persons who were detained or imprisoned during the emergency for a period of not less than six months solely because of their political affiliations or membership of erst-while banned organisations are eligible for such priority assistance from the public sector banks.

Advancing of Loans by Nationalised Banks to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

6033. **Shri Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is any scheme to advance loans worth forty crores of rupees to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons from nationalised banks for setting up small scale industries; and

(b) if so, the amount of loans advanced under this Scheme during the year 1977-78 (upto January, 1978) in Madhya Pradesh and Rajasthan?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b): While no specific scheme to advance loans of Rs. 40 crores to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for setting up small scale industries is under the consideration of Government, the Government have formulated the Differential Rate of Interest Scheme specifically to provide financial assistance at concessional interest rate of 4% p. a. to eligible borrowers belonging to the weakest sections of the community including Harijans through public sector banks for undertaking productive endeavours. Recently Govt. have extended the scope and coverage of the Scheme to the entire country. In order to safe-guard interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, banks have been advised under the revised Scheme to ensure that at least 1/3rd of their advances under the Differential Rate of Interest Scheme go to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The outstanding advances of public sector banks under the Differential Rate of Interest Scheme as at the end of September, 1977 in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan stood at Rs. 367 lakhs and Rs. 203 lakhs covering 76765 and 33082 borrowal accounts respectively.

कलकत्ता तथा बम्बई में जनता होटल

6034. **श्री सौगत राय :** क्या पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कलकत्ता तथा बम्बई में जनता होटल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जी हां। 1978–83 की पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता तथा बम्बई में एक जनता होटल का निर्माण प्रस्तावित है ।

मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड से कर वसूल करना

6035. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड ने गत तीन वर्षों में करों के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में उसने कुल कितनी राशि का व्यापार किया ; और

(ग) क्या पूरे कर वसूल किये गये हैं ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) पिछले तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा अदा किया गया आय-कर तथा अधि-कर इस प्रकार है :--

कर निर्धारण वर्ष	
1975–76	56.76 लाख रु०
1976–77	48.89 लाख रु०
1977–78	65.17 लाख रु०

(ख) उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित लेखा-अवधियों में कम्पनी की कुल बिक्री क्रमश: 9.53 करोड़ रु०, 10-47 करोड़ रु० तथा 13.33 करोड़ रु० थी।

(ग) 31 मार्च 1978 को स्थिति के अनुसार, कम्पनी के विरुद्ध सकल आयकर की मांगें कुल 90,827 रुपय का थीं। इन मांगों के सम्बन्ध में अपील की गयी है और उनके निपटान होने तक इन्हें रोक दिया गया है।

Scheduled Castes/Tribes Employees in Import and Export Department

6036. **Shri Ram Vilas Paswan :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the total number of employees in the Import and Export Department, category-wise and number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees among them; and

(b) the number of employees in the Directorate of Research and Statistics under the above department, category-wise and number of Scheduled Castes and Scheduled Tribe employees among them?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) and (b): The required information is given in the statement attached hereto. **[Placed in Library. See No. LT-2048/78]**

ब्याज की दर घटाये जाने के बारे में योजना आयोग का विरोध

6037. **श्री ओ० एस० रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग या इसके किसी सदस्य ने ब्याज दरों में हाल में की गयी कमी का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विरोध के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ब्याज की दरों में कमी से बैंकों को अपनी निष्क्रिय पड़ी बचत राशि का निपटान करने में मदद मिली है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी में, योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर राज कृष्ण ने विचार व्यक्त किये थे कि हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई ब्याज की दर घटाने की घोषणा का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करने के बाद ब्याज की दर घटाने का निर्णय किया गया था।

(ग) बैंक निवेश योग्य साधनों को निष्क्रिय नहीं रखते। यदि यहां पर ऋण फैलाव की ओर इशारा है तो कहना होगा कि ब्याज दर घटाने का ऋण की मात्रा पर कोई प्रभाव हुआ हो तो उसका मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं आया है।

पर्वतीय क्षत्रों के चाय बागानों के लिए चाय बोर्ड से बाग उखाड़ने तथा फिर से लगाने सम्बन्धी राज सहायताओं की समीक्षा करने के लिए अनुरोध

6038. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड से विशेषतया पर्वतीय क्षेत्रों के चाय बागानों के लिये, बाग उखाड़ने तथा फिर से लगाने सम्बन्धी राजसहायताओं की समीक्षा करने के लिये कोई अनुरोध सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) : मैदानों में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बागानों के लिए चाय क्षेत्रों में बाग उखाड़ने तथा फिर से लगाने के सम्बन्ध में राजसहायता की दरों में संशोधन के लिए चाय बोर्ड की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

जनता सरकार द्वारा आरम्भ किए गये नये विमान मार्ग

6039. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया** : क्या **पर्यटन और नागरिक विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान सेवा को बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये जनता सरकार ने कौन-कौन से नये विमान सेवा मार्ग आरम्भ किये हैं तथा कब-कब ;

(ख) यदि कोई नये मार्ग आरम्भ नहीं किये गये हैं तो क्यों और यदि आरम्भ किये गये हैं तो उनके लिये क्या मानदंड अपनाया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि सभी मार्गों पर सभी उड़ान सभी दृष्टिकोणों से सफल हैं ;

(घ) क्या जम्मू और काश्मीर में सरकार का विचार ऊधमपुर तथा पुंछ बदरवाह तथा नूरीछम्ब सारथल और सानासर में विमान सेवा उपलब्ध कराके इन स्थानों को पर्यटन आकर्षण केन्द्रों के रूप में विकास करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) : कुछ मार्गों पर अपनी क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त, इंडियन एयर लाइंस द्वारा निम्नलिखित नई सेवाएं शुरू की गयी है :

(i) 5-5-1977 से दिल्ली/ग्वालियर/भोपाल/इंदौर/बम्बई मार्ग पर जबलपुर तथा रायपुर को एक हॉल्ट के रूप में शामिल कर लिया गया था । ग्वालियर के लिये एक दैनिक तथा जबलपुर व रायपुर के लिये सप्ताह में तीन दिन की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये इस सेवा के मार्ग का अब पुनर्निर्धारण किया गया है ।

(ii) 15 नवम्बर, 1977 से कलकत्ता/पटना मार्ग पर सप्ताह में तीन बार की एक एफ-27 सेवा शुरू कर दी गयी है।

(iii) 20 दिसम्बर, 1977 से दिल्ली/नागपुर/हैदराबाद मार्ग पर एक दैनिक बोईंग-737 सेवा शुरू कर दी गयी है।

(iv) 20 दिसम्बर, 1977 से कलकत्ता/जोरहाट/डिब्रूगढ़ मार्ग पर सप्ताह मे तीन बार की एक बोइंग-737 सेवा शुरू कर दी गयी है।

(ख) और (ग) : इंडियन एयर लाइंस द्वारा नयी सेवाएं न केवल आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर चालू की जाती हैं बल्कि दूरवर्ती क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये भी की जाती हैं। एसे मार्गों पर परिचालन जरुरी नही है कि सभी दृष्टियों से पूर्णतया सफल ही हों।

(घ) और (ङ): पर्यटकों के आकर्षण की दृष्टि से उधमपुर तथा पुंछ, बदरवाह तथा नूरीछम्ब, सरथाल तथा सनासर के विकास करने का अभी कोई प्रस्ताव नही है। इंडियन एयरलाइंस के विमान साधन इतने नही है कि अभी इस समय कोई नये स्थान विमान सेवाओं से जोड़े जा सकें।

National Institute for Tourism and Hotel Management

6040. **Shri Nathu Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up some National Institute for Tourism and Hotel Management;

(b) the basic requirements for setting up such an institute;

(c) whether Jaipur is a suitable place therefor as per these requirements;

(d) wehther the said institute will be set up at Jaipur; and

(e) if so, by what time ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e): Initially Executive Development Programmes (EDPs) for the personnel already employed in the tourism industry will be offered at different centres in the country. The question of locating the Institute at a particular place will arise only when a regular two year post graduate course in tourism is offered. The basic requirements for setting up the Institute and the selection of the place for establishing the Institute will thus depend upon the type of post graduate training programme to be offered, and the facilities required for developing such a programme.

अल्प बचत की बहुत सी योजनाओं को अंशदान की राशि

6041. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्यक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अल्प बचत की विभिन्न योजनाओं में अंशदान की राशि कितनी है; और

(ख) क्या सरकार अल्प बचतकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन देने के लिये किसी अन्य योजना पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) : विभिन्न अल्प बचत प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल संग्रह (अर्थात् सकल संग्रह की रकमों में से निकासी की रकमों को घटा कर) की रकमें 1976–77 में 416.46 करोड़ रुपये की और अप्रैल-दिसम्बर, 1977 में ये रकमें 259.85 करोड़ रुपये की बैठती हैं। (इससे बाद के महीनों की सूचना अभी प्राप्त होनी है) इस संग्रह की निवल रकमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अल्प बचत योजनाओं पर बराबर नजर रखी जाती है और समय-समय पर जहां तक आवश्यक समझा जाता है इनमें उपयुक्त संशोधन/परिवर्धन किये जाते हैं।

विवरण

अल्प बचत संग्रह की निवल रकमों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	1976-77	अप्रैल-दिसम्बर, 1977 (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.39	7.39
2.	असम	9.08	13.66
3.	बिहार	48.69	22.64
4.	दिल्ली	19.78	16.51
5.	गोआ	1.81	2.80
6.	गुजरात	28.16	30.41
7.	हरियाणा	9.75	3.37
8.	हिमाचल प्रदेश	6.49	2.18
9.	जम्मू और कश्मीर	1.83	2.57
10.	कर्नाटक	24.79	4.80
11.	केरल	2.91	4.76
12.	मध्य प्रदेश	15.57	7.65
13.	महाराष्ट्र	62.27	31.87
14.	मणिपुर	0.30	0.05
15.	मेघालय	(—) 0.24	0.38

विवरण—जारी

16. नागालैंड	0.09	0.07
17. उड़ीसा	11.11	8.61
18. पंजाब	0.18	1.17
19. राजस्थान	17.03	(—) 0.66
20. सिक्किम	0.04	0.01
21. तमिलनाडु	33.22	22.68
22. त्रिपुरा	0.39	0.63
23. उत्तर प्रदेश	54.59	32.18
24. पश्चिम बंगाल	56.73	43.63
25. चंडीगढ़	0.51	0.50
26. लक्षद्वीप	0.01	0.01
27. मिजोरम	0.22	0.16
28. पांडिचरी	0.11	0.13
29. अंडमान और निकोबार-द्वीप समूह	(—) 0.35	(—) 0.31
जोड़	416.46	259.85

श्री आगा खां की आय से राजनैतिक चन्दों पर व्यय

6042. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बम्बई से प्रकाशित होने वाले "वालंटीयर" नामक गुजराती पत्र में अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित हुये उस लेख के बारे म पता है, जिसमें बताया गया है कि भारत में आगाखां की आय का कुछ भाग हाल के चुनावों के दौरान राजनैतिक चन्दों पर व्यय किया गया है ;

(ख) इस लेख के बारे में सच्चाई क्या है ;

(ग) श्री आगाखां की (एक) भारत में उनकी विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति (दो) अन्य श्रोतों से आय कितनी है ;

(घ) क्या यह उनकी व्यक्तिगत आय समझी जाती है, अथवा उस समुदाय की आय जिसके वे प्रमुख हैं ; और

(ङ) गत दस वर्षों में इसमें से कितनी आय को विदेश भेजन को अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) : "वालंटीयर के अकतूबर 1977 के अंक में प्रकाशित इस आशय के लेख में कोई सचाई नहीं है कि महामहिम आगा खां ने हाल ही के चुनावों के समय राजनीतिक दलों को चन्दे दिये हैं।

7—124 LSS (ND)/78

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए पूरे किये गये नवीनतम कर-निर्धारण के अनुसार, महामहिम आगा खां की आय निम्नानुसार है :

(i)	व्यवसाय से आय . .	3,00,000 रु०
(ii)	सम्पत्ति से आय . .	88,135 रु०
	जोड़ .	3,88,135 रु०

सम्पत्तियां भारत के विभिन्न भागों में स्थित है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव, आदि ।

(घ) सम्पत्तियों तथा व्यवसाय से होने वाली आय महामहिम आगा खां की व्यक्तिगत आय समझी जाती है, न कि उस समुदाय की आय, जिसके वे मुखिया हैं । उपर्युक्त आय के सम्बन्ध में उनका कर-निर्धारण अनिवासी व्यष्टि के रूप में किया जाता है ।

(ङ) पिछले 10 वर्षों से, महामहिम आगखां की आय में से कोई भी रकम विदेश नहीं भेजी गई है ।

लद्दाख में पर्यटकों की आवास सुविधा बढ़ाने के उपाय

6043. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में पर्यटकों की आवास सुविधा बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : लद्दाख में पर्यटक आवास में वृद्धि करने की केन्द्रीय पर्यटन विकास की फिलहाल कोई योजना नहीं है । तथापि पता चला है कि लेह में मौजूदा आवास के अलावा प्राइवेट सैक्टर में करीब तीन नये होटल/पेइंग गैस्ट आवास खड़े हो गये है; तथा लद्दाख में पर्यटकों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगिल तथा लेह में राज्य सरकार की आवास के लिये तम्बुओं की व्यवस्था करने की भी योजना है ।

लोगों को शेयर जारी करने वाली कम्पनियां

6045. **श्री नटवर लाल बी० परमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोगों को शेयर जारी करने वाली कम्पनियां सामान्यतः छोटे पुंजी निवेश कर्ताओं को शेयर आबंटित नहीं करती है और बम्बई स्टाक एक्सचेंज भी उनकी उपेक्षा करता है;

(ख) क्या यह सच है कि शेयरों के आबंटन की वर्तमान योजना और तरीका छोटे पूंजी निवेशकर्ताओं के लिए हानिकर है ;

(ग) सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे स्टाक एक्सचेंजों में धनी लोग ही एकत्र न हों बल्कि नये शेयरों के लिए छोटे पूंजी निवेशकर्ताओं को भी अवसर दिया जाये; और

(घ) क्या सरकार का विचार छोटे निवेशकर्ताओं के हित के लिए कोई अनुदेश या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : सरकार पहले जनवरी 1961 में और उसके बाद जुलाई 1972 में सभी स्टाक एक्सचेंजों को ये हिदायतें जारी कर चुकी है कि निचली श्रेणी में आने वाले आवेदकों खास तौर से ऐसे आवेदकों को जिन्होंने सौ-सौ रुपए के शेयरों की दशा में 5 या 10 शेयरों के लिए या 10-10 रुपए के शेयरों की दशा में 100 शेयरों के लिए आवेदन किया हो उच्च श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किये जाने वाले शेयरों की संख्या में कमी करके उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय स्टाक एक्सचेंजों में न्यूनतम ट्रेडिंग लाट सौ-सौ रुपए के 5 शेयरों या 10-10 रुपए के 50 शयरों के हैं। स्टाक एक्सचेंजों को ये निदेश भी दिये गये हैं कि जहां शयरों की खरीद के लिए काफी अधिक राशि प्राप्त हो वहां 10-10 रुपए के 25 शेयरों के लॉट में आवंटन किया जाए।

Capital Cost Grant Scheme

6046. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether the entire area of a backward district can be covered under the Capital Cost Grant Scheme ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : A number of districts/areas have been identified as industrially backward to qualify for the Central scheme of investment subsidy. A list of such districts/areas was placed on the table of the House in reply to unstarred question No. 545 answered by the Prime Minister on 16-11-77. Where the districts as a whole has been selected to qualify for the scheme of investment subsidy, the scheme is applicable to the entire area of the district. Where, however, an "area" in a State has been selected for the purpose, the scheme is applicable to such specified area only.

भूतपूर्व प्रदर्शनों तथा वाणिज्य प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों को भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में खपाना

6047. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों को भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में खपाने के बारे में 3 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रदर्शनो तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि पर उस तिथि तक ब्याज मिलेगा जिसको उन्हें उसका अन्तिम रूप से भुगतान किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें भविष्य निधि तथा उस पर पर ब्याज भुगतान कब किया जाएगा ;

(ग) यदि भुगतान की तिथि तक का ब्याज नहीं दिया जाना है तो इसके क्या कारण है ;

(घ) उनकी गत सरकारी सेवा के बदल उन्हें होने वाले लाभ कब दिये जायेंगे, और क्या उनके मामलों पर अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ङ) क्या उनके बहुत दिनों से अनिर्णित पड़े मामलों पर शीघ्र अन्तिम निर्णय करने के लिये विशेष सैल बनाने का विचार है जिससे और समय नष्ट न हो ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से ( ) : भतपू प्रद नी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के अधिकारियों को उनकी विगत सरकारी सेवा के आधार पर मिलने वाले पेंशन, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित लाभों को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), गृह मंत्रालय (कार्मिक विभाग), सरकारी उपक्रम ब्यू ो आदि से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाना था । समय लगने वाली यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है । ऐसी आशा है कि अपेक्षित आदेश शीघ्र जा ी किए जाएंग । सामान्य भविष्य निधि (के० से०) नियम 1960 के अधीन, ये अधिकारी अपनी सामान्य भविष्य निधि पर आदेश जारी होने की तारीख तक ब्याज पाने के हकदार होंगे। तथापि, ऐसी आशा है कि प्रत्येक अधिकारी के दावे के सम्बन्ध में अपेक्षित बिल आदेश जारी होने के तुरन्त बाद भुगतान के लिए लेखा प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

चूंकि भूतपूर्व प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के भुगतान के सम्बन्ध में नीति सम्बन्‍ ी मसलों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इस प्रयोजनार्थ एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

Relief to Small Automatic Board Mills in Excise Duty

6048. **Shri R. N. Rakesh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether with a view to encourage small industries, Government have taken a decision to promote industries having less production capacity but no relief has been given to small automatic board mills in excise duty as against big mills;

(b) if so, the reasons for an increase of only 17 per cent excise duty on big automatic board mills with an annual capacity of 10,000 tonnes and 52 per cent increase in excise duty on small mills with a capacity of 2000 tonnes only; and

(c) the reasons for not giving an exemption of 75 per cent duty to small automatic board mills with an annual production capacity of 3,000 tonnes as given in the case of small paper mills, *viz.*, 75 per cent to 2,000 tonnes capacity, 60 per cent to 2,000 to 5,000 tonnes capacity and 50 per cent to 5,000 to 10,000 tonnes capacity?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) With a view to encourage small manufacturers, Government have exempted, in pursuance of the 1978 Budget proposals, small units, manufacturing 69 specified goods, whose clearances in the preceding year did not exceed Rs. 15 lakhs from the duty payable on the first clearances of Rs. 5 lakhs. However, in the case of automatic mill-board and straw-board mills, a separate scheme of excise duty exemption is available *vide* Government of India, Department of Revenue, notification No. 70/76-Central Excise dated 16-3-1976.

(b) The purport of the Question is not clear. In the present budget, there has been no increase in duty on paper and paper board, except to the extent of 1/20th of the basic duty leviable, as a result of imposition of special excise duties. This duty is, however, applicable to both big and small board mills.

(c) The considerations under which duty concessions have been given in favour of small paper mills were, *inter-alia,* cost disadvantages which the small paper mills suffer *vis-a-vis* bigger paper mills. In the case of small automatic board mills, such like disadvantages have not been effectively established *vis-a-vis* bigger board mills.

Tax arrears against Tata Company Jamshedpur (Bihar)

6049. **Shri R. P. Sarangi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of tax arrears against Tata Company, Bihar Jamshedpur up to 1st March, 1978?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): The question presumably relates to Tata Iron and Steel Company Limited which has its plant at Jamshedpur. A gross demand of Rs. 17.91 lakhs was outstanding against this company as on 1-3-78. The demand is disputed and has been stayed till disposal of appeal.

Talks held with Representatives of Rural Bank Employees' Union

6050. **Shri Ram Kanwar Berwa:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether talks have been held with the representatives of the Rural Bank Employees Union on labour problems while preparing the report by the Dantwala Committee; the progress made in this regard and when the report will be published?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): Since there were no recognised Rural Bank Employees Unions, the Dantwala Committee did not hold talks with any such Unions. The Dantwala Committee Report, which has been

submitted to the Reserve Bank of India on 23-2-78, is likely to be available to the Government shortly along with the comments of the Reserve Bank of India.

Attachment orders for realising Income Tax Arrears

6051. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of cases in which attachment orders were issued for realising income tax arrears in 1976-77 and 1977-78 and the number of cases in which these were not issued;

(b) whether there are certain cases where attachment orders were issued without assessing the income tax and if so, the justification thereof; and

(c) whether there are a large number of cases where attachment orders have not been issued even after tax assessment was made and orders for realising it were issued, and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) (b) & (c): According to presently available information, attachments of movable and immovable properties were effected by the Tax Recovery Officers for realising tax arrears in 31,040 cases during 1976-77 and in 42,602 cases upto 28-2-78 during 1977-78. The other information required in the question is not readily available and its collection will involve considerable time and labour. However, if the Honourable Member would like to have such information in respect of any specific case or cases, the same can be collected and furnished.

निर्यात निरीक्षण एजेंसी के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

6052. **श्री वी० एम० सुधीरन:** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाह आयोग की ओर से निर्यात निरीक्षण एजेंसी के निदेशक के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरणों के कार्यचालन के संबंध में सरकार को शाह आयोग से तीन शिकायतें उचित कार्यवाही करने के लिए प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में कुछ बातें निर्यात निरीक्षण परिषद के निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण निदेशक के खिलाफ कही गई हैं।

(ख) इन पर विचार किया जा रहा है।

नगरीय सहकारी बैंक व्यवस्था के कार्यकरण में परिवर्तन का प्रस्ताव

6053. श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय सहकारी बैंक व्यवस्था के कार्यक्रम में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने का नया तरीका क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है कि इन बैंकों की सेवा देश के सभी भागों, विशेष रुप से पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए शहरी सहकारी बैंकों सम्बन्धी एक समिति का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषय ये हैं:—

(1) बैंकिंग प्रणाली में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की भूमिका का मल्यांकन करना ।

(2) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उनकी भावी भूमिका बताना तथा विशष रुप से इस बात का निर्धारण करना कि क्या और सुविधाओं अथवा सहायता की आवश्यकता है ।

(3) विशेष रुप से छोटे ऋण लेने वालों की सेवा की दृष्टि से बैंकों की जीव्यता, ऋण देने की प्रक्रियाओं और नीतियों जैसे पहलुओं की जांच करना ।

(4) व्यावसायिक प्रबन्ध की सीमा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।

(5) उपर्युक्त विचारणीय विषयों से सम्बन्धित किसी अन्य समस्या पर विचार करना और सिफारिशें करना ।

(ग) शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना मुख्य रुप से शहरों तथा उनके आस-पास के इलाकों के लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करने के लिए की जाती है। इस प्रकार उनका उद्देश्य देश के हर कोने में अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को अपनी सेवाएं पहुंचाना नहीं है। तथापि, ऐसे पिछडे क्षेत्रों/प्रदेशों के नगरों, जहां शहरी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, में शहरी बैंकों की स्थापना तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नये शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए अंशपून्जी एकत्र करने तथा सदस्यता के मामलों में विशेष छूट दे रखी है।

कपड़ा मिलों से उत्पादन शुल्क की वसूली

6054. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों से 2 करोड़ रुपये के बकाया उत्पादन शुल्क की वसूली रोक दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों ने राशि में छूट की मांग की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मांग पर सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां । सम्मिलित आधार पर, सूत पर लगे शुल्क के कारण लगभग, 3.46 करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क की वसूली रोक दी गई है ।

(ख) जी हां । कपड़ा मिलों ने 31-5-1977 से पहले की अवधि के लिए मांग की गयी विभेदी शुल्क की रकम माफ करने का अनुरोध किया है ।

(ग) कपड़ा मिलों की, शुल्क की माफी संबंधी दरख्वास्तें सरकार के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही कोई निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों पर यात्रियों को तंग किया जाना

6055. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों, विशेष रूप से महिला यात्रियों के अभद्र तरीके से तंग किय जाने के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को इस प्रकार से तंग किये जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सम्भवतः प्रश्न का संकेत पालम हवाई अड्डे पर 2-6-77 को हुई एक घटना की ओर है, बाहर जाने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि उसकी रवानगी के समय एक सीमाशुल्क अधिकारी ने उस पर प्रहार किया है। संबंधित सीमाशुल्क अधिकारी का हवाई अड्डे से तत्काल तबादला कर दिया गया। बाद में शिकायत की विस्तृत जांच की गयी । लेकिन जांच-पडताल करने पर कथित घटना के संबंध में अधिकारी के खिलाफ प्रबल संदेह को छोड़कर, कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला उसे चेतावनी दे दी गयी है ।

जीवन दीप भवन में आम रास्ते के बरामदे को किराय पर देना

6056. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में जीवन दीप भवन के पहले फ्लोर पर आम रास्ते के लिये बने बरामदों को गैर सरकारी वाणिज्य फर्म को किराये पर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया है;

(ग) क्या यह अन्य किरायेदारों के साथ की पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) क्या सरकार इस स्थान को उसके सही उपयोग के लिए वापस लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में जीवन दीप भवन के प्रथम तल पर आम बरामदे के अलावा, जो मौजूदा किराएदारों को पट्टे पर दिया हुआ है जीवन बीमा निगम ने एक दूसरा आने जाने के काम आने वाला बरामदा जुलाई 1977 में एक फर्म को किराए पर दे दिया था। इसका उद्देश्य रास्ते के गलत इस्तेमाल को रोकना और इमारत से अधिक किराया प्राप्त करना था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Export of Sugar through Foreign Firms

6057. **Shri Bharat Singh Chowhan:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar was exported through foreign firms;

(b) if so, the extent of loss incurred on profit earned by Government on this account; and

(c) the background of this new arrangement ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) No, Sir. No sugar has been exported through foreign firms since the canalisation of sugar exports through S.T.C.

(b) The profits/losses earned on sugar exports since 1974 have been as follows :—

Year	Quantity (lakh tonnes)	Value (Rs. Crores)	Profits+ Losses— (Rs. crores)
1974-75	6·24	314·34	+155·90
1975-76	11·88	468·48	+150·66
1976-77	5·80	152·01	—27·30
1977-78*	0·69	16·33	—2·00

*Provisional.

(c) Does not arise.

सामान्य बीमा कम्पनियों का अलग अलग किया जाना

6058. श्री किशोर लाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निर्णय किया गया है कि अब मिली हुई सामान्य बीमा कम्पनियों के महाप्रबंधकों और प्रबन्ध निदेशकों को उनकी मूल कम्पनियों से अलग कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को अन्तरित किया गया है और अन्य महाप्रबंधको और चेयरमैन एवं प्रबन्धनिदेशकों को अन्तरित न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का उत्पादन के आधार पर नियंत्रण

6059. श्री पायस टिर्की : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर यूनिटस में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का उत्पादन पर अन्तरित नियंत्रण विफल रहा है क्योंकि तीन पारी वाले बड़े एककों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कर्मचारियों का उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं होता और उन्हें कारखानों द्वारा दिये गये आंकड़ों को ही स्वीकार करना पड़ता है;

(ख) क्या व्यय का समुचित वितरण नहीं है और कई मामलों में एक ही अधिकारी को 10 से 20 एकक तक का एक साथ पर्यवेक्षण करना पड़ता है;

(ग) क्या 1 फरवरी, 1978 को इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद से राजस्व में कोई सुधार सरकार के ध्यान में आया है, और यदि नहीं, तो इस अधिक खर्च वाली व्यवस्था का सिद्धांत क्या है; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) नियंत्रण को उत्पादन आधारित पद्धति, जो 1-2-1978 से लागू की गई, स्वत: निकासी प्रक्रिया के सारभूत तत्वों से हट कर नहीं है। उसके कार्यचालन के संबंध में मूल्यांकन करना अभी बहुत जल्दी होगा । परन्तु, यह कहना सही नहीं है कि बड़े एककों द्वारा दिये जा रहे उत्पादन के आंकड़े बिना समुचित सत्यापन और जांच के, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाते है ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को तैनाती विभिन्न आधारों पर की जाती है जैसे एककों से होने वाली राजस्व आय, कार्य कर रही पालियों की संख्या, एककों का जमाव अथवा फैलाव, उपलब्ध जन-शक्ति और अन्य संमत कारण । अपेक्षाकृत छोटे एककों के मामले में, इनमें से बहुतों को आवश्यकीय रूप से समूहित करके एक ही अधिकारी के अधीन रखा जाना होगा । उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10 एककों से अधिक एककों को किसी निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में रखना एक अपवाद ही

है, नियम नहीं और ऐसे मामलों में, सभी अथवा अधिकांश एकक ऐसे होंगे जो कम राजस्व दे रहे होंगे। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण को संशोधित पद्धति का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार अतिरिक्त, कर्मचारियों की भरती करने की कार्यवाही कर रही है, और इससे उत्तरोत्तर अधिक नियंत्रण रखा जा सकेगा।

(ग) फरवरी, 1978 मास के दौरान वसूल हुए राजस्व के पूरे आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। परन्तु किसी एक मास के राजस्व वसूली के आंकड़े कोई अनुदान लगाने का आधार नहीं बन सकते।

(घ) योजना के कार्यचालन पर समीक्षात्मक निगाह रखी जा रही है जिससे प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में जो भी संशोधन आवश्यक पाये जांए वे किये जा सकें।

गत वर्ष में आरक्षित रिक्त स्थानों पर विमान परिचारिकाओं की नियुक्ति

6060. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष विमान परिचारिकाओं के कुछ रिक्तस्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने उम्मीदवारों के विभाग द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अर्हता प्राप्त थे; और

(ग) उनमें से कितने उम्मीदवार आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

	इंडियन एयरलाइंस	एयर-इंडिया
अनुसूचित जाति . .	18	55
अनुसूचित जनजाति . .	8	29

(ख)

	इंडियन एयरलाइंस		एयर-इंडिया	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या .	630	168	1034	247
पात्र उम्मीदवारों की संख्या .	338	87	767	178

(ग)

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
इंडियन एयरलाइंस . .	18	8
एयर इंडिया . . .	43	17

Smuggling of Gold due to Price Differential

6061. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the international price of gold is Rs. 135/- less per 10 grammes than the price prevalent in India;

(b) whether it is also a fact that because of this difference gold is smuggled from foreign countries; and

(c) if so, the facts thereof and measures taken by Government to remove it?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) With reference to prices ruling on 21-3-1978, the international price for 10 grammes of gold, as quoted in London, was about Rs. 184 less than the price prevalent in India.

(b) Yes Sir.

(c) To tackle the evil of emuggling, Government have decided to commence the sale of gold from the stocks held by it. Government have also decided to introduce a simplified scheme for encouragement of the export of gold jewellery, either by allowing importation of gold or by sale of gold from Government stocks.

Working of Ganesh Flour Mill Limited, Kanpur

6062. **O.I.H. Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether he is aware of the present condition of the Ganesh Flour Mill Ltd., Kanpur after its taking over by the Central Government in November, 1972;

(b) whether it is a fact that Central Government have taken a decision for making payment of arrears of the Ganesh Flour Mill but administrative machinery has delayed the payment so far and as a result there is dissatisfaction prevalent;

(c) if so, the time by which the payment is being made and its mode; and

(d) whether in this regard any letter has also been written by Members of Parliament?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Suppplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal): (a) Yes, Sir. The worth of the Company which was negative namely—Rs. 45.16 lakhs (minus) at the time of take-over is now positive, namely about Rs. 218 lakhs. The Company has also started making profits.

(b) to (d): There have been representations, from several people including Members of Parliament, for expediting the payment of dues. A scheme has been formulated, after the expiry of the moratorium on the payment of dues,

in November, 1977, for the phased discharge of the pre-take-over liabilities of the Company as under :—

(i) All the statutory dues and dues of secured creditors, except those under litigation, should be paid, as per commitment, in a phased manner over a period of five years, commencing from the date from which the scheme comes into operation.

(ii) All secured creditors whose claims are under litigation may be paid in accordance with the decision of the Court as and when it becomes available.

(iii) All the holders of fixed deposits in the Company, which have already matured, should be paid upto Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) each in the first year of the operation of the scheme and the balance due, if any, on the fixed deposits, should be paid in the second year of the operation of the scheme.

(iv) All sundry creditors should be paid Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) in each case in the first year and upto Rupees 25,000/- (Rupees twentyfive thousand only) in the second year of the operation of the Scheme.

(v) All the sundry creditors whose claims are above Rs. 25,000/- should each be paid in three equal yearly instalments, commencing from the 3rd year of operation of the scheme.

The Company will ensure that the payments as above are made out of the profits generated in the post-take-over period and implementation of the scheme does not affect cash flow position and the working capital needed for the Company. The Scheme will come into force with immediate effect.

आयकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शल्क और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा

6063. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शल्क, सीमा शुल्क और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिय, अलग अलग, निर्धारित आरक्षण कोटा कहां तक भरा गया है और सेवा की प्रत्येक श्रेणी के वर्तमान कर्मचारियों के सम्बन्ध में कितनी कितनी कमी है;

(ख) यदि बहुत अधिक कमी है तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) क्या वह इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए किसी ऐसे द्रुत कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं जैसा कि रेल मंत्री ने अपनाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना के बारे में एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है । [**ग्रंथालय म रखा गया । दखिए संख्या एल0 टी0** 2049/78]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्य-कुशलता

6064. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियारसिंह मलिक :
श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की काय-कुशलता का निरंतर ह्रास हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्रीएच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : यद्यपि पिछले कुल वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने शीघ्र शाखा विस्तार का कार्य आरम्भ किया है और बढ़ते हुए व्यय की समस्या का सामना किया है, फिर भी, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उनकी कार्य चालन की कुशलता का स्तर निरंतर गिरता गया है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के काम को सरकार द्वारा, अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और इन बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है ।

शीतल पेयों से प्राप्त उत्पादन शुल्क

6065. **श्री गोविन्द मुण्डा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में शीतल पेयों की कितनी बिक्री हुई और बिक्री से कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क बहुत अधिक होने के कारण शीतल पेयों की बिक्री बहुत कम हो गई है और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) प्रश्न में उल्लिखित अवधि के लिए वातित जल की बिक्री के बारे में सूचना नीचे दी गयी है :—

वर्ष	बिक्री हजार (बोतलों) में	उत्पादन शुल्क प्राप्ति हजार रुपयो म
1971	945854	30730
1972	1157956	61025
1973	1124027	54520

(ख) और (ग) : जी नहीं; प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित निकासियों के वर्षवार आंकड़ों से वातित जल की बिक्री में किसी भारी गिरावट का संकेत नहीं मिलता है ।

Memorandum from Indian Airlines Workmen Association

6066. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry has received memorandum entitled "Open letter addressed to the Chairman, Indian Airlines" from the Indian Airlines Workmen Association;

(b) if so, the action being taken thereon; and

(c) if any inquiry is being conducted, whether the concerned officers are not being transferred and if so, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The complaint is being looked into.

स्वर्ण बांड

6067. **श्री आर० वेंकटरामन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा जारी किये गये स्वर्ण बांडों के बदल में कितना सोना प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या प्राप्त सोना भारत सरकार द्वारा सोने के रूप में ही रखा जाता है ; और

(ग) स्वर्ण बांडों के भुगतान की सब से पहली और अंतिम तारीख क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार द्वारा स्वर्ण बांडों के लिए अभिदान तीन बार (अर्थात् नवम्बर, 1962 में 6-1/2 प्रतिशत ब्याज वाले स्वर्ण बांड 1977 मार्च, 1965 में 7 प्रतिशत ब्याज वाले स्वर्ण बांड, 1980; और अक्टूबर, 1965 में राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980) लिये गये थे और इनसे लगभग 35162 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ था ।

(ख) अभिदान के रूप में प्राप्त हुए सोने की शुद्धता 995 कर दी गयी थी और इसे सरकारी भण्डार में रख दिया गया है ।

(ग) 6-1/2 प्रतिशत ब्याज वाले स्वर्ण बांड, 1977 जो 12 नवम्बर, 1977 को परिपक्व हुए थे अधिकतर चुका दिये गये हैं जबकि राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 जोकि इस क्रम में सबसे बाद में जारी किए गये थे, 27 अक्टूबर, 1980 को परिपक्व होंगे ।

दमदम से कूच बिहार तक नागर विमानन सेवाएं

6068. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमदम से कूच बिहार तक नागर विमान सेवा शुरू करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि कूच बिहार और उसके आस-पास के क्षेत्रों के नागरिक और विदेशी पर्यटक कूच बिहार से नागर विमान सेवा शुरू करने की लगातार मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं, फिलहाल नहीं ।

(ख) और (ग) : एक अभ्यावेदन जुलाई, 1977 में प्राप्त हुआ था जिसमें भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा उत्तर बंगाल, विशेषकर जलदापारा के सुरक्षित वन क्षेत्र की यात्रा के लिये कूच बिहार के हवाई अड्डे को पुनः खोलने की मांग की गई थी । इसका उत्तर भेज दिया गया था कि न तो इंडियन एयरलाइन्स ने और न ही किन्हीं गैर-अनुसूचित प्राइवेट परिचालकों ने कूच बिहार के लिये विमान सेवाएं परिचालित करने में कोई रूचि दिखाई है, और इसलिए इस हवाई अड्डे को पुनः खोलना फिलहाल संभव नहीं है ।

Foreign Exchange

6069. **Shri Ganga Bhakt Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state: where and in what form the foreign exchange money accumulated of date has been kept and the revenue earned by Government thereon in 1977-78 and likely to be earned in 1978-79?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): Foreign Exchange Reserves are held by the Reserve Bank in various leading currencies in the form of cash, Government Treasury Bills, Securities/Bonds of Government and International Institutions and deposits with leading International Banks. The earnings from Foreign Exchange Reserves amounted to Rs. 190.94 crores for the accounting year of the Reserve Bank ending 30th June, 1977 and to Rs. 141.04 crores for the half year ending 31st December, 1977. It is not possible to indicate the likely earnings during 1978-79 as this would depend on the level of foreign exchange reserves and the movements in interest rates abroad, which are difficult to predict.

नारियल जटा और उसके उत्पादों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

6070. **श्री पी० क० कोडियन** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा ने सर्व सम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया है जिसमें केन्द्र से नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों क निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां । केरल सरकार ने 23-3-78 को इस मंत्रालय को सूचित किया है कि इस बारे में एक संकल्प स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) केरल विधान सभा ने संकल्प किया है कि "भारत सरकार क्वायर तथा क्वायर उत्पादों के निर्यात व्यापार का तत्काल राष्ट्रीयकरण करें"। संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले पर विचार करेगी ।

Rise in prices of finished goods due to increase in value added tax

6071. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether prices of finished goods will go up because of increase in value added tax from 2 per cent to 5 per cent under the excise duty ;

(b) if so, whether the price increase is apprehended upto 5-6 per cent even though the estimated increase in the tax proposals is only 0.7 per cent ; and

(c) whether his Ministry is vigilant to ensure that price increase does not exceed the estimate to avoid unnecessary burden on the consumers ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The 1978-79 Budget has imposed new excise levies on coal and electricity generation. For items already covered by the Central Excise Tariff the existing duties have been enhanced by 5 per cent, i.e., by one-twentieth of the existing duty. On 'goods not elsewhere specified', which are covered under Item 68 of the First Schedule to the Central Excises & Salt Act, 1944, a duty of one per cent was imposed for the first time in the 1975-76 Budget. It was raised to 2 percent in 1977-78 and has now been further enhanced to 5 per cent. These goods (Item 68) account for a very small proportion of excise receipts and the effect of the duty increase would be quite small.

(b) The estimated increase of 0.7 per cent in the price level because of the Budget proposals is a rough calculation of the direct impact on the items in the Wholesale Price Index. It does not take into account the indirect effect; which would arise from the increase in existing excise duties on inputs including the new duties on coal and power. It is not possible to make any precise estimate of the over-all impact as the reaction of the market depends on a number of factors. In the first week after the Budget there was a rise in the Wholesale price index of 0.6 per cent, one element of which was an increase of 9.0 per cent in sugar prices resulting from factors not directly connected with the Budget proposals. By the third week after the Budget, the total increase amounted to 1.2 per cent.

(c) Government keeps the price situation under constant review, and measures are taken as and when necessary to check any undue rise in prices.

8—124 LSS (ND)/78

हल्दी घाटी का पर्यटन सुविधाओं के लिए विकास

6072. **श्री एस० एस० सौमानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने पर्यटन सुविधाओं के लिए हल्दी घाटी का सुधार करने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने हल्दी घाटी में परिवेशात्मक सुधार करने के लिये राज्य सरकार को 1976-77 में 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Companies which have Expressed their Inability to Company with FERA

6073. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of foreign companies and their subsidiaries which have expressed their inability to comply with the provisions of Foreign Exchange Regulation Act; and have decided to wind up their business in India;

(b) the time by which they are expected to wind up their business; and

(c) the steps taken by Government of India to ensure that these companies do not dispose of their assets secretly in case they owe any amount to the nationalised banks?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) So far, thirteen companies have indicated their inability to operate in the country within the equity levels permitted in terms of the guidelines laid down for the administration of Section 29 of the FERA, 1973. The names of these companies are shown in the attached statement.

(b) While some of these companies have already ceased their trading/commercial/industrial activities, the others will do so during 1978. However, the actual winding up of their business such as disposal of assets etc., may take a longer time.

(c) In terms of the provisions of the FERA, no foreign company can dispose of its assets without the prior permission of the Reserve Bank of India. Further, while dealing with requests for valuation and repatriation of sale proceeds, all oustanding liabilities such as amounts due to banks etc., are adjusted.

Statement

1. A. Johnson & Co. (India), A.B., Calcutta (Branch)
2. Baker Parkins International Ltd., Bombay (Branch)
3. Bunge & Co. Ltd., Calcutta (Branch)

4. Coca Cola Export Corporation, New Delhi (Branch)
5. Columbia Graphophone Co. of India (Pvt.) Ltd., Calcutta (Rupee Company)
6. Consolidated Pneumatic Tool Co. Ltd., Bombay (Branch)
7. Eli Lilly & Co. of India Inc., Bombay (Branch)
8. INGRA, New Delhi (Branch)
9. I.B.M. World Trade Corporation, New Delhi (Branch)
10. Kendall Farms Pvt. Ltd., Calcutta (Rupee Company)
11. Torrance & Sons Ltd., Madras (Branch)
12. Van Rees India B.V., Calcutta (Branch)
13. Weddel (India) Ltd., Calcutta (Rupee Company)

कोरस इंडिया द्वारा 'मनोरंजन' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई गई राशि

6074. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कोरस इंडिया द्वारा "मनोरंजन" के अन्तगत भारी राशि दिखाई जा रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल कितनी राशि दिखाई गयी ;

(ग) 'मनोरंजन' पर व्यय कुल आय के अनुपात में कितना प्रतिशत था ; और

(घ) क्या वे कर बचाने के लिए इस तरीके का उपयोग कर रहे हैं ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जायगी ।

कोरस इंडिया द्वारा अतिथि गृहों पर व्यय

6075. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोरस इंडिया द्वारा कितने अतिथि गृह चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इन अतिथि गृहों के किराये, फरनिसिंग, रख-रखाव तथा अन्य बातों पर कितना व्यय किया जा रहा है ;

(ग) क्या कार्यकारी अधिकारियों के आवासों के व्यय को भी अतिथि गृहों पर होने वाले व्यय में सम्मिलित किया जा रहा है ; और

(घ) क्या कम्पनी को कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय छूट दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Payment of Income Tax by owners of Jam Textile Mill, Bombay

6076. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of income-tax paid by the owners of Jam Textile Mill, Bombay during the last three years and the names of the present owners and partners; and

(b) whether each of these partners has partnership in some other industry, business and if so, the names of such establishments and the details of the partnership of the concerned partners of this mill with other establishments?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) & (b): Jam Textile Mill is owned by M/s Jam Manufacturing Company Limited, Bombay. As such, there are no partners in it. Details of income-tax paid by the said company during the last three financial years are as under:—

1974-75—Rs. 2,704
1975-76—Rs. 23,125
1976-77—Rs. 2,903

गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये पूंजी निवेश

6077. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश नीति के बारे में 10 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 264 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा अबतक किया गया कुल पूंजी निवेश कितना है;

(ख) इस कुल पूंजी निवेश में 20 बड़े औद्योगिक गृहों का अलग-अलग कितना हिस्सा है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा कुटीर और छोटे उद्योगों में अब तक, अलग अलग, जीवन बीमा निगम का कुल पूंजी निवेश कितना है;

(घ) क्या सरकार जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश की पद्धति मे परिवर्तन करने पर विचार कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जीवन बीमा निगम ने "गैर-सरकारी नियमित क्षेत्र" की सभी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में जितनी पूंजी लगाई है उसका 31 मार्च, 1977 को कुल खाता मूल्य 324.49 करोड़ रुपए था ।

(ख) 31 मार्च, 1977 को जीवन बीमा निगम की बड़े समूहों में कुल 184.95 करोड रुपए की पूंजी लगी थी । विभिन्न 'बड़े समूहों' में इस राशि का बटवारा अनुबन्ध 'क' मे दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2050/78]

(ग) जीवन बीमा निगम ने सरकारी क्षेत्र की सभी लिमिटेड कम्पनियों (अर्थात् सरकारी कम्पनियां) में जो पूंजी लगा रखी है, उसका 31 मार्च, 1977 को कुल खाता मूल्य 37.14 करोड़ पए था।

सामान्यत: जीवन बीमा निगम कुटीर और लघु उद्योगों को सीधे सहायता नहीं देता क्योंकि ये उद्योग प्राय: मालिकाना कम्पनियों या भागीदारी कम्पनियों या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में चलाए जाते हैं और कानून के मुताबिक जीवन बीमा निगम को इन में पूंजी लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जीवन बीमा निगम राज्यों के वित्तीय निगमों के बांड और शेयर खरीद कर जो फिर आगे कुटीर और लघु उद्योगों को ऋण देते हैं और औद्योगिक बस्तियों को ऋण देकर इन क्षेत्रों की सहायता करता है। 31 मार्च, 1978 को राज्यों के वित्तीय निगमों के बान्डों और शेयरों में लगी और बकाया पुंजो की रकम 62.53 करोड़ रुपए थी।

(घ) और (ङ): मामला विचाराधीन है।

बैंक आफ अमरिका को भारत में शाखाएं खोलना

6078. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ इंडिया ने भारत में अपनी पहली शाखा कब खोली थी;

(ख) इस बहुराष्ट्रीय बैंक को अब तक कितनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जा चुकी है;

(ग) बैंक ने अपने प्रारम्भ से लेकर अब तक, वर्षवार, कुल कितना लाभ कमाया और कुल कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन किया (मुख्यालय व्यय लेखों में प्रत्यावर्तित धनराशि सहित); और

(घ) बैंक के 10 उच्च मैनेजर स्तर के अधिकारियों को प्रति वर्ष वेतन, उपलब्धियों और परिलब्धियों के रुप में कितनी धन राशि दी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंक आफ अमेरिका ने भारत में अपनी पहली शाखा 20 मई, 1964 को बम्बई में खोली थी।

(ख) अब तक, बैंक को भारत में चार शाखाएं खोलने की इजाजत दी जा चुकी है।

(ग) रिजर्व बैंक को जो सूचना उपलब्ध है वह संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की अनुसूची-III में निर्धारित लाभ व हानि लेखे प्रपत्र में बैंकों से लाभ व हानि लेखे के साथ टिप्पणी देते हुए केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के परिश्रमिक के बारे में ही वित्तरण देना अपेक्षित है। बैंक से अन्य अधिकारीयों के मामले में ऐसे ही विवरण प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जाती। रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि, बैंक आफ अमेरिका ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को परिश्रमिक के रूप में दो गई राशते का विवरण जैसा कि वर्ष 1976 के लाभ व हानी लेखे में दिया गया है नीचे लिखे अनुसार है।

	रुपए
वेतन	2,05,805.00
भत्ते	42,024.00
लाभ और परिलब्धियों का मुद्रा के रूप में मूल्य (आय कर नियमों के अनुसार हिसाब लगाकर)	37,918.00
जोड़ . .	2,85,747.00

विवरण

वर्ष	तुलन पत्र तथा लाभ व हानि लेखे के अनुसार वास्तविक शुद्ध लाभ की राशि	कुल प्रेषित राशि (प्रधान कार्यालय के खर्चों समेत)।
	रुपए	रुपए
1964 हानि . .	7,91,903	55,189
1965 . .	12,11,246	5,04,015
1966 . .	9,08,346	14,44,756
1967 . . .	12,81,069	17,97,154
1968	12,59,590	22,61,646
1969	38,01,937	51,32,955
1970 . . .	32,71,066	45,86,984
1971 . . .	39,08,081	58,28,609
1972 . .	37,02,295	58,46,701
1973 . . .	35,24,697	41,26,259
1974 . . .	55,33,958	65,19,920
1975	59,12,828	70,20,913
1976	83,53,327	अभि तक शून्य

मेरठ जिले के मवाना तहसील में मत्स्य-पालन और सुअर पालन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

6079. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम क्या है जिसने वर्ष 1974-75 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना तहसील में मत्स्य-पालन और सुअर-पालन के लिए सात लाख रुपए का ऋण दिया था और क्या यह ऋण सरकार को वापस दे दिया गया है;

(ख) क्या बैंक अधिकारियों ने बैंकिंग मानदंडों का पालन न करते हुए यह ऋण दिया था और क्या उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऋण दिया गया था, दिवालिया घोषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस ऋण को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित कया है कि उन्हें ऐसे किसी मामले का पता नहीं है कि कोई राष्ट्रीयकृत बैंक मेरठ के मवाना तहसील में इस प्रकार का ऋण दे रहा है।

बैंक के नाम के अभाव में कोई और सूचना इकट्ठी नहीं की जा सकी।

जीवन बीमा निगम के डेवलपमेंट आफिसरों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि

6080. **श्री प्रसन्न भाई महेता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के डेवलपमेंट आफिसरों द्वारा की गयी महीने भर की लम्बी हड़ताल के कारण 300 करोड़ रुपए की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लोह तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात

6081. **श्री अनंत कासर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोआ से जापान को लोह तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात में मंदी आई है और इसके परिणामस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा की आय में कमी हुई है ;

(ख) क्या गोआ (भारत) से लोहे तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये नये स्त्रोतों का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने भारत में देशी लौह तथा मैंगनीज अयस्क का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है ताकि खानें बन्द न हों ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग): इस्पात उद्योग में भारी मंदी के कारण, गोआ उद्गम से जापान को लौह तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । भारत नीति के तौर पर लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के अपने बाजारों का विविधीकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है । जहां तक मैंगनीज अयस्क का प्रश्न है, अपर्याप्त आरक्षित भण्डार तथा घरेलू खपत के लिए बढ़ती हुए मांग को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात प्रतिबंधित कर दिये है ।

ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के कार्यालय

6082. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० व्हीलर 'रखरखाव' और 'मनोरंजन' शीर्षों के अन्तर्गत खर्च दिखा कर रेलवे और आयकर विभाग को धोखा दे रही है;

(ख) उपरोक्त फर्म के दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और लन्दन में कार्यालय होने का क्या औचित्य है; और

(ग) क्या उपरोक्त फर्म के मालिक अपने सम्बन्धियों और परिवारों के सदस्यों को इन फर्मों में उच्च पदों और अधिक वेतनों पर नियुक्त करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख): रेलों को ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड से रायल्टी मिलती है; कम्पनी यह रायल्टी स्टेशनों पर पुस्तकों पत्रिकाओं, आदि की अपनी कुल बिक्री की रकम पर देती है और रेलों का कम्पनी के खर्च से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कम्पनी के आयकर का निर्धारण, उपयुक्त छानबीन करने के बाद और आयकर अधिनियम के अधीन वांछित सीमा तक खर्चों के दावों की छूट नामंजूर करने के बाद किया जाता है । कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक के कर-निर्धारण 'मनोरंजन' और 'संस्थापन व्यय' आदि के दावों की छूट नामंजूर करने के बाद पूरे कर लिए गए हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

रोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत राज्य वित्त निगम के पास अनिर्णीत पड़े ऋणों के मामले

6083. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत ऋण देने के कितने मामले राज्य वित्त निगम के पास राज्यवार अनिर्णीत पड़े हैं तथा कब से ; और

(ख) क्या सरकार दस वर्ष के भीतर बेरोजगारी दूर करने की वर्तमान सरकार की योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि में सभी सुविधायें देकर शिक्षित बेरोजगारों के ऋणों के मामलों को तुरन्त निपटाने के लिए व्यवस्था करेगी ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख): राज्य वित्तीय निगम सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं । इसलिए मूल रूप में केन्द्रीय सरकार का इन निगमों से कोई संबंध नहीं है ?

बौन प्रोफिट्स एट इण्डियाज कास्ट

6084. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इकानामिक टाइम्स' नई दिल्ली के 19 फरवरी, 1978 के अंक में बौन प्रोफिट्स एट इण्डियाज कास्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मैसर्स स्टील ट्यूब्स, अहमदाबाद को पश्चिम जर्मनी के मैसर्स फ्राइड क्रुप से चीन को विभिन्न आकार की 21,000 मे० टन स्टील ट्यूबों की सप्लाई की पेशकश प्राप्त हुई है। दोनों फर्मों के बीच बातचीत के दौरान तय की गई कीमत लगभग 5 करोड़ रु० एफ० ओ० बी० है।

इससे पहले किसी भारतीय फर्म द्वारा चीन को स्टील ट्यूब नहीं बेची गई और इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के स्टील ट्यूब पैनल में चीन ऐसे गन्तव्य के रूप में सूची में नहीं है जिसके लिए उनके द्वारा न्यूनतम कीमतें निर्धारित की गई हैं। किन्तु उसमें अविनिर्दिष्ट गन्तव्यों के लिए एक सामान्य प्रविष्टि है जो प्रत्येक गन्तव्य या गन्तव्य समूह के लिए न्यूनतम कीमतें बताने वाली विभिन्न गन्तव्यों की सूची के बाद रखी गई है। पैनल द्वारा नियत की गई कीमतें सी०एंड एफ०आधार पर है।

गुजरात स्टील ट्यूब्स ने नवम्बर, 1977 में संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अविनिर्दिष्ट गन्तव्यों के लिए न्यूनतम कीमत शर्त को शिथिल करने के लिए सरकार से सम्पर्क किया। यह दलील दी गई है कि चीन के लिए कोई विशिष्ट न्यूनतम कीमत नहीं है और यह कि भाड़ा दर का हिसाब लगाते हुए पश्चिम जर्मनी की फर्म को उद्धृत की गई कीमत हांगकांग जैसे कतिपय पड़ोस के गन्तव्यों के लिए न्यूनतम कीमत को देखते हुए काफी उचित है।

चूंकि यह भारी मूल्य की संविदा थी और पहली बार चीन के बाजार में पैठ जमाई जा रही थी अतः इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् को गुजरात स्टील ट्यूब्स द्वारा आफर की जा रही कीमत स्वीकार करने की सलाह दी गई है। यह मामला इंजीनिअरी निर्यात संवर्धन परिषद् के स्टील ट्यूब पैनल के समक्ष रखा गया और पैनल ने सरकार द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए बातचीत से तय की गई कीमतों पर संविदा सम्पन्न करने की फर्म को अनुमति दे दी।

चूंकि माल बम्बई से सीधे चीनी पत्तनों को पश्चिम जर्मनी की फर्म द्वारा जहाज से भेजा जा रहा है अतः यह सौदा पुनर्निर्यात नहीं है। चीनी क्रेता द्वारा पश्चिम जर्मनी की फर्म को आफर की जा रही कीमत सरकार को मालूम नहीं है। इस संविदा से देश को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि समीचीन रूप से उचित कीमतें हासिल की गई है।

कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि

6085. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने एक नई एजेंसी अर्थात् कृषि विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी (आई० एफ० ए० डी०) आयोजित की है जो विकासशील देशों में कृषि विकास के लिये सहायता की व्यवस्था करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के कृषि में पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कृषि विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय निधि को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) देश में कृषि विकास के लिये उक्त नये साधन का लाभ उठाने के बारे में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्रमुख रूप से विकासशील देशों में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के हेतु अलग से एक अन्तर्राष्ट्रीय निधि की स्थापना करने का विचार सर्व प्रथम विश्व खाद्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस सिफारिश का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना से सम्बद्ध करार 30 नवम्बर, 1977 से लागू हो गया।

(ख) और (ग) : विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और ये प्रस्ताव यथा समय निधि के सामने रख दिए जाएंगे।

विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडल

6086. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार बनने के बाद कितने प्रतिनिधिमंडल किस किस तारीख को विदेश भेजे गए और वे किन देशों को भेजे गए थे;

(ख) प्रतिनिधिमंडलों के प्रत्येक सदस्य का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया था; और

(ग) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग): नीचे बताई गई अवधियों के संबंध में ऐसी ही सूचना लोकसभा के तारीख 15 जुलाई, 1977, 24 फरवरी, 1978 तथा 31 मार्च, 1978 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 3615, 661 तथा 5038 में मांगी गई थी :—

अतारांकित प्रश्न संख्या	अवधि जिसके लिए सूचना मांगी गई
3615 . .	1974-75, 1975-76 तथा 1976-77
661 . . .	31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त तीन वर्षों के संबंध में।
5038 . . .	1975-76, 1976-77 तथा 1-4-77 से 31-3-78 तक।

उपर्युक्त सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी। तदनुसार वर्तमान प्रश्न में 25 मार्च, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के लिए मांगी गई सूचना उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 3615, 661 तथा 5038 के उत्तर में दी जाने वाली सूचना में उपलब्ध होगी।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों का निपटान करने के लिए कड़ी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इन प्रस्तावों की संवीक्षा संबंधी सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों के मामलों में वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा तथा मंत्रियों के मामले में वित्त मंत्री/प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है। विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले व्यक्तियों/प्रतिनिधियों मंडलों में किसी भी व्यक्ति को शामिल करने की आवश्यकता के संबंध में निर्णय करने के लिए कड़े प्रतिमानों को लागू किया जाता है।

वित्तीय एजेंसियों से चीनी मिलों द्वारा ऋण लिया जाना

6087. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम तथा बीमा कम्पनियों आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं से कितनी चीनी मिलों ने ऋण लिये हैं और इनमें मिल-वार कितनी राशि ली गयी है; और

(ख) इन मिलों को हो रही कथित हानियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए क्या ये मिलें इन राशियों को वापस करने की स्थिति में हैं, यदि नहीं, तो सरकार ऋणों की पुनः अदायगी को सुनिश्चित करने के लिये इन मिलों को किस प्रकार सहायता देगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अखिल भारतीय, लम्बी अवधि के ऋण देने वाली सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा चीनी मिलों को दिये गये ऋणों की राशि का मिलवार ब्यौरा क्रमशः विवरण 1, 2, 3, 4 और 5 में दिया गया है ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2051/78**]

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने जो कि चिनी उद्योग को सहायता देने वाली प्रमूख संस्था है, सूचित किया है कि चीनी उद्योग का ऋण रिकार्ड कल मिलाकर संतोषजनक रहा है। सरकार को किसी संस्था से, इस उद्योग द्वारा, देय के पुर्नभुगतान के बारे में व्यापक बकाया-दारों की कोई सुचना नहीं मिली है ।

जम्मू और कश्मीर राज्य में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी

6088. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में जीवन बीमा निगम के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उन में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) के कितने कर्मचारी हैं और राज्य में उनका दर्जा क्या है; और

(ग) राज्य में निगम के राजपत्रित और अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 146 ।

(ख) और (ग) : जम्मू व कश्मीर राज्य में जीवन बीमा निगम में 8 मुसलमान कर्मचारी है । जिनमें से 6 दूसरी श्रेणी के अधिकारी (विकास अधिकारी) हैं, एक तीसरी श्रेणी (लिपिक) और एक चौथी श्रेणी (अधीनस्थ कर्मचारी) का कर्मचारी है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम में राजपत्रित और अराजपत्रित किस्म के कोई पद नहीं होते । कर्म-चारियों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

पहली श्रेणी	दूसरी श्रेणी	तीसरी श्रेणी	चौथी श्रेणी	जोड़
12	46	76	12	146

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, चांदनी चौक, दिल्ली के बचत बैंक खाता संख्या 2497 से जाली हस्ताक्षर वाले चैक द्वारा धन निकाला जाना

6089. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली ने अपने बचत बैंक खाता संख्या 2497 से 1974 में जाली हस्ताक्षर वाले चैक से धन निकाले जाने के मामलों की रिपोर्ट किन कारणों से दिल्ली पुलिस में नहीं कराई थी जबकि खातेदार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चैक पर जो हस्ताक्षर है, वह उसके अपने नहीं हैं;

(ख) क्या खातेदार द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) पर दिल्ली पुलिस ने यह घोषणा की थी कि विवाराधीन चैक पर हस्ताक्षर नकली हैं किन्तु इस पर भी बैंक ने उचित कार्यवाही नहीं की थी;

(ग) क्या स्टेट बैंक के चेयरमैन को खातेदार का 28 जून, 1976 का एक पत्र मिला था जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और अधिकारियों के कुकर्मों का उल्लेख किया गया था परन्तु उसने इस मामले में कोई कार्यवाही शुरू न की थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि सैंट्रल फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी, आर० के० पुरम्, नयी दिल्ली के निदेशक ने भी यह घोषित किया था कि चैक पर हुए हस्ताक्षर खातदार के हस्ताक्षर से नहीं मिलते हैं; और

(ङ) दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोरेन्सिक लेबोरेटरी, नयी दिल्ली की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आगे जांच-पड़ताल हेतु देने का है, क्योंकि बैंक अधिकारी इस मामले को दबाने और अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि उसके द्वारा अदा किये गये 622 रुपए के उस चैक पर जो हस्ताक्षर थे, उन्हें बैंक के हस्ताक्षर-विशेषज्ञ ने वास्तविक माना था और इसलिए इस मामले की रिपोर्ट बैंक ने पुलिस में नहीं की ।

(ख) पुलिस से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि चैक पर किये हुए हस्ताक्षर स्वयं ग्राहक के नहीं हैं, बैंक ने यह आवश्यक समझा कि एक दूसरी पार्टी की राय ले ली जाय और इसलिए यह मामला नयी दिल्ली स्थित केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सट्रल फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी) को भेज दिया गया । केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि चैक पर किये गये हस्ताक्षर उस ग्राहक के मानक हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते, बैंक ने तुरन्त पूरी राशि और उस पर तब तक का ब्याज ग्राहक को लौटा दिया ।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को 28 जून, 1976 का पत्र मिला था और बैंक ने यह निश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी कि यह आहरण वास्तविक था या नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि बैंक मामले को दबाने और अपराधियों की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं कर रही है । बैंक अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी की जांच कर चुका है और सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध समूचित कार्रवाई की जायेगी ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया में बचत बैंक खाते में बकाया राशि की पुष्टि

6090. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया के उस बचत बैंक नियम की संख्या क्या है जिसके अन्तर्गत बचत बैंक खाते में बकाया राशि की खातेदार से पुष्टि की जाती है;

(ख) क्या चांदनी चौक (दिल्ली) शाखा के बचत बैंक खाता संख्या 2497 के खातेदार से पत्र संख्या पी०बी०डी०/1894 दिनांक 8 अक्तूबर 1975 द्वारा अपने बचत बैंक खाते में शेष राशि की पुष्टि करने को उस समय कहा गया था जबकि वह दिल्ली पुलिस थाना कोतवाली दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 725 दिनांक 25 जून 1975 से धोखे धड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वास भंग का मामला दर्ज करा चुका था;

(ग) क्या यह कार्य प्रबन्धक, पर्सोनेल डिविजन, स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली ने बैंक से धोखेधड़ी से धन निकाले जाने के उस मामले को उचित ठहराने और नियमित करने के लिये किया था, जिससे ऐसे चेक आदि द्वारा धन निकाला गया था जो प्रविशीष्ट के अनुसार बैंक द्वारा कभी जारी नहीं किया गया और बचत बैंक पास बुक में अधिकारी द्वारा कभी भी प्रमाणित नहीं किया गया; और

(घ) क्या बैंक अधिकारियों ने षडयंत्र को जानते हुए उक्त कार्यवाही अपनी गलती को छिपाने के लिए की थी और 1975 में दिल्ली पुलिस को और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच -पड़ताल हेतु इस मामले के बारे में रिपोर्ट नहीं की थी और अब इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के बचत बैंक नियमों मे खाते में शेष राशियों के बारे म पुष्टि करने के लिये ग्राहकों को पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि ग्राहकों से सामान्यतः बचत बैंक खाते में शेष के बारे में पुष्टि मांगी भी नहीं जाती हैं। स्वयं ग्राहकों से आशा की जाती है कि वे अपनी अपनी पास बुकें नियमित रूप से भरवाते रहें और यदि कोई गलती हो तो बैंक के ध्यान में लायें ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक की चांदनी चौक शाखा ने 8 अक्तूबर, 1975 के अपने पत्र सं० पी० बी० डी०/1894 में केवल खाते के शेष सूचित किये थे ।

(ग) और (घ) : भारतीय स्टेट बैंक ने सुचित किया है कि बैंक के स्टाफ की ओर से कोई षडयंत्र नहीं किया गया है । बैंक ने बताया है कि सेण्ट्रल फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी (केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला) नयी दिल्ली की यह रिपोर्ट मिलते ही कि चेक पर हुए हस्ताक्षर ग्राहक के मानक हस्ताक्षरों जैसे नहीं हैं बैंक ने तब तक के बयान सहित मूल धन तुरंत ग्राहक को लौटा दिया था । बैंक ने यह भी सूचना दी है कि वह अन्तर्ग्रस्त स्टाफ की जिम्मेदारी की जांच कर रहा है और सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगा ।

यूनाइटेड कर्मशियल बैंक की दिल्ली शाखा में वित्तीय अनियमिततायें

6091. **श्री विजय कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यूनाइटेट कर्मशियल बैंके की एक शाखा के लिये दिल्ली में 5000 रु० प्रति मास पर एक इमारत किराये पर ली गई है, और इस इमारत के मालिक को इमारत के निर्माण के लिये 2 लाख रु० बिना जमानत के अग्रिम रूप से दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के बारे मे कोई जांच की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यूनाइटेड कर्मशियल बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से शाखाएं खोलने के लिये अनुमति लिये बिना ही बैंक को दो शाखाओं के लिये दिल्ली मे 10,000 रु० प्रति मास तथा 6,000 रुपए प्रतिमास का किराया दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले मे कोई जांच करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) संभवत: माननीय सदस्य इस बैंक को नयी दिल्ली मे स्थित मायापुरी शाखा के लिये किराये पर लिये गये स्थान का जिक्र कर रहे हैं। यह एक तीन मंजिली इमारत है और बैंक ने, इसमे 4700/- रु० प्रति माह के किराये पर कुल 2088 वर्ग फुट जगह ली है। मकान मालिक को 13½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 2 लाख रु० का ऋण मंजूर किया गया था और बताया गया है कि उसने प्लाट को खरीद पर किये गये खर्चे के अलावा इस भवन के निर्माण पर भी अपना काफी धन खर्च किया है। दिया गया ऋण जमीन और इमारत के साम्यिक बंधकर (इक्विटेबल मार्टगेज) द्वारा सुरक्षित है। बैंक द्वारा 2.25 रु० प्रति वर्ग फूट की दर से जो किराया दिया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है कि वह उस इलाके में प्रचलित किराये के अनुरूप ही है।

(ग) माननीय सदस्य द्वारा जिन दो जगहों का उल्लेख किया गया है उन्हें बैंक ने लम्बी अवधि के पट्टे पर लिया था और ये जगहें बैंक की पूसा रोड और पटेल नगर स्थित शाखाओं के वैकल्पिक स्थानों के रूप मे ली गयी थी क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नान-कन्फमिंग इलाकों मे कारोबार करने के लिये उक्त शाखा-प्रबन्धकों के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिये थे। रिजर्व बैंक इस बैंक की साउथ पटेल नगर स्थित जगह के लिये लाइसेंस जारी कर भी चुका है और दूसरे स्थान के बारे मे लाइसेंस पर विचार हो रहा है।

(ख) और (घ): रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उपर्युक्त जगहों को किराये पर लेने में बैंक ने उसके किन्हीं विनियमों का उल्लंघन नहीं किया है। अत: इस मामले में कोई जांच बैठाने का कोई सवाल नहीं उठता।

गत दो वर्षों से यूनायटेड कमर्शिअल बंक द्वारा वित्तीय अनियमिततायें

6092. **श्री विजय कुमार मण्डल :**
श्री माधाव प्रसाद त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान युनाइटेड कर्मशियल बैंक द्वारा फर्निचर, लेखन सामग्री और पब्लिक रिलेशन्स पर कितनी धनराशि व्यय की गई जिसके लिए तुलन-पत्र प्रकाशित किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त मदों पर किया गया व्यय बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बात की जांच कराने का है कि धनराशि न्यायोचित ढंग से व्यय की गई थी और कि उसमें कोई अनियमितताएं नहीं हैं ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यूनाइटेड कर्मशियल बैंक के तुलनपत्र के अनुसार 1975-76 के वर्षों में फर्नीचर और फिक्स्चर, लेखन सामग्री, छपाई और विज्ञापन तथा जन सम्पर्क और प्रचार पर उसका निम्नलिखित व्यय हुआ :

(लाख रुपयों में)

	1975	1976
1. फर्नीचर और फिक्स्चर	108.35	146.12
2. लेखन-सामग्री, छपाई और विज्ञापन आदि .	99.92	106.74
3. उक्त (2) में से : जन सम्पर्क और प्रचार . .	19.09	27.68

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस बैंक द्वारा किया गया व्यय समतुल्य आकार के अन्य बैंक द्वारा इन मदों पर किये गये व्यय की तुलना में कम ही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में प्राइवेट तौर पर रुपयों उधार देने की पद्धति को रोकने के लिए बैंकों और सहकारी समितियों की भूमिका

6093. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में प्राइवेट तौर पर रूपया उधार देने की पद्धति रोकने में बैंकों, सहकारी समितियों और वित्तीय समितियों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या यह पद्धति उन क्षेत्रों में अब भी जारी है; और

(ग) जनजातियों के लोगों के इस आर्थिक शोषण को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : अन्य राज्यों के समान उड़ीसा राज्य सरकार ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए कानून पास किया है ताकि छोटे और सीमांतिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण शिल्पियों तथा बटाईदारों को ऋण से राहत दी जा सके । यह कानून स्वयं अपने आप में निजी महाजनी को रोकने में सहायक है । इसके अलावा, उड़ीसा राज्य ने बालसोर, बौध, बहरामपूर, भवानी पटना, क्योंझर, कोरापट, मयूरभंज, सम्भलपूर और सुंदरगढ़ जिलों के जनजाति क्षेत्रों में बड़े आकार की 200 कृषिक बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों का संगठन किया है ताकि अन्य सेवाओं के अलावा जनजातियों को सभी प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जा सके बड़े आकार की कृषिक बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों (एल०ए०एम०पी०एस०) को वित्तीय सहायता के रुप में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंक भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

दिल्ली में सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि

6094. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से सरकारी उपक्रमों में प्रत्येक पांच/दस वर्ष बाद अथवा सेवा की एक निश्चित अवधि के पश्चात् कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक में योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य सरकारी विभागों में भी ऐसा प्रोत्साहन देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के दिल्ली में स्थित 23 उद्यमों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रत्येक पांच/दस वर्ष बाद या सेवा की एक निश्चित अवधि के बाद कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन-वृद्धि नहीं दी है। छः उद्यमों ने अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने सम्बन्धी योजनाओं की सूचना दी है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड :** श्रेणी IV के जिन कर्मचारियों का 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा हो जाने पर निर्दोष रिकार्ड पाया जाता है, उन्हें उस ग्रेड में दो अग्रिक वेतन वृद्धि मंजूर की जाती हैं। इसी तरह से श्रेणी III के जिन कर्मचारियों का अधिकतम वेतनमान 900 रु० से कम है, उनका 5 वर्ष का सेवा-काल पूरा हो जाने के बाद, निर्दोष रिकार्ड पाया जाने पर उन्हें एक अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर की जाती है। उपर्युक्त समय पूर्व वेतन वृद्धि कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवा काल में केवल एक बार ही मंजूर की जाती है। श्रेणी II और उससे ऊपर के अधिकारियों को यह प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

(ii) राज्य व्यापार निगम

(iii) भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम।

(iv) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम।

(v) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड।

किन्तु क्रमांक (ii) से (v) पर दिए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संघबद्ध संवर्गों के कर्मचारियों को किसी एक ही ग्रेड में 8 वर्ष तक बिना किसी पदोन्नति के बने रहने पर एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि और बिना किसी पदोन्नति के उसी ग्रेड में 15 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लेने पर एक और वेतन वृद्धि दी जाती है।

(vi) **बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड :** यद्यपि इस उद्यम के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी निश्चित सेवा-काल के आधार पर कोई अतिरिक्त तन वृद्धि नहीं दी जाती है, किन्तु 1977 के दौरान केवल 10 कर्मचारियों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से, एक से लेकर दो तक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मंजूर की गई थी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सेवाशर्तें कुल मिलाकर, सरकारी उद्यमों क कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से बिल्कुल भिन्न हैं।

गोवा में प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान

6095. **श्री अमृत कासर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग ने तीर्थस्थलों आदि में प्रतिपूर्ति भत्ते के भुगतान की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिपूर्ति भत्तों के भुगतान के लिए गोआ के मामले पर विचार करने का प्रस्ताव है, क्योंकि गोवा में सदैव हो पर्यटकों को भरम रहती है और इसके परिणामस्वरूप कीमत काफी ऊंची है और जोवन निर्वाह व्यय भी काफो अधिक हो गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : तृतीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के खण्ड IV अध्याय 56 पैरा 14 में निम्नानुसार सिफारिश की थी :—

> "कुछ नगर ऐसे होंगे जो अपेक्षाकृत अलग-अलग होने के कारण या तीर्थ स्थान होने के कारण वहां काफी बड़ी आती जाती जनसंख्या के कारण या राज्यों की राजधानियां होने के कारण वास्तव में असामान्य रूप से महंगे किंतु जनसंख्या के मानदंड के अनुसार वे नगर प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र न होंगे। ऐसे मामलों के लिए स्पष्टतः मानदंड में ढील देकर इन नगरों के विषय में विशेष बर्ताव की आवश्यकता है और नगर प्रतिपूरक भत्ता मंजूर करने के लिये प्रत्येक मामले पर सरकार को गुणावगुण के आधार पर विचार करना चाहिए।"

सरकार ने सिन्धांततः इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा इसे यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। ऐसे स्थानों में से गोवा भी है जिसके मामले पर इस आधार पर विचार किया जा रहा है।

प्रोत्साहन के रूप में तस्करी की वस्तुओं को देने का प्रस्ताव

6096. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए प्रोत्साहन के रूप में तस्करी की वस्तुएं देने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वस्तुओं को प्रोत्साहन के रूप में देने के लिए क्या मापदंड अपनाया जायेगा; और

(घ) इस समय तस्करी की वस्तुओं का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ गय और जब्त किय गय तस्करी के माल का कुल मूल्य, दिसम्बर 1977 में, कोई 46 करोड रुपए था।

9—124 LSS (ND)/78

Payment of Income Tax by Distilleries in U.P. supplying English Wine to Defence Establishments

6097. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of distilleries in Uttar Pradesh given licences for supplying English wine to the Defence establishments and the amount of income tax paid by them during the last two years, year-wise; and

(b) the names of the distilleries against whom income-tax is outstanding indicating the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) & (b): The requisite information in respect of the distilleries supplying India-made foreign liquor to Defence establishments is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

ग्वालियर तथा ग्वालियर क्षेत्र में पर्यटन का विकास

6098. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर तथा ग्वालियर क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन पड़े प्रस्तावों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार पर्यटन के विकास के लिये नई योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी-दिल्ली की बोईंग विमान सेवा के विमान को ग्वालियर में ठहराने की मांग पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) क्योंकि शिवपुरी तथा झांसी के मार्ग से ग्वालियर से खजुराहो तक संचालित कोच टूरों को चालू करने के बारे में विभिन्न पार्टियों स प्राप्त हुए प्रस्ताव तथा ग्वालियर के किले की मरम्मत का कार्य केन्द्रीय पर्यटन विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, ये क्रमश: राज्य पर्यटन निदेशालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिये गये हैं।

(ख) उपलब्ध विमानों की उडान अनुसूचि की अत्यंत तंग स्थिति के कारण इंडियन एअर लाइन्स के लिय दिल्ली खजुराहो उड़ान का ग्वालियर के मार्ग से परिचालित कर सकना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

मसर्स नवनीत ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा बैंक आफ महाराष्ट्र के पास जाली रसीदों का रहन रखा जाना

6099. **श्री आर० के महालगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ महाराष्ट्र (कनाट प्लेस शाखा) ने मैसर्स नवनीत ट्रेडिंग कम्पनी को 5,00,000 रुपये का ऋण दिया था;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने बैंक के पास जाली रसीद रहन रखी थी ;

(ग) क्या उक्त बैंक ने दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ): बैंककारी कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 के उपबंधों के अनुसार और बैंकरों में प्रचलित प्रथा और परम्परा के अनुसार भी अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। फिर भी बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचना दी है कि क्योंकि सर्वश्री नवनीत ट्रेडिंग कम्पनी के खाते के परिचालन में अनियमितताएं थीं, इसलिए उसने अपना ऋण वापिस मांग लिया और बैंक को प्राप्य राशि का अधिकांश वसूल कर लिया है। यद्यपि बैंक आफ महाराष्ट्र ने इस कम्पनी के विरुद्ध कोई फौजदारी शिकायत दायर नहीं की है, किन्तु, इसे प्राप्त सूचना के अनुसार एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी ने, इस कम्पनी के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है कि बैंक द्वारा खरीदी गयी कुछ हुण्डियों से सम्बद्ध मोटर ट्रांसपोर्ट रसीदें उन रसीद बुकों म से हैं जोकि सर्वश्री नवनीत ट्रेडिंग कम्पनी के प्रतिनिधियों ने चुरा ली थी ।

युनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन द्वारा मंजूर किया गया ऋण

6100. **श्री विजय कुमार मण्डल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को मालूम है कि युनाइटेड कमर्शियल बैंक के चैयरमैन ने बैंक नियमों का पालन करते हुए राजनैतिक आधार पर कुछ ऋण दिये जाने की अनुमति दी है;

(ख) क्या फिल्म 'कोरस' तथा कुछ अन्य फिल्मों के वित्त पोषण के लिये कोई ऋण मंजूर किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो बैंक द्वारा किन फिल्मों के लिये ऋण मंजूर किया गया उनके नाम क्या हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और फिल्म 'कोरस' के निर्माता से बैंक ने कितनी राशि का ऋण वापस वसूल किया?

वित्त मंत्री (श्री एच एम० पटेल) : (क) और (ख) : अनुमान है कि युनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा फिल्म के निर्माण/वितरण के वित्त पोषण की ओर इशारा है । युनाइटेड कमर्शियल बैंक के अनुसार उसने सामान्य कारोबार के रूप में कुछ पार्टियों को बंगाली फीचर फिल्मों के निर्माण और वितरण के लिए तथा 'कोरस' फिल्म सहित कुछ डाक्युमेंटरी फिल्मों के निर्माण के लिए भी ऋण सुविधाएं मंजूर की हैं।

(ग) और (घ): बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और व्यवहारों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होने वाली सांविधियों के उपबन्धों के अनुसार भी बैंक के अलग अलग ग्राहकों विषयक सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

Seizures during Raids

6101. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the item-wise quantity and the value of the gold, ornaments, currency notes diamonds and other articles seized during raids conducted by Government on 28th February, 1978 ;

(b) the value of the articles in respect of which disputed cases are pending in the various courts and the value of the articles in respect of which no dispute is pending;

(c) the total value of the goods seized from 1st April, 1977 to 28th February, 1978; and

(d) the decision taken by Government in respect of undisputed goods?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) & (b): No seizure was made by the Income Tax authorities during searches conducted on 28-2-78.

On 28-2-78 the Enforcement Directorate, Bombay seized US $ 250, Canadian $ 1 from a premises at Colaba, Bombay. A show cause notice has been issued in this case for violation of the provisions of Section 8(1) of FERA, 1973. No dispute regarding this case is pending in any court.

Reports received indicate that contraband goods valued at Rs. 54,591 were seized by the Customs authorities on 28-2-1978. No dispute in respect of goods seized on 28-2-1978 have been reported pending in the courts.

Details of the seizures made, if any, under the Gold Control Act on 28-2-1978 are being collected and will be laid on the table of the House.

(c) & (d): Income Tax authorities seized assets, value of which is estimated over Rs. 275 lakhs during the period from 1st April, 1977 to 28th February, 1978. Whenever a seizure of assets is made under section 132 of the Income-tax Act, 1961, the first step is to pass an order under section 132(5) within 90 days of the seizure for retaining such of the seized assets as are considered to be sufficient to satisfy the tax liability (including interest and penalty) on the undisclosed income, estimated in a summary manner, and the existing liabilities under the various Direct Taxes Acts. Action to frame regular assessments and initiate penalty proceedings, wherever warranted, is taken thereafter. The assets retained under section 132(5) are dealt with in the manner prescribed in section 132 B of the Act.

The total value of goods seized from 1st April, 1977 to 28th February, 1978 by customs authorities is Rs. 29.96 crores. Undisputed goods seized are confiscated and wherever warranted prosecution is also launched against the persons involved in smuggling.

Details of the seizures made by Gold Control authorities during the period from 1st April, 1977 to 28th February, 1978 are being collected and will be laid on the table of the House.

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में अनियमितता

6102. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में प्रतिनियुक्ति पर आये बैंक बोर्ड के कुछ सरकारी अधिकारियों को लालच देने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बैंक के एक सरकारी निदेशक को एक भतीजी को एक विशेष पद बनाकर प्रशिक्षु (अपरैन्टिस) नियुक्त किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि युनाइटिड कर्मशियल बैंक में प्रतिनियुक्ति पर आये रिजर्व बैंक अधिकारी को रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त होने पर प्रतिनियुक्ति के अनुक्रम में अधिक वेतन तथा परिलब्धियां देकर मुख्य सतर्कता अधिकारी और मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार को क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : अनुमान है कि युनाइटेड कर्मशियल बैंक में कुछ एप्रेंटिसों की नियुक्ति की ओर इशारा है। बैंक के अनुसार 2 जनवरी, 1976 को कुमारी अंजना गुह को दो वर्षों की अवधि के लिये 250 रुपये मासिक के वजीफे पर एप्रेंटिस नियुक्त किया गया था तथा अपनी सेवा में उन्हें ले लेने को बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यह नियुक्ति बैंक के प्रचार-अभिकर्ता, क्लेरिअन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड की सिफारिश पर की गई थी। एप्रेंटिस काल समाप्त हो जाने पर 31 दिसम्बर, 1977 को वे बैंक छोड़ गई। बताया गया है कि कुमारी अंजना गुह श्री डी० एन० घोष की जो कभी बैंक के बोर्ड के सरकारी निदेशक थे, दूर की रिश्तेदार (साली की लड़की) थीं। 2 जनवरी, 1976 को बैंक में एप्रेंटिस के रूप में कुमारी गुह की नियुक्ति के पहिले ही श्री घोष बैंक के निदेशक नहीं रहे थे। बैंक ने इसी अवधि में ऐसे ही दो और एप्रेंटिस नियुक्त किये थे।

(ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आजकल, भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) का कोई सेवारत अथवा सेवा निवृत्त अधिकारी युनाइटेड कर्मशियल बैंक में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी श्री डी० पी० गालवणकर और ए० के० बसु को क्रमशः 18 जुलाई, 1970 और 22 मई, 1972 से बैंक में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था तथा क्रमशः जुलाई, 1973 और अक्तूबर, 1972 में उनके सेवा निवृत्त हो जाने पर 2 वर्षों की अवधि के लिए संविदा पर बैंक में बने रहने की रिजर्व बैंक ने उन्हें अनुमति दे दी थीं। बैंक ने श्री गालवणकर को विशेष कार्य अधिकारी के रूप में और श्री बसु को प्रधान इंस्पेक्टर के रूप में पदासीन किया था। आजकल इन दोनों में से कोई अधिकारी इस बैंक की सेवा में नहीं है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए इस मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

Closure of Savings and Gift Schemes

6103. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to closure of savings and gift schemes by the Government, millions of persons working in these schemes will become unemployed and whether weaker sections of the society will face lot of difficulties in getting loans on easy terms of lower rates of interest than charged by the nationalised banks ;

(b) whether it is also a fact that under these schemes their capital is deposited only in the nationalised banks thereby benefiting the Government ;

(c) if the reply to parts (a) and (b) is in affirmative, the reasons for closing these schemes ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a), (b) & (c): The Study Group on non-banking companies set up by the Reserve Bank under the Chairmanship of Shri James S. Raj studied the working, among others, of savings and gift schemes. The group was of the view that these schemes do not serve any social purpose, that they are prejudicial to the public interest and that they adversely affect the efficacy of the fiscal and monetary policy of the Government. The Group, therefore, recommended that such Schemes should be banned. Government have also received several complaints of malpractices indulged in by the promoters of such schemes.

Government do not share the apprehensions of the Hon'ble Member that the banning of these schemes will adversely affect the employment situation, the deposits in banks and credit facilities to the weaker sections of society. After the ban, the promoters are expected to engage themselves in productive ventures.

चीनी के निर्यात के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की चिन्ता

6104. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 650,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर पश्चिम बंगाल सरकार चिंता व्यक्त कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : जी, हां। 6.5 लाख मे० टन चीनी निर्यात करने की अनुमति देने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता सम्पूर्ण चीनी नियति अर्थात लेवी चीनी की खुदरा कीमत 2.15 रु० से बढ़ा कर 2.30 रु० प्रति कि० ग्रा० करने तथा चीनी के बारे में उत्पादन शुल्क पर और रियायत देने के बारे में उनके द्वारा व्यक्त की गई आम चिन्ता का एक भाग है।

जहां तक 6.5 लाख मे० टन चीनी निर्यात करने के विनिश्चय का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने ठीक ठीक आपत्तियां नहीं बताई हैं।

1977 में निर्यात की गई चीनी और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

6105. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में चीनी का निर्यात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो 1977 में कितनी चीनी निर्यात की गई तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां। सरकार ने 1978 के कैलेण्डर वर्ष में 6.5 लाख मे० टन चीनी का निर्यात करने का विनिश्चय किया है।

(ख) 1977 के कैलेण्डर वर्ष में 2.55 लाख मे० टन चीनी का निर्यात किया गया था जिसके फलस्वरूप 57.54 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

वैगनों और रेल डिब्बों का निर्यात

6106. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में कितने वैगनों और रेल डिब्बों का निर्यात किया गया तथा किन देशों को किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष	निर्यातित संख्या		देश, जिन्हें निर्यात किए गए	अनुमानित विदेशी मुद्रा उपार्जन
	माल डिब्बे	सवारी डिब्बे		(लाख रु० में)
1973–74 .	664	6	पोलैंड, ईरान तथा जाम्बिया	462
1974–75 .	344	50	यूगोस्लाविया, पूर्वी अफ्रीका, बंगला देश	904
1975–76	898	30	पूर्वी अफ्रीका, यूगोस्लाविया, मलयेशिया, बंगला देश, फिलीपीन ।	1371
1976–77	791	17	यूगोस्लाविया, मलेयेशिया, बंगला देश, ईरान, तंजानिया ।	1176
1977–78	101	शून्य	ईरान, तंजानिया	159

सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

6107. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि सभी संयंत्र पूरी क्षमता से कार्य करें ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल से दिसम्बर, 1977 की अवधि के दौरान अनुमान है कि 118 विनिर्माणकारी एककों में से 54 एककों का प्रचालन उनकी प्राप्तव्य क्षमता (जोकि संस्थापित क्षमता का औसतन 75% होने का अनुमान है) से कम रही।

(ख) और (ग) : क्षमता का पूरा उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) बिजली की कमी, वोल्टता में घटा-बढ़ी और बिजली बन्द हो जाना ;

(ii) अपर्याप्त मांग;

(iii) उपस्कर में खराबी;

(iv) श्रमिक अशांति;

(v) प्रबन्धकीय ढांचे में कमियां;

(vi) पुराने संयंत्र;

(vii) संतोलक उपस्कर की कमी ;

(viii) अपर्याप्त या खराब कच्चा माल ।

सरकारी उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यत: निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :—

(i) निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था ;

(ii) उत्पाद मिश्र का विविधिकरण ;

(iii) संतोलक उपस्कर की व्यवस्था, संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन;

(iv) अनुसंधान और विकास कार्य;

(v) सहायक उद्योगों का विकास ;

(vi) कच्चा माल, कल-पुर्जों और पूंजीगत माल की आधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना;

(vii) उपस्कर का बेहतर अनुरक्षण;

(viii) प्रबन्धकीय एवं प्रचालन सम्बन्धी कार्य-कुशलता बढ़ाना;

(ix) प्रोत्साहन देकर और सहभागी प्रबन्ध पद्धति अपनाकर श्रम उत्पादिता में सुधार करना

(x) प्रशिक्षण द्वारा कार्य कुशलता विकसित करना ;

(xi) समस्यापूर्ण विषयों के बारे में विशेष अध्ययन करना और उनका हल खोजना, आदि ।

इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है, ताकि उसमें सुधार लाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई ठीक समय पर की जा सके।

भारतीय फिल्मों की दूसरे देशों में तस्करी

6108. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने पता लगाया है कि हिन्दी फिल्मों को बड़े पर चोरी-छिपे विदेश भेजा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा भारतीय फिल्मों की विदेशों को तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार को मिली रिपोर्टों से हिंदी फिल्मों की किसी बड़े पैमाने पर तस्करी का पता नहीं चलता। जनवरी, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान तीन मामले पकड़े गये थे जिनमें चार हिंदी

फिल्मों का भारत से बाहर चोरी-छिपे निर्यात करने का प्रयास किया गया था। फिल्में पकड़ ली गयीं और 9 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जो बाद में जमानत पर छोड़ दिये गये। अपराध से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही भी शुरू कर दी गयी है। फिल्मों की तस्करी को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निवारक और गुप्त सूचना संग्रह तंत्र को सतर्क कर दिया गया है और बाहर जाने वाले यात्रियों के असबाब की उपयुक्त जांच की जाती है।

Tax arrears against Jam Textile Mill, Bombay

6109. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the various tax arrears outstanding against Jam Textile Mill, Bombay indicating the amount of each tax arrears during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): Jam Textile Mills, Bombay is owned by M/S Jam Manufacturing Co. Ltd. Income-tax demand of Rs. 60,763 for the Assessment year 1974-75 raised on 8-1-1977 alone was outstanding against the said company in December, 1977.

सीमाशुल्क अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड एजेन्ट

6111. **श्री नाथू सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री सीमाशुल्क अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड क्लीयरिंग तथा फारवार्डिंग एजेंटों/कम्पनियों के बारे में 10 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2385 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहली पंचवर्षीय योजना तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर तथा 1 जनवरी, 1978 को (1) बम्बई, (2) कलकत्ता, (3) मद्रास, (4) विशाखापत्तनम, (5) कोचीन के पत्तनों तथा (1) दिल्ली, (2) बम्बई, (3) कलकत्ता, (4) मद्रास और (5) अमृतसर हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड कस्टम हाउस एजेंटों की संख्या कितनी थी;

(ख) कस्टम हाउस एजेन्टस एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या, कृत्य, पूरा पता क्या है और क्या इस निकाय को किसी सरकारी समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त है; और

(ग) एक एक पत्तन पर लाईसेंस प्राप्त एजेन्ट उसी लाईसेंस के अधीन किसी दूसरे पत्तन पर कार्य कर सकता है और पत्तनों/हवाई अड्डों पर कस्टम स्टेशन के अहातों में एक एजेन्ट कार्य के लिए कितने व्यक्तियों को रख सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) प्रथम योजना के अन्त में, तृतीय योजना के अन्त में और 1-1-78 की स्थिति के अनुसार सीमाशुल्क प्राधिकरणों के पास रजिस्टर्ड सीमाशुल्क गृह एजेंटों की संख्या का विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

(ख) सीमाशुल्क गृह एजेंट संघों का एक महासंघ है और इसके महासंघीय एककों के रूप में विभिन्न पत्तनों अथवा स्थानों पर इसके निकासी एजेंटों के विभिन्न संघ हैं। महासंघ का कार्यालय काईकुशरों भवन, 237, पी० डिमैल्लो रोड, बम्बई में है। सरकार के पास विभिन्न संघों के कार्यों, सदस्यों की संख्या अथवा पतों के बारे में जानकारी नहीं है। भारत सरकार द्वारा

गठित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सलाहकार परिषद् पर महासंघ का प्रतिनिधित्व है। सीमाशुल्क गृह एजेंटों के कुछ स्थानीय संघों का भी अपने अपने पत्तनों/हवाई अड्डों के लिए नियुक्त सलाहकार समितियों पर प्रतिनिधित्व है।

(ग) एक पत्तन पर लाइसेंसधारी सीमाशुल्क गृह निकासी एजेंट उसी लाइसेंस के अधीन किसी अन्य पत्तन पर कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं। निकासी एजेंट द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वह जितने चाहे उतने व्यक्ति काम पर लगा सकता है।

विवरण

प्रथम योजना के अन्त में, तीसरी योजना के अन्त में और 1-1-1978 को, निम्नलिखित पत्तनों और वायुपत्तनों पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत सीमाशुल्क गृह एजेंटों की संख्या का विवरण-पत्र

पत्तन/हवाई पत्तन	प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त की स्थिति के अनुसार	तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त की स्थिति के अनुसार	1-1-78 की स्थिति के अनुसार
बम्बई (हवाई पत्तन सहित)	164	397	455
कलकत्ता (हवाई पत्तन सहित)	131	123	117
मद्रास (हवाई पत्तन सहित)	89	107	92
कोचीन	32	48	48
विशाखापत्तनम	18	18	16
दिल्ली	10	20	66
अमृतसर	7	15	9
	451	728	803

सरकारी क्षेत्र का विकास

6112. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के विकास पर रोक लगा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह बात कहां तक सच है कि सरकार की नीति मूल उद्योगों के लिए विकासोन्मुख नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत नई औद्योगिक नीति के अनुसार सरकारी उद्योग क्षेत्र का बहुत सी दिशाओं में विस्तार किया जायगा।

(ख) और (ग) : यद्यपि नई औद्योगिक नीति का प्रमुखतम उद्देश्य कुटीर तथा लघु उद्योगों का प्रभावपूर्ण ढंग से संवर्धन करना है तथापि इस नीति के अन्तर्गत इस बात को भी मान्यता दी गई है कि बुनियादी उद्योग जैसे कि इस्पात, अलौह धातु उद्योग सीमेंट तथा तेल साफ करने के कारखाने आदि आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए अनिवार्य हैं ।

भारत तथा चीन के बीच फिर से व्यापार चालू करना

6113. **श्री दुर्गा चन्द : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से चालू हो गया है अथवा चालू होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच किन वस्तुओं का व्यापार फिर से आरम्भ हुआ है और उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बग) (क) जी हां, व्यापार फिर से आरम्भ किया गया है ।

(ख) तथा (ग) : चीन के साथ व्यापार करने की उसी प्रकार अनुमति है जैसे कि किसी ऐसे अन्य देश के मामले में है, जिस के साथ भारत का व्यापार परिवर्तनीय मुद्रा में होता हो । यह किन्हीं विशेष वस्तुओं तक ही प्रतिबंधित नहीं है । दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार आरम्भ होने के बाद दोनों देशों के वाणिज्यिक संगठनों के बीच अभी तक किए गए सौदों में चीन को 600 मे० टन चमड़े तथा 20000 मे० टन कच्चे लोहे तथा स्टील ट्यूबों का निर्यात तथा चीन से 315 मे० टन एंटीमोनी, 1200 मे० टन जस्ता व 3500 मरकरी फ्लास्कों का आयात शामिल है ।

कपाड़िया गृह के विरुद्ध जांच

6114. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एन० बनातवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपाड़िया गृह द्वारा किए गए 36 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में जो 'करेंट' दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 में प्रकाशित हुआ था, जांच इस बीच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) स (ग) : सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा मैसर्स कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को दी गई सुविधाओं की जांच करने के लिए सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय के निदेशक श्री डी० एन० घोष की एक-सदस्यीय समिति

नियुक्त की थी। यह एक-सदस्यीय समिति, इस बीच, अपनी रिपोर्ट 1 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत कर चुकी है।

आशा है कि सरकार इस रिपोर्ट पर अपना विचार शीघ्र ही पूरा कर लेगी और इस रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई से सदन को शीघ्र सूचित कर दिया जायेगा ।

भारत ट्यूब्स कंपनी में घोटाला

6116. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस तथ्य को जानकारो है कि भारत ट्यूब्स कम्पनी के मामले में भारी घोटाला हुआ है; और इसके निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कम्पनी के मालिकों और आय-कर विभाग के कुछ अधिकारियों के बीच सांठगांठ थी;

(ग) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारो को, जो कर निर्धारण अधिकारी था, इस फर्म द्वारा लगभग 6000 रुपए प्रतिमास वेतन पर नियुक्त किया गया था; और

(घ) सम्बद्ध अधिकारी और फर्म के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफ़िकारउल्ला) : (क) भारत ट्यूब्स कम्पनी नाम से कोई कम्पनी नहीं है। संभवत: प्रश्न का संकेत भारत स्टोल ट्यूब्स लि० कम्पनी की ओर है जो रौनक सिह समूह की कम्पनी है।

भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के मामले, आवश्यक जांच-पड़ताल के लिए, आयकर आयुक्त, दिल्ली (सैण्ट्रल) के क्षेत्राधिकार के अधीन केन्द्रित कर दिए गए हैं।

(ख) स (घ) : जो आयकर अधिकारो इस कम्पनी के मामले को दिसम्बर 1975 से देख रहा था, उसने 30 अप्रैल, 1977 से सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने के तुरन्त बाद, उसने नीचे लिखी शर्तों पर, भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के महाप्रबन्धक (कराधान) के रूप में नौकरी शुरू की——

3,000 रुपये (मात्र तीन हजार रुपये) प्रति माह का मूल वेतन।

असुसज्जित रिहायशी मकान जिसका अधिकतम किराया मूल वेतन का 30 प्रतिशत तक होगा।

कम्पनी के व्यापार के सम्बन्ध में अपनी मोटर कार इस्तेमाल करने के लिए 5,400 रु० (मात्र पांच हजार चार सौ रुपय) प्रति वर्ष की सोमा तक कार के खर्चों की प्रतिपूर्ति।

सेवा के प्रत्येक पूरे होने वाले वर्ष के लिए 1,800 रु० (मात्र एक हजार आठ सौ रुपए) प्रतिवर्ष की छुट्टी यात्रा सहायता ।

कम्पनी के नियमों के अनुसार, भविष्य निधि, अधिवार्षिकी योजना के लाभ और चिकित्सा सम्बधी लाभ।

इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर, आयकर विभाग के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता अथवा गुंजाइश नहीं है। कम्पनी के मामले में चल रही जांच पड़ताल के पूरा होने पर, यदि आवश्यकता पड़ी, तो कम्पनी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जायगी ।

फेडरल बैंक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति

6117. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेडरल बैंक, त्रिवेन्द्रम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए केवल मल्याली लोगों को लिया जाता है ;

(ख) फेडरल बैंक की सभी शाखाओं में मलयाली लोगों तथा अन्य लोगों की वर्तमान संख्या क्या है ; और

(ग) केवल मलयाली लोगों की नियुक्तियां करने में यह भेदभाव बरतने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), से (ग) : 1972 के अंत तक फेडरल बैंक ने अपना कार्यकलाप केवल केरल राज्य तक ही सीमित रखा था। कहा जाता है कि 1973 से बैंक अधिकारियों के पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन दे रहा है और इस प्रयोजन के लिए केरल राज्य के अलावा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में परीक्षाएं ले रहा है। यह भी किया गया है कि लिपिक वर्ग के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों में परीक्षाएं ले रहा है ।

चुंकि बैंकों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने कर्मचारियों के बारे में इस प्रकार के राज्यवार आंकड़े रखे कि वे किस राज्य के निवासी हैं इसलिए रिजर्व बैंक के पास इस बैंक के कर्मचारियों का राज्यवार ब्यौरा नहीं है। बम्बई क्षेत्र की बैंक शाखाओं के कर्मचारियों की स्थिति की त्वरित रुप से की गई समीक्षा से पता चलता है कि इन शाखाओं में उसके 30 प्रतिशत कर्मचारी गैर-मलयाली है ।

परम्परागत और गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

6119. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी परम्परागत तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के बारे में 1977–78 में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वास्तविक उपलब्धि क्या है तथा उससे पूर्व वर्ष की तुलना में उसमें कितने प्रतिशत अन्तर है ;

(ख) किन वस्तुओं के निर्यात में कमी की सम्भावना है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आगामी वर्षों में उन वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं को दृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग): वर्ष 1977–78 के लिए समग्र निर्यात लक्ष्य पहले लगभग 5750 करोड़ रु० निर्धारित किया गया था। अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 1977–78 (अप्रैल से जनवरी) के पहले 10 महीनों में भारत के समग्र निर्यात 4374.36 करोड़ रु० के हुए जिससे गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान हुए निर्यातों के मुकाबले 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मदवार निर्यात लक्ष्य इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् जैसे कुछ निर्यात संगठनों द्वारा ही केवल निर्धारित किए जाते हैं। यह परिषद इंजीनियरी माल के निर्यातों के लक्ष्य की घोषणा करती रही है। वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत निर्यात विनियमित करने/बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के उद्देश्य से कार्य-निष्पादन और संभावित सप्लाई/मांग स्थिति को देखते हुए सभी समय निर्यात दृष्टिकोण के बारे में प्रयोग किए जाते हैं। 1977–78 के पूर्वार्ध में प्रधान मदों का निर्यात निष्पादन (नवीनतम उपलब्ध) तथा निर्यातों में प्रतिशत भिन्नता के साथ गत वर्ष की उसी अवधि के निष्पादन की तुलना संलग्न अनुबंध में की गई है।

विशेष रूप से चीनी, वनस्पति तेल, रुई, सिले सिलाए परिधान चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं, लोहा और इस्पात जैसी चीजों के मामले में निर्यात अपेक्षाकृत कम रहे। चीनी, वनस्पति तेल और रुई के निर्यात देश के अंदर जरूरी मांग की पूर्ति के लिए कम किए गए। इस्पात के मामले में भी निर्यात योग्य अधिशेष घरेलू मांग में वृद्धि होने कारण कम मात्रा में उपलब्ध हुआ। संरक्षणात्मक प्रवृत्तियों के कारण सिलेसिलाए परिधानों के निर्यातों पर मूक्त रूप से प्रभाव पड़ा है जब कि चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के मामले में यूरोप के चमड़ा कमाने वालों के पास बड़ी मात्रा में माल जमा होने के कारण और मंदी की स्थिति होने के कारण प्रभाव पड़ा।

देश में चीनी के अधिक मात्रा में उत्पादन होने की संभावना से और अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार के अंतर्गत भारत के लिए 6.5 लाख मे० टन का कोटा नियत किए जाने से 1978-79 में चीनी के निर्यात अधिक होने की आशा है। परिधानों की निर्यात संभावना का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिसद के नाम से एक पूरक निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है। हथकरघा के निर्यात के उत्पादन आधार में और सुधार लाने के लिए हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा कई निर्यात उत्पादन परियोजनाएं मंजूर की गई है। जहां तक लोहा और इस्पात का संबंध है निर्यात की नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। सरकार ने हाल ही में जो आयात-निर्यात नीति घोषित की है वह भी निर्यात उत्पादन के आधार को मजबूत बनाने और उसके बाद भारत से निर्यात बनाने में काफी सहायक सिद्ध होगी।

भारत के प्रमुख परम्परागत तथा गैर-परम्परागत मदों के निर्यात

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्रमांक	मद	अप्रल-सितम्बर 1976	1977 अनन्तिम	1976 की अपेक्षा अप्रैल-सितम्बर, 1977 में % परिवर्तन
1	2	3	4	5
1	चाय	113.02	267.58	+136.8
2	काफी	59.21	122.84	+107.5
3	अनिर्मित तम्बाकू . . .	73.98	86.44	+16.9
4	चीनी	89.61	10.53	—88.3

1	2	3	4	5
5	पशुओं के लिये खाद्य पदार्थ	93.55	106.90	+14.3
6	फिक्सड वनस्पति तेल और वसा	33.69	10.51	—68.8
7	मसाले . .	20.84	45.30	+117.4
8	काजू गिरी .	68.95	106.26	+54.1
9	कपास	26.56	0.10	—99.6
10	मछली . .	87.85	88.06	—0.2
11	लौह अयस्क .	93.85	102.54	+9.3
12	चमड़ा तथा चमड़े का माल	135.12	121.34	—10.2
13	सूती फैब्रिक्स . .	3.16	4.86	+53.8
14	सिलेसिलाये परिधान .	161.47	145.33	—10.0
15	कयर माल . . .	11.23	11.42	+1.7
16	पटसन माल . . .	84.99	111.54	+31.2
17	रसायन तथा संबद्ध उत्पाद . .	48.19	62.45	+29.6
18	मशीनरीं एवं परिवहन उपस्कर .	141.23	150.62	+6.7
19	लौह तथा इस्पात . . .	108.44	137.55	—27.0
20	हस्तशिल्प	161.13	290.71	+79.3
	(i) मोती मूल्यवान अर्धमूल्यवान पत्थर .	91.41	203.63	+122.8
	(ii) हस्तशिल्प का अन्य माल	69.72	87.08	+24.9
	कुल जोड़ जिसमें पुनर्निर्यात शामिल है। .	2330.03	2584.66	+10.9

कोयला और सीमेंट विक्रेताओं पर मारे गए छापे

6120. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में मारे गये छापों के दौरान कोयला तथा सीमेंट विक्रेताओं द्वारा अपनाये गये कदाचारों का पता चला है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाइसेंस निलम्बित करने अथवा रद्द करने के अतिरिक्त विक्रेताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) : कोयला और सीमेंट विक्रेताओं द्वारा कदाचार करने की सूचना मिलने पर दिल्ली प्रशासन ने छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप जाली बिक्री कर रहे, उपभोक्ताओं के पूरे पते न लिख

रहे और उचित लेखा न रख रहे 24 सीमेंट विक्रेताओं और 56 कोयला विक्रेताओं का पता चला। 9 ऐसे मामले पकड़े गये, जिनमें व्यक्ति बिना लाइसेंस के सीमेंन्ट बेच रहे थे। अनधिकृत रूप से दिल्ली से बाहर ले जाते हुये आठ क्विटल कोयला पकड़ा गया। विभागीय कार्रवाई करने और लाइसेंस निलम्बित करने के अलावा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करवाई गई हैं। दिल्ली प्रशासन ने इस प्रकार के कदाचारों पर नजर रखने के लिये एक स्पेशल इंटेलीजेन्स सैल स्थापित किया है।

साम्य पूंजी ऋण के मानदंड

6121. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के कहने पर प्रबंध विकास संस्थान ने साम्य पूंजी ऋण के मानदंडों के बारे में कोई अध्ययन तैयार किया है जिसे सरकार को प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इनकी सिफारिशों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रबन्ध विकास संस्थान ने ऋण साम्य पूंजी के मानदंडों के अध्ययन के बारे में एक रिपोर्ट इस वर्ष जनवरी में प्रकाशित की है और उसके मुख्य निष्कर्षों का सारांश तथा उसकी सिफारिशें उस रिपोर्ट के अध्याय में 6 में दी गई हैं।

पोलैण्ड से डी०डी०टी० का आयात

6122. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने पोलैंड को 1500 मीटरी टन० डो० डो० टो० टेक्निकल के आयात के लिये क्रयादेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं कि पोलैंड ने निर्धारित आयात कार्यक्रम के अनुसार यह माल नहीं भेजा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे राज्य व्यापार निगम को कोई हानि हुई है ; और यदि हां, तो कितनी राशि की ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। किन्तु 1000 मे० टन की सप्लाई पूरी हो गई है। शेष 500 मे० टन की खेप अप्रैल, 1978 के अन्त तक भेजे जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

बम्बई, मद्रास, बंगलौर तथा नागपुर से वाराणसी तक सीधी उड़ाने

6123. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोइंग विमान में वाराणसी के लिये संसदीय कोटा के रूप में स्थानों का कोई कोटा दिया है; और

(ख) क्या सरकार बम्बई, मद्रास, बंगलौर, नागपुर तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों से वाराणसी तक सीधी उड़ानों की व्यवस्था करने जा रही है क्योंकि वाराणसी देश का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा धार्मिक केन्द्र है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

जे० के० सिंथेटिक्स लिमिटेड के प्रेसीडेंट और चेयरमैन से जेवरात जब्त करना

6124. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री जे० के० सिथैटिक्स लि० के प्रेसिडेंट और चेयरमैन से जेबरात जब्त करने के बारे में 20 दिसम्बर, 1977 की आधे घंटे की चर्चा के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है; और

(ख) इसे सभा-पटल पर कब रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) और (ख): इस मामले में जांच पड़ताल की गयी है और कोई निश्चित और अभिशंसी साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है । चूंकी यह जांच पड़ताल गुप्त है, इसलिए रिपोर्ट के सदन पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

डालर और पौंड के मूल्य में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की हानी

6125. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री डालर और पौंड के मूल्य में ह्रास के कारण भारत के पास जमा विदेशी मूद्रा में हानि के बारे में 10 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2375 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डालर और पौंड के मूल्य में लगतार कमी के कारण भारत को उसके पास जमा विदेशी मुद्रा में कितनी हानि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : केन्द्रीय बैंकों में प्रचलित परिपाटियों और प्रथाओं के अनुसार विदेशी मुद्रा के निवेशों और उनके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ और हानि का ब्यौरा नहीं बताया जाता क्योंकि ऐसी जानकारी देना लोक हित में नहीं होता । विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में घट-बढ़ के कारण 1977–78 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के रूपया-मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है ।

10—124 LSS (ND)/78

अगरतला में तस्करी-कृत जापानी तथा अमरीकी उनी वस्त्र

6126. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान त्रिपुरा के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अगरतला में बहुत ही कम दामों पर बड़ी मात्रा में जपानी तथा अमरीकी उनी वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं तस्करी करके लाई जा रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं। सरकार को मिली रिपोर्ट से इन वस्तुओं के अगरतला में बड़े पैमाने पर तस्कर-आयात का पता नहीं चलता। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि 1-1-1977 से 31-3-78 तक की अवधि के दौरान केवल 35,760/-रुपए मूल्य का कुल निषिद्ध माल पकड़ा गया जिस में 7,274/-रुपये मूल्य के पुराने और इस्तेमाल किए हुए उनी और संश्लिष्ट सिलेसिलाये वस्त्र, 22,986/- रुपये मूल्य के टैक्सटाइल और 5,500/- रुपये मूल्य के 6 अदद टेप रिकार्डर शामिल हैं।

(ख) यद्यपि बंगलादेश सीमा के त्रिपुरा क्षेत्र के आर-पार तस्करी पर अच्छा नियंत्रण बना हुआ है फिर भी इस क्षेत्र में निवारक और गुप्त सूचना संग्रह प्रयासों में वृद्धि की गयी है और सीमा सुरक्षा बल और सीमाशुल्क विभाग के संबंधित कर्मचारियों को सीमा के आर-पार तस्करी के किसी भी प्रयास को निष्क्रिय बनाने के लिए सतर्क रखा जाता है।

चाय की मूल्य नीति

6127. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात तथा मूल्य निर्धारण नीति में असंगति के कारण अन्तराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय को हानि पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मूल्य निर्धारण नीति पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है कि सदा समीचीन कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में घरेलू खपत के लिए चाय उपलब्ध रहे। आन्तरिक मांग का हिसाब लगाकर ही निर्यात की मात्रा का फैसला किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए 1977-78 के लिए निर्यात की मात्रा 2,250 लाख किग्रा० नियत की गई थी हालांकि 1977 में उत्पादन 1976 के उत्पादन के मुकाबले लगभग 480 लाख किग्रा० अधिक रहा। इस नीति तथा सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के परिणामस्वरूप चाय को आन्तरिक कीमतें, जो पिछले वर्ष के शुरु में बढ़ गई थी, समीचीन स्तर पर

आकर टिक गई। हमें चाय के अपने निर्यातों के लिए भी अच्छी कीमतें मिली जिसके फलस्वरुप 1977–78 में चाय के निर्यात की आय 500 करोड़ रु० से ऊपर होने का संभावना है जबकि पिछले वर्ष की आय 295 करोड़ रु० थी ।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क (स्वयं हटाना प्रक्रिया) पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

6129. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्वयं हटाना प्रक्रिया) पुनरीक्षण समिति द्वारा की गयी विशेष सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) लेवी तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एकत्र करने के बारे में 1 फरवरी, 1978 से कौन सी नई प्रक्रियायें लागू की गयी हैं ;

(ग) बनायी गयी संयुक्त (कम्पाउन्डिड) लेवी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नयी पद्धति के अन्तर्गत लायी गयी वस्तुओं के नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्व निकासी कार्य-विधि) समीक्षा समिति की रिपोर्ट की प्रति 9 सितम्बर, 1974 को सभा-पटल पर रखी गयी थी। समिति की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों का विवरण-पत्र 1 सितम्बर, 1976 को सभा पटल पर रखा गया था। उपर्युक्त दस्तावेजों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) प्रश्न का संकेत स्पष्टतः नियंत्रणों की रिकार्ड आधारित और उत्पादन आधारित पद्धतियों की ओर है जो 1 फरवरी, 1978 से लागू की गयी थीं। इन कार्य-विधियों की मुख्य-मुख्य बातों की संक्षिप्त टिप्पणी परिशिष्ट 1 पर पेश है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2052/78]**

(ग) संभवतः प्रश्न का संकेत, उत्पादन शुल्क लगने योग्य निर्दिष्ट माल के लघु निर्माताओं द्वारा शुल्क की अदायगी के लिए, निकासी आधारित नियंत्रण एवं सरलीकृत कार्यविधि की ओर है जो 1 मार्च, 1976 से लागू की गयी है; उक्त योजना की मुख्य विशेषताओं की संक्षिप्त टिप्पनी परिशिष्ट 2 पर पेश है।

(घ) रिकार्ड आधारित नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली जिन्सों का विवरण-पत्र परिशिष्ट 3 पर पेश है। उत्पादन शुल्क लगने योग्य शेष अधिकतर जिसे (अर्थात वास्तविक किस्म के नियंत्रण, निकासी आधारित-एवं सरलीकृत कार्यविधि, निश्चित शुल्क योजना के रूप में आम तौर पर ज्ञात विशेष कार्य-विधि अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत आने वाली जिन्सों से भिन्न) उत्पादन आधारित नियंत्रण की पद्धति के अन्तर्गत आती है ।

उदार आयात नीति के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंसों का मूल्य

6130. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उदार आयात नीति के अन्तर्गत दिये गये लाइससा का मूल्य कितना है ;

(ख) इसनीति का चालू वर्ष में लौंग (क्लोव) के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) क्या इसी नीति को आगामी वर्ष में भी जारी रखने का विचार है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) उदारीकृत नीति के अन्तर्गत लौंग के आयात के लिए अप्रैल, 1977 के जनवरी, 1978 तक प्रदान किये गये लाइसेंसों का मूल्य 17.31 करोड़ रुपये था।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिस में लौंग की थोक कीमतों के मासांत सूचकांक दर्शाये गये हैं।

(ग) जी, हां।

विवरण

लौंग की रोक कीमतों के मासांत के सूचकांक अंक

मासांत	1976	1977	1978
जनवरी . .	186.8	140.2	80.5
फरवरी . . .	188.0	140.2	70.3
मार्च . . .	192.9	140.2	
अप्रैल . . .	192.9	135.5	
मई . . .	177.8	107.7	
जून . . .	174.8	99.6	
जुलाई . . .	135.5	89.8	
अगस्त . . .	142.0	84.8	
सितम्बर . .	135.5	84.8	
अक्तूबर . . .	135.5	72.6	
नवम्बर . .	135.5	72.6	
दिसम्बर . .	135.5	80.5	

राज्य व्यापार निगम की सारणी बद्ध (केनेलाइज्ड) वस्तुओं की निर्यात कर की क्षमता

6131. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम सारणीबद्ध वस्तुओं का निर्यात स्वयं ही कर पाई है अथवा उनका निर्यात उसके व्यापारिक सहयोगियों के द्वारा किया जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने सीधे ही कितनें मूल्य का निर्यात किया ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये सारणीबद्ध वस्तुओं के निर्यात के मूल्य में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चावल, चीनी, अरण्डी का तेल, जूते आदि, चांदी तथा सीमेंट जैसी प्रमुख मार्गीकृत मदों के निर्यात सामान्यत: स्वयं निगम द्वारा किये जाते हैं। तथापि, नमक, अर्धसाधित चमड़ा तथा कुछ सीमा तक जूते आदि, चमड़ा आदि जैसे कुछ मामलों में सुस्थापित व्यापार चैनलो को काम करते रहने की अनुमति दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान सीधे ही राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये मार्गीकृत मदों के निर्यात दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य करोड़ रु० में)

मद	1975–76	1976–77	1977–78 (अनन्तिम)	कमी के कारण
1	2	3	4	5
1. बासमती चावल	11.59	6.29	3.20	(i) घरेलू उपलब्धता बढाने की दृष्टि से आम खपत के माल के निर्यात पर प्रतिबंध ।
2. चीनी	468.49	152.01	16.33	(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का रुख । (iii) डालर के मूल्य में गिरावट।
3. चांदी	5.33	93.60	82.00	कोटा आबंटनों के आधार पर किये गये निर्यात, जो कि दोनों वर्षों के लिये समान थे । डालर के मूल्य में गिरावट के कारण प्राप्ति में कमी हुई ।
4. फुटवियर	5.97	6.70	5.00	विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम के फुटवियर के सीधे निर्यातों में निरन्तर वृद्धि हुई है। तथापि चालू वर्ष के दौरान निर्यातों में गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण यह है कि सोवियत संघ को चमड़े के फुटवियर भेजने में कमी हुई। अब स्थानीय एककों में अवस्थापना संबंधी समंजन किये

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
				जा रहे हैं जो भविष्य की संविदाओं में प्रकट होंगे जबकि बढ़ी हुई निर्यात कीमतें क्वालिटी, स्टैंडर्ड/खरीदारों की मांग में परिवर्तन के अनुरूप संभव हो जायेंगी ।
5. अरंडी का तेल .	16.25	30.81	25.00	अन्य देशों में उच्च मूल्य के जतों के लिये निर्यात बाजार विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ताकि उनमें प्रवेश किया जा सके । अरण्डी के तेल के निर्यातों पर फरवरी से मई, 1977 तक के दौरान रोक लगाई गई थी । परिणामतः वर्ष के दौरान निर्यात कार्य में कमी आई ।
6. चमड़ा/लाख दाने	4.68	1.96	1.31	चमड़ा/लाख दाने का निर्यात निम्नोक्त कारणों से लगभग स्थिर रहा : --संश्लिष्ट प्रति स्थापनाओं से प्रतिस्पर्धा, --थाइलैंड से काफी कम कीमतों पर लाख दाने की उपलब्धता; --उचित कीमतों पर भारतीय चमड़े की नियमित उपलब्धता के बारे में विदेशी खरीदारों में अनिश्चितता ।
7. सीमेंट	15.22	32.60	16.31	निर्यात योग्य अधिशेष सरकार द्वारा समय-समय पर रिलीज किये जाते हैं । सीमेंट के निर्यात पर, प्रतिबंधों के कारण निर्यातों के मूल्य में तदनुरूप गिरावट रही है ।

Loan Facilities to Handicapped persons by State Bank of India

†6132. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Bank of India has introduced a scheme to provide loan facilities to handicapped persons;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the nature of institutions covered under this scheme at present?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) : While no separate scheme has been formulated by the State Bank of India to finance the physically handicapped persons, their projects which are technically feasible and economically viable are financed by the Bank under its usual schemes. A concessional rate of interest of 8% is charged on loans not exceeding Rs. 10,000/- and the normal rate of interest on loans exceeding this limit. Individuals and institutions for the physically handicapped persons satisfying the eligibility criteria under the DRI Scheme are also advanced loans at 4% rate of interest.

Control Tower for Aerodromes

6133. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether certain aerodromes receiving fixed number of flights have no control towers;

(b) if so, the names of such aerodromes together with reasons therefor; and

(c) steps proposed to be taken in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) to (c) : Control towers are available at all Civil Aerodromes through which Indian Airlines operate scheduled air services. However, provision has been made in the Five Year Plan 1978—83 for the construction of modern control towers/technical blocks at the following civil aerodromes:

1. Gauhati (Technical block and tower)
2. Trivandrum (Technical block and tower)
3. Imphal (Technical block)
4. Visakhapatnam (Technical block)
5. Ahmedabad (Control tower)
6. Raipur (Control tower)
7. Lucknow (Control tower)
8. Ranchi (Technical block and tower)
9. Jabalpur (Technical block)
10. Port Blair (Control tower)
11. Belgaum (Technical block)

12. Bangalore (Technical block)
13. Aurangabad (Control tower)
14. Behala (Control tower)
15. Rajkot (Control tower)
16. Madras (Control tower)

Construction of a new control tower at Visakhapatnam has already been sanctioned. Plans and designs are under preparation and the works are expected to be started in 1978-79.

Financial Assistance to State Governments and other Agencies for Vegetable Oils

6134. O.I.H. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the break up of the grants given by the Ministry as financial assistance to (1) State Governments and (2) other agencies for vegetable oils?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Suppplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal): The Central Government do not give any grants to the State Governments or other agencies for vegetable oils. However, the issue price of rapeseed oil supplied to State Governments for distribution to consumers through the public distribution system after refining, was subsidized by Rs. 1,000/- per tonne with effect from 25-8-1977, with a view to enabling the State Governments to distribute the oil to the consumers at an end consumer price not exceeding Rs. 7.50 a Kg. The claims for subsidy received so far are as under:—

	Agencies	Amount in Rupees
(i)	Delhi Administration . .	2,01,074·00
(ii)	Rajasthan Government . .	3,41,926·00
(iii)	West Bengal Government .	9,51,749·75
(iv)	Tamil Nadu Government .	2,03,878·75
(v)	Nagaland Government . .	98,570·00
(vi)	Ganesh flour Mills . .	6,36,786,·00
(vii)	Maharashtra Government	54,52,800·00
	. Total	78,86,784·50

The claims from other State Governments are yet awaited.

Recommendations made by Pillai and Gattha Committees

6135. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether in order to improve the banking system Government had constituted Pillai Committee and Gattha Committee;

(b) if so, whether Government have received reports from these Committees;

(c) if so, the main points contained in the Reports; and

(d) the action proposed to be taken by Government to implement the recommendations contained in these reports ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (d) : Government have accepted the recommendations of the Pillai Committee on standardisation of pay scales, allowances and perquisites of officers of the nationalised banks with certain modifications suggested by the Group of Bankers, of which Shri P. F. Gutta was one of the members, who were asked by the Government to suggest the manner in which the recommendations of the Pillai Committee are to be implemented.

The Pillai Committee, after examining the principles that should govern the structure of pay scales of officers of nationalised banks, has recommended a standardised pay-scale structure having seven scales of pay, based broadly on identifiable levels of responsibility in the officers cadre. It has also suggested certain guidelines for the evaluation of various positions of officers in a bank on the basis of types of responsibilities and functions exercised and categorising them within one of the recommended grades. The Committee has also recommended the standardisation in respect of Dearness Allownace and all other allowances as well as perquisites and benefits due to the officers. The Committee also suggested inter-bank transferability of officers at the top level.

The Group of Bankers while broadly agreeing with the main recommendations of the Pillai Committee have suggested certain minor modifications for liberalising certain other recommendations.

2. Nationalised banks have been advised to initiate necessary steps for the implementation of these recommendations as accepted by the Government.

Employees doing noting and drafting in Hindi in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation

6136. (OIH). **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees in his Ministry at present and the number of those who have working knowledge of Hindi or have acquired efficiency in Hindi;

(b) the number of employees out of those who have working knowledge of Hindi or have acquired efficiency in Hindi who are doing noting and drafting in Hindi at present;

(c) the reasons for which some of these employees are not doing noting and drafting in Hindi; and

(d) whether such employees have been given orders to do noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) : The necessary information is as under :—

Category	No. of employees	Possessing working knowledge or proficiency in Hindi	No. of those doing noting & drafting in Hindi
Grade A	117	92	19
Grade B	158	130	46
Grade C	569	489	102

(c) & (d) : Hindi knowing employees are encouraged to do their work in Hindi but there is no compulsion on them to to use Hindi in office work.

ब्रिटीश दल की भारत यात्रा

6137. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकरिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश दल ने उनसे तथा भारत सरकार से विचार-विमर्श करने के लिये हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त वार्ता के परिणामस्वरूप कुछ नये व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1975-76 और 1977 के दौरान भारत-ब्रिटेन व्यापार की मुख्य पद्धति क्या थी?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। रे० आन० एडमंड डेल एम० पी० सैक्रेटरी आफ स्टेट फार ट्रेड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में 13 तथा 14 मार्च 1978 को हुई भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक के सम्बन्ध में हाल ही में भारत आया था।

(ख) वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सहयोग समेत द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारत/यूरोपीय आर्थिक समुदाय संबंध कामन फंड तथा बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं से संबंधित अन्य मामलों पर भी विचार-विनिमय/चर्चा हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों में ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े यथा उपलब्ध निम्न-लिखित हैं :--

(रु० करोड़ में)

वर्ष	आयात	निर्यात	योग	संतुलन
1975-76	284.0	419.78	703.78	+135.78
1976--77	329.50	520.69	850.19	+191.19
1977--78 (अप्रैल-सितम्बर)	222.50	240.36	462.86	+17.86
1976--77 (अप्रैल-सितम्बर)	179.00	235.48	414.48	+56.48

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पर्यटन विभागों के बीच सहयोग

6138. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश को कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विभाग और/अथवा विशेष बोर्ड बनाये हुए है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय एजेन्सियों और राज्य एजन्सियों में कोई सहयोग और समन्वय है जिससे दोहरे कार्य से बचा जा सके और देश भर में पर्यटन यातायात में वृद्धि की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटा ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के बीच पर्यटन सेक्टर में उत्तरदायित्व का मोटे तौर पर विभाजन इस प्रकार है कि केन्द्र ऐसी परियोजनाओं व कार्यक्रमों में पूंजी निवेश करता है जो मुख्य रुप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं; तथा राज्य सरकारें अपना ध्यान ऐसी सुविधाओं के विकास पर केन्द्रित करती हैं जो मुख्यतः अंतर्देशीय पर्यटकों के लिए होती हैं। योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना पर विचार-विमर्श करते समय केन्द्र तथा राज्यों के बीच निकटतम समन्वय तथा सहयोग रखा जाता है। केन्द्रीय तथा राज्यीय पर्यटन कार्यक्रमों में पर्यटन विकास परिषद् तथा चार क्षेत्रीय पर्यटन सलाहकार समितियों और राज्य पर्यटन सलाहकार समितियों के माध्यम से भी समन्वय किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज

6139. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या देश में एक अथवा अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अपने कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या है ;

(ग) उक्त कालेजों में निर्धारित पाठ्यक्रमों की मुख्य रुप-रेखा क्या है ;

(घ) वर्ष 1977–78 में इन कालेजो में कितने प्रशिक्षणार्थी थे और यहां कौन लोग उन्हें पढ़ाते है; और

(ङ) क्या इन कालेजों में भाषण करने के लिए बाहर के जानकार तथा विशेषज्ञ व्यक्ति थी बुलाये जाते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख): जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालिजों के बारे में एक विवरण अनुबन्ध-i में प्रस्तुत है।

(ग) एक विवरण अनुबन्ध-ii में संलग्न है।

(घ) हाल ही में प्राप्त ताजा सूचनाओं के अनुसार, जनवरी, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा 26023 अधिकारियों तथा 32556 अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रत्येक ट्रेनिंग कालेज के पास अपना निजी छोटा-सा संकाय है जिसमें उसके परिचालन कर्मचारियों में से लिये गये व्यक्ति होते हैं।

(ङ) ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक, व्याख्यान देने के लिए बाहर से भी विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं।

विवरण (एक)

सरकारी बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज

बैंक का नाम	कालिज का नाम (केवल अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिये)	*31-12-1976 को केन्द्रों की संख्या (मुख्यतः अन्य कर्मचारी वर्गों को ट्रेनिंग देने के लिए)
1	2	3
1. भारतीय स्टेट बैंक (समूह) .	स्टेट बैंक स्टाफ कालेज, हैदराबाद	41
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	सर सोराबजी पोचवानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, बम्बई (संयुक्त रुप से देना बैंक के साथ)	11
3. बैंक आफ इंडिया . .	(1) स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, अन्धेरी, बंबई (ii) बैंक आफ इंडिया एंड बैंक आफ बड़ौदा स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, बम्बई	9

*बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र (स्टाफ ट्रेनिंग सेन्टर्स) मुख्यतः अधिकारी वर्ग से भिन्न अन्य कर्मचारी वर्ग की ट्रेनिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

विवरण (एक)—जारी

1	2	3
4. पंजाब नेशनल बैंक	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, दिल्ली	5
5. बैंक आफ बड़ौदा	(i) स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, अहमदाबाद (ii) बैंक आफ इंडिया एंड बैंक आफ बड़ौदा ट्रेनिंग कालेज, बम्बई	8
6. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता	3
7. केनरा बैंक .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, बंगलौर	3
8. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता	—
9. देना बैंक . . .	सरसोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, बम्बई (संयुक्त रुप से सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ)	9
10. सिन्डीकेट बैंक .	(i) स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, मनीपाल (ii) स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, नई दिल्ली	4
11. यूनियन बैंक आफ इंडिया .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, बम्बई	2
12. इलाहाबाद बैंक . .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता	2
13. इन्डियन बैंक . .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, मद्रास	6
14. बैंक आफ महाराष्ट्र . .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, पूना	2
15. इण्डियन ओवरसीज बैंक .	स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, मद्रास	4

विवरण (दो)

बैंकों के स्टाफ कालजों के पाठ्यक्रम की सामान्य रूपरेखा

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम
1	2	3
1.	पदोन्नत अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम	बैंकिंग परिचालन, ग्राहक सेवा, बैंकिंग की नयी प्रवृत्तियां, मानव संबंध आदि ।
2.	सीधी भर्ती के लिए पाठ्यक्रम (1) उन्मुखता (ओरिएंटेशन) (2) प्रवेश (इन्डक्शन) (3) मध्यवर्ती (इंटर मीडिएट)	प्राथमिक बैंकिंग परिचालन, रोकड का प्रबंध अनुषंगी बैंकिंग सेवाएं, ऋण स्वीकृत करने के सिद्धान्त, अन्तः कार्मिक संबंध ।
3.	प्रथम पंक्ति के पर्यवक्षकों से उपर के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम (क) प्रथम पंक्ति के पर्यवेक्षकों से उपर लेखापाल (एकाउण्टेण्ट्स) तथा अन्य पर्यवेक्षक	चैकों की प्राप्ति तथा भुगतान, ऋण स्वीकृत करने के सिद्धान्त (प्राथमिकता वाले क्षेत्रों क ऋणों को मिलाकर), प्रबंध कार्य, निष्पादन बजट ।

विवरण (दो)—जारी

1	2	3
	(ख) ग्रामीण शाखा प्रबंधक	ग्रामीण शाखा का सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण, प्रोत्साहन कार्यकलाप, तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सहायता के लिए योजना, ऋण गारंटी योजना, निष्पादन बजट, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा आदि ।
	(ग) छोटी शाखाओं के प्रबंधक	निष्पादन बजट, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण नियंत्रण, ऋणों का निर्धारण, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋण, पूनर्वित्त सुविधाएं, प्रबंध कार्य, औद्योगिक संबंध, ग्राहक सेवा, निरीक्षण और लेखा परीक्षा आदि ।
4.	मध्यम प्रबंधकीय स्तर	
	(क) मध्यम आकार की शाखाओं के शाखा प्रबंधक	कारोबार की योजना व विकास, शाखा प्रशासन कार्मिक प्रबन्ध तथा मानव संबंध आदि ।
	(ख) बड़े औद्योगिक ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों के प्रस्तावों को देख-रेख करने की संभावना वाले अफसरों तथा शाखा प्रबंधकों के वास्ते ऋण-प्रबंध	वित्तीय विश्लेषणों की तकनीकें नकदी/निधियों का फलों, ऋण. निर्धारण (जिसमें कार्यकारी पूंजी और सावधि वित्त तथा उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधाएं शामिल हैं) निर्यात और आयात वित्त आदि ।
5.	वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए पाठ्यक्रम	विशिष्ठ संगठनात्मक समस्याओं को सुलझाने में मदद के लिए उच्च प्रबन्धकीय निपुणता का विकास, उन्हें (अधिकारियों को) सामूहिक उद्देश्यों ओर लक्ष्यों की जानकारी करना तथा बदलते पर्यावरण की समझ विकसित करना ।
6.	विशेषज्ञता के लिए पाठ्यक्रम	
	(क) कृषि वित्त/एस०एस०आई० पाठ्यक्रम	बैंक के मूल परिचालन और लेखा प्रक्रियाए, फार्म वित्त तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने वाली प्रणाली, तंत्र तथा कार्यविधि और कृषि तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋणों के संबंध में ऋण निर्धारण तथा परि॰ योजना बनाना ।
	(ख) निर्यात वित्त	विदेशी मुद्रा व्यापारी सघा के कार्य कलाप हुंडियों से संबंधित सांविधिक व्यवस्था, नौ-परिवहन दस्तावेज, साख पत्र, ईसाजी के कार्यकलाप ।
	(ख) कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध	मानवशक्ति योजना, प्रेरणा तथा अन्तः कार्मिक संबंध, औद्योगिक सबंध आदि ।

वर्ष 1976 और 1977 में प्रकाशित पर्यटक साहित्य

6140. श्री पो० जो० मावलंकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 और 1977 में किसी पर्यटक साहित्य, पुस्तिका, तस्वीर कार्ड, प्रकाशनों नक्शों आदि का मुद्रण और प्रकाशन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में लागत में सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उक्त सामग्री कहां मुद्रित की गई; कितनी प्रतियां आदि मुद्रित की गई;

(ग) क्या उपर्युक्त सामग्री में से कोई सामग्री बिक्री के लिये है अथवा सब नि:शुल्क और उपहार के लिये है; और

(घ) उक्त पर्यटक साहित्य का कैसे और कहां वितरण तथा प्रयोग किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान प्रकाशित प्रचार साहित्य को देनेवाला एक विवरण संलग्न है । यह साहित्य भारत में छापा गया था। कभी कभी विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रचार साहित्य छापते हैं । **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2053/78)**

(ग) और (घ) : पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पर्यटन प्रचार साहित्य का वितरण भारत तथा विदेशों में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से नि:शुल्क किया जाता है। इस साहित्य को प्रतीक स्वरुप थोड़ीसी मात्रा विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भी उपलब्ध कराई जाती है ।

Value of Tobacco Exported

6141. (OIH). **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the names of countries to which tobacco was exported during 1974-75, 1975-76 and 1976-77;

(b) the names of major importers of Indian tobacco;

(c) the value of tobacco exported to these countries during each of the above three years; and

(d) the estimated, value of tobacco exported during 1977-78 and the value of tobacco proposed to be exported during 1978-79 ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) A statement showing country-wise export of unmanufactured tobacco during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 is attached. **(Placed in library. See. No. C. T. 2054/28).**

(b) U. K., USSR and Japan.

(e)

Name of Country	Value of exports (in Rs. crores)		
	1974-75	1975-76	1976-77
UK .	38·96	30·31	42·34
USSR .	17·23	28·91	23·99
Japan	6·48	9·52	8·76

(d) Against a target of Rs. 110 crores for the year 1977-78, exports during April, 77 to February, 1978 are estimated to have been Rs. 105.37 crores. The tentative export target for 1978-79 is Rs. 115 crores.

Production, Consumption and Export of Tea

6142. (OIH) **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the year-wise opening stock, production, domestic consumption export and closing stock of tea in Kilograms during the period from 1973-74 to 1977-78?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): The figures for the year-wise opening stock, production, domestic consumption, export and closing stock of tea in Kilograms during the period from 1973-74 to 1977-78 are as under:—

(Figures in M. Kgs.)

Year	Opening stock	Production	Domestic utilisation	Export	Closing stock
1973-74 .	135	470	248	190	167
1974-75 .	167	494	260	225	176
1975-76 . .	176	483	272	211	176
1976-77	176	512	286	242	160
1977-78 (Estimated) . .	160	560	300	225	195

Porbandar-Ahmedabad-Porbandar AIR Service

6143. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether a demand was put forth by the Porbandar Chambers of Commerce and Industries, Gujarat on 3rd November, 1977 regarding introduction of Porbandar-Ahmedabad-Porbandar air service;

(b) if so, the reasons stated in support of their demands;

(c) when the above air service will be introduced in view of the fact that Porbandar is a big industrial town of Saurashtra and is the biggest city of Junagarh district; and

(d) the action taken so far or the action proposed to be taken in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b) The reasons stated in support of the demand were that:—

(i) Porbandar is an important industrial town with concentration of large population, and

(ii) There is heavy road/rail traffic between Porbandar and Ahmedabad and the Journey time is around 18 hours.

(c) and (d) : The Corporation's aircraft resources do not permit undertaking of new airlinks at present.

सहकारी नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय संकल्प की योजना आयोग को प्रस्तुत करना

6144. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय संकल्प ी योजना आयोग को प्रस्तुत करने को है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प, जो 17 दिसम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुये राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के पिछले अखिल भारतीय सम्मेलन में अपनाया गया था, योजना आयोग सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारी (सहकारिता विभाग), राष्ट्रीय सहकारी संघों, राज्य सहकारी संघों आदि को उसमें प्रतिपादित विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए भेजा गया है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारीं नीति संकल्प का उद्देश्य सहकारी आन्दोलन का विकास ठोस आधार पर करने को बढावा देना है, ताकि यह समाजार्थिक परिवर्तन के प्रभावी साधन क रूप में कार्य कर सकें। संकल्प का मूलपाठ अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2055/78।**]

'कॉल मनी मार्किट' का कार्यकरण

6145. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 'कॉल मनी मार्केट' के कार्यकरण में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप 'काल मनीं' को दरों में कमी हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी नहीं। अलबत्ता, यह कहा जा सकता है कि हाल में रिझर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको को स्पष्ट किया है कि जमाओं की ब्याज दर विषयक 22 जुलई, 1974 मे उसके निदेशों में दलालीं की अदायगी पर लगाया गया प्रतिबंध अंतः बैंक कॉल मनी, मार्केट के परिचालनपर भी लागू होता है।

11—124 LSS (ND)/78

(ख) अंतः-बैंक ऋणों पर ब्याज की दर का नियमन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। 1 मार्च, 1978 से रिजर्व बैंक द्वारा जमाओं और ऋणों पर ब्याज की दर में किये गये संशोधन के संदर्भ में, इस एसोसिएशन द्वारा अंतः-बैंक काल मनी कारोबार पर ब्याज की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिये जाने की सूचना मिली है।

निर्यात के लिये नकद राजसहायता का वापस लिया जाना

6146. श्री डो० डो० देसाई : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए नगद राजसहायता वापस ले लिये जाने के परिणामस्वरूप की हमारे निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में अत्यधिक प्रतियोगिता वाले बाजारों से होड़ के लिये निर्यात को सहायता देने के लिए उनका विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : नकद प्रतिपूर्ति सहायता कुछ मामलों में वापिस ली गई है। इन मामलों में निर्णय सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर किये गये थे। इस सहायता की वापसी से निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य का पुनर्निर्धारण

6147. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का विचार प्राकृतिक रबड़ के मूल्य, जो पहले 31 मार्च, 1978 तक निर्धारित किये गये थे, का पुनर्निर्धारण कब करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका 9 रूपये प्रति किलो मूल्य निर्धारण करके भारत में प्राकृतिक रबड़ के छोटे उत्पादकों को न्याय दिलाने का है ; और

(ग) प्राकृतिक रबड़ के मूल्य का पुनर्निर्धारण करते समय सरकार द्वारा अनुसरण किये जानेवाले मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग): सरकार ने 6 अगस्त, 1977 से प्राकृतिक रबड़ के अन्य ग्रेडों की कीमतों में अन्तर रखते हुए आर० एम० ए० I ग्रेड प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत 520 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा दी थी जो 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के लिए थी। सरकार द्वारा अब इन कीमतों का वैधता की अवधि 31 मई, 1978 तक बढ़ा दी है। इस बीच स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

सरकार कीमतों के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करते समय दोनों बातों विशेषतः छोटे किसानों को उचित लाभ दिये जाने तथा इस आवश्यक वस्तु की कीमतें समीचीन स्तर पर बनाए रखने की जरुरत पर यथोचित ध्यान देगी।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

6148. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1978 तक भारत से कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया;

(ख) 31मार्च, 1978 तक निर्यात के लिये कितनी मात्रा मंजूर की गई थी ;

(ग) निर्यात के लिये अभी कितनी मात्रा शेष है ; और

(घ) इस शेष मात्रा का निर्यात किन एजेन्सियों द्वारा किया जायेगा और वे कब तक इसका निर्यात करेंगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1978 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 11080 मे० टन प्राकृतिक रबड़ की मात्रा का निर्यात किया गया है। इस मात्रा में 1977-78 के दौरान निर्यात के लिये स्वीकृत मात्रा तथा 1976-77 के दौरान निर्यात के लिये स्वीकृति मात्रा में से अग्रेनीत मात्रा शामिल है।

(ख) सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 10,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिये प्राधिकृत किया था।

(ग) तथा (घ) : 1976 के दौरान निर्यात के लिये प्राधिकृत 21,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा (राज्य व्यापार निगम के जरिए उत्पादकों अथवा उत्पादकों के साथ संघों द्वारा निर्यात किये जानेवाले 4,000 मे० टन सहित) तथा 1977 के दौरान राज्य व्यापार निगम के जरिए निर्यात के लिये स्वीकृत 10,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ में से 7,624 मे० टन की कुल मात्रा 31 मार्च 1978 के अन्त तक निर्यात किये जाने के लिये शेष थी। इस मात्रा में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली 3,949 मे० टन तथा राज्य व्यापार निगम की मार्फत रबड़ उत्पादकों द्वारा निर्यात की जाने वाली 3,675 मे० टन की मात्रा शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम उत्पादकों द्वारा इस शेष मात्रा के निर्यात किये जाने की संभावना है।

फालतू प्राकृतिक रबड़

6149. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 मार्च, 1978 के अन्त तक कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ फालतू होगा;

(ख) फालतू भंडार को किस प्रकार निपटने का विचार है ताकि मूल्य छोटे उत्पादकों के लिये लागत मूल्य से कम न हो; और

(ग) आगामी दस वर्षों में प्राकृतिक रबड़ की कितनी आवश्यकता का अनुमान है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) रबड़ का बेशी स्टाक 12,000 मे० टन होने का अनुमान है।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा बेशी रबड़ का निर्यात किये जाने के लिए पहले से ही अनुमति दी जा रही है, ताकि रबड़ की कीमतें अलाभकर स्तरों तक न गिरें।

(ग) रबड़ बोर्ड के अनुमानों के अनुसार ऐसी संभावना है कि देश में प्राकृतिक रबड़ की खपत जो 1978-79 में 1,53,000 मे० टन थी, 1987-88 में बढ़कर 2,60,000 मे० टन हो जायगी।

निर्यात योग्य कुछ माल पर बिक्री कर समाप्त करना

6150. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिक्री कर समाप्त करने की कोई समय सीमा निर्धारित की है ;

(ख) केन्द्र द्वारा कुछ निर्यात योग्य माल पर बिक्री कर समाप्त किये जाने के कारण केरल राज्य को हुई बिक्री कर की हानि के लिये मुआवजा देने के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों को उक्त कराधान की शक्तियां देने का है अथवा राज्यों की शक्तियों में कमी करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रीयों / वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा हो चुकी है। इस प्रस्ताव के संबंध में मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों में सामान्यतः उत्साह का अभाव पाया गया है। यह कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे किसी निर्धारित समय में निपटाया जा सकें। इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता हैं।

(ख) केरल को बिक्री-कर राजस्व संबंधी विशेष समस्याओं को, स्वीकृत योजना के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु संसाधनों के अन्तराल की वृहत्तर समस्या का ही एक हिस्सा ही माना जाता है और इस लिये इस संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विज्ञापनों, प्रचार तथा बिक्री के सम्बन्ध में बजट में लगाये गये प्रतिबन्ध

6151. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी के प्रेसीडेंट ने वित्त मंत्री से अपील की है कि वर्ष 1978-79 के केन्द्रीय बजट में विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री संवर्धन पर लगाये गये प्रतिबन्धों पर, जिसका राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर बूरा प्रभाव पड़ेगा तथा समाचार पत्र उद्योग को भारी हानी होगी, पुनः विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जूलफिकार उल्ला) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों पर, जिनमें इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्युज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया अभ्यावेदन भी शामिल है, विचार किया जा रहा है। वित्त विधेयक 1978 पर लोक सभा द्वारा विचार शुरु किये जाने से पूर्व सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेगी।

निर्यात विकास वर्गों के अन्तर्गत सुविधाएं वापस लेना

6152. **श्री आर० वी० स्वामी नाथन** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता जूट फेब्रिक्स शिपर्स एसोशियशन ने 1978-79 के केन्द्रीय बजट में निर्यात मण्डो विकास वर्गों के अधीन लाभकारी सुविधाओं को बन्द कर दिये जाने के बारे में वित्त तथा वाणिज्य मंत्रियों को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री ने उनके अनुरोध पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार के इस निर्यात से जूट से बने सामान के निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ): इस संबंध में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों पर जिनमें कलकत्ता जूट-फैब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया अभ्यावेदन भी शामिल है, विचार किया जा रहा है। वित्त विधेयक 1978 पर लोक सभा द्वारा विचार शुरु किये जाने से पूर्व सरकार इस मामले में कोई निर्णय ले लेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

6153. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई महता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार के लिए की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार ने फिलहाल बैंकों की शाखाओं का विस्तार न करने का निर्णय किया है ; और

(च) वर्ष 1977 के दौरान कितनी नयी शाखायें खोली गयीं ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार सहित उनके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए श्री जेम्स एस० राज की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने जनवरी, 1978 में एक अंतरिम रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है। अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) 1977 में वाणिज्यिक बैंकों ने 3346 शाखाएं खोली।

Cooperation of Private Sector to promise Tourism

6154. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to seek maximum participation and cooperation of the private sector with a view to promote tourism in the country; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b): The Department of Tourism elicit cooperation of hoteliers and travel agencies for promoting tourism to India in the overseas tourist generating markets by releasing foreign exchange to them for publicity and promotion abroad. Allocation of large cars through STC for operation as tourist cars, loans to transport operators for purchase of cars to be run as tourist taxies, etc. are some of the other measures taken by the Department of Tourism.

Similarly, the Department of Tourism encourages the private sector to set up more hotels by means of various incentives offered in the form of fiscal reliefs, financial assistance in the form of institutional loans, 15% Outright Subsidy for the construction of hotels in economically backward areas, priority consideration for import of essential requirements, incentive quota, etc.

एशिया तथा पैसोफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग का बैंकाक में वार्षिक अधिवेशन

6155. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा पैसोफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग के 8 मार्च, 1978 को बैंकाक में हुए 34 वें वार्षिक अधिवेशन में भारत ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने आत्मनिर्भरता के बारे में प्रस्ताव रखा था;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में इस प्रस्ताव को किस हद तक स्वीकार किया गया था ;

(घ) किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ; और

(ङ) वे किस हद तक भारत के लिए लाभकारी होंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। यह अधिवेशन 7 से 17 मार्च, 1978 तक हुआ।

(ख) अधिवेशन में अपने नीति वक्तव्य में वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री ने, जिन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया कि विकासशील देशों द्वारा सामूहिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न तत्व है और विकासशील देशों की ओर से आत्मनिर्भरता की विशाल तथा विश्वासपूर्ण भावना से ही नयी व्यवस्था में अन्तर्निहित पुनर्विन्यास की गारंटी हो सकती है।

(ग) आत्मनिर्भरता की धारणा का आयोग द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ङ) अधिवेशन में जो विनिश्चय किये गये हैं, वे भारत सहित सभी विकासशील देशों के लिए सामूहिक रूप से लाभकारी होंगे।

विवरण

एस्केप का 34वां अधिवेशन 7 से 17 मार्च, 1978 तक बैंकांक में हुआ। अधिवेशन की कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ इनकी प्रगति का पुनर्विलोकन तथा विचार करना शामिल था : एस्केप के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों के मामले, 1980 दशक के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति हेतु क्षेत्रीय अन्तर्निविष्ट साधन, अतिरिक्त बजटीय साधनों को बढ़ाना, एस्केप कार्यक्रम तथा प्रमुख क्षेत्रीय परि-योजनाओं और क्षेत्रीय प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थाओं की प्रगति रिपोर्ट।

2. एस्केप के 34वें अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य 1980 के दशक के लिए अन्तराष्ट्रीय विकास नीति में क्षेत्रीय अन्तर्निविष्ट साधनों का निर्माण करना था। वार्ता के मुख्य मुख्य निष्कर्ष निम्नोक्त प्रकार थे :—

(1) नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में निश्चयात्मक योगदान प्रदान करने की दृष्टि से नई विकास नीति में महासभा के छठे व सातवें अधिवेशनों के संल्कपों की भावना निहित की जानी चाहिए जिसमें विकासशील देशों के स्वतंत्र विकास में आने वाली मुख्य कठिनाइयों को दूर करने के कारगर उपायों का उल्लेख हो ताकि उनकी अलग-अलग तथा सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो सके। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि सामाजिक न्याय के साथ तीव्र गति से आर्थिक विकास हो ताकि गरीबी दूर हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आय तथा धन का अधिक न्यायोचित रूप से वितरण हो; विकास की प्रक्रिया तथा कारगर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्ग विशेष रुप से निर्धन वर्ग और अधिक सक्रिय भाग लें।

(2) 1980 से शुरु दशक के लिए नई विकास नीति बनाते समय 1970 के दशक संबंधी नीति में पाई गई त्रुटियों का परिहार किया जाना चाहिए।

(3) किसी भी नई नीति में देशों के बीच अन्तर का, जिनमें विकास के स्तर विकास की संभाव्यताएं तथा उसमें आने वाली बाधाएं और सामाजिक प्रथाओं की विशेषताओं तथा लक्ष्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(4) क्षेत्र के सभी लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना नीति के लक्ष्यों में शामिल होना चाहिए। इसमें रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि, वित्तीय साधनों की बेहत्तर गतिशीलता, विस्तीर्ण तथा व्यापक रूप में स्वीकार्य समाज सेवा, मानवीय आवास तथा पर्यावरण में सुधार की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए।

(5) सहयोग भी नीति का आवश्यक तत्व होगा।

आयोग ने इस विषय पर एक संकल्प भी पारित किया।

3. आयोग ने व्यापार संबंधी एस्केप कमीशन की इस सिफारिश का समर्थन किया कि एस्केप सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों की अगस्त, 1978 के मध्य में नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया

जाए ताकि 1970 की काबुल-घोषणा के बाद अब तक व्यापार के क्षेत्र में हुए विकास का जायजा लिया जा सके तथा अन्तः क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार के लिए ऐसे नए निवेश दिये जा सकें जिनमें इस प्रयोजन के लिए बहुत से ठोस उपाय शामिल किए गए हों।

4. आठ अन्य देशों के साथ भारत इंडोनेशिया में खोले जाने वाले क्षेत्रीय खनिज साधन विकास केन्द्र की प्रथम शासी परिषद का सदस्य चुना गया है।

5. आयोग ने निम्नलिखित विषयों पर भी संकल्प पारित किये :

(क) लोगों के हालात सुधारने में मानवीय आवासों की भूमिका।

(ख) जनसंख्या समस्याओं के समाधान पर अपेक्षाकृत अधिक बल।

(ग) लुम्बिनी विकास परियोजना, नेपाल के लिए सहायता।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ाना तथा उनका समर्थन करना।

(ङ) एस्केप तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के कार्यगत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए साधनों को गतिशील बनाना।

(च) एस्केप के तत्वावधान में क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं में वृद्धि करना।

(छ) लोअर मिकांग बेसिन में जल साधनों का विकास।

(ज) विकासशील देशों के आर्थिक विकास के संवर्धन में सरकारी क्षेत्र की भूमिका।

(झ) एस्केप जन संख्या समिति तथा समाज विकास समिति के बीच सम्बन्ध।

(ण) प्रशान्त द्वीप देशों का विकास।

विमान कम्पनियों द्वारा एकत्रित विदेश यात्रा कर की वापस अदायगी

6156. **श्री विनोद भाई बी० शेठ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान कम्पनियों द्वारा एकत्रित विदेश यात्रा कर उन यात्रियों को वापस अदा नहीं किया जाता जिन्होंने यात्रा न की हो ;

(ख) सरकार के पास विदेशी यात्रा कर की कुल कितनी राशि पड़ी हुई है ;

(ग) क्या सरकार को ट्रेवल एजेन्टों तथा यात्रियों की ओर से इस कर की वापसी अदायगी लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस राशि के वापस अदा न किये जाने से उन पर्यटकों के मन में हमारा सामान कम हुआ है जो विदेशों से टिकट खरीदना बेहत्तर समझते हैं; और

(ङ) विदेश यात्राकर की तुरन्त ही वापस अदायगी के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ङ) : कानून के अन्तर्गत, सरकार कर की वसूली यात्रियों से नहीं करती बल्कि वाहनों से करती है। अदा नहीं किये गये अथवा न्यून अदा किये गये अथवा गलती से वापिस किये गये किसी कर की सरकार को अदायगी के लिए वाहक ही देनदार हैं। संगत नियम अर्थात विदेश यात्रा कर नियम, 1971 के नियम 9 के उद्धरण संलग्न अनुबंध 'क' पर दिये गये हैं। इसके विपरित सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कर की वापसी वाहकों को दी जाती है संगत नियमों अर्थात् विदे

यात्रा कर नियम, 1971 के नियम 6 और 7 के उद्धरण अनुबंध 'ख' पर दिये हैं। 28 फरवरी, 1978 को स्थिति के अनुसार, विदेश यात्रा कर के संबंध में वाहकों द्वारा किये गये और सीमाशुल्क गृहों के पास अनिर्णित पड़े वापसी के दावों की कुल रकम लगभग 50 लाख रुपये है। अधिकतर रकम, प्रार्थी वाहकों द्वारा अपेक्षित पुष्टिकारक दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण बकाया पड़ी है। दूसरी तरफ, उसी तारीख को वाहकों द्वारा सरकार को देय विदेश यात्रा कर की बकाया की रकम लगभग 1.14 करोड़ रुपये है। यदि टिकटें विदेश में अथवा भारत में विदेशी मुद्रा से खरीदी जाती हैं, तो उन पर यात्रा कर बिल्कुल नहीं लगता। वापसीयों के बारे में ट्रेवल एजेंटों, यात्रियों आदि से समय-समय पर दरखास्तें प्राप्त हुई है और उन्हें वाहकों से सम्पर्क साधने की सलाह दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2056/78**]

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया

6157. **श्री विनोद भाई बी० सेठ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का पूंजी निवेश सुदृढ़ आधार वाला है ;

(ख) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की मुख्य आय जमा राशियों से है न कि लाभांशों से ; और

(ग) क्या यह अनुत्पादक पूंजी निवेश है और है और इसकी पूंजी निवेश संबंधी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की स्थापना फरवरी, 1964 में की गई थी। ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य समुदाय की बचतों की राशियों को एकत्रित करना और इन्हें उत्पादक नियमित पूंजी निवेश में लगाना है जिससे कि देश की अर्थ व्यवस्था का विकास हो और उसमें विविधता लाई जा सके। ट्रस्ट ऐसा पूंजी निवेश करता है जो सुदृढ़ हो जिससे अच्छी प्राप्ति हो और जिसमें वृद्धि की संभावना हो। ट्रस्ट अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नियमित रूप से लाभांश की अदायगी करता रहा है।

(ख) जी, नहीं। ट्रस्ट को मुख्यतः आय सामान्य और तरजीही शेयरों, ऋण पत्रों और अग्रिम निक्षेपों में लगाई गई पूंजी से होती है। जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मीयादी जमा से हुई आय ट्रस्ट की कुल आय का लगभग 1% ही है।

(ग) जी, नहीं।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की पर्यटक क्षमता

6158. **डॉ० मुरली मनोहर जोशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की पर्यटक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों का विकास करने और वहां पर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से उस क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास पर रिपोर्ट देने के लिये 1972 में योजना आयोग द्वारा गठित किये गये वर्किंग ग्रुप के साथ संबद्ध था। वर्किंग ग्रुप को रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के छः पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास करने को सिफारिश को है :— अर्थात्, नैनोताल, कौसानी, मसूरो, पौडी-गढ़वाल, बद्रिनाथ-केदारनाथ तथा गन्गोत्तरो-यमुनोत्तरो। तथापि उत्तर प्रदेश म पर्यटन के विकासकी मूल आवश्यकता है ऐसो आधारभुत सुविधाओं को उपलब्धता जैसे परिवहन एवं संचार तथा नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी एवं बिजलो आदि की सप्लाई।

पर्यटन विभाग के सुझाव पर राज्य सरकार ने नियमित रुप से विकास के द्वारा इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य की स रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोसानी की एक मास्टर प्लान (लैंड-यूस प्लान) तैयार की है।

Trade Negotiations for encouraging Shoe Industry

6159. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to hold any trade negotiation for encouraging shoe industry and promoting export trade thereof to foreign countries; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) & (b): Government has been holding policy level trade talks from time to time for export *inter alia* of shoes with visiting delegations from foreign countries and in various fora. Detailed negotiations for specific deals for export of footwear to the Trade Plan countries have been conducted through the State Trading Corporation. In regard to the non-trade plan countries negotiations are made by any large private parties themselves on a buyer to seller basis. In cases of difficulties that are brought to notice of Government by private parties through EPCs etc., in regard to the policies of the importing country, efforts are made to take up the matter with the concerned Governments suitably.

S.T.C. Increasing Price of Polyester Yarn

6160. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the S.T.C. is increasing the price of polyester yarn by Rs. 500 per Kg.;

(b) whether the prices of the cloth, which are already on the high side, are likely to increase further by 10 to 15 per cent, following increase in the price of polyester yarn; and

(c) if so, whether Government propose to review the situation?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) No, Sir. Due to revision in the rates of Customs Duty and Excise Duty in the last Budget, the prices of 75 and 150

deniers of Polyester Filament Yarn have been increased by Rs. 5 per kg., and those of 40 and 50 deniers by Rs. 20 per kg., only.

(b) Government have no information in this regard.

(c) Does not arise.

Quantity of Tobacco Procured by STC

6161. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that procurement of tobacco has started to protect the interests of Tobacco (verginia) growers in Andhra Pradesh and Tamil Nadu; and

(b) if so, the quantity of tobacco to be procured by S.T.C. and the procurement price which will be given to growers?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) & (b): The main virginia tobacco producing States are Andhra Pradesh and Karnataka. The crop which is being marketed at present is the one produced in Andhra Pradesh. No procurement out of this crop has been undertaken so far on Government account. However, the STC is buying 5,000 metric tonnes of graded and Agmarked tobacco from co-operative Sector and small and medium scale suppliers on its own account and risk as one of its normal commercial activity. The prices payable by STC to its suppliers are based on minimum export prices fixed by the Government.

Policy Holders cheated by Life Insurance Corporation

6162. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Delhi edition of 'Nav Bharat Times' dated 13th March, 1978 in which policy holders are reported to have been cheated by Life Insurance Corporation;

(b) whether it is a fact that as reported in the said news item Life Insurance Corporation did not give any publicity to the change of 5 years in place of 3 years in the terms regarding lapsed policies; and

(c) if so, the number of policies of the value of more than Rupees ten thousand which lapsed in Delhi in 1976-77 and 1977-78?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir,

The news-item referred to the change which the Life Insurance Corporation had made in the conditions for grant of paid-up policies in relation to policies issued on or after 1-1-76. While the earlier condition was that a paid-up policy would be secured if premiums under a policy had been paid for a period of 3 years, the *policies issued on or after 1-1-76* are subject to the condition that a paid-up policy would be secured if premiums under a policy have been paid for a period of 5 years or one-fourth of the original premium-paying period of the policy (subject to minimum of 3 years), whichever is less.

The Corporation duly brought this change to the notice of its field force (Development Officers and agents) through office circulars, house magazines and news bulletins.

(c) During 1976-77, 22,142 policies lapsed in Delhi, but for reasons unconnected with the change in the policy conditions. The effect of the change on the policies issued on or after 1-1-76 could be observed only in the fourth and fifth years of the currency of the policies and, therefore, none of these policies could lapse during 1976-77 or 1977-78 in consequence of the change.

Export of Commodities to West Asian Countries

6163. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of the commodities being exported to West Asian Countries;

(b) the total value of the goods exported in 1976-77 and 1977-78; and

(c) the percentage increase registered in this trade in the current financial year as compared to that of last year?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) A list of the principal Commodities being exported to West Asian Countries is attached.

(b) 1976-77 : Rs. 542 crores
1977-78 : Rs. 264 crores
(April-September 1977)

Export statistics for the period subsequent to September 1977 are not yet available.

(c) Exports during the first six months of 1977-78 to West Asian Countries registered an increase of 16% as compared to the corresponding period of 1976-77.

LIST

List of Principal commodities being exported to West Asian Countries:

Meat and meat products

Fish and fish products

Cereals and preparations thereof

Fruits

Vegetable products

Tamarind dried

Tea

Coffee

Spices

Tobacco

Sugar

Barytes and Bentonite
Chemical elements and compounds
Explosives
Pigments, paints and varnishes
Dyeing and tanning materials
Medicinal and Pharmaceutical products
perfumeries and cosmetics
Soaps
Plastic manufactures
Rubber manufactures
Wood and cork manufactures
Paper and paper products
Cotton manufactures both handloom and mill made
Clothing
Tarpaulins
Textile piecegoods
Jute products
Floor coverings
Asbestos products
Glassware
Precious stones
Iron ore and its concentrates
Iron and Steel
Steel tubes and pipes
Manufactures of metals
Machinery both electric and non-electric
Scientific instruments
Road motor vehicles
Transport equipments
Sanitary fittings
Ceramic tiles
Lighting fixtures and fittings
Furniture
Handicrafts
Jewellery items
Sports goods and toys

Poultry products

Feeding stuffs for animals

Feature films

Leather manufactures

Footwear

Gas Mantles of Rayon

Loan to Harijans for Cottage Industries

†6164. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have been urged to provide loans to Harijans for cottage industries;

(b) whether a scheme is proposed to be introduced in this regard; and

(c) if so, the outlines thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) to (c): The banks have been providing larger credit assistance to the weaker sections of the community for undertaking productive endeavours including cottage industries. Recently, the Ministry of Industry have introduced a new scheme with a view to providing financial assistance by way of margin or seed money to State Governments to enable them to expand their activities for promotion of small scale industries. The scheme provides for margin money assistance to units in which investment on plant and machinery does not exceed Rs. 1 lakh.

In the case of entrepreneurs belonging to the scheduled castes and scheduled tribes the seed money assistance is up to 15% of total fixed capital investment or Rs. 20,000/- whichever is lower; whereas in other cases the limit is 10 per cent of the total investment. It is hoped that with the implementation of this scheme jointly by the State Governments and the financing institutions including Public Sector banks credit to the weaker sections of the community, especially to the Harijans will increase.

New Agreement with Sri Lanka for strengthening Economic Relations

6165. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a delegation of Sri Lanka visited India recently;

(b) whether a new agreement has been entered into between India and Sri Lanka to strengthen economic relations; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) A delegation led by Mr. Ronnie de Mel, Minister of Finance and Planning, Government of Sri Lanka, visited India from January 11, 1978 to January 14, 1978.

(b) & (c): An Agreement was signed on January 24, 1978 with the Government of Sri Lanka to extend a credit of Rs. 10 crores to finance the purchase by Sri Lanka of capital and intermediate goods from India. Government of India

has also agreed to extend an interest free commodity loan of 50,000 tonnes of wheat to Sri Lanka, repayable in kind. Agreement to this effect has not yet been signed.

नई दिल्ली में जनता होटल

6166. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री सौगत राय :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जनता होटल खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा आयेगा और इसमें कितने आवास की व्यवस्था होगी; और

(ग) उपरोक्त उल्लिखित होटल कब तक तैयार हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : नई दिल्ली में 1250 शय्याओं वाले जनता होटल का निर्माण 300 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इस परियोजना पर निर्माण-कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा तथा इसके दो से तीन वर्षों की अवधि के अन्दर-अन्दर दो चरणों में पूरा हो जाने की आशा है।

गैर तकनीकी सरकारी कर्मचारियों के लिये विदेशी शिक्षा वृत्तियां, छात्रवृत्तियां

6167. **श्री के० लकप्पा** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर विदेशी शिक्षा वृत्तियां/छात्रवृत्तियां (एक शैक्षिक वर्ष के लिए), जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवास केन्द्रीय सेवाओं आई०ई०एस०/आई०एस०एस०, आदि के गैर-तकनीकी सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है और जिनके बारे में अन्तिम निर्णय अर्थ विभाग के हाथ में होता है, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को दी जाती है ;

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान (फरवरी, 1978 तक) उक्त शिक्षावृत्तियों पर कितने अधिकारियों को बाहर भजा गया ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में अर्थात्, 1976-77 और 1977-78 में (फरवरी, 1978 तक) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की संख्या क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : 1976-77 और 1977-78 के दौरान (फरवरी, 1978 तक) क्रमशः 31 और 38 गैर-तकनीकी अधिकारियों को एक शैक्षिक वर्ष के लिए शिक्षा वृत्तियां दी गईं। इनमें से इन दो वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमशः 15 और 24 थी।

सरकारी संस्थानों के कर्नाटक में विभिन्न बैंकों में खाते

6168. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में सरकारी संस्थानों के कर्नाटक में विभिन्न बैंकों में कितने खाते थे ; और

(ख) उक्त खाताधारियों के नाम क्या है और खातों की रकम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से साख्यिकी आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान व्यवस्था में यथा अपेक्षित रूप में सूचना इकट्ठी नहीं की जाती ।

सिंघानिया-गृह के उद्योगपतियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट

6169. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री सिंघानिया घराने के उद्योगपतियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट के बारे में 10 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2316 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भरतहरी सिंघानिया के विरुद्ध किन विशिष्ट आरोपों पर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता में आन्तरिक सुरक्षा संशोधन अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया था; और

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और सरकारी निवारक अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात् उके विरुद्ध नया गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) श्री भरतहरी सिंघानिया को, विदेशी मुद्रा के संरक्षण में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने से रोकने के दृष्टि से, पुलिस आयुक्त, कलकत्ता ने आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत, नजरबन्द रखने के आदेश गये थे । चूंकि नजरबन्दी आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे, इसलिये पुलिस आयुक्त कलकत्ता द्वारा, आदेश जिन आधारों पर जारी किया गया था वे पश्चिम बंगाल सरकार के पास उपलब्ध है ।

(ख) श्री भरतहरी सिंघानिया के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई नजरबन्दी आदेश जारी नहीं किया गया क्योंकि यह मामला नजरबन्दी के योग्य नहीं पाया गया था ।

Payment of Income Tax by D.C.M. and its Associate Mills

6170. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax paid by Delhi Cloth Mill and its associate Mills and factories during 1977-78 and the amount of income-tax yet to be paid by them; and

(b) whether Government have received any complaint about evasion of income-tax by them and if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) The total amount of income-tax paid by the company, Delhi Cloth and General Mills Co., Ltd., Delhi (which owns a number of mills and factories) during the financial year 1977-78 was Rs. 4.42 crores. As on 31-3-78, no tax arrears were outstanding from the said company.

(b) Yes, Sir. The matter is under enquiry.

श्री कृष्ण कान्त (चंदीगढ़) : मैं प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहता था । आपको सदस्यों और मंत्रीयों दोनों को ही संरक्षण देना चाहिए । मैं आपका ध्यान 9 दिसम्बर, क उस प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह पूछा गया था कि जयगढ़ और मोती डूंगरी आदि से खोजा गया खजाना जमा क्यों नहीं किया गया । उसका उत्तर दिया गया था कि केवल जयगढ़ के किले में ही

खजाने का पता लगाने के लिए खदाई की गई थी। आज का प्रश्न मोती डुंगरी के बारे में था और उसका उत्तर श्री जफरुल्लाह ने ऐसा दिया है। इस मामले में हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : निदेश 115 के अनुसार आप पहले मुझे लिखें क्योंकि ऐसा मामला उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति पहले ली जानी चाहिए।

श्री कृष्णकान्त : मैं आप से आपके कक्ष में मिलूंगा। परन्तु जिस नियम का आपने उल्लेख किया है वह प्रश्न-काल के लिए नहीं है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने नाडिया जिले से एक लडकी के अपहरण कर लिये जाने के बारे में एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना थी। मैंने इस बारे में प्रश्न की सूचना भी दी थी। मैंने यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की सूचना भी दी थी। परन्तु मुझे इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति नहीं दी गई। अब मझे क्या करना चाहिए।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बेलाडिला परियोजना के श्रमिकों पर गोली चलाये जाने के बारे में स्थगत प्रस्ताव की सूचना दी थी। मेरे कुछ अन्य मित्रों ने भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना गृहित कर ली है। इस बारे में आपको सूचना दे दी गई है।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): मैंने आदिवासी क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पूछा था। वर्ष 1972-73 के आंकड़े दिये गये। मंत्रीयों का रोजमर्श का काम हो गया है कि वे अपना काम ठीक से नहीं करते है और प्रश्नों के उत्तर गलत देते हैं। अत: आप उन्हें अनुदेश दें कि वे प्रश्नों के उत्तर ठीक दे। हम चाहते है कि आप इस मामले में सदस्यों की रक्षा करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1978–79 के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगे

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं 1978-79 के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2029/78]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्रीमान विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में क्या हुआ।

12—124 LSS (ND)/78

अध्यक्ष महोदय : मैंने समाचार पत्र के सम्पादक से रिपोर्ट मांगी है और यही वर्तमान परम्परा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : परन्तु प्रश्न का सभा में उठाया जाना आवश्यक है ताकि सभा यह जान जाय कि किस प्रकार का अपराध किया गया है। लंदन के हाउस आफ कामन्स और हमारे यहां ऐसे ही परम्परा है। अत: आप मुझे सभा को यह बताने को अनुमति दे कि कैसा अपराध किया गया है। इसके बाद आप यह कह सकते है कि आपने सम्बद्ध व्यक्ति से स्पष्टिकरण मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे यहां की सुस्थापित परम्परा यह है कि जब भी कोई समाचार पत्र सभा की कार्यवाही को गलत ढंग से छापता है या कोई ऐसी टिप्पणी करता है जिससे सभा या सदस्य की प्रतिष्ठा को ठेस लगती हो तो अध्यक्ष पहले समाचार पत्र के सम्पादक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देता है और उसके बाद विशेषाधिकार के मामले को सभा में उठाने की अनुमति है। यदि सम्पादक अपने प्रकाशन के लिए माफी मांग लेता है तो सामान्यत: ऐसे मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां प्रश्न को सभा में उठाने को अनुमति पहले हो दे दी गई थी और बाद में पीठासीन अधिकारी ने यह कहा कि सम्बद्ध व्यक्ति से स्पष्टिकरण मांग लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रिपोर्ट मांगी है और यह एक दो दिन में मिल जायेगी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्टिकरण दिए जाने से अपराध कम नहीं हो जाती हैं। मैं इस मामले को यहीं समाप्त नहीं होने देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अपराध किया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं नियम 225 का उल्लेख करना चाहता हूं। नियम 225 के दो परन्तुक हैं। पहला परन्तुक यह है कि यदि अध्यक्ष अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वह यदि चाहे तो, विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना पढ़ सकता है और यह बता सकता है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को सूचना नियमानुकुल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसको स्वीकृति न देने से पूर्व इस प्रक्रिया का पालन किया जायेगा परन्तु अभी मैंने स्पष्टिकरण मांगा है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बात समझ में नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तुक में यह लिखा है कि इसको स्वीकृति न देने से पूर्व मैं इस सूचना को पढ़कर सुनाउं। परन्तु मैंने इसे अभी अस्वीकृति नहीं किया है। मैंने अभी सम्पादक महोदय से स्पष्टिकरण मांगा है और मैं इसके बाद विचार करुंगा।

Shri Surendra Bikram (Sahjahanpur): I want to raise a point of order regarding questions. I had given notice regarding hunting by foreign diplomats in the forests of Dehradun district. But my notice was rejected by your Secretariat on the plea that there is no practice of asking questions regarding foreign diplomats.

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि बैलट में आपका प्रश्न नहीं आया हो और यदि इसे गृहित नही किया गया तो इसकी सूचना आपको दी जायेगी। हम उस पर चर्चा कर सकते हैं परन्तु इस को यहां नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या आपने सम्पादक से कहा है कि वह इतने समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दें ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि यह स्पष्टिकरण सोमवार तक मिल जायेगा।

श्री के० जी० उन्निकृष्णन (बडागरा): मद संख्या 3(2) (एक) और (दो) के संबंध में मुझे यह कहना है इसको पिछले जुलाई के सत्र के दौरान लाया जाना चाहिए था क्योंकि यह लेखे वर्ष 1975-76 से संबंधित हैं। यह एक आम बात हो गई है। वे किसी भी अचाक का लेखा विलम्ब का कारण बताए बिना प्रस्तुत करते है। आप उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति दे देते हैं। मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कारण क्यों नहीं बताए हैं ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : The trouble is that Hindi Version is available late? I will find out if there are any other reasons for its delay.

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): हमने अनेक बार सिफारिशें की हैं कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ समीक्षा भी आनी चाहिए। यदि कोई विलम्ब होता है तो उसके कारण बताने वाला विवरण भी दिया जाना चाहिए। आप प्रत्येक मंत्रालय को इस बारे में हिदायत करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा में अनेक बार उन्हें निदेश दिया है।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : Always this plea is given that hindi version was received late. Why staff is not increased to avoid such delay?

Shri Ram Awadesh Singh (Bikramganj) : The report of Kaka Kalelkar Commission should be discussed here. At least four days should be set apart for this. I have given notice under rule 184. Many Members do not know what is this report.

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये ।

(व्यवधान) **

**कार्यवाही वृत्तान्त म सम्मिलित नही किया गया ।

** Not Recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

टेक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष 1976-77 के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम का वर्ष 1975-76 आदि का कार्यकारण और वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2030/78]**

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2031/78]**

(3) टेक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखो का शुद्धिपत्र* **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2032/78]**

(4) (एक) हड्डी मिला के बन्द हो जाने के बारे में डा० वसन्त कुमार पण्डित शिव सम्पति राम के तारांकित प्रश्न संख्या 453 के अनुपूरक प्रश्नों के 16 दिसम्बर, 2976 को दिए गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2033/78]**

विलायक निस्सारित तेल, तेलरहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) लेखा परीक्षा आदेश 1978

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Suppplies and Cooperation (Shri Krishna Kumar Goyal): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विलायक निस्सारित तेल, तेल रहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 177 (ङ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2034/78]**

---

*लेखे 15 जुलाई 1977 को सभा पटल पर रखे गए थे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत सूचनाएं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1978 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना और दिल्ली विक्रम कर (पहला संशोधन) नियम, 1978

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सा० नि० 204 (ङ) और 205 (ङ) जो दिनांक 30 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सा० नि० 206 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) सा०सा०नि० 208 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2035/78**]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 207 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2036/78**]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 220 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2037/78**]

(4) (एक) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अतर्गत दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जों दिनांक 16 फरवरी, 1978 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (2)/78-फिन (जनरल) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2038/78**]

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केंद्र थुम्बा में कर्मकारों द्वारा अनिश्चित काल के लिये औजार-रोको हड़ताल किये जाने के कारण काम ठप्प हो जाने का कथित समाचार

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

"विक्रम सारा भाई अन्तरीक्ष केन्द्र थुम्बा में कर्मकारों द्वारा अनिश्चित काल के लिये औजार-रोको हड़ताल किये जाने के कारण काम ठप्प हो जाने का समाचार ।"

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने सदन के सामने इस प्रश्न को उठाया, जिससे मेरे लिये सारे मामले को इसके सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना संभव हुआ और यह बताना कि किस प्रकार से एक कम महत्व के प्रश्न पर कर्मचारियो का एक वर्ग केन्द्र अन्तरिक्ष को नियंत्रित करने को तथा इसके द्वारा सरकार को निष्क्रिय बनाने को तैयार है और ऐसे कार्य लगातार करते हुए ये देश के हित को कैसे भूल जाते है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की सभी कैन्टीनों में भोजन की प्लेट के लिये सहायता की निर्धारित समान दर और युक्तिसंगत सवारी-भाड़े के बारे में अन्तरिक्ष आयोग के निर्णय को लागू करने के परिणामस्वरूप सारी गड़बड़ी उत्पन्न हुई । सदन यह जानने को इच्छुक होगा कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरि कोटा, बंगलौर और अहमदाबाद स्थित अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों की ओर से बिना किसी प्रकार के आन्दोलन के यह योजना लागू की गई है। विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थुम्बा में, बहरहाल, कर्मचारियों ने शनिवार, 1 अप्रैल, को एक आन्दोलन शुरू किया, तथा सोमवार, 3 अप्रैल को आन्दोलन हिंसात्मक हो गया, जिसमें राकेट निर्माण सुविधा के बाहर पत्थर फेंके गये, हमला किया गया और इंजिनियरों को डराया-धमकाया गया। कर्मचारियों ने फैक्टरी पर आक्रमण कर दिया और संयंत्र उपस्कर, मशीनरी और अन्य सरकारी सम्पत्ति को व्यापक क्षति पहुंचाई। क्षति की मात्रा का ब्यौरेवार अनुमान लगाया जा रहा है।

इस स्थिति का सामना करते हुये तथा कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के बारे में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये राज्य सरकार की पुलिस और स्थानीय अतिरिक्त जिला-मजिस्ट्रेट ने हस्तक्षेप किया लेकिन स्थिति को तब तक नियंत्रण मे न किया जा सका; जबतक कि पत्थर फेंकने के परिणाम स्वरुप राज्य सरकार का मजिस्ट्रेट घायल न हो गया और उसकी चिकित्सा की गई।

इसके परिणामस्वरूप हिंसक घटनाओं के संबंध में कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पर हमला करने और सरकारी सम्पत्ति के क्षति पहूंचाने के सम्बन्ध में जांच के लिए तीन मामले दर्ज किए गए। केरल सरकार के श्रम मंत्री श्री उम्मन चन्डी ने मध्यस्थता की ओर विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के नियंत्रक के साथ तथा कर्मचारियो के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बात-चीत की। कर्मचारियों द्वारा उठाये गये प्रश्न इस प्रकार थे :—

राकेट निर्माण सुविधा में सुरक्षा और स्वास्थ के मानदन्डों के तथाकथित अतिक्रमण की दृष्टि से एक्स-रे और रेडियोग्राफी यूनिटों के स्थान को बदलना । मुझे यह कहना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक विशेषज्ञ, जिसने तीन दिनों तक इस प्रश्न पर विचार करके और सभी सुरक्षा उपायों का पुनिरीक्षण करके सारे प्रश्न की विस्तृत रूप में जांच की और उसे इस बारे में संतोष था कि यहां किसी भी प्रकार के विकिरण का ऐसा खतरा नहीं है, जिससे स्वास्थ्य की जोखिम हो।

2, एक रुपये प्रति भोजन की प्लेट की किमत को कम करके पहले की पैंसट पैसे की कीमत करना। यह स्पष्ट किया गया कि एक समान सहायता, जो कि प्रति भोजन की प्लेट पर पैंतीस पैसे से अधिक नहीं होगी, निर्धारित की गई है, जब कि पहले यह मात्रा ज्यादा थी, तथा प्लेट-मील में दिये जाने वाले भोजन की मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। फिर भी केन्द्र के प्राधिकारियों ने आवश्यक समन्वय करने और भोजन की प्लेट की कीमत कम करने के बारे में इस शर्त पर तत्परता व्यक्त की कि भोजन की प्लेट में जो खाद्य सामग्री होती है, उसकी मात्रा में इसके अनुरूप कमी की जाय।

3. पहले के आन्दोलन में गैर-कानूनी अनुपस्थित के कारण काटे गये वेतन का भुगतान करना। चूंकि "बिना कार्य वेतन नहीं" का सिद्धांत भली प्रकार, प्रमाणित है, उन्हें स्थिति स्पष्ट की गई और चुंकि वे जानबुझ कर गैरहाजिर रहें थे, इस सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा।

सदन यह नोट करेगा कि कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा हिंसा का आश्रय लिये जाने के बावजूद केन्द्र के प्राधिकारियों ने समझौतापूर्ण व्यवहार अपनाया है, लेकिन इसके उत्तर में कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया और केन्द्र म किसो प्रकार की नाम-मात्र की भी गतिविधि चालु नही है। कर्मचारिगण न केवल अपनी हड़ताल जारी कर रहें है अपितु जो कर्मचा ी काम करना चाहें है, उन्हें काम करने से रोक रहे है, तथा उन्हें बलपूर्वक कार्यालय से बाहर किया जा रहा है। यह ज्ञात हुआ है कि आन्दोलनकारियों द्वारा केन्द्र की दो कारों को पहले ही नुकसान पहुंचाया गया है।

मैंने पहले भी कर्मचारियों और नियोक्ताओ दोनो के लिये विवादों के मामलो को समझौता-वार्ताओंद्वारा हल करने के दायित्व पर एक से अधिक बार बल दिया है। यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में कर्मचारियों ने हिंसा का सहारा लिया है और सरकारो सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। वे यह समझने में असफल रहे हैं कि नुकसान करने से वे न केवल व्यक्तियों, अधिकारियों अथवा अन्य किसो को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपितु स्वयं देश को हानि पहुंचा रहे है, क्योंकि फैक्टरी निःसंदेह रूप में देश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस संस्थान को सम्पत्ति है। यह निन्दनीय हैं कि अपनी मांगों को मनवाने के लिये प्राधिकारियों पर जोर डालने के लिये कर्मचारियो ने केन्द्र की उन सम्मत्तियों के प्रति अपने दायित्व को भूला दिया है, जिस पर उनका कार्य निर्भर करता हैं। मैं कर्मचारियों की प्रवृत्ति की दृढता से निन्दा किये बिना नहीं रह सकता और मैं सदन को यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिंसा को ऐसी घटनाओं और सरकारी सम्पत्ति के मनमाने नुकसान के सामने किसी भी प्रकार का समर्पण नहीं किया जा सकता। मुझे ज्ञात हुआ है कि सदन के एक माननीय सदस्य त्रिवेन्द्रम में हैं और केन्द्र के परिसर में सभा आयोजित करने की अनुमति प्रदान न करने के बाद, केन्द्र के परिसर के बाहर कल तोन सभायें की गई। इस के बाद शहर में एक सभा की गई, जिसमें कर्मचारियों को उनकी गैरकानूनी हड़ताल जारी रखने को कहा गया था। मुझे यह भी बताया गया है कि कुछ कर्मचारी स्टाफ को बाहर घसीट रहे है और जोर-जबरदस्ती तथा भयभीत करने वाले कार्यों में लगे हुए हैं, यहां तक कि बिजली और पानी भी बन्द कर दिया गया है। स्पष्टतया, हमें इन क्रियाकलापों का दृढता से सामना करना पडेगा। यदि किसी प्रकार से हिंसा को आवृति दुबारा होती है तो सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के उपाय करने के लिये तथा स्थिति का सामना करने के लिये आवश्यकतानुसार हमारे पास उपलब्ध ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : प्रधान मंत्री द्वारा विस्तृत वक्तव्य दिये जाने के लिये मैं उनका आभारी हूं। प्रधान मंत्री देश के महानतम गांधीवादी हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने आधा झूठ बोला है और अब वह सदन के अन्य सदस्यों के स्तर पर आ गये हैं। मुख्य विषय यह है कि कर्मचारी भोजन के मामले में राज सहायता चाहते थे जैसे गत छः वर्षों में दी जाती रही थी।

वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिये परिवहन की व्यवस्था की गई है। विक्रम साराभाई केन्द्र नगर से लगभग 20 मील दूर स्थित है। वहां कुछ भी चीज उपलब्ध नहीं है और ऐसे स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री का कथन है कि उन्हें आधे भोजन का मूल्य दिया जाता है लेकिन वे खाली पेट काम नहीं कर सकते।

हम सब कारखाने में रुचि रखते हैं। क्या प्रधान मंत्री कर्मचारियों में रुचि नहीं रखते? उक्त कर्मचारी गत छः वर्षों से कारखाने में काम कर रहे हैं। वहां एक बार भी हड़ताल नहीं हुई है। अचानक हड़ताल किये जाने की जांच की जानी चाहिए। अयोग्य कर्मचारियों और इंजिनियरों द्वारा कर्मचारियों को हड़ताल करने पर जाने को मजबूर किया गया। उक्त अधिकारियों और इंजिनियरों ने प्रशासन को परिवहन और भोजन के लिए दी जाने वाली राज सहायता बन्द करने के लिए भड़काया। एक्स-रे संयंत्र को अन्यत्र स्थापित किया जाना चाहिये। इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। प्रधान मंत्री को इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिये और कार्य को ठप्प नहीं होने देना चाहिये। उन्हें कर्मचारियों से शीघ्र विचार-विमर्श करना चाहिये। राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण रखने की स्थिति में है। वहां यह भावना व्याप्त है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को बदनाम करने के लिये उसे अपना कार्य नहीं करने दे रही है। प्रधान मंत्री को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिये और श्रम मंत्री को समस्या का समाधान करने के लिये स्थल पर भेजा जाना चाहिये।

श्री कृष्ण कान्त (चंदीगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदस्य महोदय का यह कथन की प्रधान मंत्री आधी झूठ बोले है और फिर वह अन्य सदस्यों के स्तर पर आ गये हैं। यह विशेषाधिकार का मामला है। क्या सदस्य आधा झूठ बोलते हैं? उन्होंने ऐसा कह कर अपनी प्रतिष्ठा गिराई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके भाषण का पुरा अध्ययन करें और उनके वक्तव्य में जो कुछ ऐसा कहा गया हो जिससे विशेषाधिकार का मामला बने उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित न करें। **(व्यवधान)**

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इस बारे में कुछ शक इस लिये हुआ क्योंकि प्रधान मंत्री वक्तव्य पढ़ रहे थे। अतः माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मंत्री सदस्य के स्तर पर आ गये हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री रेड्डी ने ऐसा मजाक में कहा है। हमें इसे गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं अपने प्रधान मंत्री को एक सामान्य स्तर के व्यक्ति तक घसीटना नहीं चाहता।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय मित्र द्वारा की गई प्रशंसा के लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं को इस सदन के सदस्यों से बड़ा नहीं समझता हूं। सदन के प्रत्येक सदस्य की भांति मैं अच्छा अथवा बुरा हूँ। मेरे गांधीवादी दर्शन के बारे में तो प्रशंसा की गई है लेकिन

माननीय सदस्य ने मुझ पर दोबारा आरोप लगाया है कि मैं आधे सच को मानता हूँ और ऐसा मैं खुद नहीं करता अपितू यह मुझसे कराया जाता है। क्या माननीय सदस्य गारंटि देते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सच है ? यह संभव है कि मुझे गलत जानकारी दी गई हो। यदि माननीय सदस्य ऐसा करते है और वह मुझे ब्यौरे देते हैं तो मैं मामले की जांच-पड़ताल करुंगा और आधे सच को बताने के लिये अधिकारी को दंडित करुंगा।

कर्मचारियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। मुझे उनसे सम्पत्ति को उस हानि की पूर्ति करने को कहना होगा क्योंकि यह हानि उन्हीं के कारण हुई। जब तक कर्मचारी काम पर वापस नहीं आते और अपने इन तरीकों को नहीं छोड़ते मैं अधिकारियों को निदेश दे रहा हूँ कि उनसे कोई बात न की जाये।

श्री सौगत राय (बरकपूर) : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा जिसमें उन से कहा गया है कि वे श्री वयालार रवि के नेतृत्व वाली यूनियन की मान्यता को समाप्त कर दें?

श्री मोरारजी देसाई : ये वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है। अत: इनमें यूनियन संबंधी कोई गति विधियां नहीं हो सकती हैं। मैंने मुख्य मंत्री को लिखा है कि ये वैज्ञानिक प्रतिष्ठान औद्योगिक संबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे सेना की टुकड़ियों को हटा रहे हैं और श्रमिकों के साथ बातचीत करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : सेना को नहीं बुलाया गया था, यह झूठ है। आज सुबह कोई सेना नहीं थी। यदि यह बाद में बुलाई गई हो तो मुझे नहीं मालूम .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीगण जो कहते हैं मुझे वह मानना पड़ेगा।

कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड के मामलों की जांच कराने तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में याचिका

PETITION *RE* : ENQUIRY INTO AFFAIRS OF CONTAINERS AND —CLOSURES LIMITED AND ITS NATIONALISATION

श्री सौगत राय (बैरकपूर) : मैं कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड के मामलों की जांच कराने तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में श्री रघुनाथ घोष, जनरल सेक्रेटरी कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स स्टाफ और श्रमिक यूनियन, गोरिफा, 24-परगना द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

पटना जंक्शन पर रेलवे प्रायोजित छात्रावास के पुन: खोले जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE:* REOPENING OF RAILWAY SPONSORED STUDENTS HOSTEL AT PATNA JUNCTION

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): Yesterday when Shri Ram Vilas Paswan raised the question of opening of Patna hostel subsidised by the railways, I had assured the House that the matter would be decided within a day. I am glad to inform the House that a decision has been taken to reopen the hostel and orders are being issued to the General Manager of the Eastern Railway to arrange for its efficient running. It has also been decided that the applications for admission to the hostel would be properly scrutinised so that eligible students are admitted.

नियम 377 के अधीन मामल

MATTERS UNDER RULE 377

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रेल माल डिब्बों के रोके जाने के बारे में रेलवे द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति का समाचार

Shri Nirmal Chandra Jain (Seoni): The Railways have issued a press note on March 27 in which they have blamed the coal India Ltd., the steel plants and some thermal power plants for holding up the wagons. These organisations are unable to load the wagons given to them on priority basis and the result is that coal remained lying at pit heads. This is a serious lapse in view of the fact that there is great shortage of coal in many parts of the country. The Minister of nergy should pay attention to it and see that coal do not remain lying at pit heads and that it is expeditiously transported to various parts of the country.

आंध्र प्रदेश में धान का मूल्य बढाने के लिए धान उत्पादकों द्वारा आन्दोलन का समाचार

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : आंध्र प्रदेश में धान उत्पादक धान का मूल्य बढ़ाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु उनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। साथ ही धान खरीदा भी नहीं जा रहा है। धान दो प्रकार का है, एक तूफान से प्रभावित और दूसरा अच्छा धान। तूफान से प्रभावित धान उबाल कर केरल ओर अन्य जगहों को भेज दिया जाये जो इसे लेना चाहते हैं। दूसरे धान को खरीदा जाए लेकिन भारतीय खाद्य निगम इसे खरीद नहीं रहा है। मंत्री महोदय यह देखें कि समूचा धान निश्चित मूल्य पर खरीदा जाए।

मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की एक बैंच का गठन करने का समाचार

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded): It is regrettable that a separate Bench of High Court has not yet been provided at Aurangabad for the five district of Marathwada region which the people of that area have been demanding for a long time. On March 22 a Resolution was adopted in Maharashtra Assembly requesting the Government to set up a Bench at Aurangabad without further delay. Government should see that this is done immediately so that the difficulty of the people of that area is removed.

बिड़ला उद्योग समूह के शेयरों की खरीद का समाचार

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने हाल में चालू बजट के बाद एक विशेष औद्योगिक गृह से संबंधित फर्मों के करोड़ों रुपये के शेयर खरीदे हैं । ये शेयर ग्वालियर रेयन्स, केशव राम, हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम और ओरियंट पेपर फर्मों के हैं जो बिरला ग्रुप से संबंधित है । इन्हें बम्बई और कलकत्ता स्टाक एक्स-चेंजों में बड़े ऊंचे दामों पर खरीदा गया है । यह समाचार जान-बूझकर प्रचारित किया गया और शेयरों का मूल्य बढ़ गया । इन शेयरों को उस समय खरीदा गया जब इन पर बहुत कम लाभ था और मूल्य बहुत ऊंचे थे । इससे सरकारी वित्तीय संस्थाओं अथवा राजकोष को सहायता नहीं मिली है अथवा केवल संबंधित औद्योगिक व्यापार गृह को ही लाभ हुआ है । वित्त मंत्री इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दें और घोटाले की जांच कराय ।

अनुदानों की मांगें 1978-79
DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 44 से 46 को विचार और मतदान के लिये लेगी जिसके लिय 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

सर्वश्री शिब्बनलाल सक्सेना और केशवराव धोंडगे ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं ।

श्री सक्सेना उपस्थित नहीं हैं । श्री केशवराव धोंडगे भी उपस्थित नहीं हैं । अतः दोनों ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): Sir,........

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिये नहीं कहा है । यहां प्रथा यह है कि इस समय हम आपसे बोलने के लिये नहीं कहते हैं । यदि आप अपनी ओर से वक्तव्य देना चाहें तो अलग बात है । मैं आपसे निजी तौर पर अनुरोध करता हूं कि इस समय आप न बोलें क्योंकि यह एक गलत पूर्वोदाहरण हो जायेगा ।

Shri Raj Narain: I want to tell somthing about new schemes, with your permission, so that there can be a better discussion.

अध्यक्ष महोदय : आपको अंत में अवसर मिलेगा ।

Shri Raj Narain: What will they tell in the end?

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुंदपुरम) : इस विशेष मामले में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य मंत्रालयों के मामले में हमने अनुमति नहीं दी है ।

Shri Raj Narain: If you have any inconvenience, I shall speak later on. I have experienced that if the Minister of the Department puts his views first and discussion takes place later, it is better.

श्री ए० सी० जार्ज : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने जितना भी समय लिया है उसे सत्तारूढ़ दल को आबंटित समय में से कम किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । ऐसा ही करना होगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) मैं एक अन्य विकल्प का सुझाव देता हूं । यदि मंत्री महोदय को किन्हीं महत्वपूर्ण निर्णय को घोषणा करनी है और वह वाद-विवाद को प्रस्तावना के रूप में उन्हें सभा में बताना चाहते हैं तो वाद-विवाद अधिक सार्थक होगा । परन्तु वह ऐसा एक शर्त पर कर सकते हैं कि उन्हें जितना समय दिया जाये उसे इस समय के समय और अंत में लिये जाने वाले समय में विभाजित किया जाये ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यदि मंत्री महोदय पूर्व सूचना से वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह बजट पर चर्चा के समय ही ऐसा करें ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सूचना दी है और मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वह अभी न बोलें क्योंकि पूर्व विनिर्णयों के अनुसार यदि मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहें तो यह उनका अधिकार है परन्तु सामान्यतया ऐसा नहीं किया जाता है । यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे उन्हें अनुमति देनी होगी लेकिन बाद में उनके दल को आबंटित समय में से यह समय काट लिया जायगा ।

Shri Raj Narain: If the Minister does not tell something about his department or about the schemes, there will not be a good discussion. If you do not allow me, I shall not speak.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आप चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं ।

Shri Raj Narain: With your permission, I want to state certain important points. A total amount of Rs. 387.03 crores has been earmarked in the Budget for the Ministry of Health and Family Welfare for the year 1978-79. It runs into three parts:—

(1) relating to the provisions of the Secretariat,

(2) relating to treatment and public health,

(3) relating to Family Welfare.

I want to state about the new improvements in the provisions compared to those made by the previous Government.

A provision of Rs. 83.28 crores was made for health for the year 1977-78 and this year this amount has been increased. It is Rs. 146.48 crores this year. For Family Welfare the amount earmarked during last year was Rs. 98.18 crores but this year this amount is Rs. 111 crores. In the Health Department, 70 per cent expenditure for Health and 75 per cent for Public Welfare will be incurred during the entire Five Year Plan period. 30,000 Jan Swasthya Rakshaks (Public Health Workers) have been sent to the field for doing out work.

A scheme has been introduced to have trained midwives in each village. There are 50,000 trained midwives under this scheme.

Besides, a Manual has been prepared in all the languages barring the languages spoken in Tamil Nadu and Karnatak. Every Jan Swasthya Rakshak keeps this manual with him.

A World Health Organisation Team visited India and praised this scheme and said that Western countries would also follow that scheme.

Some of the newspapers express this view that we have given up Family Planning. That is not correct. This Programme is continuing. Only compulsion and coercion have been given up. Since this Government came into existence, more than 8 lakh persons have undergone sterilization.

We have worked out a scheme for opening 38,000 maternity centres during the next five years. A course about welfare of mother and child will be introduced in schools.

At present the birth rate is 33 per 1000. By 1982-83 it will be brought down.

We have made much progress in the Indian System of Medicines. We have earmarked Rs. 60 crores during the Five Year Plan for the indigenous system of medicines. A new Directorate in this system is also being set up.

We have given instructions to states to add one more doctor in each Primary Health Centre. That doctor would be a doctor in any of the systems of Indian Medicines.

We have constituted a committee under the chairmanship of the Health Director to give suggestions to the Government regarding internship and house jobs. 12,000 to 14,000 doctors come out and it is not possible to provide house jobs to all of them. But money factor plays a role about internship. We are thinking of increasing the amount for internship.

We are also taking steps for prevention of leprosy. For cure of blindness, we have provided a sum of Rs. 2.37 crores whereas formerly it was only Rs. 1 crore.

A committee has been set up under Dr. Siddhu, Member, Rajya Sabha to give suggestions to improve the working of Hospitals in Delhi.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : देश के सामने एक बड़ा खतरा बढ़ती हुई जनसंख्या तथा गरीबी का है। आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्धनता स्तर जो 35 प्रतिशत था बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हाल ही में नसबन्दी तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निष्पादन के बारे में काफी विवाद रहा है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस मामले में न तो सरकार ही और न मेरा दल ही जबरदस्ती करना चाहते हैं। ऐसी घटनायें आपात स्थिति के दौरान हुई हैं। किन्तु जिन लोगों ने ऐसा

[श्री वी० किशोरचन्द एस० देव]

किया है वे न तो सरकार के सदस्य थे और न हो कांग्रेस दल के। अतः यह कार्य कुछ लोगों द्वारा जबरन किया गया। यह आवश्यक नहीं है कि हम नसबन्दो तथा परिवार नियोजन की नीति की पूरी तरह त्याग दे जो कि देश के लिये नितांत आवश्यक है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये नसबन्दी ही पर्याप्त साधन नहीं है। महिलाओं में शिक्षा की वृद्धि की जानो चाहिये। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व वर्ष 1971 का जनगणना के आधार पर होना चाहिये। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जानेवाला सहायता भी 1971 की जनगणना पर आधारित होनी चाहिये।

मैं यह बात जानना चाहता हूं कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान के डा० जी० पी० हलवार द्वारा बताये गये गर्भनिरोधक टीके का क्या हुआ ? इससे परिवार नियोजन तथा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी।

सरकार को 1976 की नीति को अपनाना चाहिये, जिसे हमारी सरकार ने तैयार किया था। उसमें जो त्रुटियां हैं केवल उन्हें ही दूर किया जाना चाहिये।

खेद की बात है कि दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा सेवायें असंतोषजनक होती जा रही हैं। विलिंगडन अस्पताल में समुचित चिकित्सा न करने के कारण एक पत्रकार की मृत्यु हो गई। इससे पता चलता है कि दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा सेवायें कितनी असंतोषजनक हो रही है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भी ऐसा ही है। मुझे आशा है कि मंत्री जी स्वायत्तशासी निकायों में राजनैतिक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास करेंगे। इस संस्थान में एशिया के उच्च कोटि के चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिये और इन निकायों के कार्यकरण में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिये, क्योंकि इन चिकित्सकों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने से काम खराब होगा।

मंत्री जी ने कई उपायों का सुझाव दिया है जो वह ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहते हैं। यद्यपि मंत्री महोदय के विचार अच्छे हैं किन्तु जिस ढंग से वह इन उपायों को कार्यान्वित करना चाहते हैं, वह इन चिकित्सा कार्यक्रमों के अनुकूल नहीं होगा। 'बेयर फुट' डाक्टरों के सिद्धांत से मंत्रीमहोदय चिकित्सकों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं जो नीमहकीम कहलायेंगे। इसका परिणाम तो ग्रामीण लोगों के जीवन को बचाने के बजाय उन लोगों को मारना होगा। यदि वह अर्धचिकित्सा कार्यकर्ताओं तथा समुदाय कार्यकर्ताओं का एक दल बनाना चाहते हैं तो उन्हें हमारी उन सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये जो 1976 में की गयी थीं।

हमारे शहरों, कस्बों तथा गांवों में छूत की अधिकांश बीमारियां जलप्रदूषण के कारण होती हैं। यह उचित समय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय एक राष्ट्रीय नीति बनाये जिसके द्वारा वह समस्त गांवों में संरक्षित तथा ढके रहनेवाले जल की सप्लाई करे ताकि मलेरिया, चेचक आदि रोगों से बचा जा सके।

मुझे पूर्ण आशा है कि छोटे-बड़े सभी गांवों को समान रूप से ये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एक योजना हाथ में ली जायेगी।

देश में पोषाहार तथा नर्सिंग की भी एक बड़ी समस्या है। पोषाहार के अभाव के कारण हमारे देश के शिशुओं की दशा बहुत खराब है। मंत्री महोदय मातृ-चिकित्सा तथा शिशुओं के लिये पोषाहार की ओर अधिकाधिक ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोगों से निष्प्रभाव करने के लिये ट्रिपल एन्टीजेन, पोलिओ तथा चेचक के टीके के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। मंत्री महोदय उक्त सुविधायें देश के दूरस्थ छोटे बड़े गांवों में पहुंचाने की व्यवस्था करें।

मुझे खुशी है कि दाईयों की संख्या 30,000 से बढ़ाकर 50,000 तथा तदुपरान्त एक लाख की जा रही है। इसी प्रकार नर्सों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये। इससे महिलाओं में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा रोगी-सेवा की व्यवस्था भी अच्छी हो जायेगी। आज केरल तथा अनेक अन्य राज्यों से लड़कियां रोजगार के लिये विदेशों में जाने को तैयार हैं। उन्हें यहीं रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक तरह की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा शुरू करें। ऐसी योजना यू० के० तथा अन्य कई देशों में विद्यमान है। मंत्री महोदय धीरे धीरे इस योजना को आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से दलित लोगों में शुरू करें ताकि उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी वे सुविधायें मिल सकें जो धनिक लोगों को उपलब्ध हैं। ब्रिटेन तथा जापान में ऐसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनायें सफलतापूर्वक चल रही हैं।

मंत्री महोदय ने कहा है कि कोढ को नियंत्रित करने के लिये उन्होंने इसके लिये निर्धारित राशि में वृद्धि कर दी है। यह खुशी की बात है। मुझे आशा है कि इसी प्रकार वह अंधता निवारण की ओर भी अधिक ध्यान देंगे।

इस प्रतिवेदन में एक अध्याय में सरकारी कार्य में हिन्दी के उपयोग की बात कही गई है। मैं हिन्दी के विरुद्ध तो नहीं हूँ परन्तु हर चीज की एक सीमा होती है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से यह मंत्री महोदय हिन्दी भाषा के संदर्भ में काफी कुख्यात हैं...

श्री राजनारायण : विख्यात या कुख्यात ? आपने शायद गलत शब्द प्रयोग किया है।

श्री के० गोपाल : जी हां, कुख्यात, विख्यात नहीं।

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : हिन्दी भाषा से स्वास्थ्य सेवाओं अथवा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सुधार होने वाला नहीं है। मंत्री महोदय को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हिन्दी का विवाद नहीं ठुंसना चाहिये। हिन्दी भाषा से उनके मंत्रालय की समस्यायें हल नहीं होंगी।

अन्त में मैं उनसे अपील करूंगा कि वह देश को दुखों और निर्धनता से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 1976 वाली नीति का ही अनुसरण करें जिसमें दबाव का तत्व निकाल दिया जाये।

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded): I have heard the speech of the hon. Health Minister very attentively. I expected something revolutionery in his ideas but are disappointed to find only monetary descriptions and datas therein.

[Shri Keshavrao Dhondge]

The Prime Minister and the Health Minister want to bring 'Ram Raj' in the country. But would the subjects in the "Ram Raj" live on *Roots* and herbs only ? Does Ram Raj mean that people should eat only what the monkies only do ? That is not a real Ram Raj.

Most of our people live in villages and their diseases are poverty, backwardness, illiteracy; and we have to remove these diseases. Despite the fact that 30 years have elapsed since we got freedom. Only the affluent people in our country are able to get proper treatment and medicines. Poor people cannot get these facilities in our country. There are Govt. hospitals & dispensaries but the doctors work only to prescribe the medicines which are not available with them. People have to purchase the medicines from the market. I would have gladly congratulated the hon. Health Minister had he brought in some revolutionary scheme to provide free medical aid to the poor people of this country.

I, therefore demand that adequate arrangements should be made to make the medicines and other medical facilities available in all the hospitals and dispensaries in every Taluk, Village or Township. At present our dispensaries and hospitals are very old and there are no facilities for serving oxygen, blood transfusion etc. There are no anti-rabbit vaccines too.

If this is the real condition, what sort of revolution are you bringing about ?

Govt. should provide for more and more mobile hospitals in rural areas at the rate of at least two mobile hospitals in every Taluk. There should be arrangement for detecting and curing the diseases at the preliminary stage itself. I am also sorry to point out that many of the medical centres have turned into dens of corruption. They exploit the people in the name of caste and class. Although it is very true that all the doctors are not corrupt yet there are sufficient number who do not hesitate to exploit the poor and innocent people.

You are having a scheme for eradicating Malaria and for that you are seeking foreign aid too. But what to speak of eradicating you have not been able to control it so far. Mosquitoes are still haunting the bunglows of Members of parliament. Last month when I returned from Bombay I felt the presence of mosquitoes in the air-bus even.

Mr. Deputy Speaker : They can travel without tickets,.

Shri Keshavrao Dhondge : You should eradicate them at least from the air buses if not from the cities and villages. No one should worry about it ? It is Janata Raj and let the people die of Malaria and it would prove to be a simple method of having "family planning". Veneral diseases are on the increase among our young boys & girls. This problem too should be looked into.

As regards public health centres, it is one after every 60 to 70 thousand people and the per capita expenditure thereon is only 10 to 15 paise. If it possible to cure the patient in such a position ? For want of medical facilities people are compelled to run to superstitious means of cure.

Our medical colleges are very little in number and very costly for studies. No poor man can afford to send his ward to a medical college. These are meant for priviledged class of people only. My suggestion is that these colleges should be located in villages and Talukas. Every district should have atleast four to five such colleges.

All the private hospitals, health centres, dispensaries etc. should be nationalised otherwise you will not be able to send the doctors to the villages. Also adequate facilities should be provided to the doctors going to the villages. Shri Jai Prakash Narain is our beloved leader. He was provided with the facility of dialysis. Such facilities should be provided to every poor and needy person also. Necessary equipment for the purpose should be made in the hospitals in every state and poor people should be allowed to avail themselves of this facility free of cost.

Similarly facilities for treatment of cancer and paralysis, which are at present available only in Bombay, should be made available in the Marathwada and Vidarbha areas also so that poor people of these areas are not made to rush to Bombay for the same.

There is an acute shortage of good drinking water in the rural areas. Good water is absolutely necessary for the up keep of good health. As regards family Planning only slogans and propaganda will not deliver the goods. People should be made to know and understand as to what benefits are there on observing family planning. They should know the advantage of having a small family. Then, Government will not have to make efforts to revive the cases of compulsory and forced sterilization. Compensation should also be given in such cases.

We should have a National Common Civil Code for the proper observance of family planning. This code should be applicable to all irrespective of caste considerations or religious notions. Facilities required for family planning should be made available in rural areas. All the private hospitals should be nationalised.

It has to come to light that some bogus doctors have got entry into the Safdarjung Hospital and were working in the medical store. If this is true, then how did it happen ? Who is responsible for all this ?

Finally I would urge that if we want to keep the nation healthy and free of disease, we should provide medical facilities in the rural areas on top priority basis.

Shri Brij Bhushan Tiwary (Khalilabad) : The broad outlines of the new policies, laid down by hon. Health Minister clearly show how aptly our Janata Party is going ahead to fullfil the aims contained in the party's manifesto. There have been quite a number of controversies on the national level and our Health Minister has found ways-out for them. There has been acute shortage of hospitals doctors, compounders, and even medicines in our rural areas. The demands made for these items clearly shows that adequate allocations have been made by hon. Minister for these things.

Secondly, it is not possible to achieve this goals of public health and care through Govt. hospitals and health centres only. So far as the number of sick people is concerned, India tops the list in the world. Most of us are the victims,

13—124 LSS (ND)/78

[Shri Brij Bhushan Tiwary]

of malnutriation and as a result thereof we suffer from blindness, mental & physical retardedness and many more diseases. It is therefore quite imperative that we should under take a big plan aiming at making provision for medical and health-care facilities in every rural pocket keeping this in view the Govt. have prepared a volunteer public-health protection plan which has been immersely praised by the world bank team visiting India. Such a plan was hit upon by the previous Govt. also but that was very limited and that was to be run with the help of teachers of schools and colleges as also the employees of Govt. Organisations that plan did not receive proper response and encouragement. But the present plan is very revolutionary. It intends to involve the entire people of the country and provides for proper training, selections of the health visitor as also the programme for educating the people at large about the treatment of general ailments. Although this scheme became a subject of being controversy and also victim of political propaganda saying that doctors will not like or should not be made to go and rot in the far-flung villages since they have spent lakhs of rupees to get the degree.

But this plan is aimed at achieving so many good things. Besides making available medical facilities to the people at large. This plan would help in bringing employment opportunities. It is a production scheme and as such I turm it a revolutionary scheme.

Village women become victims of a number of diseases like titanus at the time of delivery because of insanitary conditions and also because of unskilled and orthodox treatment by village midwives. Also, these midwives are giving up this profession considering it to be an indignified job. And thus the village women are exposed to great danger in the absence of timely and adequate medical care and treatment or because of bad and unskilled handling at the time of delivery. The present scheme should aim at giving training to the prospective midwives and deploy them on this job.

The third revolutionary aspect of this scheme is "reversal complex service system" wherein the medical colleges and universities would be giving representation to the people of area of location thereby bringing in a close and direct involment of the people there. All India Institute of Medical Sciences and Indian Medical Council are also amending their rules for this purpose. There is a proposal under this scheme to convert each primary health centre into a mobile clinic.

It has been alleged that the hon. Minister is retarding the progress in the work of family planning but it has been very clearly said in the manifesto of our Janata Party. That our approach to the family planning or family welfare work would not coercive but it would educative and voluntary. According to the figures available children below the age of 15 years constitute 42 per cent of our population. If this lot is given proper education in this subject, it would prove very beneficial. NCERT have prepared a syllabus also for this. Then people would be educated in this respect by organising camps. We would not use force or coercioe in this work.

It was the view of previous Government that the failure of Government was only due to rise in population. But Janata Government does not think so. It has its own approach and policy. Though the increase by population is a matter of serious concern. Now the population is 615 millions. In this context it is necessary to take cooperation of all the voluntary bodies and organisations. All political workers should give due publicity to this ideology, this planning and this programme throughout country and particularly in rural areas.

We should take steps to make the medicines cheaper, the medicines like tonics etc. which are used by the effluent society as a fashion should not be produced here. Only medicines of common use and life saving drugs should be produced in the country in increased quantity and their prices should be reduced so that they are easily available to common people. We should develop our indigenous system of medicines like all other revolutionary countries. Research should be made and Indian system of medicines should be developed and modernised in view of Indian geography, Indian climate and other circumstances and Indian traditions. The approach of our Ministry of Health and Family Welfare is encouraging and people have begun to think that the Ministry of Health and Family Welfare is for the poor. A committee has been constituted for the administration of the Hospitals. It will ensure better administration of hospitals and will also ensure that poor people get medicines from there. With these words I support the Demands of this Ministry.

***श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकाशी)** : श्रीमान्, हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और 20 प्रतिशत शहरों में रहती है। दूसरी ओर 80 प्रतिशत डाक्टर शहरों में रहते हैं जो केवल 20 प्रतिशत जनसंख्या की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्रति 10,000 लोगों के लिए एक डाक्टर है जबकि गांवो में प्रति 84,000 ग्रामवासियों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। हमारे देश में कुल 5,352 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें से 1,900 में न तो डाक्टर हैं और न हैल्थ विजिटर है। देश में कुल 44,000 उप-केन्द्र हैं जिनमें से केवल 39,000 ही ठीक से काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों में नये चिकित्सा स्नातक हैं। उनमें उपकरण भी नहीं है और कर्मचारी भी कम है। उनका कार्यकरण दोषपूर्ण है। यह स्थिति है इन चिकित्सा केन्द्रों की, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं की उपेक्षा की है।

जनता दल के एक वर्ष के शासन-काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1977 में 1976-77 की तुलना में स्वेच्छा से नसबंदी कराने वालों और परिवार नियोजन के अन्य तरीके अपनाने वालों में क्रमश: 82 प्रतिशत और 68 प्रतिशत की कमी हो गई है। वर्ष 1977-78 के बजट में परिवार कल्याण परियोजनाओं के लिए 98.61 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जबकि बजट-प्राक्कलन में यह राशि 121.47 करोड़ रुपये दर्शायी गयी थी। इस राशि में कमी क्यों की गई ? इतना ही नहीं जो राशि नियत की गई है, अनुमानित खर्च के अनुसार उसका भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा न करने से पहली सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में जो सफलता प्राप्त

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translation version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

[श्रीमती वी० जयलक्ष्मी]

की थी, वह भी समाप्त हो जायेगी। अतः सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये जिन्होंने पूरी राशि का उपयोग नहीं किया है।

जहां तक खाद्य अपमिश्रण का सम्बन्ध है, गत वर्ष कुल 10 व्यापारियों को इसके लिए सजा हुई है और उनसे 1,62,500 रुपये जर्माने के रूप में वसूल किये गये। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को फांसी लगाई जानी चाहिए, न कि उन्हें जुर्माना करके छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि खाद्य-अपमिश्रण का अपराध पूरी मानवता के विरुद्ध किया जाता है। यदि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के साथ नरमी से बर्ताव किया गया, तो लोग इसे सहन नहीं करेंगे।

औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों को केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन द्वारा किया जाता है। परन्तु यह संगठन अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है। फिर ऐसे संगठन को बनाये रखने का क्या लाभ है। औषध किस्म नियंत्रण एक सामाजिक कानून है और उसका ध्येय था कि लोगों को ठीक किस्म की दवाएं मिले।

मृतकों की कुल संख्या में 25 प्रतिशत बच्चे एक वर्ष की या इससे छोटी उम्र के होते हैं। परन्तु गत वर्ष बच्चों को काली खांसी, डिपथेरिया और टेटनस रोगों से बचाने के लिए केवल 67.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई जबकि इनकी संख्या देश में 20 करोड़ है। मुझे लगता है कि यह राशि भी नगरों में ही खर्च की गई है। गांव के एक भी बच्चे को इसका लाभ नहीं मिला है। डी० पी० टी० टीकों की अत्यधिक कमी है। इसी प्रकार बी० सी० जी० टीकों का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में कितने डी० पी० टी० का उत्पादन होता है। देश में इन दवाओं की 1,000 लाख खूराकों की आवश्यकता है जबकि देश में कुल 40 लाख खुराक का उत्पादन होता है। अतः इन दवाओं की उत्पादन क्षमता में हमें वृद्धि करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ्य रहे और उनका भविष्य भी उज्ज्वल रहे।

यह आवश्यक है कि देशी चिकित्सा पद्धतियों को महत्ता दी जाये क्योंकि इससे लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। केन्द्रीय सरकार आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को तो प्रोत्साहन देती हैं परन्तु तमिलनाडु की सिद्ध पद्धति की उपेक्षा करती है। केन्द्रीय सरकार को सिद्ध चिकित्सा पद्धति को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। अन्त में मैं पुनः यह कहना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जाये।

Shri Yuvraj (Katihar): Deputy Speaker, Sir, while supporting the Demands of the Ministry of Health and Family Welfare I would like to draw the attention of the House to certain basic issues. The Report of the Bhor Committee, containing recommendations for opening 5000 Primary Health Centres in rural areas remained in paper basket for last 30 years. It is only after 30 years that these Primary Health Centres have been opened. It is surprising to note that 85 per cent people of India are not in a position to get even minimum medical facility, medicines are not available even in our District level or Block level hospitals. There are no doctors in most of rural hospitals. If there is a doctor at Block level, he does not go to attend the three Primary Health Centres in a Block. In this connection I want to suggest that our medical education should be made rural-oriented. Medical students should be asked

to work in rural areas so that the people being below poverty line can also get medical facility. We should look to it as to how much is spent on rural hospitals and how it is spent.

Our Health Minister has inaugurated a Rural Health Scheme on 2nd October 1977, under which he proposed to appoint a public Health Worker for every 1000 people in the country. A programme has been formulated or giving training to these Health Workers. As a matter of fact a Health Worker will be a Doctor for rural population. A man will be selected from among the people of the area and he will be trained by a qualified doctor. I think not even 25 per cent of these trained Health Workers do the job they are trained for. They do not do this job even for part-time. It would have been better if this responsibility would have been entrusted to the Primary Teachers.

Emphasis should be laid on making underground drainage system in all big cities including Patna and Calcutta etc., because open drains are breeding centres of mosquitoes and thus they cause the malaria. In 1977 about 60 lakh people became victim of malaria. Along with the provision of underground drainage system arrangement for purified drinking water should also be made.

There is shortage of wards and beds in the hospitals as compared to the number of patients. The number of wards and beds should be increased. They should be equipped properly with staff and equipments. Only then we could be in a position to claim that we are rendering service to the patients. I want to suggest that there should be a Dharamshala type house near every big hospital where Kith and Kin of patients can take shelter. At present what is being spent on medical facilities in India is the least of what is being spent on these facilities in all other developing countries. The problem of lack of medical facilities to the people can be solved only if we are politically determined to do it and if adequate medical facilities are made available in rural areas.

***श्री अजीत कुमार साह (विष्णुपुर)** : स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय माननीय मंत्री ने यह दावा किया था कि वह चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में क्रान्ति लायें हैं। मैं उनकी इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं। कुल बजट का केवल 2 प्रतिशत भाग स्वास्थ्य के लिए आबंटित किया गया है। कुछ शीर्षों जैसे मलेरिया, कोढ़ नियंत्रण आदि के लिये आबंटित राशि में वृद्धि की गई है। लेकिन जनसंख्या के आकार को देखते हुए उक्त राशि भी पर्याप्त नहीं है। देश के 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के लिये बजट में केवल 22.63 करोड़ रुपयें की व्यवस्था की गई है। गांवो में रहने वाले 40 अथवा 45 करोड़ लोगो के लिये इतनी कम राशि आबंटित की गई है। यह शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता के तीस वर्ष बाद भी लगभग 4 लाख गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। बजट में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और इस प्रयोजन के लिये धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है। केन्द्र द्वारा आबंटित धनराशि में से राज्य सरकारी स्वास्थ्य पर बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकती। इसी कारण सब मैडिकल कालेजों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में आज स्थिति दयनीय हैं। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में मैडिकल कालेज में बिस्तरा की संख्या बहुत कम और अपर्याप्त है। केवल, दो तिहाई रोगियों के लिये

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translation version based on english translation of the Speech delivered in Bengali.

[श्री अजीत कुमार साह]

ो बिस्तरों को व्यवस्था है शेष रोगी बरांडे में खुले आकाश में रखे जाते हैं। ऐम्बुलैंस सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इस कारण गम्भीर रोग से पीड़ित रोगियों को उपचार के लिये अस्पताल नहीं लाया जा सकता। राज्य सरकार को अधिक धनराशि दी जानी चाहिये जिससे ईदपुर, रायपुर, रानीबंध जैसे पिछड़े क्षेत्रो में, जहां अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं अधिक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा सके।

स्वास्थ्य शिक्षा को प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलो में अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिये। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

संयुक्त सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि सरकारी डाक्टरों और मैडिकल कालेजों में काम करने वाले डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिये और इसके इवज में प्रैक्टिस न करने को भत्ता दिया जाना चाहिये। यदि सरकार उक्त सिफारिश स्वीकार लेती है तो कुछ डाक्टरों को उन गांवों में जिनमें डाक्टरों को बहुत कमी है काम करने के लिये कहा जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन रोगियों को बहुत लाभ होगा। मैं सरकार से एल० एम० एस० पाठ्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि डिग्री प्राप्त व्यक्ति सामान्यतया गांवों में जाने के इच्छुक नहीं होते जबकि सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति गांवो में जा सकते हैं और इससे निर्धन गांववालों को लाभ हो सकता है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिये। मलेरिया का फिर से प्रकोप आरम्भ हो गया है। जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण पानी जमा हो जाना ही इसका मुख्य कारण है। जल निकासी प्रणाली में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों को अधिक धनराशि दी जानी चाहिये। उनको वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और वे इतना बड़ा कार्य स्वयं नहीं कर सकतीं।

फिलेरिया के नियंत्रण पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांकुरा में गोविन्द नगर में स्थित कोढ़ केन्द्र में रोगियों को दवाइयों की उचित सप्लाई न किये जाने की शिकायतें अक्सर प्राप्त होती हैं। उनकी सप्लाई किये जाने वाली भोजन भी बहुत घटिया किस्म को है। कोढ़ विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन है अतः केन्द्रोय सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिये।

देश में लगभग 50 लाख व्यक्ति अंधेपन से पोड़ित हैं। अंधेपन को मुख्य कारण कुपोषण है। यदि उन्हें पौष्टिक अहार मिले, तो वे अन्धे न हों। खाद्यान्नों में अपमिश्रण को रोकने को ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

देश में लगभग 8 लाख व्यक्ति मोतियाबिन्दू से पीड़ित हैं। अतः आंखों के आपरेशन के लिय चलते फिरते आंख-अस्पताल स्थापित किये जाने चाहिये। इससे बड़ी संख्या में लोगों को पुनः दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार से परिवार कल्याण कार्यक्रमों में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिये। परिवार नियोजन के मामले में उन्हें समझाया जाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिये। उनके दिमाग से डर निकाला जाना चाहिये। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लाभों का प्रचार किया जाना चाहिये। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिये इनके साथ महिला संगठन और कृषक संगठन सम्बद्ध होने चाहिये।

चीन को जनसंख्या 80 करोड़ है जबकि भारत की जनसंख्या 60 करोड़ है। लेकिन वहां गरीबी अथवा बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय योजना में शामिल किया हुआ है और वह सुचारु रूप से कार्य कर रही है। लेकिन हमारे देश में इसे उचित सफलता नहीं मिली है। जब तक महिलाओं को परिवार नियोजन के मामले में उचित शिक्षा नहीं दी जायेगी इसे उचित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आकाशवाणी और दूरदर्शन से इसका थोड़ा प्रचार करने से उचित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

डा० विजय मंडल (बांकुरा) : मैं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय के नाम में परिवर्तन एक स्वागत योग्य निर्णय है। भारतीय डाक्टरों को विभिन्न देशों में बहुत बुरी परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। अतः भारतीय डाक्टरों को गांवों में जाने में क्या आपत्ति है ? ऐसा होता है कि जब किसी डाक्टर को गांव में प्रारम्भिक केन्द्र में भेजा जाता है तो उक्त केन्द्र में दवाइयां नहीं होती और डाक्टरों के आवास की व्यवस्था नहीं होती। रोगी जब दवाई की मांग करता है तो डाक्टर दवाई सप्लाई नहीं कर पाता और उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों की गलतफहमी के कारण डाक्टरों को कभी-कभी पीटा भी जाता है। हमारे देश में योग्य डाक्टरों की कोई कमी नहीं है लेकिन संसाधनों और धन के अभाव और औषधियों की कमी के कारण उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। हाल ही में प्रत्येक गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना आरम्भ की गई है लेकिन इससे भारत के लोगों को शायद अधिक लाभ न हो क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिये केवल छठी कक्षा तक की योग्यता आवश्यक है और उन्हें उपचार और दवाइयों के बारे में केवल 12 सप्ताह की प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरे विचार से वे गांवों में उपचार के लिये उपयुक्त नहीं है।

राज्य सरकारों द्वारा उक्त योजना की उचित रूप से क्रियान्विति नहीं की गई है। उक्त योजना को या तो उचित रूप से क्रियान्विति को जानी चाहिये अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाने वाली 50 रुपये प्रतिमास की राशि का उपयोग औषधियां खरीदने अथवा यदि सम्भव हो तो अंशकालिक डाक्टर की नियुक्ति पर करना चाहिये। इस योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली बहुत पिछड़ी हुई है। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ है। चिकित्सा प्रणाली को सामान्य विश्वविद्यालय शिक्षा से पृथक किया जाना चाहिये। निवारक पहलू को उपेक्षा की गई है जबकि रोगहर पहलू की तुलना में इसका अधिक महत्व है।

[श्री सत्यानारायणराव पीठासीन हुए
Shri Satyanarayan Rao in the Chair]

प्रत्येक राज्य में पृथक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये। और उनमें समाज की वर्तमान आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिये और चिकित्सा शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन लाये जाने चाहिये। राज्य के उक्त चिकित्सा विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी लाया जाना चाहिये।

[डा० विजय मंडल]

देश में, विशेष रूप से गांव के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये, और अस्पताल खोले जाने का आवश्यकता है । संक्रामक रोग पोने के पानी से फैलते हैं अतः इसकी रोक-थाम के लिये शुद्ध पेय जल की सप्लाई के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

गांव के लोगों को सस्ती औषधियां सप्लाई की जानी चाहिये । आज भी कुछ जीवनरक्षक औषधियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और उनका मूल्य बहुत बढ़ गया है । औषध उद्योग को कुछ जीवन रक्षक और मूल औषधियां को उत्पादन बहुत कम मूल्य पर करना चाहिये और उन्हें उक्त औषधियों को गांवों में उपलब्ध कराना चाहिये ।

जनसंख्या की वृद्धि को रोका जाना चाहिये ।

वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दूसरी श्रेणी के सब जनरल ड्यूटी आफिसरों को 1-1-1973 में पदोन्नत कर श्रेणी एक के जनरल ड्यूटी आफिसर बना दिया गया था लेकिन 600 अधिकारियों का मामला लम्बित है ।

केन्द्रीय सरकार ने डाक्टरों के विदेश जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है लेकिन राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया है । इस असमानता को दूर किया जाना चाहिये ।

डाक्टरों की सेवावधि मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाई जानी चाहिये इससे निम्न रैंक के डाक्टरों की पदोन्नति में बाधा आती है । सेवावधि केवल विशेष रूप से योग्य डाक्टरों के मामले में बढ़ाई जानी चाहिये ।

श्री पी० वी० पेरियासामी (कृष्णगिरी) : हमारे देश में 60 प्रतिशत निर्धन लोग जिनके माता-पिताओ को आय 60 रुपये प्रतिमास से कम है अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं । अधिकांश निर्धन व्यक्ति खाज रोग से पीड़ित है । यदि उनका उचित उपचार न हो तो गुर्दा खराब होने का भय बना रहता है । उन्हें होमोडाइलेसिस की आवश्यकता होती है । उक्त सुविधा केवल राजधानियों में उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ।

सब चिकित्सा कालेजों में होमोडाइलेसिस की व्यवस्था की जानी चाहिये । गांवों में लोगों की आय जीवन निर्वाह स्तर से भी बहुत कम है । अतः उन्हें अधिक सुविधाए दी जानी चाहिये । शिक्षा के माध्यम से परिवार नियोजन के महत्व को समझाया जाना चाहिये । फिल्मों द्वारा गांवों में संतति निग्रह के बारे में बताया जाना चाहिये । फिल्म देखकर लोग अधिक समझ सकते हैं । सब पंचायत परिषदों परिवार नियोजन सम्बन्धी फिल्मों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उन्हें नसबन्दी के बाद दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हो सके ।

जिला मुख्यालयों में पोलियों का टीका उपलब्ध नहीं है । इस औषधालयों में ट्रिपल एंटीजेन टीका उपलब्ध करके इस रोग को आसानी से रोकथाम कर सकते हैं । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पंचायत यूनियन औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ताल्लुक मुख्यालयों में ट्रिपल एंटीजन टीका, पोलियो टीका और बी० सी० जी० का टीका उपलब्ध हो ।

ताल्लुक मुख्यालय में एक्सरे प्लांट और क्लिनिकल प्रयोगशालाओं के न होने से रोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोग का पता लगाने के लिए क्लिनिकल परीक्षा बहुत जरूरी होती है इसलिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ताल्लुक केन्द्र में क्लिनिकल प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी महत्वपूर्ण औषधियाँ निर्धन व्यक्तियों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करायी जानी चाहिएं।

यह शर्म की बात है कि एमिनिटाए फ्लूड परीक्षा भारत में उपलब्ध नहीं है। इससे क्रोमसोम की जांच करके गर्भ में बच्चे के लिंग के बारे में जाना सकता है। अजब गर्भ समाप्त करने का कानून बन गया है तब यह सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं की जा रही है?

गांवों में अधिकांश व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण अनेक रोगों को जन्म देता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कून्नूर में रैबिज नाशक टीका विकसित किया जा रहा है। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेन्ट्रल फार्मेसी, मद्रास में डेक्सट्रोस आदि तैयार करने वाली मशीन खाली पड़ी है। इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

अब मैं डाक्टरी शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इसके विद्यार्थियों के लिए प्री-प्रोपेरेशनल कोर्स का कोई लाभ नहीं है क्योंकि प्री-यूनिवर्सिटी में पढ़ाये जाने वाले विषय प्री-प्रोपेरेशनल कोर्स में पुनः पढ़ाये जाते हैं। मेरा सुझाव है कि इसकी अवधि दो वर्ष की जानी चाहिये और इसमें शरीररचना विज्ञान, फ़िजिऑलाजी, बॉयो-केमिस्ट्री आदि जैसे विषय पढ़ाये जाने चाहिएं। हाउस सर्जन के लिए एक वर्ष की अवधि को बढ़ाकर डेढ़ वर्ष किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में निजिकल्याणी औषधियों का उपयोग रक्त में कैंसर के इलाज के लिए होता है। इन औषधियों को यहां तैयार करके निर्यात किया जाना चाहिए ताकि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके।

हमने तमिलनाडु में पर्याप्त डाक्टरों की बजाय चल औषधालयों को आरम्भ किया है। ये अधिक प्रभावी रहते हैं। हमने चल औषधालयों में और अधिक डाक्टर तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करके ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों की सहायता की है। आज अधिक योग्य डाक्टर गांवों की बजाय शहरों में हैं। सरकार को चाहिए कि गांवों में अच्छी डाक्टरी सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करके गलत ढंग से पैसा कमा रहे है। बेरोजगार डाक्टरों को बैंकों से ऋण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करने में मदद दी जानी चाहिए।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : संविधान के अनुसार स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार का काम नीति निर्धारित करना तथा मार्गदर्शन करना और सहायता देना है। परन्तु आज देश में यह धारणा व्याप्त है कि केन्द्रीय सरकार में ऐसे लोग हैं जो प्रगति विरोधी हैं और आदि युग की ओर जा रहे हैं। वे गांधीजी और डा० लोहिया के कथनों को व्यावहारिक रूप देने में लगे हुए हैं। पिछले 30 वर्षों में देश में मृत्यु आयु 25 वर्ष से बढ़कर 50 वर्ष हो गई है। चेचक, मलेरिया आदि रोगों का उन्मूलन हुआ है परन्तु श्री राजनारायण के इस एक वर्ष में देश में मलेरिया, कालाजार का प्रकोप पुनः फैला है। नसबंदी के मामलों की संख्या 70 लाख से घटकर 8 लाख रह गई है। इस अवधि में कोई मेडिकल कालेज अथवा दन्त चिकित्सा कालेज नहीं खोला गया है। गांवों

[श्री सौगत राय]

में ऐलोपथिक डाक्टरों की कमी है और मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए भारी भीड़ रहती है परन्तु सरकार ने आधुनिक चिकित्सा में उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक लगा रखी है। आप जन स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि औषधियों की अपेक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक है। परन्तु पर्याप्त डाक्टरों पर ऊपर से कोई नियंत्रण न होने के कारण उनके नीम हकीम बन जाने का खतरा रहता है और फिर वे अपने नाम से पूर्व डाक्टर लगाना आरम्भ कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपकी नई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का विरोध किया है। मैं डा० लोहिया आर गांधीजी के विचारों का समर्थन करता हूं। परन्तु इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए आपके पास क्या तंत्र है। यदि लोगों को विकल्प दिया जाये तो लगभग 99 प्रतिशत लोग एलोपैथिक चिकित्सा को प्राथमिकता देंगे।

आज हृदय प्रत्यारोपण, फेफड़ा प्रत्यारोपण आदि हो रहे हैं। पीछे जाने का वक्त नहीं है। सरकार का दृष्टिकोण विज्ञान अभिमुखी तथा आधुनिक अभिमुखी होना चाहिए। हम विदेशों में ऐसी धारणा बनने न दें कि आज भारत आदि युग को ओर जा रहा है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एक्सपेरिमेंटल मेडीसिन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है। मैं चाहता हूं कि इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन लाया जाये। कलकत्ता स्थित चित्तरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेन्टर को और अधिक सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि यह अच्छा काम कर रहा है।

जनसंख्या नीति पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जानी चाहिए तथा लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का लाभ आम आदमी को पहुंचाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 600 तदर्थ डाक्टरों को सेवामुक्त किया जाने वाला है। 9 जनवरी, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' समाचार पत्र के अनुसार डा० बी० शंकरन को स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक नियुक्त करने से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में नियुक्तियों के मामलों में प्रधान मंत्री का सचिवालय अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है।

देश ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हर समय भारतीय चिकित्सा प्रणाली की बात करने से काम नहीं चलेगा। देश को विश्व के आधुनिक चिकित्सा के मानचित्र में स्थान दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले डाक्टरों तथा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिससे गुर्दा तथा हृदय का प्रत्यारोपण किया जाना सरल हो सके।

The Minister of Health and Family Planning (Shri Raj Narain) : What the hon. Member has said about the appointment of Shri Shankaran is totally baseless. This appointment was made in appropriate manner.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 292 और 293 का संशोधन)

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the bill.

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1978
WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 1978

(धारा 2, 3 आदि का संशोधन)

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1978
PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL, 1978

(धारा 1, 2 आदि का संशोधन)

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ) ।

The Motion was adopted.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1978

PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL, 1978

(धारा 2, 4 आदि का संशोधन)

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL

(धारा 1, 2 आदि का संशोधन)

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1952 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की मुझे अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1952 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1978
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1978

(नये अनुच्छेद 16क का अन्तःस्थापन)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मुझे अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक—जारी
MENTAL HEALTH BILL—Contd.

सभापति महोदय : हम डा० सुशीला नायर द्वारा 23 मार्च, 1978 को प्रस्तुत प्रस्ताव को विचारार्थ लेते हैं, यथा :

"मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखभाल सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने, उनकी सम्पत्ति तथा कामकाज के सम्बन्ध में और तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए अधिक अच्छा उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : डा० सुशीला नायर का विधेयक मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों की देखभाल करने आदि के बारे में है । यह पागलपन अधिनियम से भिन्न नहीं है । विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को मनोविज्ञान चिकित्सक तक कैसे लाया जायेगा और उनके इस रोग की चिकित्सा किस प्रकार की जायेगी । मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए कोई विधेयक तैयार करने पर कोई उपाय निकालने में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसकी चिकित्सा इस ढंग से की जाय जिसमें बीमारी पुनः न हो । मानसिक रोग के अस्पतालों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की दशा अच्छी नहीं है । उनकी काम की शर्तों द्वारा उन पर ऐसे प्रतिबंध लगा रखे हैं कि वे मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को नियंत्रण में लाने के लिए किसी हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते । उन्हें किसी प्रकार का सामाजिक भत्ता नहीं दिया जाता है और यदि उनकी सेवाकाल करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता है । आखिर वे केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । वे जेलों के अपराधियों की देखभाल नहीं करते बल्कि ऐसे गैर-अपराधियों पर निगरानी रखते हैं जो कि अधिक खतरनाक होते हैं । ये लोग पागल हैं जो कि अस्पतालों में रहते हैं । इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए ।

[श्री पूर्णनारायण सिन्हा]

दूसरा पहलू यह है कि जब किसी मानसिक रोगी को इलाज करने के बाद अस्पताल से छोड़ दिया जाता है और वह पुनः समाज में जाता है तो उसके पुनः पागल होने की संभावना रहती है। ऐसा हो सकता है कि उसके सम्बन्धी उसकी सम्पत्ति का उपयोग करें और उसकी देखभाल ही न करें। अतः ऐसे लोगों पर कुछ शुल्क लगाना चाहिए जो कि ऐसे लोगों की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। उस धन का उपयोग कुछ कारण स्थल बनाने के लिए किया जाना चाहिए जहां कि ऐसे लोगों को उनके शेष जीवन काल के लिए रखा जा सके। ऐसे व्यक्तियों को सब्जियां उठाने आदि जैसे छोट मोटे कामों में लगाया जा सकता है। अस्पताल उनके लिए जेल नहीं होनो चाहिए बल्कि अस्पताल से बाहर उनको काम में लगाने रखना चाहिए। विधेयक पर चर्चा करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जो व्यक्ति मानसिक रोगियों के साथ 10-15 वर्ष तक लगातार काम करते हैं वे स्वयं भी एक प्रकार से मानसिक रोगी हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन कर्मचारियों का कुछ समय पश्चात अन्य स्थानों पर तबादला किया जाय। उससे वे मानसिक रोगी न हो सके।

यह विधेयक वास्तव में सराहनीय है। मानसिक रोगियों का जो सड़कों पर तरह-तरह की हरकतें करते पाये जाते हैं, इलाज होना ही चाहिए। इस विधेयक में कुछ मुद्दे भी शामिल किये जाने चाहिए जिनमें मानसिक रोग के कारणों का पता लगाने की व्यवस्था की जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक युवक मानसिक रोगी हो गया था किन्तु उसको तीन वर्ष तक अस्पताल में रखने के बाद वह बिलकुल ठीक हो गया और अब वह बहुत अच्छा चित्रकार है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये जिसमें मानसिक रोगी की सम्पत्ति की देखभाल सम्बन्धी उपबन्धों के अतिरिक्त मानसिक रोगों के कारणों को जानने तथा मानसिक रोगी के पूर्ण इलाज की व्यवस्था की गई हो। इस विषय में मानसिक रोग अस्पतालों के विशेषज्ञों की सलाह ली जानी चाहिये। उन अस्पतालों में हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिये तथा उन में देश के सभी भागों के मानसिक रोगियों को भर्ती करने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं विधेयक के प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाये। मैं इस विधेयक के सिद्धांतों और उद्देश्यों का समर्थन करता हूं।

Shri Ramji Singh (Bhagalpur) : Mr. Chairman, Sir, it is quite surprising that my hon. friend Shri Sinha should suggest Dr. Nayar to withdraw the Bill regarding mental health. The Indian Lunacy Act, 1912 is nearly 65 years old and it has become quite out of date. With the increasing complexity in the Social Structure, the number of mental cases of different types is increasing day by day. This problem is being discussed by the world seriously. The percentage of mental patients in Denmark is one and in U.S.A. it is three But here in India our Government could not find out the actual figures regarding mental patients. Experts of Health Department have made an assessment to the effect that there would be about five million mental patients in India. Former Government gave assurances at several occasions that such a Bill would be brought. But nothing happened. Similar assurance is being given by the present Government. I would like to know the exact time by

which a Bill will be brought by the Government. **(Interruption)** I am happy to know that hon. Minister of Health has brought the Bill. Under the Indian Lunacy Act there are no facilities for the out door patients. Several other provisions of that Act are also not consistent with our complex society. In the third conference on Welfare of Mentally Retarded, the problem of mental retardation was considered to be the most acute one. President Kenedy of U.S.A. declared in 1963 that 'there should be a war on mental retardation'. I suggest that while preparing the Bill on this subject, the hon. Health Minister should keep in mind the recommendations made by the World Health Organisation. If the hon. Minister comes forward with a comprehensive Bill covering all the points suggested by the hon. Members, he will certainly deserve our congratulations.

I would also like to point out one thing. In view of the difficulties faced by the patients in these hospitals and the treatment meted out to them, as has been quoted by Dr. Nayar in her speech, I suggest that the number of mental hospitals should be increased in the country. Keeping in view the increasing mental tension at family and social levels, Government should give more attention to the problem of mental retardation.

I hope the suggestions given by Dr. Nayar through this Bill will be incorporated in the Government Bill.

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich): I congratulate Dr. Sushila Nayar for drawing the attention of the Government to this important matter. Shri Raj Narain also deserves congratulations for the declaration that he has already prepared the Bill on this subject because this problem had been ignored altogther during the past 30 years.

In this Bill Dr. Nayar has tried to solve the problem of mental retardation. But she has not tried to understand and suggest the ways and means to solve the problem of half-insanes whose number is increasing day by day. What is the main cause of mental restardation? It is mental tension and mental tension is created by the evils of poverty, unemployment and intoxication. In India a poor man having three young daughters automatically becomes half-sane when heavy amount of money is demanded as dowry by the bridegroom. Such types of social evils create mental tension among crores and crores of people as a result of which people became half-insane. These problems are to be fought out not only by the Ministry of Health alone but by all the Government Departments jointly.

It has been observed that so many mentally retarded persons are found roaming in the streets even without clothes, but nobody cares for them. The Bill should provide that it would be the duty of the police to get such insanes admitted in the mental hospitals as and when they receive any reports regarding any mental patient so that anti-social elements could not exploit mentally retarded children and women.

There are so many cases in which only earing members of the families become insane. In that case, the whole family is ruined. No one takes care of the children of such insane person. It is also a fact that the number of hospitals both general and mental is inadequate. People very often come to the Members of Parliament to get recommendation slips for getting admission in the hospitals. Therefore, it is necessary to increase the number of hospitals in the country.

[Shri Om Prakash Tyagi]

I would like to suggest that Government should make yoga and meditation part of hospitals in view of the fact that mental tension can be controlled by yoga and meditation. Government should also undertake scientific research in yoga and meditation. It is Indian system for mental treatment and must be developed. With these words I support this Bill.

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): To begin with I would like to say categorically that I am influenced by Dr. Sushila Nayar personally. I believe, if I request her to withdraw her Bill with this assurance that a comprehensive Bill incorporating the spirit of her Bill is going to be introduced very soon then I will do nothing but perform my duty.

We have already prepared the Bill after having consultations with all the States. The Ministry of Law has also examined it. But we are receiving suggestions at this stage also. There is a difference of opinion on the name of the Bill itself. We also propose that the Bill proposed to be introduced should be referred to Joint Select Committee so that there should be free discussion on it.

We are trying our best to achieve the aims. Some of the hon. Members have expressed their views about the Ayurveda and have held that we are going back. If someone observes celibacy, he cannot become mad nor can he become mentally retarded.

The hon. Members should read the Mahabharat and compare Gandhi with Lord Krishna. We should have knowledge of history.

If we are mentally healthy, why should we not follow this? Gandhiji wrote an article on 29th January, 1948 in which he suggested about winding up of the Congress. But an assassin fired three shots at him and he died.

Just for power also makes a man mad. Emergency was promulgated on the ground of internal danger. Does it come within mental sickness or not? A number of persons were lodged in jails............**(Interruptions)**.........Whatever points I am putting here, it would be my effort to consider them also. When this matter goes to the Joint Select Committee, there should be some provision about it. The Bill presented by Dr. Sushila Nayar does not have this provision. The Bill proposed by the Government is broader but that too does not have this provision. Once an Asiatic Psychiatrists Conference was held in which eminent doctors of the World took part. I placed this problem before them. I have been put in jails 58 times. Why? Does it also come within madness? All these facts should be viewed at the time of conducting social analysis. Therefore, I request Dr. Sushila Nayar to withdraw this Bill. She should sit in the Committee and compare this Bill with the Government Bill.

Now, I want to give some figures and quote:

"Dr. Glen Davidson, project Co-ordinator, who is now in the city has opined that the systematic approach and inherent features of Ayurveda will have an impact on the medical profession in America."

He further adds:

"The S.I.U. faculty has investigated medical systems in other parts of the world but have found Ayurveda to be the most systematic"

We shall have to think over it as to how far madness can be cured by Ayurveda as also by other systems, viz., Unani, Yoga, Naturopathy.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Is it a fact that Ayurveda is called the Pancham Veda?

Shri Raj Narain: Maharabhart is Pancham Veda while Ayurveda is Upveda.

There are 38 mental hospitals in all in the country.

I am giving the break-up of Psychiatric Clinics. There are two in Andhra Pradesh, 2 in Bihar, 4 in Delhi, one in Gujarat, one in Haryana, one in Jammu & Kashmir, one in Kerala, one in Madhya Pradesh, one in Maharashtra, 2 in Mysore, 2 in Orissa, one in Punjab, 2 in Tamilnadu and 5 in West Bengal.

As the hon. Member has said that some private Psychiatrists also make arrangements we shall extend our help to them as far as possible.

I have carefully listened to the views expressed by hon. Members including Dr. Sushila Nayar about Dr. Sushila Nayar's Mental Health Bill, 1977. I would like to state in the House about the efforts made by the Government to bring about changes in the provisions of the outdated Indian Lunacy Act, 1912. The attitude of the society towards lunatics. This disease can be cured if diagnosed at preliminary stage. Keeping this object in mind, the Government started preparing draft of the Mental Health Bill.

The Cabinet approved a broad policy on September 28, 1966 to enact such a legislation. This draft was circulated among all the State/Union Territory Governments for knowing their views. Copies of the laws regarding this subject were also obtained from various developed countries. Some of the State Governments made delay in sending their views. Consequently, the draft of the Bill was prepared again. This draft is latest document in the context of Indian conditions.

So far as Dr. Sushila Nayar's Bill is concerned, it is more or less the same as was prepared by Government in 1966. The following provisions are there in the Government Bill which are not there in Dr. Sushila Nayar's Bill:—

Section 19: In this section it is provided that such mentally retarded persons can be admitted as they themselves cannot express their desire of being admitted.

Section 46: In this section it is provided that if any person, altready admitted to Mental Hospital, feels that he is healthy, he can apply for his discharge from hospital.

Section 52: According to this section appeal can be filed in the District Court against the orders of any Magistrate.

Section 92: It is mentioned in this section that the Medical Officer Incharge of any Mental Hospital shall submit a half-yearly report about mental and physical condition of the patient.

14—124 LSS (ND)/78

[Shri Raj Narayan]

Section 94: In this section it is provided that legal aid will be given to the patient on Government expenditure in certain circumstances.

In this way, it can be seen that Sections 46, 52 and 94 of the proposed Bill are directly in the interest of the patient. I, therefore, again request Dr. Sushila Nayar to withdraw this Bill. She may express her views in Joint Select Committee on the Government Bill.

Shri Hari Vishnu Kamath: By what time this Bill will be introduced?

Shri Raj Narain: I wish this Bill is introduced in this House as soon as possible and in this current session. The Bill is ready.

Dr. Shushila Nayar (Jhansi): I am grateful to the hon. Members who have expressed their views about this Bill and welcomed it. I do not distrust the hon'ble Minister of Health and Family Welfare but I would like to say that when I was Minister of Health, I used to tell that Government was bringing forward the Bill in this regard. There is not much difference between my Bill and the Government Bill. In the proposed Government Bill there is mention about Mental Hospitals and Mental Nursing Homes. In my Bill the provision is about Psychiatric Hospitals and Psychiatric Nursing Homes. A number of Sections which are there in the Government Bill are also here in my Bill. The hon. Minister says that the Bill will be introduced in the current session but I have personal experience that inspite of my desire, I would not introduce Bill for 5 years in Lok Sabha.

I submit that when the hon. Minister agrees with the spirit of this Bill, why does he not refer this Bill to the Select Committee?

Sir, I present this Bill for Select Committee and request the hon. Minister not to prolong the presentation of such Bill. I have experienced a mental case in my family. There are several categories of mentally retarded persons. One of these categories is emotional insecurity. Emotionally insecure person commits many a worng. It is very essential that mental cases are diagnosed at the initial stages.

There is a Mental Health Institute in Bangalore and an Ayurveda Specialist is there. We got Scizophrenia cases treated by him. That treatment was successful.

[(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए)]
[[Shri Dhirendra Nath Basu in the Chair]]

I admit that the hon. Minister has a number of resources for carrying out improvements in the Bill. He may make changes in this Bill by coming before the Select Committee. If this Bill is referred to the Select Committee, it will take shape of law within six months.

Mr. Chairman, Sir with your permission, I give the names of 20 Members for Select Committee: Dr. Karan Singh, Dr. Sardish Roy, Shri Krishna Kant, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri H. V. Kamath, Shrimati Mrinal Gore, Shri C. K. Chandrappan.........

सभापति महोदय : प्रस्ताव विधेयक पर विचार करने के बारे में है।

डा० सुशीला नायर : मैं कह रही हूं कि जो विधेयक मैंने पेश किया है उस पर स्वास्थ्य मंत्री महोदय सहमत हो सकते हैं और उसे प्रवर समिति को सौंप सकते हैं। मानसिक रोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय प्रवर समिति में ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जो वह चाहें ताकि इस मामले में और विलम्ब न हो।

Shri R. D. Ram (Palamau) **:** Mr. Chairman, Sir, I rise on a point of order. Is it the right of a private Member to propose the names of Members of Select Committee?

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मंत्री महोदय के विचार के लिये नामों का प्रस्ताव करने से सदस्य को कोई भी बात नहीं रोकती है।

Shri Raj Narain: Mr. Chairman, Sir, I humbly request Dr. Sushila Nayar to withdraw this Bill because we have prepared a Bill in which views of all the State Governments and all the experts of the world have been incorporated. Law Department and other concerned departments have seen this Bill.

The Government would introduce a comprehensive Bill as soon as possible. Government's intention is to refer that Bill to a Joint Committee. In view of this I would request the hon. Member to withdraw her Bill.

डा० सुशीला नायर : मैं मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखभाल संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने, उनकी सम्पत्ति तथा कामकाज के संबंध में और तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों के लिये अधिक अच्छा उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने के बारे में सभा की अनुमति चाहती हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखभाल संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने, उनकी सम्पत्ति तथा कामकाज के संबंध में और तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों के लिये अधिक अच्छा उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने के लिये अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

डा० सुशीला नायर : मैं विधेयक को वापस लेती हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 51 का संशोधन)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

[श्री हरी विष्णु कामत]

इस विधयक का उद्देश्य अनुच्छेद 51 का संशोधन करना तथा अनुच्छेद में यह नया प्रावधान करना कि "राज्य अन्य राष्ट्रों के सहयोग से विश्व विधान सभा का गठन करने तथा विश्व संघ सरकार के लिये संविधान का मसौदा तैयार करन के लिये प्रयास करेगा

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंच पर इस मामले को प्रस्तुत करने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं क्योंकि इस मामले पर इससे पहले इस सदन में या केन्द्रीय विधान सभा में कभी चर्चा नहीं हुई है।

मानव जाति एक परिवार के समान है और 'वसुधैव कुटम्बकम्' की उक्ति बहुत पहले कही गई है। विश्व सरकार, विश्व व्यवस्था और विश्व कानून से अभिप्राय यही है। यह हर्ष की बात है कि आधुनिक काल में इस प्रेरणादायक विचार को स्वीकार कर लिया गया है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की प्रतीक्षा की जा रही है। वस्तुत: यह कपोल कल्पना नहीं है। इसे हमारे समय में ही प्राप्त कर लिया जायगा। इसके बिना विश्व निर्भय नहीं हो सकता है जिसे हमारे प्रधान मंत्री गत एक वर्ष से दोहरा रहे हैं कि हमें भयमुक्त होना चाहिये। महात्मा गांधी ने 40 वर्ष पूर्व लिखा था कि विश्व समाज का विचार ही सर्वोपरि है न कि राष्ट्रीयता का। हमें इसके लिये और मानवता के भाई-चारे के लिये कार्य करना चाहिये।

जवाहरलालने इस विषय पर लिखा है कि विश्व महासंघ होना चाहिए और यह अशक्य बनेगा क्योंकि विश्व कीं रूग्णता का इसके बिना अन्य कोई उपचार नहीं है।

मैं संयुक्त राष्ट्र संघ मे 4 अक्तूबर, 1977 के ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित था जब विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में प्रथम बार अपना भाषण हिंदी में दिया। यह एक भारी सफलता थी। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा वह अधिक महत्व पूर्ण था। उन्होंने एक नई विश्व-व्यवस्था के निर्माण करने का आह्वान किया। अत: इस सदन में विश्व सरकार की आवश्यकता के बारे में और विश्व व्यवस्था के लिए आन्दोलन को बढ़ाने के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयास में हम अकेले नहीं है। वस्तुत: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गत 25 वर्षों के दौरान विश्व सरकार और विश्व महासंघ बनाने के बारे में अधिक प्रयास हुए हैं। मैंने 1964 अथवा 1965 के दौरान भी तीसरी लोकसभा में इसी प्रकार का विधेयक पेश किया था लेकिन गैर-सरकारी विधेयक होने के कारण इस पर विचार करने का अवसर न मिल सका था और वह समाप्त हो गया था। अब मैंने यह विधेयक पुन: पुर:स्थापित किया है क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि विश्व सरकार, विश्व व्यवस्था तथा विश्व कानून संबंधी एक आंदोलन सारे विश्व में चल रहा है।

मैंने इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के बताने वाले विवरण में संक्षेप में यह कहा है कि विश्व भर के सभी अच्छे आदमियों तथा सरकारों के लिये इकट्ठे होकर विश्व महासंघ तथा संसद की ओर एक कदम बढ़ाने हेतु विश्व विधान सभा बुलाने का एक अच्छा अवसर है। उस समय तक युद्धसमाप्त नहीं हो सकते और न ही विश्व में शान्ति स्थायी रह सकती है जब तक विश्व कानून पर आधारित विश्व व्यवस्था लागू न की जाय।

गत वर्ष जब मैंने इस सदन में विधेयक पेश किया था, उसी समय सरकारों द्वारा नहीं बल्कि विश्व की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इन्जब्रक, आस्ट्रिया में एक विश्व संविधान सभा का आयोजन किया गया था। उस विश्व संविधान सभा ने विश्व महासंघ के लिये एक संविधान बनाया जो बहुत ही रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक था, जिसमें "विश्व संसद्", "विश्व कार्यपालिका", "विश्व प्रशासन", "विश्व न्यायपालिका", "विश्व नागरिकों के अधिकार", "विश्व सरकार के नीति निदेशक सिद्धांत", "विश्व सीमायें तथा बाहरी सम्बन्ध" आदि अध्याय थे। यह संविधान अत्यंत व्यापक है।

यदि हम तिसरे विश्व यूद्ध को रोकना चाहते है। जिससे तब तक नही बचा जा सकता जब तक हम 19वीं शताब्दी के राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के राजनीतिक सिद्धांत को नहीं छोड़ देते। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का एक प्रमुख लक्षण युद्ध करना है। आधुनिक काल में आदमी चांद तक पहुंच गया है और दुनिया को चांद से देखता है और यह भी देखता है कि यह कितना छोटा सा ग्रह है और यह ब्रह्मांड में है। लेकिन इस युग मे शस्त्रों की होड लगी है और लोग अब भी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता से चिपके हुए है और समझते है कि युद्ध छेडना राष्ट्र का अधिकार है।

मेरे विचार से विश्व की दो बड़ी समस्यायें युद्ध और जनसंख्या हैं। परन्तु मेरा विश्वास है कि यह समूचा विश्व एक है, अलग-अलग राष्ट्र, अलग-अलग देश नहीं। पूरे विश्व को लेने पर उसकी जनसंख्या अधिक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डा० वाल्दहाइम ने 1974 में बुडापेस्ट में डेमाग्राफिक सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि विश्व अपने संसाधनों से 76 बिलियन जनसंख्या को खिला सकता है। इस समय कुछ देशों में अत्यधिक जनसंख्या है और भारत भी एक ऐसा देश है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के साथ-साथ हमें खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है जो इस समय कम है।

अन्य देशों की तुलना में भारत और चीन की जनसंख्या अधिक दिखाई दे सकती है लेकिन विश्व सरकार होने पर बिना पारपत्र, सीमाओं, युद्ध और आवश्यकताओं के जनसंख्या को बांटा जा सकता है। अधिक जनसंख्या वाले देश इस भार से न दबें, इस ओर ध्यान दिया जा सकता है। खाद्य संसाधनों को भी विश्व के राष्ट्रों में बांटा जाये।

पर्यावरण दूषण संबंधी समस्यायें विश्व के सभी देशों में व्याप्त है जिनका समाधान किया जाना है। गीता में कहा गया है--'वायु सर्वत्वो महान'। वायु जीवनदायिनी है और यह प्राण भी ले सकती है। यदि जेट विमान की यात्रा से विश्व एक हो गया है और हम कुछ घंटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंच सकते हैं तो विश्व कानून और विश्व सरकार पर आधारित विश्व व्यवस्था बनाने के मार्ग में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। इस विधेयक का यही उद्देश्य है।

मैंने संविधान के अनुच्छेद 51 में संशोधन की बात की है। अनुच्छेद 51 'राज्य के नीति निर्देशकतत्व' नामक अध्याय का एक भाग है। किन्हीं माननीय सदस्य ने कल पूछा था कि क्या आपका विचार मूल कर्तव्य—51क वाले अध्याय में संशोधन करने का है। यह आपात कालीन अवधि की अस्वस्थ व्यवस्था है। इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है।

मेरा विधेयक असली संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में है। हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिये। उद्देश्य सारगर्भित होना चाहिये। सारगर्भित से मेरा तात्पर्य है कि हमें भारत में कुछ प्रयत्न करना

[श्री हरी विष्णु कामत]

चाहियें । अनुच्छेद 51 में खण्ड (ड) और जोड़ा जाना चाहिये । यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो यह इस प्रकार होगा :

"राज्य अन्य राष्ट्रों के सहयोग से विश्व संघ सरकार के लिये संविधान बनाने के लिये विधान सभा का शीघ्र गठन करने का प्रयास करेगा"

मंत्री महोदय सदन में यह बात स्वीकार करें कि वह विश्व सरकार के विचार को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं और वह यह भी कहें कि भारत सरकार तथा भारत की जनता भी इस विचार से सहमत देशों के साथ सहयोग करने को तयार है । इस आधार के निश्चित होने पर सम्पूर्ण विश्व आलोकित होगा और मानव मन का उत्थान होगा । यदि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा ऐसी आवाज उठायी जाती है तो कौन जाने क्या होगा । मैंने गत चार पाँच महीनों में जितने देशों का भ्रमण किया सभी जगह मुझसे कहा गया कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को इस बारे में विश्व का मार्गदर्शन करना चाहिये । मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय में अपना मतनिर्धारण करेगी ।

अत: एक विश्व संविधान पर आधारित विश्व सरकार बनाने के लिये भारत के संविधान में संशोधन करने हेतु मैं अपना विधेयक पेश करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Mr. Chairman, I Support the Bill moved by Shri Kamath and hope that all those who live in India and believe in its culture will not oppose this Bill. We in India do not think only for ourselves, we think for other nations also. The action, therefore, which is proposed to be taken in the interest of the world should be supported by the Government also. The world today has become very close and compact and the different nations are interdependent, the Government should take steps to remove various disparities, economic and social etc. Unless we succeed in this matter, the idea of Wolrd Government, World Order, cannot be translated into action.

Each Nation wants peace, but the leaders in every nation are narrow minded and they can not seize above the selfish ends.

Before taking of World Government, World Order or Assembly we will have to find out a way through United Nations to tread upon to reach our goal. If we are to form a World Assembly, we will have to destroy all the destructive weapons first and then we will have to put a stop to all such activities like Cold War and building up bases at stratagic points. We are required it to have weapons necessary for internal security and rest of the piled up stock will have to be destroyed. Unless this is done, we can never translate the idea of World Government into action. The big countries want that the developing countries should not join the arms race. Can it be possible when the big countries do not want to stop manufacturing atombombs or other deadly weapons? We cannot establish World Order if such things continue. Each Nation will have to make some sacrifice and will have to be broad minded and hearted to understand other Nations. Unless we develop such a feeling that all the human beings on earth are one Nation, we can not establish World Government. A Committee should be set up at United Nations level to find out a way for all these things.

The veto power vested in certain countries should be abolished. Each country should have equal status.

The move regarding formation of a Constituent Assembly to formulate Constitution for a World Federal Government should be initiated by U.N.O. The interference in internal matter by C.I.A. or K.G.B. should be stopped. Cold war should also be stopped to save the world from disaster.

अनाज बोर्ड विधेयक
GRAIN BOARD BILL

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्यान्न जैसी सभी कृषि वस्तुओं की प्रति वर्ष न्यूनतम कीमतें नियत करने के लिये एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खाद्यान्न जैसी सभी कृषि वस्तुओं की प्रतिवर्ष न्यूनतम कीमतें नियत करने के लिये एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

पिछड़े क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक।
BACKWARD AREAS DEVELOPMENT BOARD BILL

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के में आर्थिक रूप स सभी पिछड़ क्षेत्रों के सर्वातोमुखो विकास के लिये एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दो जाये"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े सभो क्षेत्रों के सर्वतोमुखो विकास के लिये एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दो जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जासूसी विरोधी विधेयक
ANTI-ESPIONAGE BILL

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में जासूसी के लिये जासूसों को मृत्यु दंड दने और उनके संक्षिप्त विचारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में जासूसी के लिये जासूसों को मृत्यु दंड देने और उनके संक्षिप्त विचारण का उपबन्ध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

हरिजनों पर कीये जा रहे अत्याचारों संबंधी प्रस्ताव
MOTION RE. ATROCITIES ON HARIJANS

सभापति महोदय : अब हम श्री रामविलास पासवान द्वारा 4 अप्रैल, 1978 के पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे विचार करेंगे

"कि यह सभा बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और देश के अन्य भागों में हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों पर चिन्ता व्यक्त करती है"

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : हमारे दल के तीन सदस्यों ने इस विषय पर बोलने के लिय नाम दिये है । प्रत्येक सदस्य को 8 मिनट का समय दिया जाये ।

सभापति महोदय : देखेंगे ।

Shri Yuvraj (Katihar): On a point of order Sir, the Members who have given their amendments should be given priority.

Dr. R. N. Rakesh (Chail): On a point of order Sir, the Members from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given priority as they will give their suggestions on this regard.

Shri Shiv Narain Sarsonia (Karol Bagh) : Mr. Chairman, Sir, Shri Ramdhan has produced figures regarding atrocities on harijans and other Members have also mentioned such incidents.

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुयी]
[Dr. Sushila Nayar in the Chair]

No attention has been given so far to the recommendations made by Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. No doubt, this was done by previous Government, but we have made no efforts to make commission effective. The provisions regarding reservation and removal of untouchability have not been implemented. The position in Government employment also is far from satisfactory. Beaurocrats are flouting Government instructions. In the list of Secretaries, Dy. Secretaries and Under Secretaries declared recently there is none who belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Officers of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being given step motherly treatment, Director & Personnel Directors in undertakings do not observe the Government rules and orders regarding reservation quota to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Our grievances are not looked into even by Ministers. When we go to the hon. Minister of Home Affairs. He says that we are conspiring against him. This is really painfull.

I have written to the authorities many a time but none could give a satisfactory answer. I am not against any particular individual but the incidents of atrocities, murders etc. in respect of Harijans do pain us. And then we are told that we are deliberately parting aside. Why should they not understand it that it is a national problem and not party affair?

Land was snatched from the Zamindars in the name of Land Reforms and to distribute it to us but it was not given or it was given to those who do not cultivate it. Thus we are still landless then, in one of the villages of my constituency itself efforts were made to molest a woman and when she wanted to get the report registered, the report was not registered. Such incidents were there earlier also and are still going on now. How long will it continue? Now a new Janta Government has come in and the backward classes as well as poor people have played a big role in trying this change. So, you can't ignore them. If effective steps are not taken to improve their lot, This problem will grow bigger and bigger.

My friend Shri Ram Dhan has said that the matter would be taken to UNO. Many of our friends here doubt the outcome of such a step. I want to tell them that in case such things continued we would certainly demand our rehabilitation, our place where we could live gracefully. Babasaheb Ambedkar has asked for a separate electorate for us. Had that demand been acceeded to at that time. The problem would have been solved by now. But Mahatma Gandhi came in the way.

Mr. Chairman, Sir, the Harijans resorted to hunger strike last Monday when neither the Home Ministry nor the machinery set up by the President could protect our interests. 101 Harijans continued the hunger-strike for 24 hours at the Boat Club, but none went there to hear their grievances. Whereas the previous Government also made false propaganda of allotting land to the Harijans. The Janta Govt. too has done nothing to improve their condition.

I therefore ask the Government to do what they preach and do something constructive to remove the sufferings of these people who are crying for help. The previous Govt. made us fool for 30 long years but if the present Government also goes the same way the results would not be good.

[Shri Shiv Narayan Sarsonia]

That is why we have made a new demand that there should be a separate Ministry for Harijans. About 2 crore displaced persons came to India from Pakistan and separate arrangements were made by the Govt. for their rehabilitation. But we people continue to dwell in the same old conditions since very long, because such an action was not taken in our case.

These days we are hearing anti-reservation slogans whereas we share only 15 per cent.

Finally, I support the resolution and request the Government to set up such a machinery as will be able to check atrocities on us, to ensure noble treatment to us and also to punish the guilty persons. Thank you.

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सातारा) : मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये सभा को अतिरिक्त समय दिया गया है ।

हरिजनों पर अत्याचारों की समस्या पिछले एक वर्ष से देश के सामने अपने गंभीर रुप में खड़ी है । यूं तो यह समस्या शताब्दियों से इस देश में व्याप्त है परन्तु पिछले एक वर्ष में इसका जो विकराल रुप बना है वह हमें एक चेतावनी देता है की इस को हल करने के लिये निश्चय ही कुछ सोचा जाना चाहिये, कुछ किया जाना चाहिये । यहां इस बात पर चर्चा हो रही है कि बेलची में और मेरठ में क्या हुआ ?

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र में भी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है तो मैं इसके लिये शरमिन्दा हूं । परन्तु मेरा कहना यह है कि हम इस ओर सरकार का ध्यान खींचने और इस विषय पर सरकार और प्रधान मंत्री के साथ कोई रचनात्मक बातचीत करने का प्रयास करते रहे हैं । परन्तु मुझे खेद है कि निराश होकर मुझे यह प्रयास छोड़ देना पड़ा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन
Mr. Speaker in the Chair]

जब मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र द्वारा अपने दल के कुछ लोगों द्वारा बेलची, बिहार, गुड़गांव तथा देश के अन्य कुछ भागों में जाकर तैयार की गई एक रपट भेजी तो उन्होंने कहा कि इस के पीछे हमारा कोई राजनतिक स्वार्थ है । इसलिये प्रधान मंत्री के साथ मुझे अपना पत्र-व्यवहार निराश होकर बन्द करना पड़ा ।

वस्तुतः मेरा उद्देश्य यह कहना नहीं है कि यह प्रश्न केन्द्रीय सूची अथवा राज्य-सूची का है । यह समस्या तो राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की है और राष्ट्र को इसे सही अर्थों में और वास्तविक भावना से हल करना है । प्रश्न यह नहीं है कि किस-किस स्थान पर हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें हुईं, प्रश्न तो यह है कि इसके कारण क्या हैं ?

मेरे दल के सदस्यों ने मुझे जो ब्यौरा दिया है उस से लगता है कि ये घटनायें विशेष रुप से इस वर्ष भड़की हैं । इसके पूर्व हरिजनों को क्या कुछ अधिकार दिये गये थ, भूमि ही दी गई थी; बंधुवा मजदूरी समाप्त करने के प्रयास दिये गये थे । अब उनपर अत्याचार की घटनायें इस लिये

हुई कि कुछ लोग समाज-विरोधी रवैया अपनाकर इन सुविधाओं के विरुद्ध हरिजनों पर आक्रमण करने लगे और इस तरह अत्याचार की उक्त घटनायें हो रही है। इस प्रकार इनका सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व हो गया है। अतः यदि आप से केवल कानून और व्यवस्था की समस्या समझे तो यह एक भूल होगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवम् अल्पसंख्यकों की इस समस्या को हल करने के लिये विशेष सामाजिक आत्मीयता की जरूरत है और ऐसा करना बहुत कठिन भी होगा। इनके लिये सभी दलों को मिलकर एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करना होगा परन्तु सरकार को अग्रता बनना होगा तथा विशेष दायित्व लेना होगा। अब तो यह हो रहा है कि यहां यदा-कदा ये प्रश्न उठते हैं और कुछ न कुछ उत्तर देकर बात टाल दी जाती है। इस में संताप पैदा होता है। कह दिया जाता है कि हरिजनों की संख्या 15 प्रतिशत है जब कि उन पर अत्याचारों की घटनायें केवल एक प्रतिशत ही है। मैं पुनः प्रधान मंत्री से अपील करता हूं वह स्वयं एक अनुभवी नेता है उन्होंने कुछ रचनात्मक काम इस दिशा में किया भी है कि वह इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दें क्योंकि इस समय इस का महत्व विशेष रूप से बढ़ा है।

वस्तुस्थिति यही है कि हरिजनों को इस समय जो सामाजिक विशेषाधिकार तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त है कुछ लोग उनके प्रति ईर्ष्यालु हो गय है और उन्हें वे अधिकार नहीं दे रहे है। ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी तंत्र से सहायता या राह मिल रही है। यहीं मुख्य समस्या है। जिन लोगों को पिछले दो-तीन वर्षों में भूमि दी गई थी उन से भूमि छीन लेने के कई मामलों की हमने सरकार को जानकारी दी है। मुक्त हुए बंधुवा मजदूर जब पुनः बंधुवा मजदूरी करने से इंकार करते हैं तब उन पर अत्याचार किये जाते है। इन के कारणों की जांच को जानी चाहिये।

मेरा रचनात्मक सुझाव यह है कि राजनैतिक दलों को मिल-बैठकर तथा अपने उपर कोई दायित्व लेकर यथेष्ठ कार्यवाही करनी चाहिये। हमें इस समस्या की जड़ में पहुंचना चाहिये। कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिये और यह कार्यवाही कोई घटना हो जाने से पहले ही कर ली जानी चाहिये। किसी घटना की जांच के आदेश दे देना ही तो काफ़ी नहीं है। कार्यवाही तो ऐसी करनी चाहिये जिस से ऐसी घटनायें हों ही नहीं। गांवों में ऊंची जातियों के लोग इस संबंध में अपना दायित्व समझे और ऐसी कोई घटना होने पर शर्मिन्दजी महसूस करें। जब तक हम देश में ऐसी भावना पैदा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस तरह का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बने। यह केवल किसी दल विशेष का या केवल एक सरकारी कार्यक्रम न हो। सरकार को इस काम में नेतृत्व देना होगा।

परन्तु इसके विपरीत सरकार ऐसे स्पष्टीकरण देती है जैसे कि इन घटनाओं का औचित्य पेश कर रही हों। यह बहुत ही बुरी बात है। इस राष्ट्र की आत्मा को ठोस पहुंचती है।

मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे और प्रधान मंत्री के बीच कुछ पत्र व्यवहार को पढ़े। प्रधान मंत्री ने कहा है कि मैं इस समस्या को संसद में उठाकर राजनैतिक लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे बड़ी निराशा हुई, मैंने उन्हें लिखा कि इस तरह तो मुझे उन से पत्र व्यवहार बन्द कर देना चाहिये जब कि मैं उनसे कोई न कोई सभा के बनाये रखना चाहता या मुझे खुशी है कि अब सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी इस विषय को यहां उठाना आरंभ कर दिया है। कम से कम अब तो उन्हें महसूस हो जायेगा कि मेरा उद्देय राजनैतिक लाभ उठाना नहीं था।

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

हमारे देश में पिछली एक शताब्दी से--राजा राम मोहन राय से अबतक के नेताओं तक-- इस विषय पर जनमत तैयार करने के प्रयास होते रहे हैं। परन्तु फिर भी हम अभी तक जनमत भी तैयार नहीं कर सके। जब तक हम इस विषय को सामाजिक और राजनैतिक सहयोग नहीं देंगे इस दिशा में हमे कोई प्रगति नहीं मिलेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि अब प्राय: सभी दल इस विषय पर सभा में बोल रहे हैं। अब प्रधान मंत्री से भी अनुरोध है कि वह हम ढंग से उत्तर न दे जैसे कि वे सरकार अथवा एक मंत्रालय के कृत्यो का औचित्य सिद्ध कर रहे हो। मैं उनसे आशा रखता हूं कि वह इस प्रश्न पर अधिक गहरायी से विचार करेंगे क्या हमारे सामने कोई कार्यक्रम रखेंगे यह एक दल-निर्पेक्ष समस्या है। हमें देश में एक ऐसी स्थिति पैदा करनी है जहां हरिजनों, गिरिजनों, अल्पसंख्यकों सभी को समानता के आधार पर यथेष्ठ प्राथमिकता दी जाये।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): The need of the hour is to revive the very social conscience towards Harijans that was created by Mahatma Gandhi and to follow his footsteps in this direction. But what is being done today is that the Harijans are being made tools of political propaganda and political gains. I advise these politicians to peep into their own self and only then they may put forth their constructive suggestions.

It is very true that our Harijan brothers are really suffering. Some of our friends here were talking about taking the matter to the UNO, but if this sovereign Parliament cannot do anything in this respect, then the UNO too would not be able to do anything. But still my heart goes with what they have said. The happenings in Vishrampur, Belchi, Maharashtra, Karnatak and Andhra Pradesh, are enough to arouse such feelings. They are truely pained and provoked by these incidents to speak like that.

The irony of our bad luck is that we are trying to politicise this problem. I appeal to the Prime Minister and the opposition to have a national convention on this issue. There is now no use of conducting a post-martem of what had happened in Belchi and other places. Prevention is better than cure. Those who feel the pinch are sure to react. So, we have to find out root cause and eradicate the very cause of the problem.

It is unfortunate to politicise this problem. I therefore appeal to the Prime Minister and the opposition to sit together and place their suggestions before the Government for a lasting solution of this problem.

As a preventive measure first of all we should take acuon against the District authorities for such incident in their area. Secondly, when incidents of burning. The houses of Harijans occur, the Govt. should hold summary trials instead of long court proceedings and punish the guilty persons within three months of the happenings.

Harijans are poor and backward both socially and economically. They should be given legal aid and also money to defend themselves against the feudalists.

But as has been said here by great leader Shri Chavan, both the Government as well as the people should collectively work for the welfare of the Harijans and Girijans. Party-politics should not be allowed to befool the Harijans and Girijans.

Also I would suggest that people of the areas where such incidents occur should be collectively fined.

Then the present Government should continue the good measure taken by the earlier Government even if that Government was headed by Smt. Indira Gandhi. this is also true that in Bihar the sixty to forty per cent of the allotment of land made to the Harijans remained only on the paper; and they did not get the possession. The bare fact is that unless the Harijans are made strong economically and socially. This problem is not going to be solved.

The course of untouchability is the result of our caste system which prescribed for four castes in the society where in the serving class became Harijans and thus untouchables. The Father of the Nation Mahatma Gandhi worked for the eradication of this dirty ideology we all will have to sit together and think and act to solve this problem at the national level.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुये मुझे दु:ख भी हो रहा है तथा संतोष भी। दु:ख इस लिये हो रहा है कि देश में हमारे भाइयो के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तथा संतोष इस लिये कि सम्पूर्ण सदन ने इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना है तथा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी सदस्यों ने इस समस्या को समाप्त करने की मांग की है।

गांधीजी ने इन वर्गो की दयनीय स्थिति को महसूस किया था। जिन्हें समाज पशुओं और दासों से भी नीचा समझता था। गांधीजी ने इन्हे हरिजन का नाम दिया। उन्होने कहा था कि जब तक इन व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा तभी दिया जाये गए तब तक देश से स्वराज्य नही मिल सकता।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई कि हरिजनों के उत्थान के लिये विशेष व्यवस्था की जाये। अनुच्छेद 46 के अनुसार उनका विशेप ध्यान रखा जाये। संविधान के अन्तर्गत सरकार का यह दायित्व है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान करने के लिये विशेष व्यवस्था की जाये। यह संवैधानिक व्यवस्था ठीक उसी भावना से की गई है जिससे पिता अपने कमजोर बच्चों का अधिक ध्यान रखता है।

तीस वर्ष व्यतीत हो गये हैं किन्तु फिर भी हमें हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं सुननी पड़ती हैं। वास्तव में ऐसे गम्भीर मामले पर विचार करते हुए हमें एक दूसरे की आलोचना करन से कोई लाभ नहीं होगा। यह भी दु:ख की बात है कि इस समस्या पर अनेक अवसरों पर सभा में विचार विमर्श किया गया है किन्तु फिर भी इस समस्या का अन्त नही होता। हम सभी को इस समस्या के मूल कारण को समझाने का प्रयत्न करना चाहिये। मुझे यह बात सुनकर अत्यंत दु:ख हुआ कि इतने प्रतिशत लोगो का अत्याचार की घटनाएं केवल इतने प्रतिशत हुई है। जनसंख्या और अत्याचारों की संख्या के आधार वा आंकड़ प्रस्तुत करके हरिजनों पर अत्याचार के मामले में कोई औचित्य ठहराना नितांत दु:खद बात है। किन्तु यह हर्ष का विषय है कि सभा ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। इससे आशा है कि कुछ आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

सभा में यह मांग की गई है कि इन लोगों के लिये एक पृथक मंत्रालय बनाया जाना चाहिये यदि उसके लिये संविधान का संशोधन करना पड़े। यह व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है कि जहाँ अत्याचार होते हैं या घुसाघूस बरती जाती है वहाँ सामूहिक जुर्माना कियाजाय। क्या किसी न इस उपबन्ध को लागू किया है? केवल गुजरात में एक बार ऐसा किया गया है। उसके बाद इस कानून को कही लागू नहीं किया गया। इस समस्या को समाप्त करने के लिये यह अनिवार्य है कि जो व्यक्ति हरिजनों के साथ अत्याचार करता है उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जायें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या का राजनीतिक लाभ न उठाया जाये तथा इस समस्या को समूल नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया जाये। यह कहना भी सच है कि देश के समक्ष इस समय एक बहुत बड़ा संकट है और यदि इन वर्गों में असंतोष पनपता है तो कभी भी देश का बहुत बड़ा अहित हो सकता है।

अंत में मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इन लोगों से स्वयं संगठन होना चाहिए तथा अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिये। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है तथा देश उन के भी परिश्रम से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उन घटनाओं के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करता हूं तथा सुझाव देता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिये सभी को मिलकर प्रयत्न करने चाहिये। उन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Shri Yuvraj (Katihar) : Sir, during the debate on atrocities on Harijan going on for the last-two days it has been revealed that the incidents of atrocities on Harijans are increasing. This is a serious problem and I feel that this problem will not be solved unless the social and economic imbalances in the society are removed. It is also correct that this problem can not be solved by enacting legislations. Mahatma Gandhi realised the seriousness of this problem and he undertook various programmes for Harijans uplift. Through the organisation of Harijan Sewak Sangh and the newspapers *viz.*, 'Young India', 'Nav Jiwan' and 'Harijan Sewak'.

I would also like to point out that the information of the incidents of atrocities on Harijans is not given to the police in time and in all cases. The main reason is that the Chaukidars or Dafadars employed in the villages for this purpose are low paid. At the same time such chaukidars can not afford to complain against the big landlords of the villages because of the fact that chaukidars, who in most cases, belong to Scheduled Castes, depends on these landlords for their livelihood. It also leads to the same suggestion that there is a need to bring a change in the social and economic structure of the society and to remove the economic imbalances.

It is also necessary to take strict action against those persons who indulge in such activities to deal with the problem effectively. Only making enquiries and constituting commissions will not suffice. We will have to gear up the programme for social and economic reconstruction and we will have to provide land to the landless. Government should convene a conference of the Chief Ministers of all the States to solve the problem and should ask them to implement all the enactments on this subject effectively and stringently.

I would also like to appeal that all of us including the Ministers should follow the practice laid down by Gandhiji to solve this problem and during our tours we should stay in Harijan villages and study the problems faced by them

by ourselves. With this practice it will be easy for us to find out ways and means to solve their actual problems.

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhuban): Sir, this House has seriously discussed the issue of atrocities on Harijans. The Prime Minister has come to reply the debate and it shows the eagerness of the Government to solve these problems. It is also a fact that the problem of social imbalances has been prevailing all over the world in one form or the other. In India social condition of Harijans are more deplorable. Here we find that not only the Administration but the Judiciary is also prejudiced to Harijans. The figures for the years 1967, 1968 and 1970 in respect of the cases of atrocities in Bihar reveal that almost in all the cases culprits go scot free and the poor Harijans do not get justice even in the courts of law. I, therefore, fully agree with hon. Member Shri Ramji Singh that these cases should be tried summarily. I would like to congratulate the Chief Minister of Bihar who has been taking keen interest in solving this problem. He has also set up a Harijan Cell which is doing a commendable job.

I would like to assure the House that if there is any incident of atrocities on any Harijan in my constituency I will launch *Satyagrah* against such atrocities and pursuade people to boycot such culprits at community level and social level even if such person might be my stonch supporter. I would also like to suggest that Government should take step honestly to end caste system in India. Inter caste marriage should be encouraged. Government employment should be reserved for those who perform inter-caste marriages.

Shri Shyam Sunder Lal (Bawana): Mr. Speaker, Sir, I do not want to go into the figures of incidents of atrocities on Harijan during the last 30 years as compared to that in the last-year. The percentage of atrocities is immaterial. What matter is that we should be ashamed of even a single incident of atrocities on Harijans in the country. The nation is today on the top of a valcano and if this frustration and discontentment is allowed to prevail in the minds of large section. A day may come when the country will face a complete explosion. Therefore, this problem should be dealt with carefully and effectively.

I would also like to mention fact that in Rajasthan the number of such incidents is lowest. Since the constitution of Janta Party there is not a single case of murder has taken place there. The Chief Minister of Rajasthan has done an unprecedent act by appointing a Harijan as State Home Minister first time in the history. It has proved a great success in this direction. I would like to suggest that this practice should be followed by all other states not only at the minister level but also at the administrative levels.

I would also like to suggest that there should be no reference to the castes in the records of the litigants in the courts. I congratulate the Government of Punjab for promulgating the ordinance to this effect that no body will be required to mention his caste in schools, courts, or anywhere else. The Government of India should also adopt such a commendable measure.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मुझे इन सभी बातों को सुनकर अत्यंत दु:ख हुआ है। किन्तु दु:ख इस लिये नहीं हुआ कि सरकार की आलोचना की गई है वरन इस लिये कि देश से ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं यह मानता हूं कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें आंकड़े दिये जानें किन्तु जब किसी मंत्री

[श्री मोरारजी देसाई]

पर लगातार प्रश्नों की बौछार की जाये या उसकी कटु आलोचना की जाये तो वह भी आखिर इंसान है तथा उसका कुछ रह देना स्वाभाविक है। किन्तु मैं उसपर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं चाहता था कि विपक्ष के नेता इस समय यहां होते तो अच्छा होता किन्तु सम्भावत: वह किसी कार्यवश चले गये हैं।

मैं गृह मंत्री की ओर से उत्तर दे रहा हूं। यह निन्दा प्रस्ताव गृह मंत्री के विरुद्ध दिया गया है। मैं इसके लिए स्वयं अपने आप को पूरी सरकार की जिम्मेदार मानता हूं न कि केवल गृह मंत्री को। इसलिए इसका उत्तर मैं देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं मानता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं होती रहती है। आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है। यह संपूर्ण देश के लिए कलंक कि बात है। ऐसी घटनाएं किसी राज्य विशेष में ही नहीं होती बल्कि पूरे देश में होती हैं। यह कहकर मैं ऐसी घटनाओं का औचित्य सिद्ध नहीं कर रहा हूं। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए उन लोगों को दोष देना, जो इसके लिए जिम्मेदार नही है या सरकार को दोष देना, जो इस समस्या को वास्तव में हल करना चाहती है, व्यर्थ है और इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मेरे साथी हरिजनों को इन घटनाओं से अधिक दुख होता है और मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दें। क्या इनके लिए मैं जिम्मेदार हूं? क्या इनके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं? ऐसी घटनाएं पहले कितनी होती थी और अब कितनी होती है, यह मेरे लिएं महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। मैं तो ऐसी एक घटना को भी बुरा मानता हूं और उसके लिए शर्मिन्दा हूं। जहां भी ऐसी घटनाएं घटती है, हम उचित कार्यवाही करते है और कोशिश करते है कि अपराधियों को दंडित किया जाये।

मैं इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे यह समस्या हल नहीं होगी। पहली सरकार के शासन काल में भी ऐसी घटनाएं होती थीं और उस सरकार की कुछ सीमाएं थीं। परन्तु अब वे लोग यह भूल गये हैं कि इस सरकार की भी कुछ सीमाएं हैं। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि प्रतिपक्ष वाले इन घटनाओं से राजनीतिक लाभ उठा रहे है जो उचित नहीं है। हम कुछ लोग मिलजुल कर बैठें और इस समस्या पर विचार करें और उसके समाधान के लिए उचित कार्यवाही करें। इस समस्या के समाधान के लिए शान्त वातावरण की जरुरत है और इस समस्या का समाधान तभी हो सकेगा जबकि लोग इसे हल करने के लिए इच्छुक होंगे। एक दूसरे पर दोशारोपण करने से यह समस्या हल नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि यह बुराई बिल्कुल ही समाप्त हो जाये, देश से जाति प्रथा समाप्त हो जाये। परन्तु केवल कानून बना देने से ऐसा नहीं होगा। जाति-पांति मिटाने और हरिजन उद्धार के लिए जो कार्य गांधीजी ने शुरु किया था, उसे हम सबने उतनी निष्ठा और परिश्रम से नहीं किया जितनी से हमें करना चाहिए था। इसीलिए यह बुराई समूल नष्ट नहीं हुई। इसके लिए हम सब जिम्मेदार है और हम सभी को मिलजुलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने व्यक्तिगत रुप से इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया है। जब मैं बम्बई में मंत्री था तो उस समय मैंने इसके लिए कठोर कदम उठाये थे। जिन स्कूलों में हरिजन छात्रों

को समानता का दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें बंद करने के आदेश दे दिये गये थे। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसे कुएं को सार्वजनिक घोषित किया जिससे सवर्ण हरिजनों को पानी नहीं लेने देते थे। परन्तु मैं यह दावा नहीं करता कि मुझे मेरे प्रयासों में पूर्ण सफलता मिली।

क्या यह कहना अक्लमंदी है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जायेगा? क्या इस मामले में भारत सरकार की तुलना अफ्रीका से की जा सकती है? नहीं, क्योंकि सरकार ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन नहीं देती है, बल्कि उन्हें रोकने का प्रयास करती है। यह बात अलग है कि सरकार कोई ऐसा उपाय नहीं सोच पाई है जिससे ऐसी घटनाएं होनी बंद हो जायें।

यह मांग की जा रही है कि इन लोगों के लिए एक पृथक मंत्री होना चाहिए। यदि इससे समस्या का समाधान होने वाला है, तो कल ही एक नया मंत्रालय बना दिया जायेगा। परन्तु इससे समस्या हल नहीं होगी। इसलिए हमने इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दी है।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि अपराधियों को सरकार या सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए उन्हें दंड नहीं मिल पाता है। माननीय सदस्य ऐसे अधिकारियों और मंत्रियों की सूची मुझे दे और मैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

श्री वसन्त साठे :(अकोला) किसी हरिजन को गृह मंत्री बनाइये और कल ही आपको अन्तर का पता लग जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसका विरोध करता हूं। यह कहकर पुनः गृहमंत्री पर आक्षेप किया जा रहा है, जो गलत है। जब इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाये जाते हैं तब असली प्रश्न जहां का वहीं रह जाता है और ये अन्तर्गत बातें आगे बढ़ जाती हैं। इस बारे में हमे सबको मिलकर बैठना और समाधान खोजना है। मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

इस समस्या के समाधान के दो तरीके है। एक तो यह है कि अपराध करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये और दूसरा यह है कि हम उन लोगों को संगठित करें जिन पर ये अत्याचार किये जाते हैं।

इन लोगों को भूमि दी गई परन्तु उनके लिए एहतियाती कार्यवाही नहीं की गई। इस संदर्भ में मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि जिन ऐसे लोगों को उचित प्रकार से भूमि नहीं दी गई है, उनसे यह तब तक खाली न कराई जाये, जब तक कि उन्हें उसके बदले में अन्य भूमी न दी जाये। हम ऐसे मामलों में छानबीन करा रहे हैं और रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

मैं इस मामले में अपने मित्रों का सहयोग चाहता हूं और वे जो सूझाव मुझे देंगे उन पर मैं ध्यानपूर्वक विचार करूंगा। परन्तु सुझाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यावहारिक न हों। ऐसी घटनाएं होने पर मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है क्यों कि इससे मंत्री को प्रतिदिन त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं अपने सभी मित्रों का सहयोग चाहता हूं और इस समस्या का ऐसा समाधान खोजना चाहता हूं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur): Mr. Speaker, Sir, I want to make an appeal to the Members of the opposition that they should not make political gain out of such incidents. Belchi incident was a big one. The congressmen staged a big demonstration on 14th in Patna for the release of Shri Indra Dev Chaudhary, the main accused of Belchi incident. They should feel ashamed of it. If congressmen, Harijan M. P.s of congress would have been cautious and vigilant about it, such incidents would not have occured.

In this context, I would like to give certain suggestions to which, I hope, our Government and our Prime Minister will pay attention. It is said that the subject of atrocities over Harijans and tribals falls within the jurisdiction of State Governments and the centre cannot interfere with it direcly. I want to suggest that the Constituion and the existing law should be amended so as to make Central Government also responsible for such things. Secondly, I suggest that the licences of weapons issued to capitalists in the area prone to such incidents should be withdrawn at once, because these weapons are also a source of crime. Thirdly, a special legislation should be passed to sternly deal with those who perpetrate atrocities on Harijans and tribals. Another suggestion is that a religious institution should be opened in which students belonging to all castes including Harijans as well as Brahmins should study and those getting degrees from this religious instittution should replace the Acharyas or Shankaracharyas in temples and Maths.

As regards the reservlation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it should be made in all spheres and all sectors—public sector, private sector and semi-public sector. The rule "if a suitable candidate belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is not available, then the vacancy will be de-reserved" should be scrapped forthwith: In this context I would like to make another suggestion. A five year plan should be prepared to ensure that at least one person of every S.C. and S.T. family is given employment in Government office/ Department/organisation or somewhere else.

I want that the report of the commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be laid on the Table of the House every year and 'action taken report' should also be attached with it. There is no use of laying such a report with inordinate delay.

A special cell should be set up with an area of five to seven police stations, which should deal promptly with the cases of atrocities on Harijans. I want to suggest that reservation of jobs should be fixed for I.A.S. and all posts for which selection is made through U.P.S.C. With these words, I thank you the Prime Minister and withdraw my motion.

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन पेश किये हैं, मैं उन्हें अब मतदान के लिए रखूंगा ।

श्री बी० पी० मंडल : मैं अपना संशोधन संख्या 1 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं अपना संशोधन संख्या 2 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 2 was, by leave withdrawn.

श्री युवराज : मैं अपना संशोधन संख्या 3 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राजगोपाल नायडू का संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 4 was put and negatived.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : मैं अपना संशोधन संख्या 5 वापस लेन के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 5 was, by leave, withdrawn.

श्री राम विलास पासवान : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The motion was, by leave, withdrawn.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 अप्रैल 1978/20 चैत्र, 1900 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, April 10, 1978/Chaitra 20, 1900 (Saka).

भा.स.म.ना.-वि. 6-124 एल. एस. एस. एन. डीं./78-7-8-78-210